# लोक-सभा वाद-विवाद
## का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 6th
# LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

11.11.92

सत्यमेव जयते

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

*Price : Four Rupees*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 53, सोमवार, 8 मई, 1978/18 वैशाख, 1900 (शक)

*No. 53, Moday, May 8, 1978/Vaisakha 18 ,1900 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण | Member Sworn | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 1007, 1008, 1010, 1015 से 1017 और 1024 | Starred Questions Nos. 1007, 1008, 1010, 1015 to 1017 and 1024 | 1—12 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 1009, 1011 से 1014, 1018 से 1023, 1025 और 1026 | Starred Questions Nos. 1009, 1011 to 1014, 1018 to 1023, 1025 and 1026 | 12—22 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 8401, 9403 से 9550, 9552 से 9562 और 9564 से 9600 | Unstarred Questions Nos. 8401, 9403 to 9550, 9552 to 9562 and 9564 to 9600 . . . . . . | 22—145 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . | 146—149 |
| नियम 377 के अधीन मामले | Matters Under Rule 377 . . | 149 |
| (1) मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स और सी० एम० आई० लिमिटेड, दामचांच (बिहार) के कुप्रबन्ध का समाचार | (i) Reported mismanagement of Messers Eastern Manganese and Minerals and C.M.I. Ltd. Modchanch (Bihar) | |
| श्री आर० एल० पी० वर्मा | Shri R.L.P. Verma | 149 |
| (2) दल बदल विरोधी विधेयक का पुर: स्थापन | (ii) Introduction of Anti-Defection Bill | |
| श्री हरि विष्णु कामत | Shri Hari Vishnu Kamath | 149 |
| (3) चम्बल घाटी में जल निकास प्रणाली की आवश्यकता | (iii) Need for a drainage system in the Chambal Valley | |
| श्री छबिराम अर्गल | Shri Chhabiram Argal | 149 |
| पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, 1978-83 के संबंध में प्रस्ताव | Motion re. Draft Five Year Plan, 1978-83 . . . . | 150 |
| श्री मोरारजी देसाई | Shri Morarji Desai . . . | 150—155 |


किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually askd on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . | 155—157 |
| जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा हाल ही में कुछ व्यापार गृहों के शेयरों की बड़े पैमाने पर खरीद का समाचार | Reported recent large-scale purchase of shares of some business Houses by the LIC, GIC and UTI | |
| श्री के० पी० उन्नीकृष्णन | Shri K.P. Unnikrishnan . | 155 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel . | 157 |
| भारतीय रिजर्व बैंक ( संशोधन ) विधेयक | Reserve Bank of India (Amendment) Bill . . . . . . . | 158—164 |
| विचार किये जाने का प्रस्ताव — | Motion to consider | |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H.M. Patel . | 158 |
| श्री बी० के० नायर | Shri B.K. Nair . | 159 |
| श्री दुर्गा चन्द | Shri Durga Chand | 159 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi | 159 |
| श्री कंवर लाल गुप्त | Shri Kanwar Lal Gupta . | 160 |
| श्री सी० के० चन्द्रप्पन | Shri C.K. Chandrappan . . | 161 |
| श्री हुकमदेव नारायण यादव | Shri Hukamdeo Narain Yadav | 162 |
| श्री ओ० वी० अलगेशन | Shri O.V. Alagesan | 162 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C.M. Stephen . | 162 |
| खंड 2 से 9 और 1 | Clauses 2 to 9 and 1 . | 164 |
| पास किये जाने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में | Motion to pass, as amended | 165 |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakkappa . | 165 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H.M. Patel . . . | 166 |
| सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक | Customs, Central Excises and Salt and Central Boards of Revenue (Amendment) Bill . . . . . | 166—172 |
| विचार किये जाने का प्रस्ताव | Motion to consider | |
| श्री सतीश अग्रवाल | Shri Satish Agrawal . | 167 |
| श्री मनोरंजन भक्त | Shri Manorajjan Bhakta | 168 |
| श्री अमृत नाहाटा | Shri Amrit Nahata . | 169 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi | 169 |
| श्री भगत राम | Shri Bhagat Ram . . | 170 |
| श्री विनोद भाई बी० सेठ | Shri Vinodbhai B. Sheth | 170 |
| श्री ए० अशोकराज | Shri A. Asokaraj . . | 171 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarayan Pandeya . | 172 |
| प्रो० पी० जी० मावलंकर | Prof. P.G. Mavalankar . . | 172 |
| श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला | Shri Parmanand Govindjiwala | 172 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| कार्य मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee . | 173 |
| 18 वां प्रतिवेदन | Eighteenth Report | 173 |
| आधे घण्टे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion . | 173 |
| राष्ट्रीय कपड़ा निगम में हानि | Loss in National Textile Corporation | |
| डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarayan Pandeya . | 173 |
| श्री सौगत राय | Shri Saugata Roy . . | 174 |
| प्रो० पी० जी० मावलंकर | Prof. P.G. Mavalankar . . | 174 |
| श्री जार्ज फर्नानडिज | Shri George Fernandes . . | 174 |

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 8 मई, 1978/18 वैशाख, 1900 (शक)

Monday, May 8, 1978/Vaisakha 18, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

**Member Sworn In**

श्री काइहो (बाह्य मणिपुर)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Sale of Sugarcane below prescribed price in U.P.

***1007. Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the sugarcane crop of the farmers in Uttar Pradesh remained standing in the fields till 15th April, 1978 and mills and crusher owners are unable to crush it with the result that the farmers are compelled to sell it at a price below the minimum prescribed price;

(b) if so, whether Government have taken any measures for the consumption of the sugarcane by the mills and crushers and to enable the farmers to get prescribed price therefor and if so, the details thereof; and

(c) the quantum of sugarcane production during the current year and the quantum of sugarcane that remained in the fields of the farmers on 30th April, 1978 ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :** (a), (b) and (c) All India second estimate of sugarcane acreage in Uttar Pradesh for the season 1977-78 is placed at 1691.4 thousand hectares as against coresponding estimate of 1494 thousand hectares last season. No estimates are available with the Central Government regarding the extent of sugarcane crop still remaining unharvested in U.P. as on 15-4-1978. The necessary information has been called for from the Govt. of U.P. and will be placed before the House when received.

2. The range of minimum price fixed for cane purchased by vacuum pan sugar factories in the State of U.P. is Rs. 8.50 to Rs. 11.00 per quintal. The State Government have advised prices of Rs. 13.50 and Rs. 12.50 per quintal for Western and Central and East U.P. respectively. The State Government have informed that all sugar factories are paying this State advised price.

3. With the approval of the Central Government, the Govt. of U.P. have also fixed the following cane prices for 1977-78 season for khandsari units :

| *Region* | *Minimum price fixed* |
| --- | --- |
| Western Region (comprising of Muzaffarnagar, Dehradun, Saharanpur, Meerut, Bullandshahar and Ghaziabad Districts). | Rs. 9.30 per quintal |
| Aligarh District | Rs. 8.50 per quintal |
| Central Region (comprising of Nainital except Madehi factory area, Etah, Farukhabad, Moradabad, Bareilly, except Bareilly Sugar Factory area, Pilibhit, Bijnor, Saharanpur, Rampur, Hardoi, Shahjahanpur, Sitapur, Lakhimpur, Kheri and Farrukhabad districts . | Rs. 9.40 per quintal |
| Bareilly Sugar Factory area | Rs. 8.70 per quintal |
| M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., PO Nadehi, Distt. Nainital | Rs. 8.50 per quintal |
| Eastern Region (Comprising of Barabanki, Faizabad, Jaunpur, Varanasi, Basti, Gonda, Bahraich, Deoria, Gorakhpur Distts.) | Rs. 8.70 per quintal |
| Districts other than those specified. | Rs. 8.70 per quintal |

4. The State Government have informed that they are determined to see that the above prices are paid to cane-growers and that all khandsari units are paying this fixed price except 465 units, out of a total of 3890 licensed units, which have challenged the State Government's notification fixing these prices in the Supreme Court. Where complaints are received regarding payment of cane price at rate less than those fixed by the State Govt., the offending units are prosecuted by the State Govt. Besides this, checking squads have also been set up for detecting such cases and prosecuting the offenders.

5. The following measures taken by the Union Govt. are also mainly with a view to enabling maximising of cane consumption and payment of remunerative cane prices :

1. Levy price for levy sugar purchased from factories has been raised with effect from 1-3-1978 by Rs. 18.03 per quintal.
2. Action is being taken to enable sugar factories to obtain adequate credit facilities in view of the high level of production.
3. A scheme has been notified on 28-4-1978 for giving a rebate in excise duty to encourage and enable factories to crush beyond 30-4-1978.
4. Restrictions on export of gur have been removed.
5. Excise duty on khandsari sugar was reduced by 50% and 75% respectively on sulphur and deshi khandsari with effect from 4-2-1978.
6. The Food Corporation of India and the National Agricultural Cooperative Marketing Federation had purchased gur at a premium above the market price.
7. Stock limits of Khandsari dealers have been enhanced.
8. Export of khandsari has been permitted.

6. As already stated, estimate of sugarcane acreage in U.P. during the current year is 1691.4 thousand hectares. The quantum of sugarcane that will remain in the fields of farmers is, however, difficult to be estimated as the bulk of the cane in this state is used by the decentralised sector of gur and khandsari. Despite a late start of crushing, sugar factories in U.P. alone are, however, estimated to have produced about 14.60 lakh tonnes of sugar as against corresponding production of 14.14 lakh tonnes last year. 80 sugar factories have been reported to be working in U.P. as on 30-4-1978 (out of a total of 86) as against corresponding figure of 22 last season.

**Shri Anant Ram Jaiswal :** Sir, Government have benefited the mill owners by Rs. 100 crores by reducing the excise duty and by increasing the levy price and by granting export subsidy. But the result is that the consumer is also crying since he has to pay a higher price for sugar. According to mill owners 80 per cent of them are running in losses and the farmes are not getting the price fixed by government and they have been forced to burn their standing crops. All this leads to only one conclusion that government do not have a long term integrated policy. Will government now consider framing of such a policy and appoint a committee for the purpose ?

**Shri Bhanu Pratap Singh :** Sir, let me again make it clear that as far as open vacuum pan factories are concerned, the minimum price fixed by state governments is being paid. I will like to add that the relief in excise duty etc. is not a gift to the factory owners but it is intended to help them to pay to the cane growers the minimum price inspite of sharp fall in the price of sugar in the open market. Of course, the hon. member is right to emphasise the need for reviewing the old policy, which is being done.

**Shri Anant Ram Jaiswal :** The mill owners say that they are in the red. The cost of production of sugar in India is the highest in the world and the farmers are not getting remunerative prices for their sugarcane. The hon. minister is well aware that most of the units in U.P. are sick—and need to be modernised. In these circumstances will government take over all these sick mills without paying any compensation and modernise them ? Will government consider setting up of new modernised mills and reduce the cost of production of sugar ?

**Shri Bhanu Pratap Singh :** We are considering modernisation. But the sick units taken over by government have shown no improvement. Therefore, taking over is no remedy and some other measure will have to be taken and it is engaging our attention. Suggestions on the subject are welcome from the hon. Member.

**Shri Brij Bhushan Tiwari :** Do government propose to put a ceiling on cane production during the next year since a substantial part or the crop or sugarcane could not be crushed this year ? If the unplanned production of sugarcane is allowed to continue it is fraught with the risk of the crop remaining standing in the fields and not being utilised for crushing next year also. May I know the policy of government in this regard ?

**Shri Bhanu Pratap Singh :** It is true that we will have to face a similar situation next year also resulting in surplus production and hardship, if the area under cane cultivation is not reduced. Therefore, the farmers have been advised through radio and leaflets to reduce the area under cane cultivation. I have said in this House as well as in the other house that if they sown the seeds they should uproot it. I will appeal to the sympathisers of canegrowers to advise them to reduce the area under sugarcane cultivation and to diversify agriculture.

## दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतल में अज्ञात वस्तु

**1008. †डा० बसन्तकुमार पंडित :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतल में एक अज्ञात वस्तु पाई गई थी जैसाकि 11 अप्रैल, 1978 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** :(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : जी हां, दूध की बोतल की जांच करने पर पता चला कि अज्ञात पदार्थ एक लकड़ी का टुकड़ा था ।

**डा० वसंत कुमार पंडित** : जांच की गई है और तिलचट्टे या कीड़े जैसे दिखाई देने वाली चीज को लकड़ी बताया गया है। सम्पूर्ण दुग्ध योजना स्वचालित है ; आदमी को कहीं भी हाथ नहीं लगाना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय ने पता लगाया है कि लकड़ी का टुकड़ा बोतल में आया कैसे ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : मैंने सारे मामले की जांच की है। लकड़ी का एक टुकड़ा बोतल में चला गया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि यह बोतल में कैसे पहुंच गया।

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : कई चरण हैं। बोतल दुग्ध केन्द्र से वितरण के लिये जाती हैं। रास्ते में उनको खोला जा सकता है या उनमें से दूध निकाला जा सकता है। बोतल का छोटा सा एल्युमीनियम का ढक्कन हटाकर पुनः लगाया जा सकता है और यह पता नहीं लगता है कि ऐसा किया गया है। इसके बाद बोतलें घरों में जाती हैं। जहां उनमें ऐसी चीजें डाल सकते है। कोई बच्चा बोतल से खेलते हुए कोई तीली या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा या कोई अन्य चीज बोतल में डाल सकता है। तब बोतले इकट्ठी करके धोने आदि के लिये भेजी जाती हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि धोते समय भी लकड़ी के इस टुकड़े का पता न चला हो। फिर ये बोतलें एक लाइन में भरने के स्थान पर जाती हैं। वहां भी इसका पता नहीं चल सका होगा। इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहां भी इसका पता नहीं चला। हम उपाय कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा न हो ।

**डा० वसंत कुमार पंडित** : सरकार ने दूध का मूल्य बढ़ा दिया है मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि दूध में मिलावट की जाती है। मेरी अपनी जानकारी है कि न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी पुरुष कर्मचारी है। वितरण केन्द्रों में ही सुनियोजित ढंग हे मिलावट की जाती है। क्या दूध की कीमत घटाये जाने के बाद मिलावट अधिक नहीं बढ़ेगी ? क्या सरकार रेलवे मंत्रालय के समान महिलाओं को ही इस काम पर लगायेगी ? बोतलों के खोले जाने या उनकी सील तोड़े जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : सभी बूथों पर पूर्णतः महिलाओं को लगाना संभव नहीं है। हम निश्चय ही ऐसी घटनाओं को, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख कि ा, रोकने के प्रयास करगे और मामले के इस पहलु पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : This is not the first instance of its kind. Insects, pests and even rats have been found in the milk bottles earlier. There have been many such incidents. May I know the number of such complaints received during the last two years and the action take to avoid recurrence of such cases ? Secondly, will you kindly empower the Delhi Administration or the Municipal Corporation to challan the D.M.S. for adulteration in its milk as is done in other cases ?

**Shri Surjit Singh Barnala** : As regards complaints during the last two yeas, I require notice for collecting the information. As regards adulteration, as already stated we are

trying our best to check it. On receipt of a complaint we immediately send our checking teams. We have also got squads for surprise checks. They go to the milk booths and check the entire lot. If adulteration is detected they can be challaned in the usual manner as stated by you.

**श्री कंवर लाल गुप्त** : दूध में मिलावट पाये जाने पर भी नियमों के अधीन नगर निगम और दिल्ली प्रशासन डी० एम० एस० का चालान नहीं कर सकते हैं।

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : हम इस पर विचार कर सकते हैं।

**श्री राम गोपाल रेड्डी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कदम उठा रहे हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : मैं बता चुका हूं कि बोतल एक रोलिंग पर आती है जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई 1- इंच है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस चीज का पता संभवतः इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि रोलिंग कुछ अधिक ऊंची थी। इसलिए हमने रोलिंग को ऊंचाई कम करने के लिये कहा है ताकि जांच करने वाले कर्मचारी को पूरी बोतल दिखाई दे सके और बोतलों की ठीक जांच हो। इसके अतिरिक्त जांच करने वाले कर्मचारियों से और अधिक सतर्क रहने को लिये कहा गया है।

## नगर तथा देहात आयोजना संगठन

*1010. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री नगर तथा देहात आयोजना संगठन में इंवैस्टिगैटस के पदों के बारे में 13 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं आदि के तैयार करने में संगठन (टी० सी० पी० ओ०) द्वारा किए गए कार्य का स्वरूप क्या है और संगठन के क्या कृत्य हैं; और

(ख) यदि इंवैस्टिगेटर्स के पदों की, जिनका प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, आवश्यकता नहीं है, ता उनका समाप्त न करने के क्या कारण हैं?.

**The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) :** (a) & (b) A statement is placed on the Table of the Sabha.

**Statement**

(a) The Town and Country Planning Organisation is the apex technical advisory and consultant organisation in the country for all matters of rural, urban and regional planning. It is a multi-disciplinary Organisation with planners, economists, sociologists, engineers, architects and geographers working as a team. The functions of the Town and Country Planning Organisation fall broadly under four groups, (i) Policy Guidance in the area of rural, regional and urban planning, (ii) Consultative Services to Central and State Governments and local bodies, (iii) Research and evaluation of regional and urban development programmes and (iv) Technical assistance to projects.

(b) The posts of Investigator are being utilised in the grade of Head Clerk, temporarily till the Staff Inspection Unit of Ministry of Finance studies this organisation.

**Shri M.A. Hannan Alhaj :** May I know from the hon. Minister the reasons for posting technical hands, such as investigators, on the administration side in this planning organisation ? Does it not hamper the work ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation : (Shri Sikander Bakht) :** Technical hands have not been put on the job. In fact some of our persons have gone on deputation with the result that the work load in the administrative side has increased. Therefore, we have taken four persons against those posts on the administrative side.

**Shri M.A. Hannan Alhaj** : If you do not require the posts of Investigators, why don't you surrender them. In response to part (a) of my USQ: No. 2635 on 13th, viz. (,"(a) whether some U.D.Cs. have been officiating as Head Clerks in the Town and Country Planning Organization against the vacant posts of Investigators." the hon. Minister had replied in the affirmative and in response to part (b) viz. "(b) whether the technical work of the organization has not been suffering due to non-filling up of the posts of Investigators." his answer was in the negative. What have you to say about it now ?

**Shri Sikander Bakht** : The position is that the staff inspection unit of the Finance Ministry is examining the load on the technical side and the administration side. Thereafter we will decide the number of posts of investigators to be retained and the number to be taken in the administration.

**वन-कटाव से हिमालय को बचाने की योजना**

*1015. **डा० रामजी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमालय और गंगा के मैदान में बाढ़ और सूखे के बारे में हांसक्रिस्टाफ रीगर के प्रतिवेदन की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को हिमालय में वन कटाव के कारण होने वाले पारिस्थितिक तथा सामाजिक खतरों की भी जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या हिमालय को और इसके फलस्वरूप समस्त भारत को बचाने के लिए सरकार की कोई दीर्घावधि योजना है ; और

(घ) क्या स्त्रियों सहित स्थानीय लोगों में पर्यावरण खेती आदि को बचाने के उद्देश्य से वनों के बचाव के लिए 'चिपको' आन्दोलन आरम्भ किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** (क) से (ग) तक : जी हां।

(घ) सरकार को "चिपको" आन्दोलन की जानकारी है और सरकार ने सामाजिक वानिकी आदि जैसे कई कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए हैं। आशा है कि जनता इनमें शामिल होगी और इन कार्यक्रमों को पूर्णतः सफल बनाने में मदद करेगी, जिसके फलस्वरूप परिस्थिति की भी रक्षा होगी।

**Dr. Ramji Singh** : The security of India depends on the protection of forests but deforestation of Himalayas has been going on for the last 100 years when the British came to India. This very reason prompted Mr. Reager, an authority on Himalayas to comment that if forests in Himalayas are allowed to remain un protected like this, there will not only be shortage of water but the whole of India will turn into a vast desert. The Himalayan forests are being defiled for a gain of Rs. 10-20 crores. Will the hon. minister take steps to check the deforestration of Himalayas keeping in view the reports of various authorities on Himalayas ?

**Shri Surjit Singh Barnala** : Yes, sir, we are aware of these reports and keeping them in view we are trying not only to check deforestation but also to plant more trees.

**Dr. Ramji Singh** : The deforestation of Himalayas results in increased floods in the Ganga. It results in silting at the mouth of the ganga and the people of the areas affected by deforestation have to go down five miles to fetch water. Reaslising the magnitude of the problem do you think that your present afforestation efforts are sufficient ? You are forgetting the economics of performance and resorting to short cut economy. The great 88 year old authority on forestry Dr. Richard Saint Barwa has said that the Himalayas are being distinned and the mountain forests are being destroyed. If it goes on unchecked the whole of India will become a desert. Keeping this in view are you going to frame a Himalayan policy for checking deforestration of Himalayas ?

**Shri Surjit Singh Barnala :** There is a Centrally-sponsored scheme called the Integrated Soil and Water Conservation Scheme in the Himalayan region. For 1977-78 and 1978-79 we have made a provision of Rs. 4.90 crores. Under this scheme we are trying to plant trees in areas affected by deforestation. Day before yesterday I had been there and I had called a meeting of representatives of CHIPCO movement and the forest officers and gave them proper instructions. It is our endeavour to stop deforestation and to undertake afforestation in the areas affected by deforestation.

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : हिमालय के जंगलों के काटे जाने से वहां से निकलने वाली नदियों की तबाही हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वन समवर्ती सूची में है, क्या इस समस्या पर विचार करने तथा हिमालय के वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों को मिलाकर एक पृथक प्राधिकार बनाने का मंत्री महोदय का विचार है ताकि हिमालय की महान नदियों में पानी नियमित रूप से बहता रहे ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

**प्रोफेसर ग्रार० के० ग्रमीन** : जैसा कि ग्राप जानते हैं, वनों के काटे जाने या प्रदूषण या भूमि के कटाव की समस्याएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ग्रौर इनमें से किसी एक को ग्रलग से हल नहीं किया जा सकता है। क्या सरकार प्राकृतिक संतुलन की समस्या से निपटने के लिये एक ग्रनुसंधान संस्थान स्थापित करके समूचे देश के लिये ऐसी समस्याग्रों को हल करने के लिये क्षेत्रीय ग्रायोजना पर विचार कर रही है ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : जैसा मैं कह चुका हूं, इसके लिये एकीकृत योजनाएं तैयार की गई हैं। हिमालय क्षेत्र में भूमि ग्रौर जल संरक्षण योजना सभी प्रयोजनों के लिये एक एकीकृत योजना है।

**प्रोफेसर पी० जी० मावलंकर** : ग्रभी मैं जेनेवा ग्रौर वियाना होकर ग्राया हूं जहां पर मैंने वहां की सरकारों को सामान्य रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये गंभीरता से कार्य करते देखा है। वहां मैंने हिमालय क्षेत्र के बारे में भी बहुत सी ग्रच्छी बातें सीखीं। मंत्री जी ने सामाजिक वानिकी का उल्लेख किया। क्या उन्हें मालूम है कि लगभग एक वर्ष से कुछ ग्रधिक समय पहले सरकार ने ग्रहमदाबाद में सामाजिक वानिकी के बारे में एक महत्वपूर्ण ग्रखिल भारतीय विचार-गोष्ठी का ग्रायोजन किया था ? क्या इस विचार-गोष्ठी के परिणामस्वरूप हिमालय क्षेत्र में वन लगाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

**श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : सामाजिक वानिकी के परिणाम ग्रच्छे रहे हैं। ग्रनेक क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी की प्रगति बहुत ग्रच्छी है। मैंने ग्रहमदाबाद के निकट भी एक सामाजिक वानिकी क्षेत्र देखा तथा कुछ ग्रन्य स्थानों में भी सराहनीय कार्य किया गया है।

## पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दिल्ली में प्लाटों का ग्राबंटन

1016. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 जनवरी, 1977 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दिल्ली में 160 ग्रौर 233 वर्ग गज के ग्राकार के प्लाटों का ग्राबंटन करने हेतु ग्रावेदन पत्र मांगे गये हैं ;

(ख) क्या सरकारी नीति ग्रौर प्रेस नोट के विपरीत 233 वर्ग गज के ग्राकार के प्लाट पूरी तरह से प्रथम श्रेणी ग्रौर द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित ग्रधिकारियों के लिए रखे गए हैं ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) :** (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not raise.

**श्री मुकुन्द मण्डल :** इस प्रैस नोट के उत्तर में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने आवेदकों को प्लाट दिये गये हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** 14 जनवरी, 1977 को जारी किये गये इस प्रैस नोट के परिणामस्वरूप 1606 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और दिये जाने के लिये केवल 82 प्लाट थे।

**श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या सरकार शिविरों में रखे गये ऐसे शरणार्थियों को, जो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और पश्चिमी बंगाल सरकार के लिये समस्याएं पैदा कर रहे हैं; प्लाट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**श्री सिकन्दर बख्त :** इस कालोनी में पूर्वी बंगाल के ऐसे विस्थापित व्यक्ति ही प्लाट पाने के पात्र हैं, जो संघ राज्यक्षेत्र में कोई लाभप्रद काम कर रहे हैं, तथा विभाजन के बाद 31-3-1966 से पहले एक निर्दिष्ट अवधि तक यहां पर रह रहे हैं। इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के मामले पर विचार किया गया है।

**जेपोर शूगर कम्पनी लिमिटेड**

*1017. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेपोर शूगर कम्पनी लिमिटेड ने चीनी नियंत्रण आदेश के अधीन झूठी विवरणियां भरी थी जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दण्डनीय है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को औपचारिक रूप से कोई शिकायत भेजी है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

जेपोर शूगर कम्पनी लिमिटेड, चागल्लू, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जनवरी, 1972 से जून, 1972 तक की अवधि, जब चीनी के स्वैच्छिक वितरण की योजना लागू थी, में उचित मूल्य की 12,000 से 15,000 क्विटल चीनी की खुली बिक्री की चीनी के रूप में कथित बिक्री के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस योजना, जिसे सरकार तथा चीनी उद्योग ने तैयार किया था, के अधीन, संयुक्त स्टाक तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से चीनी की मासिक निर्मुक्ति में से 63.5 प्रतिशत डी-30 ग्रेड की चीनी 150 रुपये प्रति क्विटल के तयशुदा मूल्य पर राज्य सरकारों के नामितों को सप्लाई की जानी थी जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था स्वैच्छिक वितरण की उक्त अवधि के दौरान मासिक निर्मुक्तियों में फैक्ट्रियों का समूचा शेयर खुली बिक्री आर्डर के अधीन उन्हें दे दिया गया था और जिस "कवरिंग लेटर" के साथ ये आर्डर भेजे गये थे उसमें 150 रुपये प्रति क्विटल

के तयशुदा मूल्य पर राज्य सरकारों के नामितों को सप्लाई की जाने वाली उचित मूल्य की चीनी की मात्रा के बारे में बताया गया था। इसी कारण से चीनी के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं था। उचित मूल्य की चीनी का खुली बिक्री की चीनी के रूप में बिक्री करना चीनी उद्योग के साथ हुए करार और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये चीनी नियंत्रण आदेश के अधीन झूठी सूचना देने के नाते सांविधिक उपबंधों का उल्लघंन करना होगा।

2. क्योंकि उचित मूल्य की चीनी को खुली बिक्री की चीनी के रूप में बेचने संबंधी आरोप का अभिप्राय उचित दर पर उत्पादन शुल्क का भुगतान न करना था इसलिए मुख्यतः यह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों का कार्य था कि वे इसकी जांच करें और ऐसी बिक्री, जिसके फलस्वरूप उत्पादन शुल्क से बचाव होता है, को सिद्ध करें और तदनुसार संबंधित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। इन जांचों, जोकि 1972 में शुरु हुई थी और अक्तूबर, 1974 में पूरी हुई थी, के अनुसार कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए और इसलिए उन्होंने इस केस में आगे की कार्यवाही बन्द कर दी।

3. बाद में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने पुनरीक्षण की दृष्टि से यह मामला उठाया। खाद्य विभाग ने भी जांच करने के लिए अलग से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह केस भेजा था। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है और उन्होंने 6-1-1978 को एक आदेश पास किया है जिसमें कम्पनी पर 6 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया है। इस जांच के परिणामों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी उनकी जांच जोकि अभी तक पूरी नहीं हुई है, के संदर्भ में भेजा गया है।

**श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : मंत्री महोदय ने विवरण में कहा है कि जेपोर शूगर कम्पनी ने उचित मूल्य वाली 12000 से 15000 क्विंटल चीनी खुले बाजार में निर्बन्धित चीनी के रूप में बेची है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ऐसा करना चीनी उद्योग के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये चीनी नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत गलत जानकारी देने के कानूनी उपबन्धों का भी उल्लंघन है। मैं जानना चाहूँगा कि किस-किसने शिकायत की है ? क्या राज्य सरकार ने भी इस बारे में कोई शिकायत की है ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह मामला कब सौंपा गया था और अभियोग दायर करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**श्री भानु प्रताप सिंह** : मूल शिकायत हैदराबाद के डा० जी० सुब्बाराव द्वारा की गई थी। उनसे शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार से पूछताछ की गई और तब इस तथ्य का पता चला कि जो चीनी उचित मूल्य पर वितरण के लिये आबंटित की जानी चाहिये थी, खुले बाजार में बेची गई। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, पहले प्रशासन का विचार था कि यह मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क की चोरी का मामला था और इसलिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। पहली जांच में उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने भी कारखाने को दोषमुक्त ठहराया। परन्तु बाद में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने इसका पुर्नविलोकन किया और कारखाने पर 6 लाख रुपये का जुर्माना किया। लेकिन इस पुर्नविलोकन से पहले फाइल देखते ही मुझे पता चल गया था कि उत्पादन शुल्क की चोरी के अलावा भी कहीं कोई गंभीर गड़बड़ी थी। यह कारखाना सरकार को गलत विवरंणियां भेजता रहा है जो एक अपराध है और इसलिए मैंने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा है।

**श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : चूंकि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दण्डनीय चीनी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया था, क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि कम्पनी के प्रबन्धकों पर अभियोग चलाया जायेगा क्योंकि एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसके द्वारा निर्धन जनता को उचित मूल्य चीनी की भारी मात्रा से वंचित रखा गया ?

**श्री भानु प्रताप सिंह:** हम तथ्यों का पता लगाने के लिये प्रयत्नशील हैं । मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है । जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री जगन्नाथ राव:** विवरण में कहा गया है कि पहले 1974 में एक जांच की गई थी और कम्पनी को दोषी नहीं पाया गया था तथा बाद में कम्पनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना किया गया था । मैं जाना चाहता हूं कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों सौंपा गया है, क्या उसी अपराध के बारे में जिसके कारण जुर्माना किया गया है या किसी नये अपराध का पता चला है ?

**श्री भानु प्रताप सिंह** : जैसाकि मैं बता चुका हूं, पहले यह विचार था कि यह केवल उत्पादन शुल्क की चोरी का मामला है । लेकिन जब मुझे मामले का पता चला, तो मुझे पता लगा कि कम्पनी सरकार को झूठी विवरणियां भेजने की भी दोषी है । इसलिये मैंने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है ।

## एफ० सी० आई० के कर्मचारियों द्वारा 1 मई, 1978 से आन्दोलन

*1024. **श्री भगत राम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० सी० आई० के 64,000 कर्मचारियों ने कार्मिक संघ अधिकार बहाल किये जाने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए 1 मई, 1978 से 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और उसमें उल्लिखित मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ और उससे सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ (उत्तरी जोन) ने 1-5-1978 से उत्तरी जोन में और 5-8-1978 से देश भर में नियमानुसार काम करने का आन्दोलन शुरू करने के बारे में एक नोटिस दिया था । उनकी मुख्य मांगे श्रमिक संघ के अधिकारों को वापिस करने, आपात स्थिति के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने, सेवा संबंधी शर्तों की समीक्षा करने, मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और अधिक पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए व्यवस्था करने, बोनस का भुगतान करने आदि से संबंधित हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में दो वर्ष पूर्व ही व्यापक रूप से संशोधन किया गया था । जब कभी वेतनमान और सेवा शर्तों में और सुधार करने की कोई भी मांग की जाती है, उन पर भारतीय खाद्य निगम, जोकि एक स्वायत्त निगम है के प्रबन्ध और यदि आवश्यक हो तो सरकार द्वारा विचार किया जाता है । जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर प्रदान करने का सम्बन्ध है, निगम का प्रबन्ध यह महसूस करता है कि क्योंकि

उनके पदोन्नति के कोटे को पहले ही 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, इसलिए उसमें और वृद्धि करना वांछनीय नहीं होगा। वर्ष 1975-76 के लिए बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने सम्बन्धी मांग को इसलिये नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि इसका इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए मन्जूर किए गए मकान किराये के भत्ते की राशि सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कई एक अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत राशि से पहले ही काफी अधिक है। जहां तक श्रमिक संघ के अधिकारों को वापस करने से संबंधित मांग का संबंध है, श्रम मन्त्रालय ने सदस्यता की जांच करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी है, क्योंकि कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस बीच, प्रबन्ध अनौपचारिक आधार पर संघों के साथ वास्तविक आधार पर पहले ही सम्बन्ध बनाए हुए हैं। आपात स्थिति के दौरान लगभग 75 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। निगम ने इनके मामलों की समीक्षा की है और इन कर्मचारियों में से 19 कर्मचारियों को नयी नौकरी देने की पेशकश की है। शेष मामले कदाचार/अधिक गम्भीर स्वरूप की लापरवाही करने से संबंधित थे और इसलिए इन व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करना उचित नहीं समझा गया था। इनमें से कुछेक मामले न्यायालयों में भी लम्बित पड़े हैं।

**Shri Bhagat Ram :** I would like to know from the hon. Minister the reasons for not reinstating all the workers who were victimised or retrenched during the emergency, particularly, in view of the fact that other departments have reinstated their employees.

My other question is whether the FCI Employees' Union has made a demand through a group of Members of Parliament that inquiry should be conducted in the case of corrupt offlcers in FCI, If so, the reaction of the hon. Minister to this demand.

**Shri Bhanu Pratap Singh :** In regard to the persons who have not been reinstated I have to state that some of the cases related to previous emergency. Despite this fact we reviewed all these cases and out of 73 cases, 19 persons have not been reinstated. Some of the cases are *sub judice*. There are some cases of assault and violence and the persons who are involved in such cases of assaualt and violence are not being taken back as it would be improper.

As far as the other question is concerned, I may state that the Committee on Public Undertakings examined FCI in 1977 and in case the need arises again, the same Committee can examine the working of FCI. There is no need to appoint a special Committee every time.

**Shri Bhagat Ram :** Mr. Speaker, my question has not been answered. I had asked how many of the trade union workers, who were dismissed, have not been taken back ? In the second question I had asked about the reaction of the hon. Minister to the demand made through a group of Members of Parliament for inquiry for better functioning of FCI.

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं। कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें। क्या आपने कोई और अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। आप उत्तर से संतुष्ट हैं ?

**Shri Bhagat Ram :** Does not the hon. Minister consider it necessary to conduct an inquiry into corruption prevalent in FCI through Members of Parliament ?

**Shri Bhanu Pratap Singh :** There is no need to constitute a Parliamentary Committee, because Committee on Public Undertakings can look into thea ffairs of all the Public Undertakings. I have no objection if the Committee on Public Undertakings looks into the working of F.C.I.

**Shri Bhagat Ram :** What is the number of trade union workers or leaders of F.C.I. employees union whose services were terminated during emergency ?

**अध्यक्ष महोदय** : जिन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की गई उनमें से कितने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता या नेता थे ?

**Shri Bhanu Pratap Singh** : I would need notice to reply to this question. But I have already informed that the services of 73 persons were terminated and out of them 19 persons have not been taken back because there were charges of assault and violence against them.

**Shri Anant Ram Jaiswal** : What are the main demands of the employees and what action has been taken by government to meet these demands ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

# प्रश्नों के लिखित उतर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### छोटा नागपुर तथा धनबाद में सिंचाई परियोजनाएं

*1009. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतया छोटा नागपुर में और विशेषकर धनबाद जिले में कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कौन-सी अभी निर्माणाधीन हैं और इनसे कितने एकड़ भूमि को लाभ हुआ है तथा होगा;

(ख) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर में सिंचाई के अन्तर्गत कृषि-योग्य भूमि बिहार और भारत के औसत की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)**: (क) उपाबंध में एक विवरण दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि धनबाद जिले सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कौन सी निर्माणाधीन हैं, उनकी अन्ततः सिंचाई क्षमता कितनी है और मार्च, 1978 तक कितनी क्षमता सृजित की जा चुकी है ।

(ख) और (ग) छोटा नागपुर दक्षिणी और उत्तरी डिवीजनों में सिंचित क्षेत्र बृहद/मध्यम परियोजनाओं के सकल कृषि योग्य क्षेत्र का 7.3% है । लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत क्षेत्र से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सकल कृषि-योग्य क्षेत्र की अपेक्षा सकल सिंचित क्षेत्र बिहार में 28.1% और अखिल भारतीय औसत 25.5% है।

छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंचाई विकास की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम ह क्योंकि इस क्षेत्र में उपलब्ध भूतल जल बहुत सीमित मात्रा में है जबकि इसके विपरीत उत्तर बिहार में ऐसा नहीं है । इसके अलावा, भू-गत जल की शक्यता की मात्रा भी सीमित है क्योंकि यह सख्त पथरीला इलाका है । इसके अलवा, यह ऊबड़-खाबड़ है इसलिए अधिकांश सिंचाई शक्यता भूतल-जल साधनों का उपयोग करके मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों से ही सृजित की जा सकती है ।

राज्य सरकार ने जन-जाति क्षेत्रों के विकास को भी बहुत उच्च प्राथिमकता प्रदान की है और वह इस क्षेत्र में सिंचाई विकास की एक मास्टर योजना को अन्तिम रूप दे रही है ।

विवरण

बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन बृहद/मध्यम सिंचाई स्कीमों की जानाकारी देने वाला विवरण

(लाख रुपये / हजार हेक्टेयर)

| क्रम संख्या | स्कीम का नाम | जिला | अन्ततः लाभ | 1977-78 के अंत तक सृजित होने वाली प्रत्याशित शक्यता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. पूरी हो चुकी स्कीमें** | | | | |
| 1. | कांची वीयर | रांची | 18.22 | 18.22 |
| 2. | कोकरो | रांची | 3.84 | 3.84 |
| 3. | चाको | हजारीबाग | 2.33 | 2.33 |
| 4. | तोरलो | सिंहभूम | 2.22 | 2.22 |
| 5. | बिजय | –तदेव– | 2.03 | 2.03 |
| 6. | सोना वीयर | –तदेव– | 6.52 | 6.52 |
| 7. | रोरो | –तदेव– | 10.93 | 10.93 |
| 8. | जिनजय | पालामऊ | 3.03 | 3.03 |
| 9. | बांकी लिफ्ट | पालामऊ | 5.87 | 5.87 |
| 10. | अर्रज | पालामऊ | 5.40 | 5.40 |
| 11. | जेनसई | सिंहभूम | 2.00 | 2.00 |
| 12. | तजना | रांची | 1.90 | 1.90 |
| 13. | चिंदा | रांची | 2.00 | 2.00 |
| 14. | अंजनवा | हजारीबाग | 1.7 | 1.7 |
| 15. | बक्सा | –तदेव– | 3.00 | 3 00 |
| **II. निर्मापाधीन स्कीमें :** | | | | |
| 1. | उत्तरी कोइल जलाशय | पालामऊ | 131.00 | — |
| 2. | बूटनदुबा | –तदेव– | 0.96 | 0.96 |
| 3. | बटनी जलाशय | –तदेव– | 16.19 | — |
| 4. | ओरिया दान्तो जलाशय | –तदेव– | 3.60 | — |
| 5. | गोबई जलाशय | धनबाद | 4.95 | 1.45 |
| 6. | मलय जलाशय | पालामऊ | 8.26 | 4.0 |
| 7. | बायां बांकी जलाशय | पालामऊ | 1.20 | 1.0 |
| 8. | चिरका जलाशय | पालामऊ | 1.60 | — |
| 9. | अनराज जलाशय | पालामऊ | 4.91 | — |
| 10. | नकटी जलाशय | सिंहभूम | 3.64 | — |
| 11. | पूर्णापानी जलाशय | –तदेव– | 1.06 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | पलना जलाशय | सिंहभूम | 1.78 | — |
| 13. | लरगारा जलाशय | सिंहभूम | 0.52 | — |
| 14. | झरझरा जलाशय | सिंहभूम | 4.85 | — |
| 15. | तमकिया जलाशय | सिंहभूम | 0.90 | — |
| 16. | मुरहार जलाशय | सिहभूम | 2.10 | — |
| 17. | अमानत जलाशय | पालामऊ | 17.85 | — |
| 18. | औरंगा | पालामऊ | 75.40 | — |
| 19. | स्वर्णरेखा* | सिंहभूम | 219.40 | — |
| 20. | पारस | रांची | 3.47 | — |
| 21. | मसरिया जलाशय | रांची | 0.73 | — |
| 22. | चिरगांव | रांची | 2.99 | — |
| 23. | जयपुर जलाशय | राँची | 0.90 | — |
| 24. | कंस जलाशय | रांची | 3.60 | — |
| 25. | गलेशारा जलाशय | रांची | 1.58 | — |
| 26. | चित्रपुरा जलाशय | रांची | 0.47 | — |
| 27. | बुचापा बांध का पुनर्निर्माण | रांची | — | — |
| 28. | लोटिया जलाशय | रांची | 1.4 | — |
| 29. | कोनार व्यपवर्तन | रांची | 70.00 | — |
| 30. | हिरू जलाशय | हजारीबाग | 1.10 | — |

*परियोजना को अभी मंजूरी नहीं दी गयी है। गिरिडीह जिले का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

## नारियल बोर्ड

1011. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित नारियल बोर्ड का मुख्यालय केरल में बनाया जाये और बोर्ड में केरल को प्रतिनिधित्व नारियल उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र में राज्य सरकार के अंश के अनुपात में दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुरोध पर विचार कर लिया गया है और क्या निर्णय लिए गए हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी हां।

(ख) मुख्यालय के स्थान निर्धारण तथा केरल के प्रतिनिधित्व संबंधी सुझाव पर समुचित कार्यवाही करने के लिए तभी विचार किया जाएगा, जब संसद नारियल विकास बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी विधेयक को पास कर दे।

**पंजाब से अधिक जल दिये जाने के बारे में राजस्थान और हरियाणा का अनुरोध**

*1012. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि पंजाब सरकार को यह निदेश जारी किया जाये कि रावी और व्यास नदियों के बारे में 1960 की सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा दिये जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले जल में से उन राज्यों को सिंचाई के लिए अधिक जल दिया जाये ; और यदि हां, तो तत्संबन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

. **कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) से (ख) जून, 1976 में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था वह भाखड़ा और व्यास प्रबन्धक बोर्ड को हिदायतें जारी करे कि भारत सरकार की 14-3-76 की अधिसूचना के अनुसार रावी-व्यास के जल में हरियाणा के हिस्से को उपलब्ध किया जाए। इसके बाद अक्तूबर, 1977 में, व्यास सतलुज लिंक के पूरा हो जाने पर, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार और भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड से अनुरोध किया कि ये हिदायतें जारी की जाएं कि व्यास-सतलुज लिंक के जरिए भाखड़ा जलाशय में व्यपवर्तित जल केवल हरियाणा को उपलब्ध किया जाए। मौजूदा नहर प्रणाली की सीमाओं के अन्तर्गत, हरियाणा के हिस्से की यथा संभव सीमा तक पूर्ति करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**Discussion about Garland Canal Scheme with F.A.O.**

*1013. **Shri Phirangi Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team comprising Shri Dastur, Dr. Panikar and other experts had visited Rome for discussions about garland canal scheme with the Food and Agriculture Organisation; and

(b) the details of outcome and decision taken ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) At the invitation of the Food & Agriculture Organisation, the following delegation visited Rome from 5th to 9th December 1977 :

(1) Secretary, Department of Irrigation.

(2) Member, Water Resources, Central Water Commission.

(3) Shri Dinshaw J. Dastur (non-official member).

Dr. Panikar also accompanied Shri Dastur, and assisted him in the discussions.

(b) Detailed discussions were held with the FAO Officials and their advisors on the Dastur Scheme as well as the long term water development planning in India. At the end of these discussions, the FAO concluded that the formulation of a comprehensive scheme involving all the major river systems of the country was urgently called for; the Dastur Plan proxided avaluable contribction to sorming scch a comprehensive sceeme though one part of it namely the Himalayan and Ganga Canal System, needs further in-depth study in several aspects; and the proposal of a transfer system from the Western Ghats to the East and North for the central and southern India plateaus provided a basis for an immediate start of action, and that the implementation of such a scheme should involve the rural masses on a sustained basis and should enlist the urban youth in a form of national service.

The matter is being pursued further.

**राष्ट्रीय शहरीकरण नीति**

*1014. **श्री आर० कोलनथाइ वेलू :**

**श्री पी० कानन :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी विकास के बारे में आवास मंत्रियों द्वारा गत तीन वर्ष में कितने सम्मेलन आयोजित किये गए ;

(ख) शहरी विकास के लिए क्या ठोस सिफारिशें की गयीं और किस सीमा तक उनका क्रियान्वयन हुआ ; और

(ग) ऐसे सम्मेलनों में प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी करण नीति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) पिछले 3 वर्षों में आवास तथा विकास राज्य मंत्रियों के 2 सम्मेलन हुए थे।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ग) राष्ट्रीय शहरीकरण नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

**विवरण**

आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के भोपाल में अक्तूबर, 1975 में हुए सम्मेलन ने नगर विकास के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) नगरीय विकास तथा महानगर क्षेत्रों और अन्य राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की एकीकृत विकास की केन्द्रीय योजना को जारी रखा जाए जिसमें देश के छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के विकास पर बल दिया जाए तथा देश में अपेक्षाकृत अच्छे शहरीकरण की पद्धति के लिए 3 लाख से कम जनसंख्या वाले के शहरों और कस्बों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि महानगरों/बड़े शहरों में जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके।

(2) नगरीकरण की राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दिया जाए जिसमें प्रशासन तथा स्थानीय सरकार से संबन्धित कर संबन्धी मामले, संसाधन संचारित करना, नौकरी के अवसर पैदा करना, भू-उपयोग को सन्तुलित करना और पर्यावरणीय आयोजन के साथ अपेक्षाकृत अच्छा समन्वय बनाने पर विचार किया जाए ।

आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के कलकत्ता में दिसम्बर, 1976 में हुए सम्मेलन ने नगर विकास के संबन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि:—

(1) महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की नगरीय विकास की एकीकृत केन्द्रीय योजना एक लाख जन संख्या और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में भी लागू की जानी चाहिये। विकासात्मक कार्यक्रम को किसी शहर के विकास योजना के कुल फ्रेम वर्क के अन्तर्गत निष्पादन किया जाना चाहिये तथा संसाधनों का संचारण पूर्ण रूप से किया जाना चाहिये और उसे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय ऋण सहायता से सहायता प्राप्त होनी चाहिये और इसे भावी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाने

के लिए आवर्तन निधि के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये । जहां संभव हो नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन उपलब्ध खाली भूमि को नगर विकास के कार्य में लाना चाहिए।

(2) गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम की अपेक्षा गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाना चाहिये और इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक निधियों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(3) आने वाले दर्शकों में नगरीकरण की अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से प्रगति की संभावना को देखते हुए, विस्तृत ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से निष्क्रमण में कमी हो ।

(4) नगरीय विकास तथा ग्रामीण अन्तः क्षेत्रों को दी जाने वाली अधिक सेवाओं के संदर्भ में भावी जनसंख्या के दबाव का ध्यान रखते हुए उपयुक्त आयोजना तथा प्रशासनिक उपाय किये जाने चाहियें। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिये और उनका कार्यान्वियन किया जाना चाहिए ।

इन सिफारिशों पर जो कार्यवाही की गयी उनका उल्लेख इस प्रकार है:--

(1) उपर्युक्त केन्द्रीय योजना में उल्लिखित संशोधित मार्गदर्शनों के प्रारूप में शहरों के किसी विशेष आकार का उल्लेख नहीं है । दूसरी ओर इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपेक्षाकृत अधिक बड़े नगरीय क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां आन्तरिक जनगणना अवधि के दौरान जहां जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई हो, तथा ऐसे अपेक्षाकृत छोटे शहरों जिनका विकास करने से नौकरी के अवसरों के होने के कारण ग्रामीण लोगों का बड़े शहरों में आना रुक जाए और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्किट के रूप में तथा सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य कर सके, ऐसे शहर इस योजाना के अन्तर्गत आएंगे ।

(2) इस पुनरीक्षित योजना में ग्रामीण विकास तथा बढ़ते हुए रोजगार के अवसरों की सरकार की इस वर्तमान नीति पर विचार किया गया है ।

(3) इस योजना के अन्तर्गत शहरी गरीब लोगों की मूल आवश्यकताओं जैसे जलपूर्ति तथा नालियां, कूड़ा कर्कट निपटान, गन्दी बस्ती सफाई, रोग निवारक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्थल तथा सेवाओं आदि की पूर्ति पर बल दिया गया है ।

(4) इस कार्यक्रम के आयोजना, कार्यान्वियन तथा समन्वय के पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है ।

(5) संसाधनों को बढ़ाने, बजट संबन्धी व्यवस्था तथा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्य सरकारों को सूचित किया जा चुका है ।

## Committee on Prevention of Cruelty to Animals

***1018. Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** b pleased to state :

(a) whether a committee was constituted in 1964 by the Central Government for the enforcement of important provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act and if so, the date on which the same was dissolved together with the reasons therefor;

(b) other details in this regard; and

(c) when a decision is likely to be taken to revive this committee ?

**Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a), (b) and (c) The Committee constituted in 1964 was abolished on 17-5-77 because it was not found effective. Its Secretariat, however, functioned till 31st August, 1977 for winding up of the establishment. On a request from the Government, the Animal Welfare Board is considering what alternative arrangements could be made to implement the relevant provisions of the Act. On receipt of their recommendations, the Government will take a decision.

**शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में नेशनल फिटनेस कोर (राष्ट्रीय स्वस्थता कोर) के प्रशिक्षकों को पेंशन के लाभ दिया जाना**

1019. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने नेशनल फिटनेस कोर (राष्ट्रीय स्वस्थता कोर) के कितने प्रशिक्षकों को अपने अधीन लिया था,

(ख) उनमें से कितने इस बीच सेवानिवृत हो गए हैं,

(ग) उनको क्या पेंशन लाभ दिये गये हैं, और

(घ) आगामी पांच वर्षों में कितने और सेवानिवृत्त होने वाले हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 363 प्रशिक्षकों को खपाया था।

(ख) एक।

(ग) उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अनुमत्य पेंशन लाभ दिए गए हैं।

(घ) चार।

**हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का भूमिगत जल के बारे में प्रतिवेदन**

1020. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के इस आशय के प्रतिवेदन के बारे में जानकारी है कि हरियाणा में केवल 37 प्रतिशत भूमिगत जल सिंचाई के लिए अच्छा हैं, 8 प्रतिशत सामान्य है और शेष सिंचाई के योग्य नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो फसलों की सिंचाई के संबन्ध में अन्य राज्यों में भूमिगत जल की ब्यौरेवार स्थिति क्या है ;

(ग) क्या छिड़काव सिंचाई द्वारा समस्या हल की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो छिड़काव सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सस्ती सामग्री और तकनीक का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी हां।

(ख) नीचे निर्देशित क्षेत्रों को छोड़कर, देश में सामान्यतः भूमिगत जल के गुण फसल सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं:—

(1) हरियाणा और पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भाग ।

(2) राजस्थान से लगते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, एटा और मैनपुरी जिलों के भाग ।

(3) जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर जिलों का भाग ।

(4) रन कच्छ, सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और वड़ौदा, बरोच बनासकांठा और मेहसाना जिलों के भाग।

(5) महाराष्ट्र में पूर्णा घाटी का दक्षिणी भाग।

(6) तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के भाग।

(ग) छिड़काव सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचाई जल की बचत होती है और इस प्रकार ताजे उपलब्ध सिंचाई जल से सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को लाने में यह मदद करेगा। तथापि, छिड़काव सिंचाई द्वारा फसल के लिए खारे सिंचाई जल के प्रयोग में वृद्धि हेतु सहायता करने की संभावना नहीं है । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयोगों से पता चला है कि छिड़काव पद्धति से निम्न कोटि के जल से फसल की उपज में गिरावट आती है ।

(घ) चूंकि छिड़काव सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचाई जल की बचत होती है, छिड़काव पद्धतियों की उपयुक्त किस्मों के प्रयोग को शुरू करने के लिए प्रयोग व प्रदर्शन '(विशेषकर सहरियाणा) में किए जा रहे हैं।

**Committee on Development of Contraction in National Centre for Blinds**

**1021. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a Committee has been constituted for the development of contraction at the National Centre for the Blinds. Dehra Dun;

(b) if so, the names of the members and educational qualifications thereof; and

(c) the qualifications of persons required therefor and whether this fact was taken into consideration at the time of constitution of the Committee ?

**Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) :** (a), (b) and (c) : The former Director, National Centre for the Blind appointed in 1969 an informal group composed of his staff members to study the possibilities of preparing a contracted Braille Code for Hindi Staff members knowing Braille and having special knowledge of the printing processes were appointed. A statement showing the names and qualifications of the persons appointed is laid on the Table of the Sabha.

**Statement**

| Sl. No. | Name | Designation | Educational Qualifications |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri P.K. Sen | Manager, Central Braille Press. | 1. M.A. English.<br>2. Hindi Prarambhik and Pravesh Exam of Wardha Rashtra Bhasha Prachar Samity.<br>3. Printing Trade Qualifications from London Institute of City and Guilds. |
| 2. | Shri R.C. Nijhawan | Braille Education Supervisor, TCAB. | 1. High School Examination.<br>2. Shorthand course passed.<br>3. Hindi Pragya. |
| 3. | Shri L.N. Motwani | Proof Reader, CBP | 1. B.A. |
| 4. | Shri S.H. Kazmi | Teacher, Model School for Blind Children. | 1. B.Sc.<br>2. B.T.<br>3. United States Parkins School Trained. |
| 5. | Smt. Illa Sarode | Braille Instructor TCAB | 1. B.A. |
| 6. | Sh. Hansraj Mahajan | -do- | 1. High School Examination.<br>2. Hindi Bhushan. |
| 7. | Sh. Bal Raj Puri | Stereotype Operator, CBP. | 1. High School Examination. (Author of a Braille Booklet SACHITRA BRAILLE VARANMALA).. |
| 8. | Shri K.S. Negi. | Typewriting Instructor TCAB | 1 B. Com. |

**Own Your House Scheme by D.D.A.**

*1022. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate number of applications have not been received for the 'own your house scheme' announced by DDA; and

(b) if so, whether Government propose to make improvements in the scheme so as to encourage applicants to come forward ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation : (Shri Sikander Bakht)** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Supply of Pulses by F.C.I. to Army**

*1023. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the contract rates for the supply of pulses, etc. by Food Corporation of India to Army Purchase Organisation a re higher this time and if so, to what extent and resons therefor; and

(b) if not, the rates at which these articles were given during the past three years ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh):** (a) The contract rates for the suppyy of pulses etc. by Food Corporation of India to Army Purchase Organisation during 1977-78 have not been finalised.

(b) Question does not arise.

**Gurukal Kangri University**

*1025. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Gurukul Kangri University is functioning or not; and

(b) if the answer to Part (a) is in affirmative the reasons for not providing grants to it ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):** (a) and (b) : There are disputes over the control and administration of the Gurukul Kangri Vishwavidalaya, Hardwar, between two groups of its management. Each group claims to be the legal authorities and is demanding the release of grants in its favour. The Government has therefore, decided not to release any grants till the disputes are settled.

**दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के छात्रों के लिये उर्दू में प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था न किया जाना**

*1026. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के उर्दू माध्यम वाले छात्रों के लिए उर्दू में प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उर्दू माध्यम वाले छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) से (ग) पिछले वर्षों की तरह ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी और हिन्दी में प्रश्न-पत्र सप्लाई किये । तथापि, उर्दू माध्यम वाले छात्रों की, प्रश्नों को समझने में सहायता करने के लिए, विशेष प्रबन्ध किए गए थे । परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों से बोर्ड ने इस वर्ष यह आग्रह किया था कि वे उर्दू माध्यम वाले छात्रों की, जहां भी आवश्यक हो, प्रश्नों को समझने में सहायता करें ।

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत, प्रत्येक छात्र के लिए दसवीं कक्षा तथा अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में से कम से कम एक भाषा का अध्ययन आवश्यक है । इसीलिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी में दिए जाते हैं और छात्रों को इन प्रश्नों को समझने में जो कि सामान्यतः सरल भाषा में बनाए जाते हैं, कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

दिल्ली के छात्रों को, उर्दू सहित, किसी भी, मान्यता-प्राप्त प्रादेशिक भाषा में उत्तर लिखने की अनुमति है। इस वर्ष 60,000 छात्रों में से, केवल 69 छात्रों ने, गणित में, 272 ने विज्ञान में और 592 ने सामाजिक विज्ञानों में उर्दू माध्यम लिया था। यदि बोर्ड, अंग्रेजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त किसी भी भाषा में प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने के लिए राजी हो जाता है, तो उसे सभी प्रादेशिक भाषाओं में ऐसा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्रों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से, गोपनीयता बनाये रखने के संबन्ध में एक गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।

**अमरावती नदी में प्रदूषण**

9401. **श्री के० ए० राजू**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के उदुल-नालपट तालुक में स्थित श्री वेंकटेश्वर पेपर मिल्स, ब्लीचिंग फैक्टरी और कमला सुगर गुलोकोज फैक्टरी के गन्दे पानी के बहाव से कोयम्बटूर जिले में अमरावती नदी के पानी के प्रदूषित होने से गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि अमरावती के साथ लगे गांवों अर्थात् कनियूर, चीलमदेवी और दारापुरम में हैजे की महामारी फैल गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)**: (क) तमिलनाडु सरकार के अनुसार कोयम्बटूर जिले में अमरावती नदी के किनारे के साथ-साथ स्थित तीन प्रमुख उद्योग हैं जो नदी के पानी को प्रदूषित करने के लिए कुछ हद तक आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। ये उद्योग (1) श्री वेंकटेश पेपर मिल्स (2) वेंकटेश ब्लीचिंग मिल्स और (3) कमला सुगर ग्लूकोज फैक्टरी है।

(ख) राज्य सरकार ने यह बताया है कि कोयम्बटूर जिले में इन उद्योगों से निकलने वाले निःस्राव से कोई महामारी नहीं हुई थी।

(ग) राज्य सरकार ने यह बताया है कि भारतीय मानक संस्थान के निर्धारित मानकों के अनुसार निःस्रावों के शोधन एवं स्वच्छ व्यवस्था के लिए उद्योगों को उपयुक्त हिदायतें दे दी गई हैं। जल प्रदूषण निवारण की अनुबंधित शर्तों के कार्यान्वयन पर भी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा समय समय पर अवलोकन किया जाता है और जब भी उद्योगों द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जाता या उनका उल्लंघन किया जाता है तो कठोर कारवाई की जाती है।

**Development of Panchayats in Rajasthan**

9403. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for all-round development of 103 Panchayat Samities of Rajasthan and if so, whether the Central Government are providing financial assistance for the purpose, and if so, the amount of financial assistance being provided in a year and the definition of all-round development and how this financial assistance will be utilised;

(b) whether the whole Panchayat Samiti area of Jhalawar Parliamentary constituency which is adjoining to Madhya Pradesh border is an Adivasi, forest and hill area; and

(c) if so, the number of Panchayat Samities of this area included under the scheme of all round development and if they have not been included, the reasons therefor and whether it is proposed to include them under this scheme ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

**दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कार्य**

9404. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पुलिस ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जिसमें उस तरीके और तथ्य को प्रकाश में लाया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक पढ़ाई की दुकानों में प्राइवेट ट्यूशन कार्य, प्राइवेट कालेज चलाने और रेस्टरां चलाने में लगे रहते हैं;

(ख) क्या ये गतिविधियां दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवा नियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के प्रतिकूल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और दोषी अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को ऐसी कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, कोई भी शिक्षक, नियोक्ता की अनुमति के विना नियोक्ता को छोड़कर किसी भी स्त्रोत से कोई पारिश्रमिक नहीं ले सकता ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**Merger of Sevashram and Ashram Schools**

†9405. **Shri Giridhar Gomango :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry asked the Government of Orissa for merger of Sevashram and Ashram Schools with education department;

(b) if so, the steps taken by State Government in this regard so far; and

(c) whether the expenditure on education will be fully borne by the State Government and only the expenditure on management of the hostels will be borne by the Tribal Department ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):**
(a) No, Sir.
(b) & (c) Do not arise.

**आपात स्थिति के दौरान नीलाम की गई भूमि का आवंटियों को वापस दिलाया जाना**

9406. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आपात स्थिति के दौरान अनेक गरीब किसानों की कृषि-भूमि नीलाम कर दी गई थी और उसे किसानों को वापस दिलाने के लिए अनेक अभ्यावेदन पेश किये गये थे, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) ऐसी कितनी नीलामियां की गई, किन-किन गांवों में की गई और किन दावों के समक्ष की गई, और

(ग) क्या सरकार का विचार अब नीलाम की गई ऐसी भूमि किसानों को वापस दिलाने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** (क) : जी नहीं। कृषि जोतों की नीलामी इस विषय पर बनाए गए कानूनों के अन्तर्गत आती है और यदि किसी जोत की नीलामी गैरकानूनी तरीके से की गयी है तो प्रभावित हुए व्यक्ति के लिए कानून में प्रतिकारी उपायों की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

**मजगांव में सांपों की खालें जब्त किया जाना**

9407. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मजगांव के पास 91 लाख रुपये मूल्य की सांपों की खालें बरामद की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दंड दिया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** :(क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**Small Farmers Development Agency in Mehsana District, Gujarat**

9408. **Shri Motibhai R. Choudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether 56.8 per cent of farmers in Mehsana District of Gujarat have less than two hectares of land and if so, whether Small Farmers' Development Agency Scheme would be introduced in the District;

(b) whether total number of farmers in the district is 2,63,372 and the number of landless agricultural labourers is 1,38,692 or 50 per cent of the total number of farmers;

(c) if so, whether keeping in view their number, Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency Scheme would be introduced there; and

(d) if not, the reasons therefor; and the criteria for selecting any particular area for implementing S.F.D.A. and M.F.A.L. Agency schemes ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a), (b), (c) & (d) According to Agriculture Census of 1970-71, the toal number of all size holdings in Mehsana district is 2,37,065, out of which, number of holding below 2 hectares is 1,22,571 i.e. 51.7%. As per population Census, the number of Agricultural Labourers is 1,43,615.

In accordance with the recommendation of the National Commission on Agriculture, a limited number, i.e. 160 projects were taken up in Fifth Plan and, of these, on pro-rata basis, six were sanctioned to Gujarat. Five of these were continuing from Fourth Plan and thus only one new project was sanctioned in the Fifth Plan. The criteria for selection district for implementing S.F.D.A. programme during the Fifth Plan were concentration of small and marginal farmers and suitability of the area for implementing animal husbandry programme like dairy, poultry' etc. Selction of districts in the Fifth Plan was made in consultation with the State Governments, keeping in view the above criteria.

There is no proposal to extend the Small Farmers Development Agency programme to new areas immediately. However, it is proposed to take up Block Level Planning & Development in 300 blocks each year starting from 1978-79 in areas not covered by special programmes like Small Farmers Development Agency, etc., all over the country. The State Government of Gujarat can consider some of these blocks in Mehsana for this programme, keeping in view the guidelines issued by the Government of India in that connec tion.

**दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों के पद**

9409. **श्री नाथू सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज** कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को छट्टी कक्षा से दसवीं कक्षा तक केन्द्रीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कक्षा-वार संख्या कितनी थी;

(ख) इस तिथि को कितने मिडिल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे तथा दिल्ली केन्द्रीय विद्यालयों में सीनियर/जूनियर व्यायाम शिक्षकों की संख्या कितनी थी; और

(ग) छात्रों, विद्यालयों, और सीनियर/जूनियर व्यायाम शिक्षकों के बारे में 30 अक्तूबर, 1972 को क्या स्थिति थी ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)**

| (क) दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में कुल छात्रों (लड़के और लड़कियों) की संख्या | 31-12-1977 को | 30-10-1972 को |
|---|---|---|
| कक्षा 6 | 1493 | 1021 |
| कक्षा 7 | 1605 | 1088 |
| कक्षा 8 | 1632 | 781 |
| कक्षा 9 | 1588 | 690 |
| कक्षा 10 | 1343 | 634 |

(ख) 31-12-1977 को विशेष केन्द्रीय विद्यालय सहित दिल्ली में 12 केन्द्रीय विद्यालय थे, जिनमें से एक केवल कक्षा VII तक ही था। शारीरिक शिक्षा अध्यापक 26 थे।

(ग) 30-10-1972 को दिल्ली में 9 केन्द्रीय विद्यालय थे जिनमें से एक कक्षा VII तक था और एक अन्य कक्षा VIII तक था। शारीरिक शिक्षा अध्यापक 14 थे।

**Production and Procurement of Wheat**

9410. **Shri Dharmasinbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of States which have demanded support price for wheat for the year 1978-79 and the support price demanded by each of them, the nature of demand made by each State and when such demands were made;

(b) the total quantity of wheat in tonnes which is likely to be produced in the country during the year 1978-79 and State-wise figures thereof;

(c) the quantity of wheat in tonnes, which is proposed to be procured in the country during the year 1978-79; and

(d) the programme of the Government to give incentive to wheat producing farmers and to see that they do not suffer losses ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :** (a) No such specific demand has been received. Since 1968, the Government have been purchasing all the quantities of wheat of fair average quality offered for sale at the procurement price. Thus, the procurement price has been serving the function of minimum support price for wheat.

(b) It is too early to say about the quantities of wheat likely to be produced during 1978-79.

(c) The purchase of wheat on Government Account during 1978-79 is intended to be by way of price support only. Such purchases may be around 6 million tonnes.

(d) The Government are anxious to ensure that the interests of the farmers are fully protected and in no case should any producer get for wheat of fair average quality less than the procurement price of wheat fixed for 1978-79 viz., 112.50 per quintal. Free movement of wheat is also allowed throughout the couniry to enable the farmer to get even a higher price for his produce.

**डी० आई० जेड० क्षेत्र में निर्माणाधीन टाइप-3 और टाइप 4 के क्वार्टर**

9411. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री डी०आई०जेड० क्षेत्र में निर्माण संबंधी कार्यक्रम के बारे में 27 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4358 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०आई०जेड०' क्षेत्र की प्रत्येक कालोनी में निर्माणाधीन टाइप 3 और टाइप 4 के क्वार्टरों की, अलग अलग संख्या कितनी है; और

(ख) ये क्वार्टर आवंटन के लिये कब तक पूरे हो जायेंगे।

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) डी०आई०जेड० क्षेत्र में बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर टाइप 3 के 140 क्वार्टर, मंदिर मार्ग के निकट टाइप 3 के 98 क्वार्टर और टाइप 4 के 62 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

(ख) बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर टाइप 3 के 140 क्वार्टरों में से, 84 क्वार्टर हाल ही में पूर्ण हो चुके हैं और शेष क्वार्टर मई, 1978 में पूर्ण हो जाएंगे। मंदिर मार्ग के निकट टाइप 3 के 98 क्वार्टरों में से, 42 क्वार्टर दिसम्बर, 1978 में पूर्ण हो जाएंगे और 56 क्वार्टर मार्च, 1979 में। मंदिर मार्ग के निकट टाइप 4 के 62 क्वार्टर जुलाई 1979 में पूर्ण हो जायेंगे।

**हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटरों के लिये टेन्डर**

9412. **श्री रेणुपद दास :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा नवम्बर, 1976 में आकाशवाणी के लिये विश्वभर से टेंडर मंगाकर एक ब्रिटिश फर्म को 250 किलोवाट क्षमता वाले फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटरों के दो सैटों के लिये 2 करोड़ 19 लाख रुपये का क्यादेश दिया है जब कि इलेक्ट्रोनिक टैक्नीकल एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उसी टेंडर में एक रुसी कम्पनी ने उसी प्रकार के सेट का मूल्य केवल 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताया हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश फर्म को 70 लाख रुपये अधिक देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्रिटिश कम्पनी ने अभी तक भारत को कोई हाई फ्रीक्वेंसी सेट नहीं दिया है और इसलिये उनकी प्रौद्योगिकी भी प्रमाणित होनी है, जबकि रुस की कम्पनी इससे भी अधिक क्षमता वाले अर्थात् 1000 किलोवार के दो सैट पहले से ही सप्लाई कर चुकी है और जो सैट बिना किमी गड़बड़ी के काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनकी प्रौद्योगिकी प्रमाणित है ; और

(घ) यदि हां, तो बहुत अधिक मूल्य देकर नये सेटों के बारे में जोखिम उठाने के क्या कारण है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** (क) से (घ) आकाशवाणी के दो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए जिसके लिये नवम्बर, 1976 में टेंडर आमंत्रित किये गये थे, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**निर्माण कार्यों के लिए वित्त पोषण के साधन**

9413. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकानों के निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम, वाणिज्य बोर्डों, राज्य सरकार आदि जैसी वित्त पोषण करने वाले स्रोतों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक का तुलनात्मक योगदान क्या हैं;

(ख) वित्त पोषण की शर्तें क्या हैं (ब्याज की दर, वापस भुगतान की अवधि आदि) ; और

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें क्या है, खरीद अथवा[और गिरवी की शर्तें क्या हैं (नकद भुगतान, ब्याज दर, ऋण की अवधि, आदि) ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** (क) से (ग) भारत में आवास की वित्त-व्यवस्था के मुख्य स्त्रोत निम्नलिखित है :—

(1) सरकार की बजट व्यवस्था तथा मार्किट ऋण;

(2) राज्य सरकारों को आवास के लिए जीवन बीमा निगम के ऋण;

(3) स्टेट अपैक्स कोआपरेटिव हासिंग फाइनेंस सोसाइटियों द्वारा जीवन बीमा निगम की सहायता से उपलब्ध निधियां;

(4) हुडको द्वारा आवास के लिए राज्य सरकारों, आवास बोर्डों, स्थानीय निकायों, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों आदि को दिए जाने वाले ऋण;

(5) बैंक ऋण; तथा

(6) हाल ही में बनाए गए आवास विकास वित्त निगम।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की आवास योजनाओं सहित सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना, परियोजना विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें समेकित सहायता की विभिन्न राज्य क्षेत्र कायक्रमों के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं।

राज्य सरकारों को वर्ष 1977-78 तक कुल लगभग 256.81 करोड़ रुपये की राशि के जीवन बीमा निगम ऋण दिए गए। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम द्वारा अपैक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटियों को वर्ष 1977-78 तक लगभग 311.02 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। जीवन बीमा निगम के ऋणों पर ब्याज की दर हर वर्ष निर्धारित की जाती है। राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों के लिए वर्ष 1977-78 में ब्याज की दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा अपैक्स कोआपरेटिव फाइनेन्स सोसाइटियों को दिए ऋणों के लिए ब्याज की दर 8½ प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

हुडको द्वारा मार्च, 1978 के अन्त तक आवास योजनाओं के लिए मंजुर किए गए ऋण की राशि लगभग 310.15 करोड़ रुपये थी। हुडको के ऋणों पर ब्याज दर योजना के स्वरूप के अनुसार 5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न है। भुगतान करने की अवधि भी 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक भिन्न-भिन्न हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आर्थिक दृष्टि में कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए स्वीकृत बैंक-ऋण दिसम्बर, 1977 तक लगभग 23.28 करोड़ रुपये थे। आवास योजनाओं और होस्टलों विशेष कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवास योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए बैंक ऋण की ब्याज की दर 4 प्रतिशत होती है जो आजकल ब्याज दर योजना के अधीन निर्धारित की जाती है। अन्य आवास योजनाओं के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज की दर साधारण है। बैंक ऋण दस वर्ष की अवधि के अन्दर वापस करने होते हैं।

जीवन बीमा निगम, हुडको तथा बैंक आदि के ऋणों की पात्रता की शर्त स्रोत तथा योजना के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं।

## अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति

9414. **श्री मदन तिवारी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति के बारे में 10 अप्रेल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छता कोर के प्रशिक्षकों को दिल्ली प्रशासन को अन्तरित करने का निर्णय अक्टूबर 1972 में लिया गया था।

(ख) क्या यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कोर के प्रशिक्षकों को अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में खपाया जाना था; और

(ग) यदि हां, तो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को विशेष रूप से तब न भरे जाने का क्या कारण है जबकि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों पर पदोन्नत के लिए अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पात्रता सूची मई, 1974 में अर्थात् राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशिक्षकों को अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में खपाने का निर्णय लेने के दो वर्ष बाद जारी की गई थी?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)**

(क) जी, हां। (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में पदोन्नति के लिये जुनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पात्रता सूची, 1974 तक रखी गई थी तथा पात्र अध्यापकों को पदोन्नतियां भी दी गई थीं। तथापि, 1974 के बाद, इस संवर्ग में पदोन्नति करना संभव नहीं था क्योंकि यह निश्चय किया गया था कि पहले एन०एफ०सी० कर्मचारियों को, जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियमित संख्या में खपाया जाए जैसा कि स्टाफ पद्धति के अंतर्गत अनुमत्य है।

**बसन्त बिहार में प्लाटों के उप-पट्टे की समाप्ति**

9415. **श्री एम० चन्द्र शेखर मूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री बसन्त बिहार नई दिल्ली के प्लाटों के उप-पट्टे समाप्ति के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3689 के उपर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(ग) क्या किरायेदार से इस बीच क्षतिपूर्ति की राशि वसूल कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कुल कितनी राशि विहित है; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) जी नहीं

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) 8,000 रुपये

(घ) मामला न्यायाधीन है। सम्पदा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मामला निपटाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जायेगी।

**चुकन्दर के बारे में कृषि विश्वविद्यालयों का कार्य**

9416. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जो चुकन्दर के बारे में कार्य कर रही है; और

(ख) दक्षिण के राज्यों में चुकन्दर की खेती की क्या सम्भावनायें हैं?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में उसके द्वारा वितीय सहायता से संचालित अखिल भारतीय समन्वित चुकन्दर सुधार प्रायोजना के अधीन चुकन्दर पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर जिला नैनीताल, उ० प्र०।

(2) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, चुकन्दर अनुसंधान केन्द्र, जालन्धर।

(3) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

(4) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, कृषि काम्प्लैक्स, सोलन।

(5) उदयपुर विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र श्री गंगानगर।

(6) लखनऊ विश्वविद्यायलय, लखनऊ।

चूंकि सामान्यतः यह समझा जाता था कि चीनी के लिये एक अतिरिक्त फसल के रूप में, उपोष्ण-कटिबन्धीय क्षेत्र के लिये चुकन्दर उपयुक्त हो सकता है इसलिये इस प्रायोजना के अन्तर्गत उत्तरी राज्यों

में अनुसंधान शुरू किया गया। फिर भी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिण भारतीय राज्यों में अन्वेषण संबंधी प्रयोग किये गये और वहां यह जांच करने के लिये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारत के राज्यों में चीनी वाली फसल के रूप में चुकन्दर के आर्थिक रूप से सक्षम फसल होने की संभावना है।

### लारेंस रोड एरिया, नई दिल्ली में "मिल्क बूथ"

9417. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लारेंस रोड क्षेत्र में उसकी मध्य आय वर्ग की कालोनियों में हाल ही के महीनों में आवंटन किया है और वहां सैकड़ों परिवार आ गये हैं परन्तु उस क्षेत्र में न तो दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा ही और न मदर डेरी द्वारा किसी मिल्क बूथ की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या क्षेत्र के निवासियों की एसोसियेशन ने भी दूध प्राप्त करने में लोगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है और उनकी सुविधा के लिये मिल्क बूथ खोलने का अनुरोध किया है, और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** (क) जी हां। लारेंस रोड में मध्यम आय वर्ग की बस्तियों म रहने वालों को दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी ने निम्नांकित बूथों की स्थापना की है :—

| दिल्ली दुग्ध योजना | मदर डेरी |
|---|---|
| बूथ सं० 1237, 1238, 1291 तथा 1292 | बूथ सं० 506 तथा 504 |

(ख) और (ग) इसके अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना इस क्षेत्र में एक और बूथ की स्थापना करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल के लिय स्वीकृति होने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

मदर डेरी लारेंस रोड में ब्लाक सी–7 और ब्लाक सी–8 में एक और बूथ का निर्माण कर रही है।

### जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए केन्द्रीय आवास ऋण

9418. **श्री अब्दुल अहद वकील** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने समाज के दुर्बल वर्गों के थोड़े वेतन वाले कर्मचारियों के लिये आगृह बनाने के लिये केन्द्र से धन मांगा था और केन्द्रीय सरकार ने धन देने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** समाज के कमजोर वर्ग के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिये जम्मू और कश्मीर सरकार से निधियों के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### ग्रामीण विकास पर ग्रामीण विकास वाहिनी

9419. **श्री महेन्द्र सिंह संयावाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास को तेज करने के लियें एक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास वाहिनी का गठन हो गया है?

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार इस वाहिनी को क्या वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) किस प्रमुख व्यवस्था के अन्तर्गत यह कार्य करेगी और इसकी सदस्यता के लिये आधार क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)** (क) जी हां।

(ख) ग्राम विकास वाहिनी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत है। वाहिनी का मुख्य रूप से ग्रामीण जनता, जिसमें गैर कृषि व्यावसाय में लगे लोग भी शामिल हैं; के आर्थिक विकास के लिये अराजनीतिक, असम्प्रदायिक और मुनाफा न कमाने वाली संस्था होगी।

2. वाहिनी की राष्ट्रीय परिषद में इस समय 12 सदस्य हैं।

राष्ट्रीय परिषद् के पदाधिकारियों के नाम ये हैं:—

(1) श्री भानु प्रताप सिंह —अध्यक्ष

(2) श्री ए० पी० रस्तोगी —उपाध्यक्ष

(3) श्री जे० दयानन्द —महासचिव

(ग) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) मुख्यालय में राष्ट्रीय परिषद् होने के साथ-साथ वाहिनी की ग्राम, खण्ड, जिला, राज्य (जिसमें केन्द्रशासित क्षेत्र भी शामिल हैं) और राष्ट्रीय स्तरों पर यूनिटें होंगी। वाहिनी के सदस्यों, जिनमें पदाधिकारी भी शामिल हैं, से समय-समय पर वाहिनी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायगी। वाहिनी के सदस्यों के प्रशिक्षण को तीन भागों में वर्गीकृत किया जायगा —

(1) कृषि और ग्राम विकास।

(2) कुटीर और लघु उद्योग।

(3) समाज कल्याण।

### Sale of Adulterated milk of D.M.S. Sultanpuri, Delhi

9420. **Shri K. Lakkappa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the complaints have been received that milk of Delhi Milk Scheme is being sold adulterated with water in Sultanpuri resettlement colony, Delhi;

(b) the time by which this illegal practice will be stopped and the D.M.S. milk booth which has been lying closed for the last 8 months will start functioning there; and

(c) if not the main reasons therefor ?

**Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) Yes Sir.

(b) No D.M.S. booth exists in Sultanpuri resettlement colony. But the Mother Dairy has constructed a milk vending booth there, which is expected to start functioning towards the end of June this year.

The D.M.S. is supplying milk to this colony through the Local Residents' Committee To check adulteration of milk supplied by the D.M.S., surprise periodical raids are organised from time to time by the staff of the D.M.S., samples collected and tested in the quality control laboratory of the Central Dairy and disciplinary action taken against the offending staff in case of adulteration. In cases where the members of the Residents' Committee are found responsible for adulteration, the Delhi Milk Scheme makes suitable alternative arrangements with the help of the residents of the colony.

(c) Does not arise.

**त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क), नई दिल्ली का विकास**

9421. **श्री पायस टिर्की** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क), कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली का क्षेत्र दो भागों में बंटा है, एक भाग सामुदायिक प्रयोजनों के लिये अभिग्रहीत क्षेत्र है और दूसरा भाग रिहायशी प्रयोजनों के लिये "रिलीज" क्षेत्र है ;

(ख) क्या कालोनी का खाली अभिगृहीत क्षेत्र पिछले कई वर्षों में अविकसित तथा अप्रयुक्त है, जबकि कालोनी गहन जनसंख्या वाले क्षेत्र के बीच में स्थित है ;

(ग) क्या कालोनी के खाली अभिग्रहीत क्षेत्र का विकास करने की तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई है, विशेष रूप से इस कारण कि उक्त क्षेत्र का जनता द्वारा अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा करने के लिये निरन्तर दुरुपयोग किया जाता है ;

(घ) इस क्षेत्र का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये कब तक किया जायगा जिनके लिये इनका अधिग्रहण किया गया था; और

(ङ) कालोनी के रिलीज किये गये क्षेत्र का विकास कब तक किया जायगा जिसके अभाव में प्लाट धारी तथा मकानों के मालिक नागरिक सुविधाओं के अभाव एवं कालोनी में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण अत्यन्त असुविधाए अनुभव कर रहे हैं।

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली विकास प्राधिकरण स्थिति के प्रति सजग है और जितनी जल्दी हो सकेगा आवश्यक कार्यवाही करेगा ?

(ङ) जलपूर्ति और सड़कें पहले से ही हैं । निधि की उपलब्धि को देखते हुए इसमें जल्दी ही विकास किया जायगा ।

**Publication of Works of Dr. Ambedkar**

*9422. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government received any representation on 14th April, 1978 for declaring the birth anniversaries of Dr. Babasaheb Ambedkar, Chhatrapati Shivaji, Maharana Pratap and Jyotirao Phule as national holidays;

(b) whether a demand has also been made therein for publishing the biographies of these great men in all languages; and

(c) whether Government has also been requested for publishing all the literary workers of Shri P. Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar; and

(d) if so, Government's reaction thereon ?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) :** (a) to (c) Yes Sir.

(d) As regards (a) the position is that the Central Govt. offices are allowed 16 holiday in a year. Of these, the three National holidays viz. Republic Day, Independence Day an Mahatama Gandhi's birthday and 8 other holidays relating to festivals of minority communities are required to be observed in all offices. Even as it is, the total number of holidays is large, and without increasing the total number of 16 it is not possible to include in the list of holidays, any other occasion. Besides, the list of Central Government holidays includes only the birth day of Mahatma Gandhi. Incidentally, it is mentioned that in many other countries of the world, the number of closed holidays is very much restricted, vis-a-vis India.

As regards (b) and (c), the National Book Trust has already brought out a biography of Maharana Pratap. The Trust has also brought out translations of Dennis Kincaid's "The Grand Rebel" (Shivaji) in many Indian languages. There is, besides, a proposal bythe N.B.T. to bring out a biography each of Shivaji and Dr. Babasaheb Ambedkar. The Publications Division of the Ministry of Information & Broadcasting also have a proposal to bring out shortly a biography of Dr. B.R. Ambedkar. As regards the publishing of the literary works of Mahatma Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar and the biography of Shri Jyotirao Phule, the matter will be examined.

### भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

9423. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के उन सदस्यों तथा अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में विदेशों के दौरे किये तथा उन्होंने किन किन देशों के किन किन तारीख को, कितनी अवधि के लिए तथा किन किन प्रयोजनों के लिए उक्त दौरे किये और प्रत्येक दौरे पर कितनी राशि व्यय हुई ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : इस विषय में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचना दर्शाने वाला विवरण सलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2269/78]

### उड़ीसा के समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से अभ्यावेदन

9424. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उड़ीसा के समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है, वह कब प्राप्त हुआ था और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)** : (क) और (ख) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उड़ीसा से एक अभ्यावेदन 5 मई, 1978 को प्राप्त हुआ था जो एक ज्ञापन की तरह है। इस अभ्यावेदन में उठाए गए विषयों पर सरकार पहले ही विचार कर रही है।

**दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली, के उपनियम**

9425. **रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली की आम सभा की बैठक में सोसायटी के प्रोस्पैक्टस, एसोसिएशन के ज्ञापन उपविधियों, नियमों और विनियमों में क्या संशोधन करने के प्रस्ताव हैं तथा इन प्रस्तावों की तारीख क्या-क्या हैं ;

(ख) आम सभा की बैठक में कौन से संशोधन पास कर दिये गये तथा किन तारीखों को; और

(ग) रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज, दिल्ली ने कौन से प्रस्ताव मंजूर किये तथा किन तारीखों को ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य महोदय संभवतः यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की साधारण सभा की बैठक के सम्मुख अब तक उप-नियमों के क्या-क्या संशोधन रखे गये। यदि यही है तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने यह सूचना दी है कि दो बार 13 मार्च, 1966 और 7 जनवरी, 1968 को संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया था। इनका विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिया गया है।

(ग) सोसायटी द्वारा 7 जनवरी, 1968 और 20 मार्च, 1968 को साधारण सभा की बैठक में पारित संशोधन को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने इसे उप-नियम 5(1)(क) में पंजीकृत किया जो इस प्रकार था।

5(1)(क) "वह दिल्ली, नई दिल्ली, व केन्ट का निवासी है और और उसे दिल्ली स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का भुक्त सदस्य (पैड मैम्बर) होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का कर्मचारी होना चाहिए । उसकी सदस्यता उसके सेवा निवृत होने के बाद भी चलती रहेगी तथा सदस्यता का 20 प्रतिशत नान स्कूल कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा।"

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2270/78]

**सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने हेतु केन्द्र के अंशदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

9426. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण में धन देने के मामले में केन्द्रीय सरकार के अंशदान में वृद्धि करने का है; और

(ख) क्या यह वृद्धि उन्हीं योजनाओं के लिए की जाएगी जिनसे जनसंख्या के निर्बल वर्ग के लोगों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) और (ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन उन्हें तैयार करने तथा कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बृहद/मध्यम सिंचाई कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था राज्य योजनाओं के अंतर्गत की जाती है। किन्तु चुनी हुई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, 1975-76 से 1977-78 तक के दौरान अग्रिम योजना सहायता के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त परिव्यय किए गए थे :—

| | (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 1975-76 | 55.80 |
| 1976-77 | 39.90 |
| 1977-78 | 102.37 |

राज्यों पर यथासंभव अधिकाधिक निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए सूखा प्रवण, जन-जाति और पिछड़े क्षेत्रों में नई स्कीमों को हाथ में लेने के लिए जोर डाला जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1977-78 में 11 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था।

## दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

9427. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :**

**श्री मनोहर लाल :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली, के बारे में 20 मार्च, 1978 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3549 के उपर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति दिल्ली के मामलों के बारे में वर्ष 1972 में अविष्ट जांच के सम्बन्ध में नवम्बर 1974 में सरकार को उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में, इस संस्था की सदस्यता के बारे में जांच अधिकारी द्वारा निकाले गये सभी निष्कर्षों तथा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का पूर्ण मूलपाठ क्या है;

(ख) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए पृथक-पृथक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या संस्था की सदस्यता के बारे में अभी निर्णय किया जाना शेष है;

(घ) यदि हां, तो किन वैधानिक प्रावधानों के अधीन उक्त संस्था की प्रबन्ध समिति के लिए चुनाव कराने का निर्णय किया गया था;

(ङ) क्या इस मामले के लम्बे समय से विवादास्पद होने को देखते हुए सरकार का विचार इस संस्था के मामलों की जांच करने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) दिल्ली को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 55(4) के अधीन रिपोर्ट का एक सार ही केवल

समिति को दिया जाना है। 1972 में आदिष्ट जांच के संबंध में जांच अधिकारी के मुख्य निष्कर्ष, तथ्यों, टिप्पणियों तथा सिफारिशों को प्रश्न संख्या 3549 के उत्तर में दे दिया गया था।

(ख) (i) प्रबन्धक समिति का चुनाव 17-8-75 को निर्वाचक मण्डल बना कर किया गया था।

(ii) प्रबन्धक समिति द्वारा तैयार की गयी सदस्यता सूची को अनन्तिम माना गया और इस के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गयीं। उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त 3 सदस्य समिति ने इस सूची पर विचार किया और सोसायटी द्वारा 784 सदस्यों की एक अन्तिम सूची निकाली गयी। यह सूची 18-9-1977 को समिति की प्रबन्ध ग समिति के नए चुनाव करने के लिए एक आधार बनाई गयी। यह चुनाव दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सी० डब्ल्यू 659/77 द्वारा रोक दिये गए। यह रोकादेश 26-4-78 को समाप्त कर दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। किन्तु नई प्रबन्धक समिति के शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक प्रबन्ध किए गए ताकि यह कार्यभार सम्भाल सके।

(ङ) जी, नहीं :

(च) सहकारी नियमों के अनुसार यह विभाग कार्यवाही करेगा।

**चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में ग्रुप आवास के लिए प्लाट**

9428. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूतपूर्व पाकिस्तान से आये और दिल्ली में एक निर्धारित अवधि से रह रहे शरणार्थियों के लाभ के लिए कुछ प्लाट ग्रुप आवास के लिए निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यदि परियोजना तैयार कर ली गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति आ जायेंगे जिन्हें भूमि आबंटन के योग्य पाया गया था लेकिन प्लाटों की संख्या केवल 80 होने के कारण उन्हें प्लाट अलाट नहीं किये जा सके थे; और

(घ) क्या सहकारी आवास समिति, जिसमें उक्त शरणार्थी शामिल हैं सरकार से परियोजना को तेजी से पूरा करने का अनुरोध कर रही है और यदि हां, तो उसे कब तक रूप दे दिया जायेगा?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** (क) जी हां।

(ख) पहले ही किए गए एक नीति निर्णय के अनुसार उन्हें हस्तान्तरित किए गए इन प्लाटों में से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप आवास योजना के अधीन मकान (फ्लैट) निर्माण करने के लिए 55 प्लाट अलग रखे हैं।

(ग) क्योंकि निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या 330 से अधिक नहीं होगी, अतः सभी पात्र विस्थापित व्यक्तियों को आवास देना संभव नहीं होगा।

(घ) जी, हां। परियोजना को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से, मामले का दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुसरण किया जा रहा है।

**एन० डी० एस० प्रशिक्षकों का वित्तीय भार**

9429. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी एन० डी० एस० प्रशिक्षकों का उनकी सेवा निवृत्ति तक वित्तीय भार वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार वचन बद्ध है और राज्यों का उन पर केवल प्रशासनिक नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को उन्हें सौंपने से पूर्व तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इन प्रशिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी को उपयुक्त वेतनमान देने में शिक्षा मंत्रालय के समक्ष क्या बाधा है;

(ग) क्या दिल्ली में तैनात पर्यवेक्षकों को जिन्हें 1 नवम्बर, 1976 को दिल्ली प्रशासन द्वारा लिया गया था, उनके दर्जे के अनुरूप वेतनमान न देकर और प्रशासन द्वारा 1 नवम्बर, 1972 को लिए गये उनके पिछले अधीनस्थ प्रशिक्षकों की अपेक्षा कनिष्ठ अथवा उनके समान मानकर, अपमानत किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन पर्यवेक्षकों को उचित दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) ऐसे एन०डी०एस० अनुदेशकों, जिन्हें राज्य सरकार की सेवाओं में खपा लिया गया था और जब तक वे उसी काडर में रहते हैं, जिसमें राज्य सरकारों ने उन्हें खपाया था के वेतन तथा भत्ते के खर्च की राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करने की पेशकश केन्द्रीय सरकार ने की थी। राज्य काडर में खप जाने के बाद वे राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए हैं।

(ख) तीसरे वेतन आयोग ने एन०डी०एस० अनुदेशकों के लिए किसी संशोधित वेतनमान की सिफारिश नहीं की। भारत सरकार ने इस स्थिति को मान लिया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-11-1976 को कोई ऐसा व्यक्ति अपने अधीन नहीं लिया गया, जिसका पद तथा पदनाम 'पर्यवेक्षक' हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## टिहरी बांध परियोजना पर प्रतिवेदन

9430. **श्री टी० एस० नेगी :**

**डॉ० वसन्त कुमार पंडित :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टिहरी हाई डैम के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन वर्ष 1969 में प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 1974 में पुनः प्रकाशित किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि टिहरी बांध परियोजना के अधिकारी जनता को उक्त प्रतिवेदन का निरीक्षण नहीं करने देते हैं ;

(ग) क्या ऐसा करना लोकहित में नहीं है कि जनता को उक्त प्रतिवेदन का निरीक्षण करने दिया जाये; और

(घ) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन को सार्वजनक निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री : (श्री सुरजीत सिंह बरनाला):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : गंगा बेसिन से संबंधित तकनीकी और जल-वैज्ञानिक आंकड़ों के अन्तर्राष्ट्रीय निहितार्थों को देखते हुए, इन्हें वर्गीकृत सूचना माना जाता है। इसलिए टिहरी बांध परियोजना के सभी खंडों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता । उत्तर प्रदेश के सिचाई मंत्री द्वारा 21 अप्रैल, 1978 को टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ ली गई बैठक में यह फैसला किया जा चुका है कि परियोजना-रिपोर्ट का वह खंड, जिसका संबंध भू-विज्ञान, भू-कम्प-विज्ञान

और गोदीकरण के पहलुओं से है, उन्हें उपलब्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस खण्ड को अद्यतन बनाने के बाद इसे उक्त समिति के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बारी-बारी से स्थानान्तरण**

9431. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रेणी-3 के कर्मचारियों को दिल्ली में इस विभाग के विभिन्न एककों में बारी-बारी से स्थानान्तरण करने के नियमों का पालन किया जा रहा हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों से मंजूरी लिये बिना ही नियमों से हट कर कुछ स्थानान्तरण किए जा रहे हैं तथा कुछ को इससे मुक्त रखा जा रहा है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) तथा (ख) श्रेणी III कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण से संबंधित नियमों का अनुसरण दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग के एककों द्वारा किया जा रहा है। कुछ मामलों में नियमों के उपबन्धों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रशासनिक कारणों से ढील दी जाती है।

**Publications Brought out by the Ministry**

9432. **Shri Manohar Lal :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Hindi and English Publications brought out by the Ministry and its attached offices and the provision of staff, printing and other facilities for each of these publications;

(b) the comparative details of the expenditure incurred on the English and Hindi editorial staff and their travelling allowances during the last two years;

(c) the reasons for incurring more expenditure on English journals by providing more facilities as compared to the expenditure incurred and facilities provided for Hindi, the official language journals; and

(d) the steps being taken to stop showing such an indifference towards the editorial staff of Hindi journals and give them facilities and recognition at par with their counterparts ?

**The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala):** (a) to (d): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

**Separate Ministry for Sports**

†9433. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the continued defeat of Indian Cricket team abroad this year damaged India's prestige; and

(b) whether a separate Ministry for sports is proposed to be constituted to improve the standard of games and if so, when and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dharma Singh Gulshan) :** (a) No, Sir, though the Indian Cricket team lost the Test Series against Australia by 2 to 3 last winter, its performance was reasonably creditable.

(b) No, Sir, taking into account the constitutional, legal and financial limitation the Union Government in the field of sports and games, setting up of a separate Ministry of Sports at the Centre is not considered essential for improving standard of games and Sports in the country.

## सिन्धी भाषा का विकास

9434. **श्री लक्ष्मण राव मानकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंधी भाषा के विकास के लिए सरकार ने एक करोड़ रुपया अलग रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस कार्य में क्या प्रगति हुई हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भूमि का आवंटन

9435. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं/ऐसोसियेशनों के नाम क्या हैं, जिन्हें दिल्ली में, धार्मिक और सांस्कृतिक/सामाजिक गतिविधियों तथा स्कूलों को चलाने के लिए भूमि आबंटित की गई हैं ; और

(ख) ऐसी संस्थाओं /ऐसोसियेशनों को भूमि आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) सम्बन्धित सूचना संलग्न सूची-I और II में दी गयी है।

(ख) निम्नलिखित मानदण्ड पूरे किये जाने चाहिए :—

(1) यह एक संस्था होनी चाहिये जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत होनी चाहिये ।

(2) यह लाभ कमाने वाली संस्था नहीं होनी चाहिये ।

(3) यह मामला सम्बन्धित मन्त्रालय या दिल्ली प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिये ।

(4) संस्था की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिये ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2271/78]

## जिनके दिल्ली में मकान गिराये गये थे उनकी ओर से अभ्यावेदन

9436. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन लोगों की ओर से संसद् सदस्यों तथा महानगर पार्षदों एवम् अन्य लोगों के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनके मकान दिल्ली में आपात-स्थिति में सफाई अभियान के दौरान गिरा दिये गये थे और जिनके पास दिल्ली में वैकल्पिक प्लाटों अथवा फ्लैटों के आबंटन के लिये अपने दावों के समर्थन में पावर आफ अटार्नी तथा अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों को योग्यता के आधार पर निपटाने का कोई निर्णय किया है और ऐसे कितने अभ्यावेदन निपटा दिये गये हैं तथा वैकल्पिक प्लाट आबंटित कर दिये गये हैं?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि संसद सदस्यों, महानगर पार्षदों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से 100 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसरण में वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन के लिए 5296 आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए हैं ;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि अभ्यावेदन भेजने वालों से यह निवेदन किया गया है कि अर्जित भूमि के मुआवजे को प्राप्त करने के बाद वे निर्धारित प्रपत्र में वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन भेजें। जहां तक आवेदनों का सम्बन्ध है, यह प्रशासन भूमि अभिग्रहण समाहर्ता द्वारा अवार्ड की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें भूमि का स्वामित्व के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा। उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन किया जाएगा जिनका दावा भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उपराज्यपाल ने आबंटन किए जाने वाले वैकल्पिक प्लाटों के आधार की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

**दिल्ली में अधिसूचित क्षेत्रों को अनधिसूचित करना**

9437 **श्री आर० एल० कुरील : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन दिल्ली में जिन क्षेत्रों को इस समय गन्दीबस्ती क्षेत्र अधिसूचित किया हुआ है, उनको अनधिसूचित करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अनधिसूचित किया जा रहा है ; और

(ग) इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली का पुराना शहर ।

(ग) अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं।

**वे रिहायशी बस्तियां जहां आबंटियों ने प्लाटों के कब्जे नहीं लिये हैं**

9438. श्री प्रभु बल : **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा, शालीमार बाग तथा अन्य रिहायशी बस्तियों में ऐसे कोई प्लाट हैं जिनके आबंटियों ने उनका कब्जा अभी तक नहीं लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त आबंटित प्लाटों का कब्जा न लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसे लोगों को अन्तिम नोटिस देने तथा फिर ऐसे प्लाटों का विक्रय द्वारा अन्य जरुरतमन्द एवम् उनमें रूचि रखने वाले लोगों को दे देने का विचार हैं ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे की एक सूची संलग्न है ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों वैधानिक उत्तराधिकारियों जिन्होंने प्लाटों का दखल नहीं लिया है, उनसे उनका दखल लेने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

**विवरण**

ऐसे मामलों की सूची जिनमें पार्टियों ने प्लाटों का दखल नहीं लिया है यद्यपि दखल लेने की पेशकश की गई हैं।

| क्रम सं० | योजना का नाम | ब्लाक / प्लाट नं० | कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | शालीमार बाग | बी०-के०-1/79 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई |
| 2. | शालीमार बाग | बी०-पी०-/12 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 3. | शालीमार बाग | बी०-क्यू०-/129 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 4. | शालीमार बाग | बी०-पी०- 159 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 5. | शालीमार बाग | बी०-के०-1/70 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 6. | मस्जिद मोठ | डी० 17 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 7. | पंखा रोड . | बी० एफ० /46 | पार्टी को पत्र नहीं दिया जा सका। |
| 8. | ईस्ट आफ कैलाश | ई०/188 | प्लाट पर अनधिकृत अधिवास है। |
| 9. | ईस्ट आफ कैलाश | सी०/43 | |
| 1. | विकास पुरी | एफ०-85 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 2. | विकास पुरी | एच०-421 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 3. | विकास पुरी | जी०-192 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 4. | विकास पुरी | एच०-389 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 5. | विकास पुरी | एच०-439 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 6. | विकास पुरी | डी०-52 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 7. | विकास पुरी . | जी०-176 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 8. | विकास पुरी | ए०-244 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 9. | विकास पुरी | एफ०-472 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 10. | विकास पुरी . . | सी०-702 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 11. | विकास पुरी . . | एच०-57 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 12. | विकास पुरी . . | एच०-329 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 13. | विकास पुरी . . | एच०-146 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. विकास पुरी | | जी०-36 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 15. विकास पुरी | | एच०-326 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 16. विकास पुरी | | एफ०-110 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 17. विकास पुरी | | सी०-389 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 1. पश्चिम पुरी | | 300 एक्सटेन्शन | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 2. पश्चिम पुरी | | 58 एक्सटेन्शन | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 3. पश्चिम पुरी | | 41 एक्सटेन्शन | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 4. पश्चिम पुरी | | बी०-3/270 | पार्टी दखल लेने स्थल पर नहीं आई। |
| 5. पश्चिम पुरी | | ए० 6/67 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 1. शालीमार बाग | | बी०-ई०/45 | स्थल पर प्लाट का विकास नहीं किया गया। |
| 2. शालीमार बाग | | बी०-क्यू०/156 | पार्टी स्थल पर नहीं पहुंची। |
| 3. शालीमार बाग | | बी०/एस०-10 | पार्टी स्थल पर नहीं पहुंची। |
| 4. शालीमार बाग | | बी०/जे० (पूर्वी) 4 | पार्टी स्थल पर नहीं पहुंची। |
| 5. शालीमार बाग | | बी०/जे० (पूर्वी) 63 | पार्टी स्थल पर नहीं पहुंची। |
| 6. शालीमार बाग | | बी०/जे० (पूर्वी) 65 | पार्टी स्थल पर नहीं पहुंची। |
| 1. भरोला | | ए०-1 | स्थल पर क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। नये प्लाट को काटने के लिए विकास मण्डल को पत्र जारी कर दिया गया है। |
| 2. भरोला | | ए०-2 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 3. भरोला | | ए०-3 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 4. भरोला | | ए०-4 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 5. भरोला | | ए०-13 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 6. भरोला | | ए०-19 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 7. भरोला | | बी०-1 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 8. भरोला | | बी०-3 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 9. भरोला | | बी०-4 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 10. भरोला | | बी०-9 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 11. भरोला | | बी०-15 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 12. भरोला | | बी०-19 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 13. भरोला | | बी०-32 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |
| 14. भरोला | | बी०-34 | आबंटी स्वर्गवास हो गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | भरोला | ए०-5 | अदायगी का भुगतान नहीं हुआ |
| 16. | भरोला | ए०-7 | अदायगी का भुगतान नहीं हुआ |
| 17. | भरोला | बी० 29 | अदायगी का भुगतान नहीं हुआ |
| 1. | घोण्डा | बी०-1/215 | पार्टी नहीं आई। |
| 2. | घोण्डा | बी०-5/111 | पार्टी नहीं आई। |
| 3. | घोण्डा | बी०-5/286 | पार्टी नहीं आई। |
| 4. | घोण्डा | बी०-6/235 | पार्टी नहीं आई। |
| 5. | घोण्डा | सी०-3/99 | पार्टी नहीं आई। |
| 6. | घोण्डा | सी०-7/46 | पार्टी नहीं आई। |
| 7. | घोण्डा | सी०-11/102 | पार्टी नहीं आई। |
| 8. | घोण्डा | बी०-2/374 | पार्टी नहीं आई। |
| 9. | घोण्डा | सी० 1/159 | पार्टी नहीं आई। |
| 10. | घोण्डा | सी०-5/92 | पार्टी नहीं आई। |
| 11. | घोण्डा | बी०-5/30 | पार्टी नहीं आई। |
| 12. | घोण्डा | बी०-5/33 | पार्टी नहीं आई। |
| 13. | घोण्डा | बी०-5/21 | पार्टी नहीं आई। |
| 14. | घोण्डा | बी०-5/102 | पार्टी नहीं आई। |
| 15. | घोण्डा | बी०-5/28 | पार्टी नहीं आई। |
| 16. | घोण्डा | सी०-1/300 | पार्टी नहीं आई। |
| 17. | घोण्डा | सी०-2/65 | पार्टी नहीं आई। |
| 18. | घोण्डा | सी०-2/255 | पार्टी नहीं आई। |
| 19. | घोण्डा | सी०-6/360 | पार्टी नहीं आई। |
| 20. | घोण्डा | सी०-6/351 | पार्टी नहीं आई। |
| 1. | पीतमपुरा | एस०/पी०/11 | समतल तथा दरेसी का अधूरा काम किए जाने के कारण |
| 2. | पीतमपुरा | एस०/पी०/14 | " |
| 3. | पीतमपुरा | एस०/पी०/16 | " |
| 4. | पीतमपुरा | एस०/पी०/20 | " |
| 5. | पीतमपुरा | एस०/पी०/21 | " |
| 6. | पीतमपुरा | एस०/पी०/24 | " |
| 7. | पीतमपुरा | एस० पी०/26 | " |
| 8. | पीतमपुरा | एस०/पी०/29 | " |
| 9. | पीतमपुरा | एस०/पी०/30 | " |
| 10. | पीतमपुरा | एस० पी०/33 | " |



20 LSS/78—4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | पीतमपुरा | एस०/पी०/35 | समतल तथा दरेसी का अधूरा काम किए जाने के कारण |
| 12. | पीतमपुरा | एस०/पी०/36 | ,, |
| 13. | पीतमपुरा | एस०/पी०/39 | ,, |
| 14. | पीतमपुरा | एस०/पी०/40 | ,, |
| 15. | पीतमपुरा | एस०/पी०/41 | ,, |
| 16. | पीतमपुरा | एस०/पी०/42 | ,, |
| 17. | पीतमपुरा | एस०/पी०/45 | ,, |
| 18. | पीतमपुरा | एस०/पी०/46 | ,, |
| 19. | पीतमपुरा | एस०/पी०/47 | ,, |
| 20. | पीतमपुरा | एस०/पी०/49 | ,, |
| 21. | पीतमपुरा | एस०/पी०/50 | ,, |
| 22. | पीतमपुरा | एस०/पी०/51 | ,, |
| 23. | पीतमपुरा | एस०/पी०/53 | ,, |
| 24. | पीतमपुरा | एस०/पी०/57 | ,, |
| 25. | पीतमपुरा | एस०/पी०/60 | ,, |
| 26. | पीतमपुरा | एस०/पी०/61 | ,, |
| 27. | पीतमपुरा | एस०/पी०/62 | ,, |
| 28. | पीतमपुरा | एस०/पी०/63 | ,, |
| 29. | पीतमपुरा | एस०/पी०/64 | ,, |
| 30. | पीतमपुरा | एस०/पी०/65 | ,, |
| 31. | पीतमपुरा | एस०/पी०/66 | ,, |
| 32. | पीतमपुरा | एस०/पी०/67 | ,, |
| 33. | पीतमपुरा | एस०/पी०/68 | ,, |

**पीतमपुरा, आवासीय योजना, दिल्ली में तैनात दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी**

9439. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा आवासीय योजना, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थल कार्यालय में तैनात अधिकारियों की संख्या और पदनाम क्या हैं;

(ख) उन्हें क्या काम सौंपा गया है और उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है;

(ग) क्या विभिन्न निर्माण कार्यों की समय-सूची के अनुसार काम किया जा रहा है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इसके लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) इस स्थल कार्यालय में कार्यपालक इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर तथा 4 जूनियर इंजीनियर तैनात किये गये हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) निधियों की कमी तथा सीमेन्ट जैसी दुर्लभ निर्माण सामग्री की कमी के कारण कुछ निर्माण कार्यों के निष्पादन में देर हुई है । इस देर के लिये किसी विशेष अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विवरण**

**पीतमपुरा रिहायशी योजना में इंजीनियरी स्टाफ द्वारा आबंटित निर्माण कार्य/किया जा रहा कार्य**

मलजल व्ययन (हाल ही में अर्जित क्षेत्र), सड़क, पथ, जलपूर्ति, भूमि को समतल करना तथा दरेसी करना (पहले से ही अर्जित क्षेत्र)

सड़कें तथा पथ (हाल ही में अर्जित क्षेत्र)

मलजल व्ययन (पार्ट-1) ग्रिल की बाड़, नलकूप, भूमि को समतल तथा दरेसी करना। (पाकेठ डी पूर्वी) (पहले से ही अर्जित क्षेत्र), एच-4. एच-5 (पार्ट) पीतमपुरा।

मलजल व्ययन (पार्ट-2), डिस्ट्रिक्ट पार्क, बाड़, पम्प हाउस (पहले से ही अर्जित क्षेत्र)

**Funds for linking of Big Village in Rural Areas**

9440. **Shri Raghavji :**
**Shri Chhabiram Argal :**
**Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by the Central Government to various States in 1977 for linking big villages in rural areas with roads;

(b) the State-wise number of villages linked with roads under this scheme;

(c) whether it is a fact that no provision for the grants has been made for 1978-79 for the purpose and if so, the reasons therefor; and

(d) the names of the States which have requested for continuance of this grant under the scheme for 1978-79 and the reaction of the Central Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) A statement showing the grants totalling Rs. 20.00 crores given to various State Governments/U.Ts. for linking villages or a cluster of villages with a population of 1500 persons with the market/mandi/highway/rail head by road of upto 5 Km. length is enclosed.

(b) Information regarding the Statewise number of villages linked with roads under this scheme during 1977-78 is not yet available.

(c) No provision has been made in the central sector but a provision of Rs. 115 crore has been made during 1978-79 in the State Plan Sector for rural roads against Rs. 85 crores during 1977-78.

(d) The State Governments of Gujarat, Arunachal Pradesh, Mizoram, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have specifically requested for grants under the scheme for 1978-79 and have since been informed that during 1978-79 the scheme has been discontinued and States have been advised to utilize provision made under Rural roads programme for this purpose.

STATEMENT

| Name of the States/U.Ts. | Amount released during 1977-78 (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Andhra Pradesh | 120.00 |
| 2. Assam | 65.00 |
| 3. Bihar | 180.00 |
| 4. Gujarat | 75.00 |
| 5. Haryana | 33.00 |
| 6. Himachal Pradesh | 38.00 |
| 7. Jammu & Kashmir | 54.00 |
| 8. Karnataka | 82.00 |
| 9. Kerala | 49.00 |
| 10. Madhya Pradesh | 180.00 |
| 11. Maharashtra | 130.00 |
| 12. Manipur | 22.00 |
| 13. Meghalaya | 28.00 |
| 14. Nagaland | 38.00 |
| 15. Orissa | 87.00 |
| 16. Punjab | 49.00 |
| 17. Rajasthan | 147.00 |
| 18. Sikkim | 23.00 |
| 19. Tamil Nadu | 71.00 |
| 20. Tripura | 15.00 |
| 21. Uttar Pradesh | 288.00 |
| 22. West Bengal | 98.00 |
| 23. Andaman & Nicobar Island | 10.00 |
| 24. Arunachal Pradesh | 44.00 |
| 25. Chandigarh | 5.00 |
| 26. Dadra & Nagar Haveli | .. |
| 27. Delhi | 10.00 |
| 28. Goa, Daman & Diu | 10.00 |
| 29. Lakshadweep | .. |
| 30. Mizoram | 44.00 |
| 31. Pondicherry | 5.00 |
| | 2000.00 Lakhs |

**मंत्रियों के कब्जे में आवास**

9441. **श्री वसन्त साठे:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मन्त्रियों ने मंत्री के लिए नियत बंगलों में कुछ महीनों तक रहने के बाद भी संसद सदस्यों के रूप में उन्हें आवंटित पहले के फ्लैटों पर कब्जा बनाये रखा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मन्त्रियों के नाम क्या हैं और कितनी अवधि के लिए उन्होंने दो आवासों पर कब्जा बनाये रखा और उन्हें दो आवास आबंटित किये गये और इसके क्या कारण हैं और अतिरिक्त आवास के लिए कितना किराया वसूल किया गया;

(ग) क्या साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू तथा अन्य स्थानों पर स्थित बंगलों की तुलना में विट्टलभाई पटेल भवन में संसद् सदस्य के लिए हकदारी का कुल क्षेत्र बहुत कम है और इनमें कितना अन्तर है और फर्नीचर तथा किराये आदि के मानकों और मानदण्डों को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या वैस्टर्न कोर्ट में चिक कर्टेन के लिए कोई किराया वसूल नहीं किया जाता, जबकि विट्टलभाई पटेल भवन में चिक कर्टेन का फ्लैट के मानक किराये की राशि की एक तिहाई राशि के बराबर किराया वसूल किया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त मामले की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करेगी।

**निर्माण और प्रवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :**

(क) जी हां।

(ख) सूचना का वितरण संलग्न है।

(ग) विट्ठलभाई पटेल हाउस होस्टल आवास है जबकि नार्थ और साउथ एवेन्यू फ्लैट मूलतः संसद सदस्यों के रिहायश के लिए बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य पूल में कुछ पुराने बंगले भी हैं और सामान्य पूल से भी संसद सदस्यों को कुछ बंगले आबंटित किये गये हैं। इसलिए भिन्न भिन्न टाइप में क्षेत्रफल को यौक्तिकीकरण का प्रश्न ही नहीं होता। फर्नीचर का किराया पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

(घ) वेस्टर्न कोर्ट होस्टल के गलियारे जो कि आम इस्तेमाल के हैं उनमें चिक लगायी जाती हैं और यह किसी संसद सदस्य को नहीं दी जाती। इसलिए इसका किराया स्केल फरनीचर में लगाया जाता है और सूट के किराये के साथ लिया जाता है। विट्ठलभाई पटेल हाउस में कोई आम गलियारा नहीं है और प्रत्येक कमरे के साथ बरामदा संलग्न है, इस लिए रिहायशी सदस्य को किराये के आधार पर एक बरामदे को ढकने के लिए चिक दी जाती है। दोनों सदनों की आवास समिति द्वारा मान्य दर पर तदनुसार किराया लिया जाता है।

(ङ) जरूरी नहीं समझा गया। संसद की आवास समिति इन मामलों को देखती है।

**विवरण**

| क्रम संख्या | नाम | समय से | समय तक | अप्रैल 1978 तक बाजार दर पर किराये की जिम्मेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री एस०एस० बरनाला | 18-7-77 | 17-4-78 | 4,439.53 |
| 2. | श्री भानुप्रताप सिंह | 22-8-77 | अब तक | 11,767.35 |
| 3. | डा० राम कृपाल सिंहा | 25-8-77 | अब तक | 6,093.51 |

**Bridge Over Chambal River on Agra-Bombay Highway**

9442. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the bridge constructed in 1960 by the C.P.W.D. on Chambal river nearDhaulpur on Agra-Bombay Highway gave way in March, 1973 just after 12 years of its construction;

(b) if so, the amount of expenditure incurred on the said bridge;

(c) whether iron, stone, cement etc. were used in exact quantity as fixed by the Government;

(d) whether any junior engineer had informed the Government in 1959 that the said bridge would not last long; and

(e) if so, the name of the engineer and other details of his report ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) Yes, Sir. Four spans of the bridge collapsed in Apil, 1973.

(b) Rs. 42,88,500/- (Approximately).

(c) Yes, Sir. Steel and cement were used as specified by the Department. Stone was used according to the actual requirement for work.

(d) & (e) No, Sir. However, Shri G.D. Upadhyaya, Junior Engineer had made a complaint in 1959, that :—

(i) Sub-standard and defective work was being done at Chambal bridge particularly in piers 14, 15, 16 and 17.

(ii) Measurement of road metal and steel work was not being done properly.

(iii) The contractor was mis-appropriating cement, and

(iv) The Assistant and Executive Engineer were not taking corrective measures and were too friendly with the Contractor's engineers and allowing them many concessions.

The work was inspected, and complaint was looked into. No basis for the allegations of defective work was found. The reasons for the collapse of the bridge were looked into by a High level Committee. The defects alleged by Shri Upadhyaya were not found to be the cause of the collapse.

**विट्ठल भाई पटेल भवन में संसद सदस्यों के फ्लैटों के किराये में अन्तर के कारण**

9443. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विट्ठलभाई पटेल भवन में डबल और सिंगल सीटों का कुल सामान्य किराया और बाजार दर का किराया नार्थ एवेन्यू, साऊथ एवेन्यू और अन्य स्थानों के अपेक्षाकृत बड़े एम० पी० फ्लैटों की तुलना में काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संसद् सदस्यों के लिए सरकारी आवास के किराये का निर्धारण करने के लिए किन मानदण्डों और तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)**: (क), (ख) तथा (ग) संसद सदस्यों द्वारा उनके दखल के वास की लाइसेंस फीस की गणना मूल नियम 45क के अन्तर्गत की गई थी और ये उन दरों तक सीमित थी जो संसद सदस्य वेतन व भत्ता अधिनियम, 1954 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के लागू होने के तुरन्त पहले लिए जाने वाले थे।

बाजार दर पर किराया तभी लिया जाता है जबकि कोई सदस्य आवास के लिए अपात्र हो जाता है और ऐसे मामलों में उपर्युक्त रियायत उनके लिए उपलब्ध नहीं है। निर्माण की लागत (जो निर्माण के टाइप, अपनाई गई विशिष्टयां, प्रदान की गई सुविधायें तथा निर्माण की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न है) भूमि की लागत आदि के हिसाब से बाजार दर का हिसाब लगाया जाता है। इससे विट्ठल भाई पटेल हाउस, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू के बाजार दर में अन्तर भेद स्पष्ट हो जाता है।

**चाय बागानों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल और अधिगृहीत भूमि तथा उसका वितरण**

9444. **श्री पूर्ण नारायण सिंह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में चाय बागान के लिए उपयोग में लाई जा रही भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और चाय बागान के लिए आबंटित सारी जमीन से सम्बद्ध राज्य सरकारों को कुल कितना भू-राजस्व और स्थानीय किराया प्राप्त होता है;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल बिना बागान लगाये छोड़ दिया गया है और इन सरकारों ने अपनी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत अब तक कितने हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत किया है अथवा अपने कब्जे में लिया है;

(ग) प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिगृहीत कितनी भूमि वस्तुतः आज तक स्थायी रूप से काम करने वाले और (2) काम न करने वाले आवासी श्रमिकों को वितरित की गई है; और

(घ) इन राज्यों ने उन चाय बागानों के प्रबंधकों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी है, जिनकी भूमि सम्बद्ध राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियमों के अधीन अधिगृहीत की गई थी।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)**: (क), (ख), (ग) और (घ) उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| राज्य का नाम | चाय की खेती के लिए प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र (हेक्टार में) | वसूल की गई कुल स्थानीय लगान तथा स्थानीय दर (लाख रु०) | बिना खेती किए हुए पड़ा क्षेत्र तथा इसमें से कितनी भूमि का अधिग्रहण करके खेती शुरू की गई है | स्थायी रूप से चाय करने वाले तथा स्थायी रूप से काम न करने वाले मजदूरों को वितरित किया गया क्षेत्र | चाय सम्पदा के प्रबंधकों को अदा किया गया मुआवजा, जिनसे भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत भूमि ली गई थी। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. उत्तर प्रदेश | 1817 | (1) उ० न० | (2) | (2) | (2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. प० बंगाल | 82660 | 104.43 (1976-77 के लिए) | 39374 हैक्टार जिसमें से 29090 हेक्टार में खेती शुरू की गई है | प० बंगाल भूमि सुधार अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार भूमि का वितरण किया जाता है। | उ० न० |
| 3. असम | 188792(1) | उ० न० | अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत 162822 हेक्टार भूमि का अधिग्रहण किया गया। | उ० न० | 16 मामलों में 11.00 लाख की रकम का भुगतान कर दिया गया है। |
| 4. तमिलनाडु | 36850 | उ० न० | (2) | (2) | (2) |
| 5. त्रिपुरा | 5467(1) | 0.96 | लगभग 1697 हेक्टार में खेती शुरू की गई है। | उ० न० | मुआवजे का जायजा लिया जा रहा है। |
| 6. पंजाब | शून्य | — | — | — | — |
| 7. केरल | 36412 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |
| 8. कर्नाटक | 1777 | उ० न० | उ० न० | उ० न० | उ० न० |

टिप्पणी:— 1. उ०न०-तत्काल उपलब्ध नहीं है।

2. (1) वर्ष 1975 में लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना।

3. (2) भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत चाय के बागानों को अधिकतम सीमा से छूट है। तदनुसार बागानों का कार्य फिर से शुरू नहीं किया गया है।

## उड़ीसा में उर्वरकों का बेकार हो जाना

9445. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3.5 करोड़ रुपये मूल्य का 33,000 टन से अधिक उर्वरक उड़ीसा में बेकार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पायें।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) तथा (ख) उड़ीसा में 33,000 टन उर्वरकों के खराब होने के संबंध में जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है। उनका उत्तर अभी तक नहीं आया है। उत्तर प्राप्त होने पर सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## पश्चिम बंगाल में 'सोना' उर्वरक की सप्लाई

9446. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पश्चिम बंगाल को 'सोना' उर्वरक की सप्लाई नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल को 'सोना' उर्वरक की सप्लाई करने के लिए कोई उपाय करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पश्चिम बंगाल को भी 'सोना' (सी० ए० एन०) उर्वरक की सप्लाई की जाती है। खरीफ 1978 के दौरान पश्चिम बंगाल को इस संयंत्र से 12,000 मीटरी टन 'सोना' (सी० ए० एन०) उर्वरक आबंटित किया गया है। फरवरी और मार्च, 1978 के महीनों में इस संयंत्र से पश्चिम बंगाल को 4156 मीटरी टन 'सोना' की सप्लाई की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

**कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थापित आयोजना मंचों से प्रतिवेदन**

9447. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थापित आयोजना मंच अब भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य तथा योगदान के स्वरूप का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग को उन आयोजना मंचों से आवधिक अथवा नियमित रूप से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग उन पर किस रूप में विचार करता है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :** (क) जी, हां।

(ख) छात्र समुदाय में देश के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता की जानकारी पैदा करने की दृष्टि से आयोजना मंच लोकप्रिय योजना विषयों पर वार्तालाप/विचारविमर्श आयोजित करते हैं, योजना सप्ताह मनाते हैं, विकासात्मक परियोजनाओं में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं तथा आर्थिक और योजना संबंधी मामलों का अनुसंधान अध्ययन करते हैं। कुछ आयोजना मंच योजना और आर्थिक विकास से संबंधित मामलों पर सेमिनार/सम्मेलन भी आयोजित करते हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग को आयोजना मंचों से कोई आवधिक अथवा नियमित रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती हैं। तथापि, आयोजना मंचों के कार्यकलापों से संबंधित रिपोर्टें राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं जो यथावश्यक कार्यवाई करती है।

**कैडबरी इंडिया लिमिटेड की क्षमता का विस्तार**

9448. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय कम्पनी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने, जो माल्टयुक्त खाद्य पदार्थ बनाती है, अपनी क्षमता के विनियमन के लिये सरकार को आवेदन-पत्र दिया है और उन्हें अभी भी मंजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या है;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(घ) क्या उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ कम्पनियों को लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करते हुए पाया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) कोई भी दूसरी कम्पनी अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक माल्टयुक्त खाद्य का निर्माण नहीं कर रही है।

**Device to Identify contents necessary for Plant Life**

9449. **Shri Rudrasen Choudhary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a device has been developed to identify the minutest contents during soil testing so as to ascertain the contents necessary for the plant growth besides the nitrogen, phosphate and potassium contents available in the soil; and

(b) if so, when the same is likely to be supplied at least to each district headquarters ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) Yes, Sir. The micronutrient content in soils can be determined both chemically as well as with the help of the instrument called Atomic Absorption Spectrophotometer. The chemical methods are time consuming while the instrumental methods are faster.

(b) At present the micronutrient testing facility is available at selected I.C.A.R. Research Centres in the country. However, additional facilities are being created by importing Atomic Absorption Spectrophotometer for soil testing laboratories. This arrangement will ensure availability of micronutrient testing facility in selected districts of all major states. It is considered that a stage is not ripe to provide this sophisticated instrument to all the District in the country at present.

**25 Firms in Rural Uplift Programme**

9450. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in "The Indian Express" dated 22nd March, 1978 that 25 industrial firms want to extend co-operation to Government under the Rural Uplift Programme; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the names and addresses of those firms ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) Yes, Sir.

(b) The proposals of the 25 industrial firms have been approved in full or in part. Names and addresses of the companies are indicated in the attached list.

**STATEMENT**

**List of companies in whose cases some or all of the Programmes of Rural Development were approved under section 35CC of the Income-Tax Act, 1961 by the prescribed authority—position as on 1st March, 1978.**

| S. No. | Name of the Company |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | M/s. Greaves Cotton and Co. Ltd., 1, Dr. V.B. Gandhi Marg, Bombay. |
| 2. | M/s. East Indian Produce Ltd., 49, Stephen House, Calcutta. |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 3. | M/s. Modipon Ltd., Modinagar (U.P.) |
| 4. | Modi Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Modinagar (U.P.) |
| 5. | M/s. Chemicals and Fibres of India Ltd., P.O. Box No. 87, Thana (Maharashtra). |
| 6. | M/s. Jindal Aluminium Ltd., 16th K.M. Tumkur Road, Bangalore. |
| 7. | M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., P.O. Jawaharnagar, Distt. Baroda (Gujarat). |
| 8. | M/s. Bhagatpur Tea Company Ltd., 5, Pannalal Banerjee Lane, Calcutta. |
| 9. | M/s. Bloomfield Tea Company Ltd., 49, Stephen House, Calcutta. |
| 10. | M/s. Mafatlal Fine Spg. & Mfg. Co. Ltd., Nariman Point, Bombay. |
| 11. | M/s. Hoechest Dyes & Chemicals Ltd., Nariman Point, Bombay. |
| 12. | Mafatlal Industries Ltd., Asarwa Road, Ahmedabad. |
| 13. | M/s. Indian Dyestuff Industries Ltd., Nariman Point, Bombay. |
| 14. | M/s. Mihir Textiles Ltd., Ahmedabad. |
| 15. | M/s. Indo Burma Petroleum Co. Ltd., 18-20 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. |
| 16. | M/S. Standard Mills Co. Ltd., Nariman Point, Bombay. |
| 17. | M/s. Ferro Alloys Corporation Ltd., Shreeramnagar, Distt. Srikakulam, Andhra Pradesh. |
| 18. | M/s. IDL Chemicals Ltd., P. B. No. 1, Sanatnagar (IE) P. O. Hyderabad (A. P.). |
| 19. | M/s. National Organic Chemical Industries Ltd. , Nariman Point, Bombay. |
| 20. | M/s. Sitalakshmi Mills Ltd., Mill Premises, Madurai. |
| 21. | M/s. Somaiya Organo Chemicals Ltd., Bombay. |
| 22. | M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay House, Homi Mody Street, Fort, Bombay. |
| 23. | M/S. Vazir Sultan Tobacco Company Ltd., Post Box No. 1804, Hyderabad. |
| 24. | M/s. Polyolefine Industries Ltd., Mafatlal Centre, Nariman Point, Bombay. |
| 25. | Hindustan Organic Chemicals Ltd., P. O. Rasayani, Distt. Kulaba, Maharashtra. |

**आवास की कमी**

9451. **श्री अहसान जाफरी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक आबादी, आवास की कमी और भारत के बड़े नगरों में लगातार बढ़ रही गन्दी बस्तियों के कारण स्वास्थ्य की समस्या गम्भीर होती जा रही है;

(ख) क्या जलमल निकास और पानी की सुविधा के न होने से समस्या और भी गम्भीर हो रही है;

(ग) क्या इसका कारण निधियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उक्त समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) तथा (ख) यह सच है कि गन्दी बस्तियां और अनधिवासी कालोनियां, जो प्राय: पर्याप्त जल और मलजल सेवाओं से वंचित होती है, बड़े नगरों में बन गई हैं और इनसे इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति में बिगाड़ आया है।

(ग) तथा (घ) सीमित साधनों के नियन्त्रण के भीतर राज्य सरकारों द्वारा ये प्रयास किये जा रहे हैं कि गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणी सुधार की योजना के अन्तर्गत जो राज्य क्षेत्र की योजना है गन्दी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं। एकीकृत नगरीय विकास की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार जल पूर्ति और सीवेज जैसे क्षेत्रों में कुछ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। ये राज्य सरकारें हैं न कि केन्द्रीय सरकार, जो अपने अधीन स्थानीय प्राधिकरणों को सीधे वित्तीय सहायता देती है।

**योग मूल्यांकन समिति**

9452. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री योग मूल्यांकन समिति के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 4458 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एन० आई० पी० ई० एस० प्रशासक बोर्ड के निर्देश के अनुसार मुख्य समिति की बैठक नहीं हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का समिति को समाप्त करने का विचार है?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :** (क) और (ख) जी, हां। समिति की दूसरी बैठक 2 जनवरी, 1978 को हुई थी। समिति द्वारा की गई कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) योग पाठ्यविवरण संबंधी पिछली उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पुनरीक्षण करने के बाद, समिति ने भारतीय औषध और होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्कूलों और कालेजों के लिए तैयार किए गए योग शिक्षा के पाठ्यविवरण का पुनरीक्षण करने और यदि आवश्यक समझा जाए तो अपनी ओर से एक नये पाठ्यविवरण का प्रारूप तैयार करने के लिए एक नई योग पाठ्यविवरण उप समिति के गठन का निर्णय किया। (योग पाठ्यविवरण उप समिति की पहली बैठक 14 मार्च, 1978 को हुई और उसकी दूसरी बैठक 8 मई, 1978 को होने वाली है)।

(2) समिति ने अनुदान ग्राही वर्तमान दो योग संस्थाओं के कार्यकरण का मौके पर मूल्यांकन करना तब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय किया जब तक समिति द्वारा दोनों संस्थाओं से मांगी गई अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं हो जाती।

(3) समिति ने योग संस्थाओं के कार्यकरण का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए उनकी एक चयन सूची तैयार करने का निर्णय किया ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या उनको केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता दी जा सकती है और यदि हां तो सहायता की पद्धति क्या होनी चाहिये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उर्वरकों का आयात**

9453. **श्री एस० आर० दामाणी :**

**श्री डो० अमात :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का प्रस्ताव है

(ख) आयात किन-किन देशों से किया जायेगा; और

(ग) इस समय उर्वरक की मांग और उत्पादन के बीच कितना अन्तर है?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से (ग)** यह जानकारी बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं है। तथापि, उर्वरक की मांग और उत्पादन के बीच के अंतर की लगातार समीक्षा की जा रही है और जहां आवश्यक है वहां इस अन्तर को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

**सामुदायिक विकास ग्रामीण योजना के अधीन सड़कों के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन**

9454. **श्री अनन्त दवे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 314 सामुदायिक विकास ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सड़कों के लिए गुजरात राज्य को केवल 75 लाख रुपये की राशि ही आवंटित की गई थी;

(ख) सभी योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और राज्य-वार नियतन का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को धनराशि का आवंटन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) क्या उक्त मानदण्डों के अन्तर्गत सडकों की लम्बाई, जनसंख्या और क्षेत्र का पिछड़ापन शामिल है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)** : (क) जी हां। वर्ष 1977-78 के दौरान गुजरात सरकार को ग्रामीण आधार-ढांचा—ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए कुल 75 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई थी।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई धनराशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) इस धनराशि को आवंटित करने के लिए अपनाये गये मानदंड अथवा विचार किये गये मापदंड निम्न प्रकार हैं:—

(1) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सरफेस रोडस।

(2) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए सरफेस रोडस।

(3) सड़कों, उनकी भौतिक विशेषताओं, क्षेत्र आदि के सन्दर्भ में राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का पिछड़ापन।

(घ) जी हां।

**विवरण**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना—आधार ढांचा विकास/सम्पर्क सड़कों का निर्माण**

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों को 1977-78 हेतु ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए निधियों का आबंटन

| क्रम संख्या | राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम | प्रस्तावित आवंटन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्रप्रदेश | 120 |
| 2. | असम | 65 |

| क्रम संख्या | राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम | प्रस्तावित आवंटन (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 3. | बिहार | 180 |
| 4. | गुजरात | .75 |
| 5. | हरियाणा | 33 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 38 |
| 7. | जम्मू तथा काश्मीर | 54 |
| 8. | कर्नाटक | 82 |
| 9. | केरल | 49 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 180 |
| 11. | महाराष्ट्र | 130 |
| 12. | मणिपुर | 22 |
| 13. | मेघालय | 28 |
| 14. | नागालैंड | 38 |
| 15. | उड़ीसा | 87 |
| 16. | पंजाब | 49 |
| 17. | राजस्थान | 147 |
| 18. | सिक्किम | 23 |
| 19. | तमिलनाडु | 71 |
| 20. | त्रिपुरा | 15 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 288 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 98 |
| 23. | अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | 10 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 44 |
| 25. | चण्डीगढ़ | .05 |
| 26. | दादरा तथा नगर हवेली | + |
| 27. | दिल्ली | 10 |
| 28. | गोवा, दमन तथा दीप | 10 |
| 29. | लक्षद्वीप | † |
| 30. | मिजोरम | 44 |
| 31. | पांडिचेरी | 5 |
| | | 1997 .5 |

†वर्ष 1977-78 के दौरान योजना कार्यान्वित नहीं कर जा रही है।

### भारत को उवरकों की सप्लाई के लिए सोवियत संघ के साथ ठेका

9455. **श्री डी० बी० चन्द गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को उर्वरकों की सप्लाई के लिये सोवियत संघ के साथ कोई ठेका किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में दोनों देशों के बीच क्या मूल्य समझौता हुआ।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) जी, हां। भारत और रूस के बीच 1976 से 5 वर्षों के लिये दीर्घकालीन व्यापार समझौते के अंतर्गत 1976-78 के दौरान रूस से उर्वरकों की खरीद के लिये खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।

(ख) वार्षिक व्यापार योजना के अंतर्गत की गयी खरीदों का विवरण निम्न प्रकार है:

| वर्ष | उर्वरक | अनुबंधित मात्रा मी० टन | सी एण्ड एफ एफ ओ आधार पर रुपये में प्रति मी० टन कीमत |
|---|---|---|---|
| 1976 | यूरिया | 2,15,000 (बोरों में) | 1,72,056 मी० टन के लिये 1240.00 रु० तथा 55,000 मी० टन के लिये 1,111.00 रु० |
| 1977 | यूरिया | 1,60,000 (बोरों में) | 1,244.75 |
| | म्यूरेट आफ पोटाश | 30,000 (खुला) | 725.94 |
| 1978 | यूरिया | 1,74,000 (बोरों में) | इस अवस्था में कीमतें बताना सार्वजनिक हित में नहीं समझा गया। |
| | अमोनियम सल्फेट | 50,000 (खुला) | |

### Mills producing Sugar from Sugar Beet

9456. **Shri Bharat Bhushan : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the places where mills producing sugar from sugar beet are functioning at present in the country; and

(b) the names of the places at which mills manufacturing sugar from sugar beet are proposed to be set up in 1978-79 ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar, District Sriganganagar, Rajasthan.

(b) A proposal has been received from the G.B. Pant Sugar factory at Kichha, District Nainital, U.P. to instal a cane-cum-sugar beet diffuser plant.

**स्थानापन्न स्कूल निरीक्षकों को चयन वेतनमान**

9457. **डा० हेनरी आस्टिन :**

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिडिल स्कूलों के ऐसे कितने प्रवरतम मुख्याध्यापक हैं एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के ऐसे कितने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हैं जो दिल्ली नगर निगम द्वारा 1970 से पूर्व स्कूल निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नत किए गए थे और वे अभी भी अपने पदों पर अस्थायी हैं;

(ख) क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या 48-27/72 यू० पी० आई०, दिनांक 26 नवम्बर, 1971 के द्वारा निम्नग्रेड के चयन वेतनमान मंजूर किए थे जिनमें अध्यापकों को स्थायी कर दिया गया था हालांकि वे 5 दिसम्बर, 1971 से उच्च पदों पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे थे;

(ग) क्या स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले स्कूल निरीक्षकों को अध्यापक के उनके उस क्रमिक मूल पद के चयन वेतनमान में रखा गया है जिसमें उन्हें स्थायी किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनके मामलों को 30 जून, 1978 तक निपटा दिया जायेगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :**

(क) मिडिल स्कूल हेडमास्टर 19
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक-1

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मिडिल स्कूलों के हैडमास्टरों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद 1 जुलाई, 1970 से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिए गए थे जो उस तिथि अर्थात् 5 सितम्बर, 1971 से बहुत पहले की तिथि है, जब से सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिए प्रवरण ग्रेड स्वीकृत किए थे। क्योंकि दिल्ली नगर नियम में संबंधित अवर श्रेणियों में कोई पद नहीं है अतः संबंधित स्कूल निरीक्षकों को प्रवरण ग्रेड देने का प्रश्न नहीं उठता।

**आपदा निधि**

9458. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता को प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदाओं से, जिनका देश के किसी भाग में आक्रमण हो सकता है, बचाने के लिए 'आपदा निधि' बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) तथा (ख)** प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदाओं से जनता को राहत देने के लिए 'आपदा निधि' बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है। तथापि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए राज्य सरकारों को वर्धित वार्षिक 'मार्जिन' धनराशि मुहैय्या की गई है।

**दिल्ली प्रशासन में तबादला किए गए राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इंस्ट्रकटरों को छुट्टी पेंशन आदि के लाभ**

9459. **श्री श्याम सुन्दर दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र-संख्या ए० 22020/30/73 एन०एफ०सी० दिनांक 29 अक्तूबर, 1974 के अनुसार राष्ट्रीय स्वस्थता कोर (एन०एफ०सी०) के इन्स्ट्रक्टरों की सेवाएं केन्द्रीय सरकार से दिल्ली प्रशासन में अन्तरित कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिये उन्हें छुट्टी, पेंशन, उपदान आदि के लाभ पाने का हक है; और

(ग) क्या वे दोनों विभागों में मिलाकर 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् स्वैच्छा से सेवा निवृत्ति मांग सकते हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख)** और **(ग)** स्कूलों में शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम को लागू करने के परिणामस्वरूप भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खपाया गया था । प्रश्न में सन्दर्भित पत्र का इन अनुदेशकों के खपाए जाने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । दिल्ली प्रशासन में उनके खपाए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए इन अनुदेशकों को छुट्टी इत्यादि के लाभ उठाने की अनुमति दी गई है । उन्हें छुट्टी पेंशन उपदान इत्यादि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे ।

**दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल**

9460. **श्री फकीर अली अंसारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने गोदामों में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो निगम के गोदामों के कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया तथा उन्होंने कितने दिन हड़ताल की;

(ग) उनकी क्या मांगें हैं;

(घ) उक्त हड़ताल के कारण दिल्ली में उचित दर दुकानों को खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कितनी बाधा पड़ी; और

(ङ) उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख)** भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली क्षेत्र के श्रेणी 3 के दो सौ कर्मचारियों ने 26 नवम्बर, 1977 से 29 दिन के लिए नियमानुसार कार्य किया जिसमें 19 दिसम्बर, 1977 को एक दिन कोई कार्य न करना भी शामिल है और रविवार और छुट्टियों को ओवर टाइम पर कार्य करने के लिए इन्कार कर दिया था ।



20 LSS/78—5

(ग) उनकी मांगें ओवर-टाइम का भुगतान करने और सहायक ग्रेड़-I (डिपो) और सहायक मैनेजर (डिपो) के दिल्ली से स्थानान्तरण आदेश रद्द करने से सम्बन्धित थीं ।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यचालन में कोई विघ्न नहीं पड़ा था ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने अब अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां सक्षम प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी को प्रतिपूरक छुट्टी देना सम्भव नहीं है, वहां रविवार और छुट्टियों को कार्य करने के लिए ओवर-टाइम भत्ता देने का निश्चय किया है । प्रबन्ध ने उत्तरी ज़ोन में दिल्ली से अन्य डिपो को आपसी वरीयता अर्थात् वरिष्ठ व्यक्तियों को रखना और कनिष्ठ व्यक्तियों को बाहर भेजना, के आधार पर स्टाफ का स्थानान्तरण विनियमित करने का निश्चय किया है ।

## उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश

9461. **श्री रामदेव सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक आवश्यकताओं और रोज़गार के अवसरों के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश नियंत्रित करने के लिये नई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) पिछड़े वर्गों को, जिनमें जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति शामिल हैं, उच्च शिक्षा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क), (ख) और (ग) आगामी 10-15 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाई गई नीति संरचना में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च अध्ययन की पूर्णकालिक संस्थाओं में प्रथम-डिग्री और स्नातकोत्तर स्तरों पर सभी कमज़ोर वर्गों के लिए कम से कम आधी सीटों का आरक्षण करते हुए, योग्यता के आधार पर चयनात्मक दाखिलों की एक नीति की परिकल्पना की गई है । इसमें प्रतिभाशाली किन्तु आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर छात्रों के लिए पूर्ण-कालिक आधार पर अपने अध्ययन जारी रखने की व्यवस्था की परिकल्पना भी की गई है । जिसमें उन्हें उपयुक्त कोषों में से उनके पूरे शिक्षा व्यय को देने का आश्वासन दिया गया है जिसके लिए सार्वजनिक एवं निजी निकायों से धन एकत्र किया जा सकता है । इस प्रयोजन हेतु विस्तृत कार्यक्रम अभी तैयार किए जाने हैं ।

## Scheduled Castes and Scheduled Tribes among Refugees

9462. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleasd to state whether a proposal is being considered by Government to allot land for earning livelihood of Scheduled Caste and Scheduled Tribe refugees who crossed over to India during 1971 Indo-Pak War ?

**The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) :** The State Governments of Rajasthan and Gujarat are formulating schemes for the permanent rehabilitation of all refugees, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who crossed over to India during Indo-Pak Conflict, 1971.

### Compensation to Evacuees of Nehru Complex

9463. **Mohd. Shamsul Hasan Khan :**

**Shri Surendra Bikram :**

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3552 dated **12th December, 1977** regarding Land for Nehru Complex and state :

(a) the specific reasons for not issuing the notification and for not paying compensation particularly when construction work has been completed and overhead Tank and Car Parking shed have already been built;

(b) whether it is not contrary to the constitutional provisions;

(c) whether he will fix a target date for issuance of notification and payment of compensation; if so, by what time; and

(d) how the owners of land will be compensated for the harassment caused to them, subversion of their rights and financial loss suffered by them ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : (a) Demarcation of land and certain other factors are involved.

(b) It is against the provisions of the land Acquisition Act.

(c) Necessary land acquisition proceedings have been initiated. While every effort will be made to expedite the process, no firm date could be given for the issue of notification.

(d) The rightful owners will get compensation after the declaration of the award. They will also be allotted alternative plots, if they fulfil the relevant conditions.

### National Award to Teachers

9464. **Shri K. Prakash** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under which national awards are given to the teachers and if so, when it was introduced;

(b) the number of teachers who had been awarded every year during the last three years and the number of lady teachers and headmasters among them; and

(c) the special facilities given to the awardees ?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki)** : (a) Yes, Sir. The scheme was introduced in 1958-59.

(b) A statement is attached.

(c) No special facilities are now given to the awardee teachers merely on the ground of their having won National Award. It has, however, been suggested that the experience and knowledge of national awardee teachers may be utilised by appointing them as members of expert committees etc. which may be set up by the State Governments for considering educational matters e.g. reconstruction of curriculum. preparation of text-books and supplementary reading material, inspection work, reform of examinations etc. They may also be invited to all public functions arranged by the State Governments. The implementation of these suggestions is left to the State Governments/Union Territory Administrations.

**Statement**

| Total number of teachers awarded during last three years | | Number of lady teachers (including headmistress) | Number of headmasters/ Principals. |
|---|---|---|---|
| 1975 | 97 | 17 | 67 |
| 1976 | 98 | 20 | 66 |
| 1977 | 110 | 29 | 60 |
| | 305 | 66 | 193 |

**मध्य प्रदेश को अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता**

9465. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश राज्य को समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य को अब तक दी गई सहायता अपर्याप्त पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो आगामी योजना अवधि के लिए राज्य को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :** (क) तथा (ख) समाज कल्याण विभाग कुछ केन्द्रीय प्रवृतित योजनाएं चला रहा है जिनके अधीन राज्यों को इन कायक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है । केन्द्रीय प्रवृतित योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजना,

(2) प्रौढ़ महिलाओं के लिये कार्यात्मिक साक्षरता योजना,

(3) विकलांगों के लिये विशेष रोज़गार कार्यालय,

(4) सुरक्षा और देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिये सेवाओं की योजना ।

पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश को इन योजनाओं के लिये 30,65,639 रुपये की धनराशि दी गई थी ।

(ग) कुछ और केन्द्रीय प्रवृतित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा ।

**Members of Godavari River Water Dispute Tribunal**

†9466. **Shri R.D. Gattani :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) when was the Godavari River Water Dispute Tribunal set up ;

(b) the names of the 'sitting judges' who are its members still and when did each one of them join it;

(c) but for this assignment when would these members have retired;

(d) are there any hopes of an early decision of that Tribunal; and

(e) will the present Government revise or continue the policy of giving assignments to such sitting judges who are in fact to retire in near future ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) The Godavari Water Disputes Tribunal was constituted on 10th April, 1969.

(b) and (c) The Tribunal consists of Shri Justice R.S. Bachawat as its Chairman and Shri Justice D.M. Bhandari and Shri Justice D.M. Sen as Members. They were sitting Judges at the time of nomination by the Chief Justice of India for initial appointment on the Tribunal as provided under the Inter-State water Disputes Act, 1956. The dates of their initial appointment on the Tribunal and the dates of their retirement as judges are indicated below :—

| Name | | Date of initial appointment on the Tribunal | Date of retirement as Judges |
|---|---|---|---|
| 1. Shri Justice R.S. Bachawat | (Chairman) | 10-4-1969 | 1-8-1969(FN) |
| 2. Shri Justice D.M. Bhandari | (Member) | 4-12-1969 | 16-12-1969(FN) |
| 3. Shri Justice D.M. Sen | (Member) | 20-9-1975 | 6-2-1976 (FN) |

(d) The Tribunal expect to submit its report during the course of this year.

(e) The appointment of Chairman and members by the Tribunal has been made in accordance with the provisions of the Inter-State Water Disputes Act, 1956, according to which the office of the Chairman and the Members of the Tribunal are to be filled by persons to be nominated in this behalf by the Chief Justice of India from amongst persons who at the time of such nomination are judges of the Supreme Court or of a High Court. There is no intention to change those provisions at this stage.

**परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित फसलों के बीज**

9467. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा परमाणु तकनीक—रेडियो आईसोटोप और रेडियेशन—का उपयोग करके फसलों के लिये बीजों का विकास करके विश्व का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र को देश भर से तथा विदेशों से इन बीजों के लिये मार्च, 1978 के महीने में 3,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे भारतीय किसानों को कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसानों को प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी हां, श्रीमान । परमाणु अनुसंधान केन्द्र रेडियो आईसोटोप तथा विकिरण जैसी नाभिकीय तकनीकों का उपयोग करके फसलों के बीजों का विकास कर चुका है ।

(ख) विकिरण के प्रयोग द्वारा मूंगफली, चावल, अरहर, गन्ना, जूट तथा अन्य फसलों की विकसित किस्में प्राप्त की गयीं । जब परमाणु ऊर्जा विभाग (डी०ए०ई०) की गतिविधियों का एग्री-एक्सपो 77 में डी०ए०ई० के मण्डप में प्रदर्शन किया गया तो किसान बड़ी संख्या में इस मण्डप में आये तथा उन्होंने अपनी आवश्यकता से अवगत कराया । जब आकाशवाणी ने डी०ए०ई० की गति

विधियों के सम्बन्ध में प्रसारण किया तो आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के किसानों से और अधिक अनुरोध प्राप्त हुए । बीजवार प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :—

| | |
|---|---|
| मूंगफली | 1869 |
| सरसों | 1186 |
| अलसी | 400 |
| तूर | 830 |
| चावल | 1264 |
| गन्ना | 3 |
| अन्य | 12 |

(ग) इन नयी किस्मों से किसान को बेहतर उपज मिलने की और उससे ज़मीन की एक इकाई से उसकी शुद्ध आमदनी बढ़ने की सम्भावना है ।

(घ) इन किस्मों की खेती करने के इच्छुक किसानों को उपयुक्त विस्तार परामर्श दिया जा रहा है ।

**एन० एफ० सी० कर्मचारियों को लेने की शर्तें**

9468 **भागीरथ भंवर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के पत्र संख्या ए०-12034/बी/77 एन०एफ०सी० द्वारा एक पांच सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है जो ऐसी शर्तें तय करेगी, जिन पर शिक्षा निदेशालय, दिल्ली एन०एफ०सी० कर्मचारियों (327 एन०एफ०सी० इन्स्ट्रक्टरों) को स्वीकार करेगा; और

(ख) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रताप डा० चन्द्र चन्द्र) :** (क) कुछ समय पूर्व दिल्ली प्रशासन को, अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा खेलों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक "मूल्यांकन समिति" नियक्त करने की सलाह दी गई थी । मंत्रालय के दिनांक 21-11-77 के पत्र में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के नाम तथा वे मामले जिनकी ऐसी समिति द्वारा जांच की जा सकती है, सुझाए गए थे ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

**खाद्यान्नों का खराब और नष्ट होना**

9469. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 27 मार्च, 1978 के प्रश्न संख्या 4319 के उत्तर में यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के गोदामों में 4917 टन अनाज मानव उपभोग के लायक नहीं पाया गया, इस बात को ध्यान में रखते हुए या सरकार ने कोई ऐसी मशीनरी स्थापित की है जो यह पता लगाये कि पूरे देश में कुल कितना अनाज मानव उपभोग के योग्य नहीं रहा है और क्या भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता

और सुरक्षा विभाग ने अनाज के भंडारों और अनाज की ढुलाई के समय अचानक छापे मारकर इस बारे में कोई रिपोर्ट दी है ;

**(ख)** अनाज की ढुलाई के समय नष्ट हुए बहुत अधिक अनाज से सम्बद्ध कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या सरकार अनाज के उचित भडारण के लिए अधिक सुरक्षित गोदाम बनाने और उनकी और अधिक सुरक्षा के लिए प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1-4-1978 को क्षतिग्रस्त तथा मानव उपभोग के अयोग्य 0.52 लाख मीटरी टन की मात्रा (पश्चिमी बंगाल की 4947 मीटरी टन मात्रा समेत) पड़ी हुई थी। ये स्टाक मार्ग के अलावा, मुख्यतः भारी वर्षा, बाढ़ों तथा तूफानों के कारण "कैंप" स्टोरेज में क्षतिग्रस्त हुए थे। निगम के वरिष्ठ किस्म नियन्त्रण अधिकारियों और सतर्कता तथा सुरक्षा प्रभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। 1975 और 1977 में एक स्पेशल स्क्वैड ने कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के ब्रूकलीन और जिंजरपूल डिपो में अचानक जांच की थी। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ख) ऐसे चूककर्ता अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिनकी लापरवाही के कारण खाद्यान्नों की क्षति होती है।

(ग) खाद्यान्नों का ठीक से भण्डारण करने के लिए अतिरिक्त ढका भन्डारण स्थान बनाया जा रहा है। ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानों का सावधानी से चयन किया जाता है कि यथा सम्भव जगह ऐसी हो जो कि वर्षा अथवा तूफान के कारण बाढ़ों से प्रभावित होने लायक न हो।

## उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बेजलपुर, गुजरात

9470 **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में पंचमहल जिले के वेजलपुर आदिवासी क्षेत्र में भारतीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार इस बारे में फिर से विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही प्रस्तावित केन्द्र स्थापित करेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने उद्यान विज्ञान के लिए गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में गोधरा के पास वेजलपुर की एक जगह में एक क्षेत्रीय केन्द्र की अस्थायी तौर पर स्थापना करने का निर्णय किया था;

(ख) और (ग) केन्द्र पर कार्य शुरू करने से पहले, प्रस्तावित प्रायोजना के विभिन्न विवरणों की जांच-पड़ताल के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने दो मुख्य बातें स्पष्ट की यानी पर्याप्त भूमिगत जल साधनों का न होना और 3 फुट की गहराई से नीचे मिट्टी की सख्त परत होना। जब से इन दो बातों की विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल की गई है और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया है, परिषद् द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन ब्यूरो, प्रायोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और अनुसंधान

निदेशक, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गयी है। इस समिति ने 30 अप्रैल, 1978 को उप-कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ इस स्थापना का मुआयना किया। उपरोक्त दल के मुआयने से पूर्व एक विशेष दल को प्रस्तावित फार्म क्षेत्र का मृदा सर्वेक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। सतही पानी के साधनों के विकास की सम्भावनाओं पर सूचना प्राप्त की गई। समिति का यह विचार था कि मृदा और जल का सावधानी-पूर्वक प्रबन्ध तथा उठाऊ सिंचाई की सुविधाओं को देने से वेजलपुर, गोधरा में फार्म की स्थापना करना सम्भव हो सकेगा। समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद् इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी।

## रूसी कम्बाइन हारवेस्टर का मूल्य

9471. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री रूस का कम्बाइन हारवेस्टर एस०के०पी०—4ए के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोज़गार इंजीनियरों को बेचे गये रूसी कम्बाइन पुराने माडल के थे;

(ख) क्या कम्बाइन करार और पूर्व शर्तों के अनुसार थे;

(ग) क्या यह सच है कि अब तक कम्बाइन का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है; और

(घ) क्या इन कम्बाइन्स की सफाई, मरम्मत और फालतू पुर्जे आदि की कोई व्यवस्था है ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) देश में आयातित एस०के०पी०—4ए रूसी कम्बाइन नई मशीनें थीं। पता चला है कि 1974 से इस माडल का उत्पादन नहीं किया गया है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा इन कम्बाइनों के आयात की अनुमति आयात करने वाले कृषि उद्योग निगमों द्वारा स्पष्ट तौर पर यह बताए जाने पर दी गई थी कि वे इनकी तकनीकी विशिष्टताओं, क्वालिटी व प्रदर्शन से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं तथा यहां तक कि सरकारी परीक्षण स्टेशन, बुदनी में इनकी जांच कराए बिना वे इनके आयात के लिए तैयार हैं। तथापि, सतर्कता के तौर पर, न कि पूर्व शर्त के रूप में, पार्टियों के बीच हुए ठेके के समझौते में बुदनी में इनकी जांच करने की व्यवस्था करने हेतु उसमें एक परिच्छेद जोड़ा गया था। अभी तक यह जांच कर पाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) कृषि सेवा उद्यमियों को जिस मूल्य पर ये कम्बाइन बेचे गए थे वह अस्थायी था। अन्तिम मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी हां।

## छोटे किसानों को ऋण देने का मानदण्ड

9472 **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में ऋण लेने की पात्रता के प्रयोजन से 'छोटे किसानों' की परिभाषा के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त किसानों की परिभाषा इन क्षेत्रों में सिंचाई के स्वरूप तथा महत्वपूर्ण फसलों के

उत्पादकता स्तरों के आधार पर तैयार की गयी है। विभिन्न क्षेत्रों की परिभाषा संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। यह परिभाषा उपदान के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु है।

(ख) परिभाषा को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

**सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों की परिभाषा**

(हैक्टैयर में)

| राज्य | जिला (सू० ग्रस्त क्षे० का० क्षेत्र) | छोटे किसान | | सीमान्त किसान | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आन्ध्र प्रदेश | अनन्तपुर, चित्तूर, करनूल, मेहबूबनगर, नालगोण्डा तथा प्रकासम : कुड़ाप्पा | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| बिहार | पालमऊ, मुंगेर, नवदाह तथा रोहतास। | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
| गुजरात : | | | | | |
| (क) शुष्क क्षेत्र | कच्छ, बंसकण्ठा तथा मेहसाना | 1.50 | 7.00 | 0.75 | 3.50 |
| (ख) अर्ध-शुष्क क्षेत्र | सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, पंचमहल, भावनगर तथा अहमदाबाद। | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| हरियाणा | मोहिन्द्रगढ़, भिवानी तथा रोहतक। | 1.50 | 7.00 | 0.75 | 3.50 |
| जम्मू तथा कश्मीर | डोडा तथा ऊधमपुर के भाग | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| कर्नाटक | बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़, चित्रदुर्ग, रायचूर, बेलारी, तुमकुर, चिकमंगलूर, कोलार तथा गुलबर्गा। | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| मध्य प्रदेश | झबुआ, धार, सिद्दी, बेतुल, खरगोन, शहडोल। | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
| महाराष्ट्र | नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली तथा शोलापुर। | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| उड़ीसा | फुलबेनी तथा कालाहांडी | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान : | | | | | |
| (क) शुष्क क्षेत्र | जैसलमेर | 1.50 | 10.00 | 0.75 | 5.00 |
| | बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, पाली, चुरू तथा जोधपुर । | 1.50 | 7.00 | 0.75 | 2.50 |
| (ख) अर्ध-शुष्क क्षेत्र | झुनझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर तथा बंसवाड़ा । | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 |
| तमिलनाडु | रामनाथपुरम तथा धर्मपुरी | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
| उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, जालौन, बांदा तथा हमीरपुर । | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
| पश्चिम बंगाल | पुरुलिया, बांकुरा तथा मिदनापुर । | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 |

**हैड मास्टर तथा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टी० जी० टी०) के वेतन में असंगति**

9473. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मिड़िल स्कूलों के अधिकांश हैड़ मास्टरों को गत छ: वर्षों से उनके अधीन कार्य कर रहे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों से कम वेतन मिलता है;

(ख) क्या यह असंगति सेलेक्शन ग्रेड़ के त्रुटिपूर्ण ढांचे के कारण पैदा हुई है अर्थात् सेलेक्शन ग्रेड़ का न्यूनतम और अधिकतम वेतन दोनों ही हैड़ मास्टरों के उच्चतर पद से अधिक हैं;

(ग) क्या इस मामले में विभिन्न अध्यापकों संघों ने तथा बहुत से संसद सदस्यों ने गम्भीर शिकायतें की हैं और सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो छ: वर्ष से भी अधिक समय से चलती असंगति को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और हैड़ मास्टरों के साथ न्याय करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह विसंगति ज्यादातर इस तथ्य के कारण पैदा हुई है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का सैलेक्शन ग्रेड़, मिड़िल स्कूल के मुख्याध्यापक पद के सामान्य वेतनमान से बेहतर है यद्यपि पूर्ववर्ती वेतनमान का अधिकतम परवर्ती वेतनमान के अधिकतम से कम है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसी ही विसंगति दिल्ली प्रशासन के शिक्षकों के अन्य वर्गों के मामले में भी विद्यमान है । इस विसंगति को दूर करने में, कई प्रशासनिक, कानूनी तथा वित्तीय उलझने शामिल हैं । यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

### Purchase Price of Land Acquired by D.D.A.

9474. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the rate at which the land in Trilokpuri, Kalyanpuri, Nandnagri Nangloi, Shakurpur, Madangir etc. was acquired by the Delhi Development Authority and the per square metre expenditure incurred on its development and per square metre rate thereof at present; and

(b) the amount to be charged annually by Government from the people settled on this land ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) The rate of acquisition of land varies from Rs. 0.64 to 4.64 per sq. metre. The expenditure on development has been approximately Rs. 56 per sq. metre.

(b) At present the plots have been given on monthly licence fee basis. The rate of monthly licence fees is Rs. 7 and Rs. 3.50 for "ineligible" and "eligible" squatters respectively. In addition they are required to pay conservancy charges of Re. 1 per month.

### चावल की भूसी के निपटान के बारे में पंजाब राइस मिल्स एसोसिएशन का अनुरोध

9475. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राइस मिल्स एसोसियेशन ने गत वर्ष जमा हुई चावल की भूसी का निपटान करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) और (ख) पंजाब चावल मिल मालिक एसोसिएशन से चावल की भूसी के बहुत अधिक स्टाक के निपटान में सहायता करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

### Providing of food during the Financial Year 1978-79

9476. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide food subsidies worth 450 crores of rupees during the financial year 1978-79 and whether this will cause a shortage of funds required for the development works of Government;

(b) if so, the names of the public agencies which were given food subsidy indicating the quantum thereof in each case and the amount estimated to be spent on this account in 1978-79; and

(c) the amount given for food subsidies on wheat, rice and other foodgrains separately in 1977-78 and the amount estimated to be given in 1978-79 ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :** (a) A provision of Rs. 456.0146 crores has been made in the Budget of 1978-79 for payment of subsidy to the Food Corporation of India for reimbursing (a) the difference between the economic cost of foodgrains involved and the issue price as fixed by the Government, (b) the carrying cost of buffer stocks and (c) the difference between recoveries made earlier from the Food Corporation of India at then prevailing issue prices in respect of wheat received under the agreement with the USSR and the amounts payable to it at current issue price for the quantity of wheat to be shipped to USSR in repayment of the loan.

Food subsidies are considered important for protecting the interests of both the farmers and the consumers. Such subsidies as well as programmes for development get their due attention while determining allocation of available resources for various Plan and Non-Plan programmes and activities of Government.

(b) Only the Food Corporation of India is paid food subsidy and the amount provided in the Budget of 1978-79 is given in reply to part (a).

(c) The details of the subsidy claimed by the Food Corporation of India for wheat, rice and coarse-grains handled by them as also the cost of carrying buffer stocks in 1977-78 are given below :—

| | (Rs. in crores) 1977-78 (R.E. of FCI) Amount |
|---|---|
| Wheat | 163.65 |
| Rice . | (—)5.87 |
| Coarse Grains | 25.96 |
| Subsidy on distribution operations | 183.74 |
| Cost of carrying Buffer | 309.25 |
| | 492.99 |

Against the above, an amount of Rs. 480 crores has been paid to the Food Corporation of India in the year 1977-78, including arrears for the previous 1 year.

In 1978-79 the Budget provision for food subsidy is Rs. 456.0146 crores. The estimated breakup of this provision is as under :

| | (Rupees in crores) |
|---|---|
| 1. Cost of carrying buffer stocks . | 220.5700 |
| 2. Wheat | 130.3920 |
| 3. Rice | 0.1280 |
| 4. Coarse-grains | 0.2300 |
| 5. Difference between recoveries made earlier from FCI at then prevailing issue prices in respect of wheat received under the agreement with the USSR and the amounts payable to it at the current issue price for the quantity of wheat to be shipped to USSR in repayment of the loan . . . . . . . | 41.0146 |
| 6. Arrears | 63.6800 |
| Total | 456.0146 |

**केन्द्रीय जल आयोग में पदोन्नतियां**

9477. **श्री सौगत राय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग में प्रवरता का उल्लंघन करके उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियरों के गैर-चयन पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति के आदेश हाल में जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उसी संगठन में अर्हता प्राप्त अधिकारियों के दावों की उपेक्षा करके डिप्लोमाधारियों को श्रेणी 1 के प्रवर पदों पर पदोन्नति दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग)** केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग में उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड के 75 प्रतिशत पद विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा और शेष 25 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। सेवा नियमों में व्यवस्था है कि वे विभागीय अधिकारी, जिनकी सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में 4-1/2 वर्ष से कम की सेवा न हो, उपयुक्त ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र समझे जाएं। इसके अतिरिक्त, भर्ती नियमों के अनुसार उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर के रूप में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता निश्चित करन के लिए निर्धारित सेवा अवधि की गणना के लिए अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर/सहायक अनुसंधान अधिकारी के श्रेणी दो ग्रेड में की गई प्रत्येक पूर्ण वर्ष की आधी सेवा को, लेकिन अधिक से अधिक 2 1/2 वर्ष तक की सेवा को, सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में की गई सेवा माना जाएगा। नियमों में यह भी निर्धारित है कि उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर के अगले/उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए सभी सहायक निदेशकों/सहायक कार्यकारी इंजीनियरों/अनुसंधान अधिकारियों को विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। सभी सहायक निदेशक, जो उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा करते हैं, उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र हैं, चाहे उनके पास इंजीनियरी में डिग्री हो या डिप्लोमा। उपर्युक्त ग्रेड में प्रोन्नति कोटा के खाली पदों को भरने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'क') की हाल ही में बैठक हुई थी जिसने उन अधिकारियों की एक नामिका (पैनल) तैयार की है जो इस नामिका के चालू रहते हुए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं/पूरा करेंगे और प्रोन्नति के लिए योग्य पाए गए हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**Government accommodation to the personal staff of the Ministers**

9478. **Shri Ram Dhari Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the rules govering allotment of accommodation to the personal staff of Central Ministers and Ministers of state;

(b) whether it is a fact that personal staff of some Ministers has been provided more accommodation than the prescribed quota while the staff of some has no accommodation; and

(c) if so, full details in this regard?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) Two members of the personal staff (other than Group D) attached to a Minister, as recommended by the Minister may be given *ad hoc* allotment. In addition, *ad hoc* allotment can also be made to one such officer who has been specifically selected by the Minister either from a State Government or from outside service. One member of Group D staff may also be given *ad hoc* allotment. Where a Minister is incharge of more than one Ministry/Department the entitlement of *ad hoc* allotment to the personal staff of the Minister is to be counted separately, for each Ministry/Department.

(b) and (c) There is no such case in respect of the present Ministers, where accommodation in excess of the prescribed quota has been provided.

### Work on Narmada Projects

†9479. **Shri Amatsingh V. Rathawa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the work on Narmada Project has been started in some departments and the names of those departments and other details thereof;

(b) the number of schemes under the Narmada Projects the full details thereof and and the expenditure sanctioned therefor;

(c) the number of canals being constructed under Narmada Project and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) whether a scheme for construction of Lalpur Dam under Narmada project has been approved and if so, the details thereof and whether there is any scheme for constructing canals only there instead of Lalpur Dam ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) and (c) The work on the Narmada Project in Gujarat, also known as Navgam Project, can be taken up only after the Narmada Water Disputes Tribunal gives its award. A token provision of Rs. 3.12 crores has, however, been made in the Annual Plan 1978-79 of Gujarat to initiate infrastructure works on the project by the Public Works Department.

(b) List of Schemes in the Narmada basin for which outlay has been provided during 1978-79 is attached.

(d) The Heran Reservoir Project which envisages construction of a storage dam across Heran river near village Lalpur with canal system on both the banks in Chheta Udaipur Taluk of Baroda district of Gujarat has been approved. This project is estimated to cost Rs. 25.26 crores and to provide annual irrigation of 36420 hectares.

STATEMENT

| Sl. No. | Name of Scheme | Estimated cost (Rs. lakhs) | Benefits (000 ha.) | Approved for 1978-79 (Rs. lakhs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **GUJARAT** | | | |
| | *Major* | | | |
| 1. | Sukhi . | 2311.00 | 21.25 | 275.00 |
| 2. | Karjan . | 3720.00 | 61.97 | 275.00 |
| 3. | Heran . | 2526.00 | 36.42 | 175.00 |
| | *Medium* | | | |
| 4. | Rami . . . . . . . . | 65.00 | 1.34 | 29.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **MADHYA PRADESH** | | | |
| | *Major* | | | |
| 5. | Sukta . | 870.88 | 18.58 | 200.00* |
| 6. | Kolar** . | 725.00 | 36.70 | 50.00* (including provision for 4 other schemes) |
| 7. | Bargi** . . | 20000.00 | 518.00 | 1000.00* |
| 8. | Narmada Sagar** | 22260.00 | 250.00 | 67.00* |
| 9. | Tawa | 9142.00 | 332.00 | 876.00* |
| | *Medium* | | | |
| 10. | Bichua Tanh . . | 124.86 | 2.32 | 2.00 |
| 11. | Bichua Latia Complex | 244.20 | 4.86 | No provision |
| 12. | Banjar . . . . . | 208.79 | 2.43 | 47.00* |
| 13. | Mahgaon Tola Tank . . . . | 138.09 | 2.83 | 37.00* |

NOTE:—The outlays indicated for 1978-79 in the case of schemes in Madhya Pradesh is as per Recommendations of the Working Group of Planning Commission.

**These schemes are not approved.

**"Bhagirath"**

*9480. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the aims of the journal "Bhagirath" published by Central Water Commission under his Ministry and the number of the authors of published articles in English and Hindi during the last three years and the amount of remuneration paid to them;

(b) the names of the members of Editorial Board, their qualifications, and the date when last meeting was held and the action taken so far on its decisions;

(c) whether Hindi 'Bhagirath' which was primarily a journal of irrigation and power has now been converted into a journal of Irrigation only and rewards are not given on the articles published in its special number and regular meetings of the Editorial Board are not held; and

(d) the steps being taken to bring an improvement in the situation by doing away with such irregularities and to provide staff and all other facilities to Hindi Bhagirath as are available to English journal ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) Bhagirath English).

English Bhagirath was started in June 1954 for disseminating information on Irrigation, Power, Flood Control and allied subjects with the primary object of keeping the Members of Parliament, State Legislators, Project Engineers, Students of Engineering and the general educated public posted with the sizeable plans and progress of water and power conservation and utilisation projects undertaken for the overall economic growth of the country.

The number of authors of the articles published in Bhagirath (English) during 1975, 1976 and 1977 are 15 .25 and 23 respectively. The remaining articles, features and news items were all prepared by the Editor himself.

The contributors of English Bhagirath are not paid any honorariumf or their articles.

**Bhagirath (Hindi)**

Bhagirath (Hindi) was started from April, 1974 with the same object as of English Bhagirath but with more rural-oriented bias for the benefit of Hindi readers.

The number of authors of the articles in Bhagirath (Hindi) during 1975, 1976 and 1977 are 34, 31 and 28 respectively.

The honorarium paid to the authors of the articles during 1975, 1976 and 1977 amount to Rs. 483, Rs. 80 and Rs. 175 respectively.

(b) **Bhagirath (English)**

There is no Editorial Board for Bhagirath (English). The material prepared and finalised by the Editor is published after getting it duly approved by Director (P&P) and Member (P&P) of the Central Water Commission.

**Bhagirath (Hindi)**

Names and qualifications of the Members of the Editorial Board are:—

(1) Shri A.N. Harkauli, B.E., Member (D&R), Central Water Commission.

(2) Shri S.B. Khare, B.E., Commissioner, Ganga Basin & ex-officio Joint Secretary to the Government of India, Department of Irrigation.

(3) Dr. B.D. Sharma, M.A., Ph.D, IAS, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs.

(4) Shri B.L. Jatana, B.Sc., B.E., Director, Central Water Commission.

(5) Dr. Sachi Rani Gurtu, M.A., Ph.D., Assistant Director General, Hindi, Directorate General Post & Telegraphs.

(6) Dr. Shyam Singh Sashi, M.A., Ph.D., Deputy Director (Hindi), Publication Division Ministry of Information & Broadcasting.

(7) Shri Vijay Mohan Sharma, B.E., Deputy Director, CSMRS, Central Water Commission.

(8) Assistant Editor, Bhagirath (Hindi) (formerly Shri D.P. Sharma, M.A. and now Shri R.K. Bharti, M.A., J.D., L.L.B.)—Member-Secretary.

All the Members of the Editorial Board are very proficient in the use of Hindi. Many of them have special aptitude and flair for Hindi writing and are contributing articles to various magazines and journals.

Last meeting of the Editorial Board was held on the 30th December, 1976. Decisions taken in the above meeting have been processed.

(c) Bhagirath (Hindi) despite its accent on Irrigation continues to be a Journal devoted to Power, Flood Control and allied subjects. In fact, January 1978 issue of the Journal was a special number mainly devoted to Beas Project, which is primarily a Power Project.

Remuneration is paid for the articles published in Bhagirath (Hindi) except for those written by the employees of the Central Water Commission/Ministry/other officers directly connected with the projects, etc.

The meeting of the Editorial Board could not be held after 30-12-1976 due to heavy unavoidable preoccupations of Members of the Board, but the material published in the Journal is approved by Director (P&P) and Member (D&R), Central Water Commission, who are Member and Chairman of the Editorial Board respectively.

(d) Adequate staff and facilities exist for Bhagirath (Hindi) based on actual requirement and assessed workload, on the same lines as provided for Bhagirath (English). Steps are now being taken to convene a meeting of the Editorial Board of Bhagirath Patrika (Hindi) and to see that meetings of the Board continue to be held priodically.

**Provision of civic amenities in a Trans-Yamuna colony**

9481. **Shri Govinda Munda :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabililation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the time of elections after emergency the former Minister of Works and Housing had issued orders for construction of roads, streets and drains in trans-Yamuna area, Gautampuri, Shahdara, Delhi-53 and had got this work started;

(b) whether it is also a fact that construction repair work of roads, streets and drains in this colony has been left imcomplete;

(c) if so, by what time this incomplete work is likely to be completed; and

(d) if it is not proposed to complete this work the main reasons therefor ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) Some development works pertaining to improvement of lanes and roads in Trans-Yamuna area of Gautampuri, Shahdara were executed by D.D.A. as per the then Vice-Chairman's orders.

(b), (c) and (d) Gautampuri is an unauthorised colony. It has been decided by Government to regularise various unauthorised colonis in Delhi on terms and conditions contained in the Ministry of Works and Housing letter dated 16th February, 1977. An implementation body has been set up under the Chairmanship of Lt. Governor of Delhi to watch the progress of regularisation and development of unauthorised colonies. Physical Survey of unauthorised colonies is being conducted by MCD/DDA. While some amenities have been provided, other works have to await the preparation of regularisation plans on the basis of physical survey.

**पुनर्वास स्थलों को छोड़कर जाने वाले परिवारों में से वापस आने वाले परिवारों की संख्या**

9482. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री लोक सभा में 6 मार्च, 1978 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वहां से जाने वाले परिवारों में से कितने परिवार उस बीच पुनर्वास स्थलों पर वापस आ गये हैं ; और

(ख) दण्डकारण्य से और लोगों के जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :** (क) दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास स्थलों/कर्मी शिविरों में अब तक 1,419 परिवार वापिस आ चुके हैं तथा अन्य पुनर्वास स्थलों/कार्यस्थल शिविरों के (जिनमें कुछ अप्रायोजित परिवार शामिल हैं) 280 परिवारों को भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दण्डकारण्य में वापिस भेज दिया गया है ।



20 LSS/78—6

(ख) वहां से और लोगों के जाने को रोकने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों और दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) स्थल छोड़कर जाने के शुरू होने के तत्काल बाद, दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों ने कुछ स्वार्थी पक्षों विशेष रूप से उदवस्तु उन्नयनशील समिति द्वारा किए गए इस गलत और स्वार्थपूर्ण प्रचार को विफल करने के लिए कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में पुनर्वास की आशा है, लोगों को वहीं रहने के लिए राजी करने के लिए अपने 4 प्रचार यूनिटों के अतिरिक्त 25 दल गठित किए हैं क्योंकि सुन्दरवन या पश्चिम बंगाल के किसी अन्य क्षेत्र में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

(ii) सुन्दरवन में पुनर्वास की कोई गुंजाइश न होने के कारण, कर्मी शिविरों में बसे लोगों और विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को दण्डकारण्य में ही रहने के लिए सलाह देने वाली 10-3-78 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा जारी की गई अपील की छपी प्रतियों पुनर्वास विभाग के पुनर्वास महानिदेशक और पश्चिम बंगाल के पुनर्वास आयुक्त द्वारा बसे लोगों में इस आश्वासन के साथ बांटी गई थी कि यदि उनकी कोई न्यायसंगत शिकायतें होंगी तो उन पर राज्य और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

(iii) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए 2 मंत्रियों, 6 विधान सभा सदस्यों और 2 गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने दण्डकारण्य परियोजना के मल्कानगिरि और उमरकोठ क्षेत्रों का 21 से 25 मार्च, 1978 तक दौरा किया था और बसे लोगों को दण्डकारण्य में ही रहने की सलाह दी थी। पहले चरण में उनके साथ उड़ीसा के पुनर्वास मंत्री भी साथ थे तथा दण्डकारण्य परियोजना का अध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक और पुनर्वास विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी भी पूरे दौरे के दौरान उनके साथ थे।

(iv) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए दो मंत्रियों और एक अधिकारी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1 अप्रैल, 1978 को भोपाल का दौरा किया था और वहां पर उसने छोड़कर जाने वालों की समस्या के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श किया था। प्रतिनिधिमंडल ने होशंगाबाद तथा डोलरिया का भी दौरा किया, जहां पर वे विस्थापित व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें वहां रहने की सलाह दी थी।

(v) इस सामान्य नीति के बावजूद कि स्थानों को छोड़कर जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को नई राहत/पुनर्वास सहायता नहीं दी जाएगी, पुनर्वास विभाग ने इन परिवारों को अपने-अपने पुनर्वास स्थलों और कर्मी शिविरों/कार्यस्थल शिविरों में जाने की अनुमति दे दी है। दण्डकारण्य में वापिस आने वाले परिवारों को उनके सम्बन्धित पुनर्वास स्थलों/कर्मी शिविरों में पहुंचने तक परियोजना प्राधिकारियों द्वारा मार्ग में भोजन तथा यात्रा सुविधाएं उपलब्ध की जाती है।

(vi) उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों से प्रवासी परिवारों को पश्चिम बंगाल में जाने से रोकने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में दण्डकारण्य के मुख्य प्रशासक भी स्थानीय प्राधिकारियों और उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से गहन सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

**Tehsil under drought-prone area programme in Rajasthan**

9483. **Shri Jagdish Prasad Mathur** : will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the Tehsils, district-wise, in Rajasthan which have been included in D.P.A.P. and the expenditure incurred on the under this scheme so far, and

(b) whether it is a fact that more than half of Sikar district in Rajasthan is desert and if so when this scheme is likely to be introduced in this district?

**The Minister of state in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) The names of the tehsils district-wise covered under the Drought Prone Areas Programme in Rajasthan are given in the attached statement. An expenditure of Rs. 2498.61 lakhs is reported to have been incurred from 1974-75 to 1977-78 (upto February 1978) under the DPAP in Rajasthan.

(b) Yes, Sir. The district of Sikar is identified as a desert. This district is not covered by the Drought Prone Areas Programme, but it is covered under the Desert Development Programme initiated in 1978-79.

**Statement**

| *District* | *Tehsil/Talukas* |
|---|---|
| 1. Bikaner | 1. Bikaner<br>2. Lunkaransar<br>3. Kolavat<br>4. Nokha |
| 2. Churu | 1. Taranagar<br>2. Rajgarh<br>3. Sardarshahar<br>4. Churu<br>5. Dungargarh<br>6. Ratangarh<br>7. Sujangarh |
| 3. Jaisalmer | 1. Jaisalmer<br>2. Pokaran |
| 4. Jodhpur | 1. Phalode<br>2. Osian<br>3. Shergarh<br>4. Jodhpur<br>5. Bilara |
| 5. Nagaur | 1. Landu<br>2. Didwana<br>3. Jayal<br>4. Nagaur<br>5. Nawa<br>6. Degana<br>7. Parbatsar<br>8. Merta |

| District | Tehsil Talukas |
|---|---|
| 6. Pali | 1. Jaitaran |
| | 2. Sojat |
| | 3. Raipur |
| | 4. Pali |
| | 5. Kharchi |
| | 6. Desuri |
| | 7. Bali |
| 7. Barm | 1. Sheo |
| | 2. Barmer |
| | 3. Pachpdra |
| | 4. Chohtan |
| | 5. Siwana |
| 8. Jalore | 1. Jalore |
| | 2. Ahore |
| | 3. Sanchora |
| | 4. Jaswantpur |
| 9. Dungaipur. | 1. Dungarpur |
| | 2. Aspur |
| | 3. Sagwara |
| 10. Banswara . | 1. Ghatol |
| | 2. Garhi |
| | 3. Banswara |
| | 4. Bagidora |
| | 5. Kushalgarh |
| 11. Udaipur | 1. Kherwara |
| | 2. Bhim |
| | 3. Deogarh |
| 12. Ajmer . | . 1. Beawar |
| 13. Jhunjhunu | . 1. Chirawa |
| | 2. Jhunjhunu |

**Temple in Nagawangarh Village**

9484. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is a 2500 years old Lord Budha Temple in Nagawangarh village of Guiya-block in Gaya District of Bihar and the huge statue there is very previous but the ancient temple has turned into ruins;

(b) whether there are ancient caves and rusts in the Chalho hill situated in the West of Nagawangarh village and no archaeological survey has been made there till date; and

(c) whether Government propose to send an archaeological survey team to carry out survey of Nagawangarh, Jaipurgarh, Chiloregarh, Bhunraha, Dubagarh, Guneri, Chalho Hill and Manda Hill of Guiya Block and if so, by what time?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :** (a), (b) & (c) Exploration to determine the actual archaeological potentialities of the sites will be undertaken in the ensuing field season. The remains at Guneri which is a centrally protected site, belong to the early medieval times.

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवा शर्तें**

9485. **श्री रामप्रसाद देशमुख :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अन्य सेवा शर्तें क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सहायक रजिस्ट्रार एवं समान पदों की सूची की जांच करने का है जो कि एक मई, 1976 को घोषित की गई थी ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई जिनके नाम वरिष्ठता सूची में थे ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) 8 अप्रैल, 1972 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित विनियमों की एक प्रति संलग्न है ।

(ख) और (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार तथा समकक्ष पदों में से 50% पद पदोन्नति द्वारा, दक्षता और योग्यता की शर्त पर, तथा 40% खुली भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । पदोन्नति कोटे के पदों पर चयन विधिवत गठित चयन समितियों की सिफारिश पर किया जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2272/78]

**Embankments on Kosi Rive**

†9486. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether two embankmcnts had been constructed on either side of Kosi River from Baraj to Jhamta in the West and Koparia in the East to save Saharsa, Purnea, Monghyr and Darbhanga districts in Bihar from the devastating floods of Kosi river under the Kosi scheme;

(b) whether as a result of not constructing embankments beyond Jhamta and Koparia, lakhs of people and the crops worth crores of rupees in Saharsa, Monghyr, Bhagalpur and Purnea districts are affected every year by floods and thousands of families there are rendered homeless;

(c) whether it is also a fact that the floods pose a danger not only to crops and life and property of the people but also to the No. 31 National Highway and the Barauni-Katihar Railway line every year; and

(d) if the answers to parts (a) to (c) above be in the affirmative ? weather Goverment propose to extend the aforesaid two embankments upto Kurshaila, where Kosi river meets Ganga River ?

**The Minister of Agriculture and irrigation**

**(Shri Surjit Singh Barnal)** (a) Yes Sir. The Western Kosi Embankment was however extended about 3 miles downstream of Jhamta.

(b) The State Government of Bihar have intimated that the areas in the districts of Saharsa, Monghyr, Bhagalpur and Purnea, downstream of Jhamta and Koparia, which were previously flood-affected, continue to be affected by high floods not only of the Kosi

but also of the Kamla and Bagmati rivers. The statistics of the extent of damages are not collected separately, but it is a fact that the damages are extensive.

(c) Flood water after spilling touches some lengths of the National Highway No. 31 and the Railway embankment, but the major danger to these are from erosion and flood of Ganga.

(d) The extension of left (eastern) and right embankments of Kosi involves complex technical and hydraulic problems. The river Kosi flows west to east beyond Koparia, and many drainage channels join the river from the North, on the right it is joined by Kamla and Bagmati, which pose difficulties in extending the Kosi embankments. However, a scheme has been drawn up by the State Government for protecting these areas from the floods of the river Kosi by means of a right bank embankment along the Bagmati beyond Badlaghat. This embankment will run along the joint course of Kosi and Bagmati rivers upto the confluence of Kosi with Ganga at Kurseela. This will provide a continuous line of embankment in continuation of the Bagmati embankment now terminating at Badlaghat. The total cost of the scheme is estimated to be Rs. 4 crores and it will provide protection to an area of about 25,000 hectares. The scheme has been submitted by the State Government to the Ganga Flood Control Commission.

**पूर्व पाकिस्तान से आये लागों को पुनः बसाने के लिये अण्डमान और निकोबार द्वीपसमह का विकास**

9487. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये द्रुत विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी अन्तर्विभागीय दल नामक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस द्वीपसमूह के विकास के संबन्ध में सभी सम्बद्ध बातों का 'फील्ड' सर्वेक्षण करने के पश्चात् 1965 में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) क्या इस दल से विशेषकर पूर्व-पाकिस्तान से आये लोगों को पुनः बसाने के लिए इस द्वीप-समूह के विकास के लिये एक समेकित योजना बनाने के लिए कहा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस दल ने इस द्वीपसमूह में चौथी और पांचवीं योजना के अन्त तक 1,75,000 पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थियों को पुनः बसाने की सिफारिश की थी ;

(घ) यदि हां, तो उन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार कब कार्यवाही करेगी ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :** (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं। प्रधान तथा अप्रधान क्षेत्रों में कुशलता सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दल ने अलग-अलग संस्कृति तथा अन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के विकास की सिफारिश की थी जिसमें विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जनशक्ति की आवश्यकता तथा बलवान लोगों को बसाने की आवश्यकता के साथ-साथ राष्ट्रीय हित में पर्याप्त अनुपात में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना भी शामिल था। वास्तव में उपनिवेशन की भूतपूर्व नीति में, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों का पुनर्वास का ही था, मुख्य परिवर्तन करने की भी सिफारिश की थी।

दल ने लगभग 5 वर्षों में जनसंख्या दुगनी करने की भी कल्पना की थी और यह विचार किया था कि 1971 के अन्त तक द्वीप लगभग 75,000 अतिरिक्त जनसंख्या को सहायता देने में योग्य हो

जाएगा अर्थात् कुल संख्या 1.5 लाख होगी और पांचवीं योजना के अन्त तक और 1.00 लाख जन-संख्या की वृद्धि की जाएगी। जिसमें प्राकृतिक वृद्धि भी शामिल है । दल ने केवल पूर्वी पाकिस्तान से आए 1,75,000 शरणार्थियों के पुनर्वास की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) और (ङ) दल की सिफारिशें का कार्यान्वियन विभिन्न बातों पर निर्भर करता है अर्थात् भूमि को उपलब्ध कराना, प्रवासियों/प्रत्यायासियों की उपलब्धता, आधारभूत सुख-सुविधाओं का विकास आदि । अब तक 4,220 हैक्टेयर भूमि का उद्धार किया जा चुका है और उस पर 1,195 परिवारों को बसाया जा चुका है जिसमें भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के 805 परिवार श्रीलंका प्रत्यावासियों के 66 परिवार, बर्मा से आए 37 परिवार और भूतपूर्व सैनिकों के 287 परिवार हैं । इसके अलावा दल की सिफारिशों की समय-समय पर समीक्षा की गई थी जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:—

(1) मार्च, 1975 के अपने निदेश में प्रधान मंत्री ने यह चाहा था कि परियोजना की संभाव्यता की सम्पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए जिसमें द्वीप में वन कटाई के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। तदनुसार, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के एक बहु-अनुशासनिक दल ने इन द्वीपों का दौरा किया था और मई, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भू-संरक्षण और क्षेत्रों के चुनाव के बारे में उन्होंने पर्याप्त उपायों की सिफारिश की थी। वन-कटाई के लिये भविष्य में भूमि उपलब्ध कराने के बारे में पहले टास्क फोर्स द्वारा विचार किया जाएगा और कृषि मंत्रालय द्वारा भूमि उपलब्ध करने के आदेश दिए जानें से पूर्व भूमि उपयोग समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

(2) आस-पास के वातावरण पर वन-कटाई के प्रभाव का अध्ययन करने के और पुनर्वास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वन-क्षेत्रों की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकृति संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इंटरनेशनल यूनियन फार कंजरवेशन आफ नेचर) के एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई थीं। विशेषज्ञ की सिफारिशें पुनर्वास विभाग अथवा बागान के लिए वन-कटाई के अधीजस्थ न के जारी रखने से सम्बन्धित है।

(3) गृह मंत्री की सलाहकार समिति ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में वातावरण और पारिस्थितिक पहलुओं की पूरी जांच किए बिना वन काटने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) मंत्री मण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने दिसम्बर, 1976 में इन द्वीपों का दौरा किया था और सिफारिश की थी कि कृषि के लिए अधिक से अधिक वन साफ करना उचित प्रवृत्ति नहीं है । उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि आस पास के वातावरण को बनाए रखना परम आवश्यक है ।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को इन द्वीपों में पुनर्वास देने की कोई गुंजाइश नहीं है । इस समय शिविरों में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों के शेष सभी परिवारों को मुख्य भूमि में बसाने के लिए, विशेषकर दण्डकारण्य में, योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं।

**दिल्ली में चावल की आवश्यकता**

9488. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उपभोक्ताओं की विभिन्न किस्मों के चावल की, किस्मवार, कुल आवश्यकता कितनी है; और

(ख) क्या यह आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके खुदरा व्यापारियों के जरिए पूरी की जाती है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)** : (क) और (ख) दिल्ली में सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की जरूरत जैसा कि दिल्ली प्रशासन से सूचित किया है, प्रति मास 4,500 मीटरी टन है। दिल्ली प्रशासन को केन्द्रीय पूल से यह मात्रा पूरी आबंटित की जाती है। उचित मूल्य की दुकानों को चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से, दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान को किए गए आबंटन के आधार पर दिया जाता है। दिल्ली प्रशासन अपने मासिक आबंटन का कुछ भाग बासमती/परमल किस्मों के चावल के रूप में लेने का इच्छुक है। क्योंकि बासमती/परमल चावल का स्टाक केन्द्रीय पूल में नहीं है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली प्रशासन को आई आर-8/बेगमी किस्म का चावल दिया जा रहा है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सप्लाई किया गया चावल उचित औसत किस्म का होता है और सरकार द्वारा निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप होता है।

### देश में समाज के समृद्ध के वर्ग लोगों के लिये 'साइट्स एण्ड सर्विसेज' योजना का कार्यान्विति

9489. **श्री रागावलू मोहनरंगम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल गन्दी बस्तियां हटाने/सुधारने के उपाय के रूप में अपितु समाज के समृद्ध वर्गों के लिये मकानों के निर्माण की योजना के रूप में भी 'साइट्स एण्ड सर्विसेज' योजना को कार्यान्वित करने की सम्भावना पर विचार किया है; और

(ख) क्या शहरी केन्द्रों में वर्तमान मकान मालिकों की क्षमता तथा उनके द्वारा लिये जा रहे अत्यधिक किराये को देखते हुए सरकार का विचार इस प्रकार के कल्पनाशील उपाय के द्वारा मध्य वर्गों के कष्टों को हल करने का है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) तथा (ख) स्थल तथा सेवा योजना अनिवार्यता आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये उद्दिष्ट है। फिलहाल, अन्य वर्गों के लोगों तक योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### NCERT Programme for development of Indian Language

†9490. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a programme has been drawn by the N.C.E.R.T. for the development of Indian Languages;

(b) whether it is a fact that during the past fifteen years programmes were undertaken only for the development of English language and Indian languages were negleted; and

(c) if so, the reasons therefor?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)**: (a) and (b) N.C.E.R.T. is not responsible for the development of Indian languages. The development of Indian languages is a programme operated directly by the Ministry of Education through the State Governments. The N.C.E.R.T.'s responsibility is to prepare

the curriculum/syllabus and also prepare textbooks and other instruction material in those languages which are taught in the school system. The N.C.E.R.T. prepares the textbooks primarily for the Central Board of Secondary Education. The N.C.E.R.T. in collaboration with the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad has been responsible for preparing text-books for English. The N.C.E.R.T. has also similarly prepared the course content and instruction material for Hindi from classes I to X. On a specific request, the NCERT also had a special project on teaching of Bengali as a second language, but this was purely a research project. As regards Regional Languages, each State Government has its own elaborate organisation for identifying the course content in the language to be taught in the schools for which syllabus and textbooks are also prepared under the auspices of the State Board of Education. In view of the above, the question of NCERT developing only English language and not working for Indian languages does not arise.

(c) Does not arise.

**Check on Political Interference in University Affairs**

†9491. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the measures being considered by Government to check political interference in the affairs of Universities; and

(b) the action likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :** (a) & (b) In March 1978, Chief Ministers of all States were requested to take the initiative in seeking the cooperation of leaders of political parties for keeping education free from politics by not allowing political activity to interfere in the affairs of educational institutions. Cooperation of the leaders of political parties at the National level is also being sought for this purpose.

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों से सम्बद्ध कनिष्ठ इंजीनियरों को सरकारी आवास का नियतन**

9492. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों से सम्बद्ध कनिष्ठ इंजीनियरों को उनके कार्यस्थान के निकट सरकारी आवास का आबंटन किया जाता है;

(ख) क्या नियुक्ति वाले नगर में अपने निजी मकानों वाले कनिष्ठ इंजीनियरों को भी उक्त सुविधा दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ इंजीनियरों की संख्या कितनी है

(घ) क्या उक्त कनिष्ठ इंजीनियरों को आपात स्थिति के दौरान बाजार दर पर किराया अदा करने से छूट दी गई थी; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) नये पूछताछ कार्यालयों में कनिष्ठ अभियन्ता सहित आवश्यक स्टाफ के लिए मकान बनाने का प्रावधान आमतौर से किया जाता है, फिर भी जहां पूछताछ कार्यालयों में निवास क्षेत्र नहीं हैं और सामान्य पूल में मकान हैं, कार्य क्षेत्र में पास वास का आबंटन उनकी उपलब्धता तथा कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य आवेदकों की तुलनात्मक अग्रता तिथि पर निर्भर करता है ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**'पूल' उर्वरक देने का मापदंड**

9493. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को 'पूल' उर्वरक देने के मामलों में क्या मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों ने कुछ उपाय सुझाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा निजी व्यापारियों को पूल उर्वरकों के पुनः आबंटन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड/शर्तें रखी हैं :—

(1) निजी व्यापारियों को पूल उर्वरक का पुनः आबंटन राज्य सरकार की इच्छा पर होगा।

(2) एमोनियम सल्फेट, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट तथा डाइ-एमोनियम फासफेट निजी व्यापारियों को पुनः आबंटन नहीं किए जाएंगे क्योंकि इनकी सप्लाई कम है।

(3) उन व्यापारियों को, जिन्हें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत किसी धांधली के लिए दोषी पाया गया है, किसी प्रकार का पूल उर्वरक पुनः आबंटित नहीं किया जाएगा।

(4) पुनः आबंटन करते समय कृषि सेवा केन्द्रों, बेरोजगार कृषि स्नातकों तथा गांवों में रह रहे अन्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाओं को उर्वरकों का पुनः आबंटन करते समय इन वर्गों के लिए कोटे में से एक निश्चित प्रतिशतता आरक्षित की जाए।

(5) ऐसे गैर-सरकारी व्यापारियों, जोकि पूल उर्वरकों का विक्रय कर रहे हैं, की आवधिक जांच तथा आकस्मिक निरीक्षण किया जाए ताकि मिलावट अथवा अधिक मूल्य पर विक्रय को रोका जा सके।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आगामी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं**

9494. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आगामी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि हेतु कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनन्तिम रूप से 620 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गयी है। पांचवीं योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस सेक्टर के लिए 258.34 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी।

**राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और अन्य संगठनों द्वारा कम लागत वाली आवास योजनाओं का प्रभाव**

9495. **श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और अन्य संगठनों द्वारा बनाई गई कम लागत वाली आवास योजनाओं का क्या ठीक प्रभाव हुआ है;

(ख) ऐसे मकानों की क्या लागत है;

(ग) प्राप्त परिणामों के आधार पर कम लागत के मकानों के विकास का कार्यक्रम क्या है;

(घ) कम कीमत के मकानों में प्रयोग के रूप में रहने के लिये निवासियों का चयन किन आधारों पर किया गया और उनसे कितना किराया लिया गया; और

(ङ) प्रयोग के रुप में रहने के क्या ठीक-ठीक परिणाम ध्यान में आये?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा बनाई गई निम्न लागत आवास डिजाइन की धारणा जिसमें स्थानीय सामग्री के प्रयोग और डिजाइन तथा निर्माण तकनीकियों में परिवर्तन के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधनों के साथ विभिन्न राज्य सरकार आवास बोर्डों आदि द्वारा अपनाई जा रही है। आवास तथा नगर विकास निगम ने विभिन्न आय वर्गों के लिए रिहायशी एककों के निर्माण की लागत पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। अधिकतम सीमा का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक आय ग्रुप की अदायगी की क्षमता के भीतर मकानों के निर्माण करने की सुविधा प्रदान की जाए। हडको द्वारा बनाया गया निम्न लागत आवास का इन सीमाओं से काफी कम लागत पर मकान उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

(ख) मकानों की लागत क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न है। तथापि निम्न लागत के मकान जो नई दिल्ली के बेर सराय में कम लागत के मकानों की प्रदर्शनी में बनाये गए थे उनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कीमत 3790 रुपये से 8620 रुपये तक थी और निम्न आय वर्ग के मकानों के लिये 10,080 रुपये से 15,000 रुपये तक थी। इस प्रदर्शनी में 3000 रुपये से कम की लागत के ग्रामीण आवास भी बनाये गए थे। आवासीय अभिकरणों द्वारा हडको की प्रदर्शन परियोजनाओं के अन्तर्गत बनाये गए मकानों की लागत सब मिलाकर 5000 रुपये के 8000 रुपये प्रति मकान के बीच है।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा सुझायी गई निम्न लागत मकानों की धारणा, तकनीकियां और डिजाइन विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, आवास बोर्डों और निर्माण अधिकरणों आदि द्वारा अपनाई जा रही है। इस बारे में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

जहां कहीं कम लागत के मकानों का निर्माण करने में कठिनाईयां पेश आ रही हों वहां हडको यथा संभव अधिक से अधिक ऋण लेने वाले अभिकरणों के लिए ऐसी प्रदर्शन परियोजनाओं में सहायता की संभावनाओं को खोज रहा है। इन प्रदर्शन परियोजनाओं के अलावा हडको नगर तथा ग्रामीण आवास के लिए प्रतिवर्ष कम लागत के मकानों की प्रतियोगिता भी कर रहा है। ये प्रतियोगिताएं अब "कार्यान्वियन अभिमुख प्रतियोगिताएं" बनाई गई हैं जहां पुरस्कार निम्न लागत पर बनाये गए पूर्ण मकानों को दिए जाते हैं। 1976 में की गई ऐसी प्रतियोगिता के फलस्वरूप 4500 से 8000 रुपये के बीच की लागत के 1400 मकानों का निर्माण हुआ।

(घ) निम्न लागत प्रदर्शन मकान सामान्यतया संबंधित आवासीय अभिकरणों द्वारा संबंधित आवासीय अधिकरणों की सामान्य पद्धति के अनुसरण द्वारा उनकी सामान्य आबंटन शर्तों पर आबंटित किए जाते हैं।

(ङ) एक प्रदर्शन परियोजना उत्तर प्रदेश आवास तथा विकास बोर्ड द्वारा आगरा में पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में कम लागत के मकानों के निर्माण पर अच्छा असर पड़ा है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश आवास तथा विकास बोर्ड और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 5000 से अधिक निम्न लागत के मकान आयोजित किए गए हैं तथा बनाये गए हैं।

**कर्नाटक में चीनी का रक्षित भंडार**

9496 **श्री के० पालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चीनी का रक्षित भंडार बनाने का निर्णय लिया है जिससे इसकी कमी के समय इसका उपयोग किया जा सके--

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या पतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) और (ख) हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने चीनी का बफर स्टाक तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें 5440 मीटरी टन लेवी चीनी का अतिरिक्त आबंटन किया जाए।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

**अनाज का उत्पादन**

9497. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

**श्री राम सेवक हजारी :**

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में देश में अनाज उत्पादन के आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1978-79 में अनाज का कितना उत्पादन होने का पुर्वानुमान है,

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने लक्ष्य से अधिक अनाज का उत्पादन किया है, और

(ग) इस बारे में किसानों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) वर्ष 1976-77 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 1115.7 लाख मीटरी टन लगाया गया था, जबकि लक्ष्य 1160 लाख मीटरी टन रखा गया था। वर्ष 1977-78 के खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्य सरकारों से अभी देय नहीं हुए हैं। बहरहाल चालू रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1977-78 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 1250 लाख मीटरी टन होने की संभावना है। वर्ष 1978-79 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पाद के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय तथा पंजाब के राज्यों ने वर्ष 1976-77 के दौरान लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया। वर्ष 1977-78 के दौरान बहुत से राज्यों की लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है।

(ग) आवर्धित कृषि उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष के दौरान बहुत से उपाय किए गए हैं। बहुत सी कृषि जिन्सों के अभिप्राप्ति और समर्थन मूल्य बढ़ा दिए गए थे। गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य विपणन मौसम 1977-78 के दौरान 5/ रुपए प्रति क्विटल तक बढ़ा दिया गया था और इसे विपणन मौसम 1978-79 के दौरान 2.50 रुपए प्रति क्विटल तक और बढ़ा दिया गया है। धान का अधिप्राप्ति मूल्य वर्ष 1977-78 के दौरान 3/- रुपए प्रति क्विटल बढ़ा दिया गया है। कृषकों को चने की खेती बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1977-78 के लिए चने के समर्थन मूल्य को अधिक से अधिक 30/- रुपए प्रति क्विटल तक बढ़ा दिया गया है। दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था और बहुत से विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों के अधिक उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर, 1977 में यूरिया का खुदरा मूल्य 100/- रु० प्रति मीटरी टन कम कर दिया गया। खरीफ 1977-78 के दौरान 68 जिलों में और रबी 1977-78 के दौरान 75 जिलों में सघन उर्वरक प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया। आभ्यन्तर क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता को आसानी से तथा बिना रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए खुदरा वितरण स्थलों के कार्य को काफी हद तक बढ़ा दिया गया। लगभग 750 लाख हैक्टार क्षेत्र में वनस्पति रक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कृषकों को तकनालौजी के संबंध में तत्काल जानकारी देने को सुनिश्चित करने के विचार से "प्रशिक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली" के अन्तर्गत एक प्रभावी तथा सुनियोजित कृषि विस्तार नीति बनाई गई है जिसे छः राज्यों में पहले ही लागू किया जा चुका है।

### आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और कालेज

9498. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में कुल कितने स्कूल और कालेज हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कालेजों और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1978-79 में आदिवासी क्षेत्रों में कितने नये कालेज और स्कूल खोले जा रहे हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क), (ख), (ग) और (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध के मूल्य में परिवर्तन

9499. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष में दिल्ली दुग्ध योजना में अपने उत्पादों के मूल्य कितनी बार बढ़ाये ;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रत्येक बार मूल्य में वृद्धि करने का औचित्य क्या था; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों की उत्पादन लागत कम करने और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क)** दिल्ली दुग्ध योजना में 31-3-1978 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के दौरान अनेक उत्पादों में से केवल दो उत्पादों अर्थात् घी तथा मक्खन के मूल्यों को केवल एक बार अर्थात् घी के मूल्यों को 3-11-77 को तथा मक्खन के मूल्य को 3-3-78 को संशोधित किया था।

(ख) घी तथा मक्खन के मूल्यों में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की गई थी :—

(1) कच्चे दूध के मूल्यों में वृद्धि, जो कि इन उत्पादों के विनिर्माण का मुख्य तत्व हैं ।

(2) वित्त बिल के फलस्वरूप उत्पाद शुल्क में वृद्धि।

(ग) कुल खर्च का लगभग 98 प्रतिशत भाग परिचालन संबन्धी खर्च है और इस पर कच्ची सामग्रियों, भडारों तथा अन्य सेवाओं से संबंधित बाजार की प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च लगभग 2 प्रतिशत बैठता है और इसमें कटौती करने की गुंजाइश सीमित है । तथापि, सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना की परिचालन क्षमता का सुधार करने की दृष्टि से हाल ही में इसकी प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन किया है । दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य-पद्धति का सुधार करने के उद्देश्य से इसे एक सांविधकक्र निगम में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ।

## गुजरात में खांडसारी एककों का बन्द होना

**9500. श्री सी० आर० महाटा :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह नोटिस मिला है कि गुजरात में खांडसारी एकक 23 अप्रैल, 1978 से बंद कर दिये जायेंगे और "कर मत दो" अभियान चलाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में व्यौरा क्या है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) और (ख) गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## Small Irrigation Schemes in Bihar

9501. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in Bihar, where there is a net work of rivers, the farmers can be benefited a great deal if irrigation facilities are provided to them under small irrigation schemes;

(b) the total number of small and big rivers in Bihar as also their length in kilometers; and

(c) whether the Central Government propose to have a survey conducted of these rivers and to implement the said schemes in collaboration with the Bihar Government and if not, the reasons therefor ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) Yes, Sir. There is a net work of streams and rivers in Bihar which can be tapped by minor scheme to provide irrigation facilities to the farmers. The ultimate potential for development of irrigation from these sources through minor projects is estimated at 19 lakh ha; against this the utilisation at the end of 1977-78 is estimated to have been of the order of 9.45 lakh ha.

(b) According to the Report of the Irrigation Commission (1972), the following rivers have been identified in estimating the water resources.

I. **North Bihar**

1. Kosi
2. Gandak
3. Kamla
4. Mahananda
5. Bagmati and Adhwara rivers

II. **South Bihar**

1. Karamnasa
2. Sone
3. Punpun
4. Kiul
5. Badua
6. Chandan
7. Berua, Bhena and Koa.

III. **Chhota Nagpur and Sarthal Parganas**

1. Gumani
2. Ajoy
3. Damodar
4. Sabarnarekha
5. South Koel
6. Sankh

In addition, there are numerous tributaries of the rivers and drainage channels in Bihar. The total length of these rivers, streams and drainage channels is not available.

(c) The primary responsibility for conducting surveys and implementing the irrigation schemes rests with the State Governments. Consistent with the availability of financial resources, the Government of Bihar is accelerating the programme of surveys and implementation of minor irrigation schemes in the State.

## पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

9502. **श्री बालक राम :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां नहर और नलकूप जैसे सिंचाई के सामान्य साधन बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना अथवा परियोजना है;

(ख) क्या पर्वतीय क्षेत्रों के लिये समग्र योजना में उठाऊ सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो शिमला जिले में ऐसी योजनाओं पर गत वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गई है और आगामी वर्ष 1978-79 के लिये कार्यवाही कार्यक्रम क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) जी हां। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए देश के चुने हुए जिलों में पर्वतीय तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में लघु कृषक विकास ऐजेंसी, सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और समेकित आदिवासी कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं ।

हिमाचल प्रदेश में, शिमला, सिरमूर और सोलन जिलों में लघु कृषक विकास ऐजेंसी का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और चम्बा, किन्नौर, लाहौल, स्पिति जिलों में समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है और लाहौल स्पिति जिले के स्पिति प्रखण्ड में मरुस्थल विकास कार्यक्रम का कार्यन्वयन किया जा रहा है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में लघु सिंचाई के अन्तर्गत उठाऊ सिंचाई योजनाएं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

(ग) वर्ष 1877-78 के दौरान, शिमला में लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना के पक्ष में 29. 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई जिसमें उठाऊ सिंचाई और कुल्ह आदि के विकास जैसी लघु सिंचाई योजनाओं को शुरू करने के लिए 8 लाख रुपए की राशि शामिल है । एजेंसी ने 20-2-78 तक लघु सिंचाई योजनाओं पर 3000/- रुपए व्यय किए हैं। एजेंसी से 1978-79 की लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना शिमला के लिए वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाने वाले प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

### गारचीरोली में बंगाली शरणार्थियों द्वारा शिविर खाली करना

9503. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में चन्द्रापुर जिले में गारचीरोली तहसील में बसाये गये 10,000 से अधिक बंगाली शरणार्थियों ने अपना सब सामान और बैल आदि बेच दिये हैं और अपने शिविर छोड़ दिये हैं ;

(ख) उन सब शरणार्थियों द्वारा अपने शिविर छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) वे सब कहां गये हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** : (क) अपनी टीन की चादरें, बैल आदि बेचने के पश्चात्, 20-4-1978 तक, 574 प्रवासी परिवारों ने अपने पुनर्वास गांवों को छोड़ दिया है ।

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल में, सुन्दरबन/अन्य क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए दिलाई गई झूठी आशाओं के कुछ स्वार्थी तत्वों के प्रचार से पथभ्रष्ट होकर ये परिवार स्वयं सुन्दरबन, पश्चिमी बंगाल, को चले गए हैं ।

### Master Plan, Delhi

9504. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1062 on 21st November, 1977 and state :

(a) whether Government have decided to amend the original Master Plan of Delhi to provide for the regularisation of all the existing unauthorised colonies in Delhi; and

(b) If so, the details of amendments made or proposed to be made?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) In the process of regularisation, change of land use, wherever necessary, will be considered with reference to the provisions of the Master Plan/Zonal Plan.

(b) The Implementation Body, which has been set up for this purpose, is yet to suggest changes to be made in land use to the Central Government.

**स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए पदोन्नति का कोटा**

9505. **श्री अधर्सिंह ठाकुर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक विभाग ने 1972 और 1973 में निर्माण और आवास मंत्रालय के उन प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दी थी जो अधिसूचित भर्ती नियमों के अन्तर्गत स्नातक कनिष्ट इजीनियरों के लिए पदोन्नति के पृथक कोटे के बारे में थे;

(ख) क्या मंत्रालय क केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर स्नातकों के लिए एक पृथक काडर बनाने के प्रस्ताव पर भी उक्त विभाग ने जून, 1973 और सितम्बर, 1974 में अपनी सहमति नहीं दी थी ।

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में तीसरी श्रेणी के इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये समुचित रोजगार और पदोन्नति के अवसरों के लिए उक्त विभाग ने क्या वैकल्पिक प्रस्ताव दिये हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) सितम्बर, 1972 में निर्माण और आवास मंत्रालय ने भाग 1 के अधीन सभी वर्गों के अस्थायी स्नातक कनिष्ठ इजीनियरों के लिये अलग कोटे के लिए भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। कार्मिक विभाग ने 1973 में इसका विरोध किया था ।

(ख) जी, नहीं । 1975 में कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कुछ दृष्टिकोणों से जिसमें वित्तीय-दृष्टिकोण भी शामिल है को ध्यान में रखते हुए कुछ आरक्षणों की बात की थी ।

(ग) कार्मिक विभाग ने पदोन्नति, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 50 प्रतिशत के पहले निर्णय के कार्यान्वयन का सुझाव दिया था जिससे सभी अपेक्षाकृत कनिष्ट व्यक्तियों को जिसमें स्नातक भी शामिल हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जा सके और इस प्रकार वे अपनी वरीयता के अनुसार अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बिना ही पदोन्नति हासिल कर सकें । समुचित रोजगार के संबंध कार्मिक विभाग को परामर्श देने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि स्नातक और गैर-स्नातक पहले ही उचित प्रकार से नियुक्त किए जा रहे हैं ।

**उड़ीसा में हरिजनों के लिए मकान**

9506. **श्री डी० अमात :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1978 में उड़ीसा के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हरिजनों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** मूलतः आवास राज्य क्षेत्र में है। केवल बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना केन्द्रीय क्षेत्र में है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को समेकित ऋण और समेकित अनुदानों के रूप में निधियां प्रदान करती है तथा इनके लिए प्राथमिकता निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है ।

**2. निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा** बनाई गई सामाजिक आवास योजना समाज के सभी सदस्यों पर उनकी जातिपांति व समुदाय को ध्यान में रखे बगैर लागू होती है । फिर भी, उड़ीसा के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में हरिजनों को निम्नलिखित आवास योजना से काफी लाभ मिलने की संभावना है :—

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए वास स्थल के प्रावधान की योजना ।

(iii) निम्न आय वर्ग आवास योजना ।

उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना आदि के अन्तर्गत अनुसुचित जाति व जनजाति के लोगों को वरीयता देने के लिए सर्वसंबंधितों को अनुदेश दिए हैं ।

3. राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता देने की योजना है ।

4. जून, 1976 में भारत के रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आवास योजनाओं जिनमें ग्रामीण आवास योजना भी शामिल है को ऋण देने के निर्देश दिए हैं। इस बात का प्रावधान किया गया है कि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उद्दिष्ट आवास योजनाओं व होस्टलों के निर्माण में प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज की दर अवकल ब्याज दर योजना के अंतर्गत निर्धारित दर अर्थात 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5. आवास तथा नगर विकास निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत एजेन्सियों को कर्जा देने की योजना चलाई है। कर्जा निम्न लागत के मकान बनाने के लिए उपलब्ध होगा। लागत 4,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । हुडको योजना की लागत का 50 प्रतिशत तक का कर्जा देगा और बकाया निर्माण एजेन्सियों को अपने साधनों से पूरा करना होगा जोकि आवंटी के अपने योगादान से नकद या अन्यथा या राज्य सरकार से सहायता अनुदान तथा अथवा कर्जे के रूप में हो सकता है।

**पीतमपुरा आवासीय योजना, दिल्ली में प्लाटों के वैकल्पिक आवंटन के लिए विकल्प**

**9507. श्री हरि शंकर महाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1975 में प्लाटों के आवंटन के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था और जो 'ड्रा' में असफल रहे थे उनसे पीतमपुरा आवासीय योजना में वैकल्पिक आबंटन के लिए अपना विकल्प देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं० एफ 1(33/77-एल०एस०बी० (आर०) दिनांक अप्रैल, 1977 द्वारा पूछा गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस बारे में अपना विकल्प दे दिया है; और

(ग) उन्हें प्लाट कब तक आवंटित हो जाने की संभावना है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) जिन लोगों ने अपना विकल्प दिया है उनकी कुल संख्या 1914 है । आवंटन जुलाई/अगस्त, 1978 तक होने की संभावना है । इसको मध्यनजर रखते हुए नाम जानना आवश्यक नहीं होगा ।

**Letting out of Government accommodation in Sarojini Nagar, New Delhi by the Allottees of Type II quarters, owning houses**

9508. **Shri Hukam Chand Kachwai : ** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government will conduct an inquiry into the matter regarding letting out of Type II Government quarters in Sarojini Nagar by some of those employees, who are living in their own houses in Delhi;

(b) whether Government have already conducted an inquiry into this matter; and

(c) the prospective planning and policy of Government in this regard and the action proposed to be taken by Government in future against such employees ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a), (b) and (c) Surprise inspections of residences selected at random in various Government colonies are conducted periodically to detect cases of unauthorised subletting. Last year six such surprise inspections were carried out in Sarojini Nagar. Apart from these inspections, enquiries are also carried out on specific complaints of alleged subletting, received in the Directorate of Estates. Allottees found guilty of unauthorised subletting are penalised in accordance with the provisions of allotment rules which include debarment from allotment or sharing for specific period.

**भारतीय जल-क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त मत्स्य नौकाओं का आयात**

9509. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

**पी० के० कोडियन :**

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित मत्स्य नौकाओं, जिनमें प्रति नौका पर 40 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत आई है में से अधिकांश नौकाएं भारतीय जल-क्षेत्र में मछली पकड़ने के उपयुक्त नहीं पाई गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मजगांव डाक्स, गार्डन रीच वर्कशाप और राजाबागान डाकयार्ड जैसे हमारे सरकारी क्षेत्र के संगठन बेहतर और उपयुक्त मत्स्य नौकाएं बनाने की स्थिति में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आयात के क्या कारण हैं और क्या इस कदाचार के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है !

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी नहीं । भारतीय जल क्षेत्र मछली पकड़ने के आयातित ट्रालरों की अनुपयुक्तता के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : तट के साथ-साथ 200 मील को पूर्णतया आर्थिक क्षेत्र घोषित करने के परिणामस्वरूप सरकार ने मार्च 31, 1977 तक 140 गहरे समुद्र पोतों को प्रयोग में लाने का निर्णय किया था ताकि उस तारीख तक 200 पोतों का बेड़ा उपलब्ध हो सके। इन अतिरिक्त पोतों में से हमारी इच्छा 1977-78 में 100 पोतों को प्रयोग में लाने की थी । देशी उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए भारतीय शिपयार्डों की क्षमता के बारे में उद्योग मंत्रालय से सलाह की गई थी । आरम्भ में उद्योग मंत्रालय ने 1977-78 में संयुक्त निर्माण क्षमता 57 ट्रालरों की बताई । बहरहाल, कुछ विचार-विमर्श के बाद वे इस बात से सहमत हुए कि 1977-78 में भारत में निर्मित किये जाने वाले पोतों का वास्तविक अनुमान 40 हो सकता है। उस मंत्रालय ने यह भी माना कि 1977-78 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 60 पोतों

का आयात किया जा सकता है । तद्नुसार बकाया मामलों में व्यवस्था करने के बाद इस अन्तर को पूरा करने के लिए ट्रालरों के आयात को प्राधिकृत किया गया । अन्तर्सचिवालयीय समिति की सिफारिशों पर पोतों के आयात को प्राधिकृत कर दिया गया था । इस समिति में आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग विभाग, उद्योग विकास, वाणिज्य मंत्रालय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय और कृषि विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे और इसने प्रत्येक मामले की जांच की थी ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कदाचार अथवा उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

### Assistance to Cyclone affected States

9510. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of assistance provided by Central Government and other Statess, separately in connection with the severe loss caused by cyclone on 19th November, 1977 in Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala and Laccadive Island.

(b) whether many high and multistoreyed residential buildings with roofs are a gain being constructed by Government in place of the fallen buildings near Sea shore so that at the time of cyclones coming there again people may protect their lives and essential articles; and

(c) if so, the expenditure being incurred by Government thereon ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt

### Applications received from U.P. for Constructing Warehouses

9511. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the total number of applications received from Uttar Pradesh during the month of March last for constructing 20,000 metric tonne warehouses under the Central Scheme of the Food Corporation of India and the main conditions governing their approval ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : Food Corporation of India has planned to get constructed 2 lakh tonnes storage capacity (and not 20,000 tonnes) in Uttar Pradesh through private parties under the scheme of hiring on guarantee basis. The total number of applications received during the month of March 1978 was 351. Main conditions for approval will be location of sites near about rail heads and/or existing Corporation Depots and/or grain markets, provision of approach road, protection against flooding, etc. provided they are otherwise suitable.

### अपर प्रवारा सिंचाई परियोजना

9512. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बराबर सुखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की जनता ने उनको तथा प्रधान मंत्री को अपर प्रवारा सिंचाई परियोजना के बारे में कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) अपर परावरा सिंचाई परियोजना के कमान-क्षेत्र के किसानों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट में बताए गए महलादेवी बांध स्थल में परिवर्तन न किया जाए।

(ख) सिंचाई राज्य-विषय है इसलिए इस मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने सूचित किया है कि महला देवी में परियोजना के निर्माण का इस आधार पर काफी विरोध होने के कारण कि इससे 1571 हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें लगभग 324 हैक्टैयर उपजाऊ सिंचित भूमि है और 6 गांव प्रभावित होंगे और लगभग 4700 व्यक्ति विस्थापित होंगे, राज्य सरकार ने बांध का निर्माण नीलवाडे में बनाने का निश्चय किया है, जहां पर केवल 1002 हैक्टैयर भूमि जलमग्न होगी, दो गांव प्रभावित होंगे और केवल लगभग 1200 व्यक्ति विस्थापित होंगे ।

## दिल्ली के स्कूलों में वेतन न पा सकने वाले प्रिंसिपल

9513. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के 100 से भी अधिक प्रिंसिपलों को मार्च का वेतन नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में विवरण क्या है; और

(ग) बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)** : (क), (ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकीय स्केलों के 79 प्रिंसिपलों को मार्च 1978 से उनका वेतन नहीं दिया गया है। इन प्रिंसिपलों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित किए जाने तक, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को जारी रखने के लिए आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। तथापि आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने तक सम्बन्धित प्रिंसिपलों को अस्थायी आधार पर वेतन का भुगतान प्राधिकृत करने के लिए प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

## दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल

9514. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज** कल्याण **और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा गरेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी अध्यापकों को स्थायी करने के बारे में विश्वविद्यालय के अपने आश्वासनों को पूरा न करने के विरोध में वाइस चांसलर के कार्यालय के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने 11 अप्रैल को भूख-हड़ताल की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है और समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय किया है कि उन अस्थायी अध्यापकों की नियुक्तियां जो उन पदों पर (1) जो स्थायी

के रूप में विज्ञापन किए गए थे, (ii) जो अस्थायी के रूप में विज्ञापित किये गए थे, किन्तु उनके जारी रहने की संभावना थी, और (iii) जिनके स्वरूप का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था, नियुक्त किए गए थे, उनको मूल आधार पर नियमित किया जाना चाहिए।

उन अध्यापकों के मामले में, जो उन पदों पर नियुक्त किये गये थे, जो अस्थायी के रूप में विज्ञापित किए गए, कार्यकारी परिषद ने निर्णय किया है कि इस समस्या पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक इन अध्यापकों का कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष तक बढ़ा दिया जाना चाहिए और एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि वाली अवकाश रिक्तियों में की गई नियुक्ति के अलग-अलग मामलों का अवधि पूरी होने के समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

**शाहदरा, दिल्ली में नाले का चौड़ा किया जाना**

9915. **श्री राम विलास पासवान :**
**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

**क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि शाहदरा में जी०टी० रोड से स्वर्ण टाकीज के पास जो चौड़ा नाला खोदा जा रहा है वह विश्वास नगर (शाहदरा) के ब्लाक 31 तक 80 फुट चौड़ा है और उसके तुरन्त बाद उसकी चौड़ाई 139 फुट हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप विश्वास नगर ब्लाक 31 के 15 मकान इससे अंशतः प्रभावित होंगे और इस क्षेत्र के लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहां सड़क तोड़ी फोड़ी जाएगी।

(ख) क्या सरकार को वहां के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है और क्या खुदाई कार्य को बन्द करने और जनहित में नाले को केवल 80 फुट चौड़ा रखने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है,

(ग) यदि हां, तो की गई कायवाही का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो एक बहुत पुरानी बस्ती के सामने इस नाले को इतना अधिक चौड़ा रखने के क्या कारण है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री **(श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) शाहदरा ड्रेनेज स्कीम के मुख्य नाला नं० 1 की सीधाई शाहदरा में स्वर्ण टाकीज के पास से गुजर रही है। यह नाला पक्का नाला बनाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए लगभग 130 फुट चौड़ी जमीन की आवश्यकता होगी । इस नाले को बनाने के लिए इस चौड़ाई की भूमि के अर्जन के लिए भूमि अर्जन प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसी बीच लगभग 75 फुट जमीन जो लोक निर्माण विभाग के पास सड़क बनाने के लिए उपलब्ध थी, उसे नाला बनाने के लिए सौंप दिया गया है जब तक कि नाले के लिए पूर्ण भूमि उपलब्ध नहीं हो जाती। इस प्रयोजन के लिए 75 फुट की चौड़ाई पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा विश्वास नगर नाला के नीचे के भाग में नाले के लिए पूरी चौड़ाई की जमीन अर्जित कर ली है तथा उसका दखल दे दिया गया है। विश्वास नगर नाले के नीचे पूरी चौड़ाई पर कार्य हो रहा है ।

(ख), (ग) तथा (घ) मुख्य इंजीनियर (आई० एण्ड एफ०) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि इस क्षेत्र के लोगों से इस नाले की चौड़ाई 75 फुट तक ही रखने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन्होंने उस जमीन पर खुदाई के कार्य को नहीं किया है, जो उनके अधिकार में नहीं है।

**महाराष्ट्र में चावल का उत्पादन**

9516. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन **वर्षों** में, विशेषतया वर्ष 1977-78 में महाराष्ट्र में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** भारत सरकार (1) चावल के मिनकिटों (2) चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना और (3) विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों के प्रशिक्षण के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वियन द्वारा महाराष्ट्र में चावल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है।

चावल की मिनिकिट योगना का मुख्य उद्देश्य नवीनतम निर्मुक्त तथा निर्मुक्त-पूर्व किस्मों को लोकप्रिय बनाना और नयी अभिज्ञात विशिष्ट प्रकार की किस्मों के सम्बन्ध में उनकी अधिक बड़े क्षेत्र में खेती करने के लिए सिफारिश करने से पहले कृषकों की प्रक्रिया जानना है। इस योजना के अन्तर्गत 2-2 किलोग्राम बीज वाले समान परिपक्वता के दो अथवा अधिक किस्मों के किट भाग लेने वाले कृषकों को वितरण के लिए मुफ्त सप्लाई किए जाते हैं। महाराष्ट्र में, वर्ष 1975-76 में 4950 ऐसे किटों का वितरण किया गया था; 1976-77 में 4675 किटों का और 1977-78 में 6575 किटों का वितरण किया गया ।

चावल की फसल को समय पर बोने में सहायता देने के लिए चावल की सामुदायिकी नर्सरियों की स्थापना की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना महाराष्ट्र राज्य में 48,000 रुपये के आबंटन से 1976-77 में लागू की गयी। इस योजना के अंतर्गत चावल की नर्सरियाँ सरकारी फार्मों तथा कृषकों के नलकूपों स्थलों पर स्थापित की गई हैं जिनको पौध को उगाने के लिए न केवल उनके अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि पड़ोसी क्षेत्र के कृषकों को, जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, रियायती दरों पर बेचने के लिए भी 1000 रुपये प्रति हैक्टर की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान इस राज्य को 1.00 लाख रुपये की धन राशि आबंटित की गई थी।

कृषकों को चावल उत्पादन के सम्बन्ध में नवीनतम उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में, जिसमें महाराष्ट्र भी शमिल है, बुआई मौसम के आरम्भ होने से पहले विस्तार कार्यकर्ताओं तथा कृषकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सिफारिश की गई पैकेज पद्धतियां स्पष्ट की जाती हैं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है ताकि कृषक उन्हें पूरी तरह से समझकर अपना सकें। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1976-77 में दो ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का और वर्ष 1977-78 में एक का आयोजन किया गया।

**दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चयन-समिति**

9517. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों के गठन हेतु सामान्य नियमों को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस वर्ष के शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने से पहले नये सामान्य नियम लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक हो, तो उक्त नियम कब तक तैयार कर लिए जायेंगे ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का गठन विश्वविद्यालयों की अपनी-अपनी संविधियों में निर्धारित है। इन संविधियों में संशोधन कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से केवल विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

### मछली उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

9518. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली और मछली उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन्होंने इस व्यापार का विस्तार करने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

1. ब्रिटेनियां बिस्कुट कम्पनी लि०
2. कैडबरी इण्डिया लि०
3. कोलगेट पाल्मोलिव (इण्डिया) प्रा० लि०
4. ब्रुक बाण्ड इण्डिया लि०
5. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०

(ख) जी हां, मैसर्स कालगेट पाल्मोलिव (इण्डिया) लि० के अतिरिक्त।

(ग) मैसर्स ब्रिटेनियां बिस्कुट कम्पनी तथा यूनियन कार्बाइड की अधिक जलपोतों को भाड़े/अधिग्रहण के लिए तथा आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार मैसर्स ब्रुक बॉण्ड इण्डिया लि० के मत्स्यन पोतों के आयात की प्रार्थना पर भी विचार किया जा रहा है। मैसर्स कैडबरी इण्डिया लि० के अपने आशय-पत्र की वैधता बढ़ाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार नहीं किया गया है।

### नशाबन्दी लागू किये जाने के कारण दिल्ली में क्लबों में बेरोजगारी

9519. **श्री माधवराव सिन्धिया :**

**श्री सूर्य नारायण सिंह :**

क्या **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक अप्रैल, 1978 से क्लबों में नशाबन्दी लागू किये जाने के कारण दिल्ली के अधिकांश रजिस्टर्ड क्लबों को अपने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के लिये विवश होना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों का रोजगार जाता रहेगा उनकी संख्या के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को रोजबार देने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :** (क) दिल्ली की क्लब बारों में केवल शराब पिलाने के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार लगभग 160 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) और (घ) कोई गारंटी नहीं दी जा सकती परन्तु दिल्ली प्रशासन उनकी सहायता करने की चेष्टा करेगा।

**Alleged Punishment for speaking in Hindi**

9520. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether inflicting of punishment particularly physical punishment is justified to any child on his speaking Hindi;

(b) if not, whether Government's attention has been drawn so far to the news item appearing on page 3 of 'Saptahik Hindustan' (from 5 to 11 March) under the caption "Jahan Hindi Bolne par Saza Milti hai", (where punishment is inflicted on speaking Hindi);

(c) if so, the action taken by Government so far in this regard; and

(d) whether Government will issue general directive declaring this practice as anti-national ?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) :** (a) to (d) The school referred to in the newspaper report is located in Bihar and the subject matter is, therefore, the concern of the State Government.

**देश में मानसिक विकृति से ग्रस्त बच्चे**

9521. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश में इस समय 2 करोड़ बच्चे मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं और यदि हां, उनकी डाक्टरी इलाज सम्बन्धी योजना क्या है ;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 6-4-1978 के दैनिक नवभारत टाइम्स में "मानसिक विकृति से ग्रस्त 12 हजार बच्चे उपेक्षा के शिकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मानसिक विकृति से ग्रस्त बच्चों के लिए बहुत कम संस्थाएं हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन)** : (क) इस देश में मानसिक रूप से विकसित बच्चों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। प्रमुख हस्पतालों के बाल चिकित्सा विभागों तथा मानसिक हस्पतालों में इलाज की व्यवस्था है।

(ख) जी हां।

(ग) इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस देश में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए 83 स्कूल और अन्य संस्थाएं हैं। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयत्न धीमे हैं। भारत सरकार ने अलबत्ता एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों, जिनमें मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी शामिल हैं, की शिक्षा और पुनर्वास के लिए सुविधाओं के विकास हेतु स्वयंसेवी एजेंसियों को उदार वित्तीय सहायता दी जाती है।

**एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कालेज, हैदराबाद में कथित भ्रष्टाचार**

9522. **डा० रामजी सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कालेज, ऑफ इंडिया, हैदराबाद में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पीने के लिए शराब दिए जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त संस्था को कोई अनुदान विशेषकर भवन निर्माण के लिए अनुदान दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और सभी लेखों की लेखा-परीक्षा करा ली है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** :(क) जी हां।

(ख) इन शिकायतों के प्राप्त होने के तुरन्त बाद भारत सरकार ने कालेज से, उनके परिसर में शराब-घर बंद करने का अनुरोध किया। कालेज ने सूचित किया है कि शराब-घर 1 अप्रैल, 1978 से बंद कर दिया गया है। प्रबंधकों के विरुद्ध अन्य शिकायतें कालेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के ध्यान में उपयुक्त कार्रवाई हेतु ला दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार ने कालेज को 26.18 लाख रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में तथा 13.25 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। इसमें से ऋण की संपूर्ण राशि तथा सहायक अनुदान की 20 लाख रुपये की राशि भवन निर्माण के लिए थी।

(घ) 1976-77 के अंत तक दिए गए अनुदानों के परीक्षित लेखे प्राप्त हो गए हैं। 1975-76 के अंत तक दिए गए अनुदानों के संबंध में कालेज ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

**Annual Requirement of Fertiliser of Eastern Region**

9523. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 5575 on the 1st August, 1977 regarding State-wise requirement of fertiliser and state :

(a) the requirement of fertilizers of the States of eastern region;

(b) the State-wise ratio in respect of annual fertiliser requirement of the Eastern region of the country comprising Bihar, Bengal, Orissa, Assam States; and

(c) the details of capacity to meet the requirement thereof ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) The gross requirements of fertilisers of the States of the Eastern Region during 1977-78 was as under :—

| N | P | K | Total |
|---|---|---|---|
| 4,13,441 | 89,195 | 78,198 | 5,80,834 |

(b) The gross requirements of fertilizers of Bihar, West Bengal, Oriss and Assam and their ratio to the total gross requirements of the Eastern Region and the country during 1977-78 is given below :—

(In tonnes)

| S. No. | Name of State | Gross Requirement | | | | Ratio to the total requirement of the Eastern Region | Ratio to tht total requirement of the country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | P | K | Total | | |
| 1. | Bihar . . | 185,283 | 30,108 | 16,000 | 231,391 | 39.8% | 5.4% |
| 2. | West Bengal | 118,242 | 34,210 | 35,810 | 188,262 | 32.4% | 4.4% |
| 3. | Orissa | 64,752 | 18,457 | 10,265 | 93,474 | 16.1% | 2.2 % |
| 4. | Assam. . . | 5,500 | 1,676 | 1,800 | 8,976 | 1.5% | 0.2% |

(c) The total requirements of fertilisers of the States are met from domestic production to the extent it is available and by imports to cover the gap, if any.

**Request from Bihar to take over flood control work**

9524. **Shri Upendra Jha Suman** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the loss suffered in Bihar as a result of floods during the four years from 1973-74 to 1976-77 has exceeded an amount of Rs. 700 crores;

(b) whether Bihar Government had made a request to Central Government to take over the flood control work; and

(c) if so, the reaction of Government of India thereto ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) According to the reports received from the Government of Bihar the damage due to flood in the State during the years 1973, 1974, 1975, 1976 and 1977 is as follows :

(Rs. in crores)

| | |
|---|---|
| 1973 | 20.06 |
| 1974 | 381.84 |
| 1975 | 265.76 |
| 1976 | 206.00 |
| 1977 | 12.21 |
| Total | 885.87 |

(b) & (c) The State Government have been requesting the Government of India from time to time to provide financial assistance towards flood control schemes in the State. Under the constitution flood control forms part of the State sector and as such initiation, planning and execution of flood control schemes including provision of funds therefor, forms the responsibility of the State Government.

**Panchayat Elections**

9525. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the State Government are prepared to hold Panchayat elections and if so, the reasons for not holding elections for Pradhan and Zila Parishads in Rajasthan so far under Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad Act;

(b) whether Ashok Mehta Committee is going into the question of Panchayat elections and if so, the purpose of this committee; and

(c) when this committee is likely to submit its report to the Government and the details in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

**Audit report on Rajasthan Apex Cooperative Bank**

9526. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the audit report 1975-76 of the Rajasthan Apex Cooperative Bank has been changed completely by higher officers of the Bank;

(b) whether his attention has been drawn to the news item published in the "Rajasthan Patrika" dated the 7th April, 1978;

(c) if so, whether the Ministry propose to conduct necessary inquiry into the allegations made in the matter in the Rajasthan Legislative Assembly; and

(d) whether it is proposed to take action against the concerned officers under the rules, if allegations are proved and the details in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh)** : (a), (b), (c) & (d) The Audit Report of the Rajasthan Stat e Cooperative Bank Ltd., Jaipur had not been changed completely. However, certain objections raised in the draft audit report were amended after discussing the report with the bank authorities. The earlier Audit Report had not been discussed before releasing it to the concerned authorities. In response to the news item published in daily newspaper namely "Rajasthan Patrika" dated the 7-4-1978, the Minister for Cooperation, Government of Rajasthan has already assured the State Assembly that he is studying the relevant files and audit report and that if any irregularity is found, appropriate action would be taken. This is a matter which is essentially within the jurisdiction of the State Government.

**Hindi Advisory Committee**

9527. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a Hindi Advisory Committee has been constituted in the Ministry; and

(b) if so, the names of the members thereof and the number and names of the members among them who have been included in the committee on the recommendation of the Official Languages Department ?

**The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) A Hindi Advisory Committee in the Ministry of Agriculture and Irrigation is being re-constituted. Nomination of a Member of Parliament is awaited and further action will be taken after this is done.

(b) Does not arise.

**दिल्ली के स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों के पीरियड**

9528. **श्री नाथू सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन सप्ताह में कितने पीरियड व्यायाम शिक्षकों के लिए नियत किए जाते हैं ; और

(ख) कितने स्कूलों में ये पीरियड व्यायाम शिक्षकों के लिए नियत किये गए हैं और कितने स्कूलों में कम पीरियड नियत किये गये हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) सामान्यतया प्रति सप्ताह तीन पीरियड।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन 859 राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल हैं। 683 स्कूलों में प्रति सप्ताह तीन पीरियड आबंटित किये जाते हैं, किन्तु शेष 176 स्कूलों में प्रति सप्ताह केवल 2 पीरियड आबंटित किये जाते हैं।

**Area under Soyabean, Sunflower and Rayada in Gujarat**

9529. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the approximate acreage of land in Gujarat in which crops of Soyabean, Sunflower and Rayada were sown during the last two years of 1976-77 and 1977-78;

(b) whether there is any scheme of the Central Government for providing any assistance to State Government of Gujarat or to the farmers to bring larger area of land under Soyabean, Sunflower and Rayada cultivation with a view to increase their production in Gujarat and if so, the details thereof and if not, by what time such a scheme would be implemented and the details of the scheme ; and

(c) the area of land in Gujarat in which crops of Soyabean, Sunflower and Rayada are proposed to be sown in 1978-79 ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) The approximate area of land in Gujarat in which crops of Soyabean, Sunflower and Rayada (Rape-Mustard) were sown during 1976-77 and 1977-78, is indicated below :—

(Hectares)

| Crop | Area sown during | |
|---|---|---|
| | 1976-77 | 1977-78 |
| Soyabean | Nil | Nil |
| Sunflower | 313 | Nil |
| Rayada | 77,000 | Nil |

*Estimates of area are likely to become available after the close of the agricultural year, i.e., sometime in July-August, 1978.

(b) A Centrally Sponsored Scheme for Soyabean Development was in operation in Gujarat from 1971-72 to 1975-76 but it was discontinued from 1976-77 as no suitable variety was available for inter-cropping in cotton which was the major means of increasing the area under soyabean in the State. Similarly, a Centrally Sponsored Scheme for Sunflower Development was in operation in the State from 1973-74 to 1976-77,' The scheme was, however, discontinued from 1977-78 because of non-realisation of economic yields. There is no Centrally Sponsored Scheme for Rayada in operation in Gujarat nor there is any such proposal under consideration, at present.

(c) There is no proposal to develop the area under Soyabean and Sunflower in Gujarat during 1978-79. Insofar as Rayada is concerned, it is proposed to increase the area under the crop in the State to approximately 1.00 lakh hectares during 1978-79. ,

**Fund to Gujarat for Education Scheme during Fifth Plan Period**

9530. **Shri Dharmasingbhai Patel** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the break-up of funds provided to Gujarat during the Fifth Five Year Plan for various education schemes;

(b) whether the entire funds have been utilized and if not the amount spent, item-wise;

(c) the details of funds not uiilised and the items of work for which they were allocated; and

(d) the reasons for non-utilisation of funds ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)** : (a), (b), (c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Financial Assistance to Libraries**

†9531. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government of India provide financial assistance to the libraries in various parts of the country and also supply them books through Raja Ram Mohan Roy Library;

(b) if so, the number of libraries in Gujarat which were given such assistance during 1976-77 and 1977-78 indicating the amount thereof given in each case and the value of books together with number thereof given through the aforesaid institution and the number of these books to be given in 1978-79 for this purpose; and

(c) the criteria for giving financial assistance and supplying books to the Libraries ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)** : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The libraries which are registered as Societies and are in existence for more than three years and are catering to a population of 50,000 people or more are eligible for financial assistance under the Government of India Scheme of Assistance to Voluntary Educational Organisations for conducting public libraries/manuscript libraries. The Raja Rammohan Roy Library Foundation mainly gives book assistance to public libraries at different levels on the basis of recommendations of the State Library Planning Committees of the respective States and Union Territories and also in some cases on the recommendation of the Administrative Committee of the Foundation. The Foundation also gives Financial assistance to well established libraries of 25 years standing and above for the purpose of processing, binding and preservation of rare books and manuscripts.

**उत्तर दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों और कार्यालय की इमारतों का निर्माण**

9532. **श्री दुर्गाचन्द : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य और दक्षिण दिल्ली में स्थान की अत्यधिक कमी को देखते हुए उत्तर दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की इमारतों और सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उत्तर दिल्ली के क्षेत्र का विकास करने संबंधी प्रस्ताव क्या है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) तथा (ख) सामान्य पूल के लिए सिविल लाइन क्षेत्र में प्रकाशन नियंत्रक के लिए एक कार्यालय ब्लाक तथा तिमारपुर में टाइप-II के 240 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है। चालू वर्ष के दौरान तिमारपुर में 380 और क्वार्टरों का निर्माण कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है। उत्तर दिल्ली में सामान्य पूल में कार्यालय भवनों तथा क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में एक कमरे के मकानों के मालिकों को प्लाटों का आबंटन**

9533. **श्री मदन तिवारी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में एक कमरे के मकानों के आबंटियों के स्थायी पट्टे के हित स्वामित्व अधिकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) क्या स्थायी निपटारे के उपाय के रूप में इन मकानों के मालिकों को वर्ष 1970 में पर्चियों के एक ड्रा के माध्यम से औटरम/हडसन लाइन्स तथा मुखर्जी नगर में 160 वर्ग गज के प्लाट आबंटित कर दिये गये थे ; यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्लाट आबंटित किये गये थे ;

(ग) क्या मुखर्जी नगर में अपने प्लाटों पर निर्माण करने वाले लोगों को औटरमह/डसन लाइन्स स्थित अपने एक कमरे के मकान खाली करने को नहीं कहा गया है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या औटरम लाइन्स और हडसन लाइन्स में प्लाटों के आबंटियों को उक्त बस्ती में अनधिकृत निर्माण होने के कारण, प्लाट आबंटित नहीं किये गये हैं ; यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** : (क) किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में एक कमरे के मकानों के आबंटियों को 99 वर्ष के लिए नामीय पट्टे के आधार पर हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**आदिवासियों द्वारा वन उत्पादों की बिक्री**

9534. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में आदिवासी बहुराष्ट्रीय निगमों को बेचने के लिए वन उत्पाद एकत्र करते हैं ;

(ख) उत्पादों के लिये सरकार ने क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं ; और

(ग) इस योजना से आदिवासियों को कितना लाभ हुआ है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) से (ग) उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**स्थानान्तरणशील खेती करने के कारण प्रभावित वन क्षेत्र**

9535. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थानान्तरणशील खेती के कारण प्रभावित हुए वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुल कितने आदिवासी परिवार इसे प्रभावित हुए तथा कितने आदिवासियों को भूमि दी गई है ; और

(ग) इसके लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि दी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क), (ख) तथा (ग) क्षेत्र की सीमा और प्रभावित हुए परिवार, खेती के लिये दी गई भूमि तथा राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि के सम्बन्ध में उपलब्ध राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है। तमिल नाडु, केरल और मध्य प्रदेश से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

**विवरण**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रभावित क्षेत्र (हेक्टार) | प्रभावित हुए परिवारों की संख्या | उन परिवारों की संख्या, जिन्हें भूमि दी गई | | | प्रदान की गई धनराशि (लाख रुपयों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य योजना | केन्द्रीय क्षेत्र (1977–78)‡ | एन० ई० सी० योजना | राज्य योजना | केन्द्रीय क्षेत्र (1977–78) | एन० ई० सी० योजना |
| अरुणाचल प्रदेश . . | 248,580† | 75,244 | 18,000* | 100 | 1100 | 115.00 | 3.355 | 115.30 |
| आन्ध्र प्रदेश . . | 25,000 | कोई अनुमान उपलब्ध नहीं। | 3-4 लाख श्रम-दिनों के लिये रोजगार। | 50 | उ०न० | 10–12 वार्षिक | 3.43 | उ० न० |
| असम | 498,300† | 58,000† | जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। | 200 | कोई परिवार नहीं। | जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। | 10.98 | 58.57 |
| मणिपुर . | 183,000 | 50,000† | उ० न० | — | 450 | उ० न० | — | 74.70 |
| मेघालय . | 400,000 | 70,000 | 2,382 | 60 | 940 | 300.63 | 5.35 | 85.55 |
| मिज़ोरम . | 500,000 | 40,000 | 5,421 | 100 | 1150 | 44.9 | 4.033 | 121.83 |
| नागालैण्ड . | 608,000† | 80,000† | जानकारी प्राप्त नही हुई है। | 100 | 600 | जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। | 2.40 | 15.00 |
| उड़ीसा . . | 127,700 | 200,000 | उ० न० | 300 | उ० न० | उ० न० | 5.21 | उ० न० |
| त्रिपुरा . . . | 220,790 | 43,000 | उ० न० | — | 600 | उ० न० | — | 60.00 |

उ० न० जानकारी उपलब्ध नहीं है।

† राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट से लिये गए आंकड़े (भाग 9-वानिकी)

* ये आंकड़े तीसरी, चौथी और पांचवीं योजनाओं के सम्बन्ध में हैं।

‡ बसाया जा रहा है।

टिप्पणी :—वर्ष 1978-79 के लिये त्रिपुरा के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये प्रदान की गई धनराशि का एक तिहाई भाग का उपयोग झूम खेती के लिये किया जायेगा। उड़ीसा आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत यह राशि लगभग 300 लाख रुपए और विशेष केन्द्रीय सहायता से लगभग 160 लाख रुपये है। त्रिपुरा में लगभग 1.5 करोड़ रुपये राज्य योजना और 70 लाख रुपए विशेष केन्द्रीय सहायता से पूरे किये जायेंगे।

**वनों पर आधारित आदिवासियों का विकास**

9536. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वनों पर आधारित आदिवासियों के विकास का अध्ययन करने के लिय भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों (1971--73) से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने ये सभी सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली है;

(ग) अभी तक जिन राज्यों ने सिफारिशें लागू की हैं, उनके नाम क्या है, और

(घ) इन सिफारिशों पर उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यावाही की है ।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी हां ।

(ख) से (घ) तक : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**राज्यों में आदिवासी विकास एजेंसी जारी रखा जाना**

9537. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में शुरु की गई आदिवासी विकास एजेंसियों के छठी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने छठी पंचवर्षीय योजना में चालू रखने के लिए आदिवासी विकास एजेंसियों के लिए योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

(ग) छठी योजना के दौरान, आदिवासी विकास से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाओं जिनके लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय नाडल मंत्रालय है, को गृह मंत्रालय द्वारा संचालित आदिवासी उप-योजना के साथ जोड़ा जाएगा।

**अण्डमान में धान की फसल का कीटग्रस्त होना**

9538. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान जिले के अनेक गांवों में, जैसे किशौरी नगर, काली-घाट, दुर्गापुर, बादामनाला, बिल्ली ग्राउन्ड से कदमतला तक फैरारगंज तहसील के गांवों में कीट-ग्रस्त होने के कारण फसल खराब हो गई है और ग्रामवासी भुखमरी की स्थिति में आ चुके हैं ;

(ख) क्या उक्त मामले को मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति में उठाया गया था और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) भूमि पट्टेदारी विनियम के अनुसार कितने मामलों में भू-राजस्व से छूट दी गई और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मायाबन्दर, डिगलीपुर और रणघाट में पानी की सप्लाई**

9539. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मायाबन्दर, डिगलीपुर और रणघाट में कुल कितने पानी के नलके लगे हैं और उनपर कुल कितनी राशि खर्च हुई है;

(ख) इन क्षेत्रों में कुल कितने गैर सरकारी कनेक्शन हैं और सरकारी क्वार्टरों में लगे कनेक्शन कितने हैं; और

(ग) क्या सरकार पानी के कनेक्शन देने में जनता को कनेक्शन देने की तुलना में सरकारी क्वार्टरों को प्राथमिकता देती है और यदि हां, तो क्यों ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क), (ख) तथा (ग) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों और इलैक्ट्रीकल सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नतियां**

9540. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के कुल कितने पदों को पृथक पृथक 1978 में होने वाली विभागीय परीक्षा के द्वारा तथा 1978 में पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में तदर्थ आधार पर कितनी सिविल और इलेक्ट्रिकल सहायक इंजीनियर कार्य कर रहे हैं तथा वरिष्ठतम सहायक इंजीनियर की तदर्थ पदोन्नति की अन्तिम तिथि क्या है; पृथक पृथक बनाया जाए;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पदों के बारे में भर्ती के नवीनतम नियम क्या है;

(घ) दिनांक एक अप्रैल, 1978 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के कुल कितने पद रिक्त थे, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बारे में पृथक पृथक बताया जाए, और

(ङ) वर्ष 1978-79 के नये पदों सहित सिविल और इलेक्ट्रिकल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के कुल कितने पद रिक्त होंगे, विस्तार में बताया जाए ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) दिसम्बर, 1978 तक बढ़ायी जाने वाली रिक्तियों के लेखे और नियमित सहायक इंजीनियरों के प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर,

सहायक इंजीनियरों (सिविल) की 250 रिक्तियों और सहायक इंजिनियरों (विद्युत) की 73 रिक्तियों को 1978 में होने वाली निर्धारित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। सहायक इंजीनियरों (सिविल) (सिविल) के 150 पदों की पहले ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के नियमित आधार पर भरा गया है। सहायक इंजीनियरों (सिविल) के 100 अन्य पदों और सहायक इंजीनियरों (विद्युत) के 73 पदों को विभागीय पतोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) भाग-(क) में बताई गई रिक्तियों में से इस समय 262 सहायक इंजीनियर (सिविल) और 136 सहायक इंजिनियर (विद्युत) तदर्थ आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भाग-(क) उत्तर में बताए गए 150 तदर्थ सहायक इंजीनियरों (सिविल) का पहले ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित चयन किया जा चुका है । तदर्थ आधार पर वरिष्ठतम सहायक इंजीनियर (सिविल) की नियुक्ति की तारीख 30 जुलाई, 1973 है। इसी प्रकार तदर्थ आधार पर वरिष्ठतम सहायक इंजीनियर (विद्युत) की नियुक्ति की तारीख 21 फरवरी, 1973 है ।

(ग) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार सहायक इंजीनियर के ग्रेड में भर्ती के दो तारीके हैं। वे इस प्रकार है (1) संघ लोक सेवा आयोग की खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और (2) पदोन्नति द्वारा। समिति प्रतियोगी विभागीय परीक्षा से 50% पदोन्नति और 50% का चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फिर भी सरकार ने सीधी भर्ती कुछ समय के लिये रोक दी है और सभी नियक्तियां पदोन्नति द्वारा की जा रही हैं।

(घ) 150 तदर्थ सहायक इंजीनियर (सिविल) को छोड़कर जिनको पहले ही नियमित किया जा चुका है और 262 सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा 136 सहायक इंजीनियर (विद्युत), तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, अप्रैल 1978 तक रिक्तियों की सख्या, सिविल क्षेत्र में 33 और विद्युत क्षेत्र में 22 है। फिर भी, विद्युत क्षेत्र में 22 में से 12 रिक्तियां प्रतिनियुक्ति से वापस आ रहे नियमित सहायक इंजीनियरों द्वारा भरी जानी हैं।

(ङ) भाग-(घ) में बताई गई पहले ही से विद्यमान रिक्तियों और मार्च 1979 तक अनुमानित रिक्तियों सहित, वर्ष 1978-79 के अंत तक रिक्तियों का कुल योग सिविल क्षेत्र में 102 और विद्युत क्षेत्र में 17 होगा। इन रिक्तियों में, वे व्यक्ति शामिल हैं जो इन पर, तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे है या जो नियमित किए गए हैं जैसा कि भाग-(ख) में बताया गया हैं ।

**'कन्ट्री और नगर योजना संगठन' नई दिल्ली में नियुक्तियां**

9541. **श्री एम०ए० हनान अलहाज** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री नगर योजना संगठनों में मुख्य लिपिक के बारे में 13 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 2636 के भाग-(ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह विवरण किस हद तक सही है; और

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालय के कर्मचारी एसोसिएशन ने इनवेस्टीगेटर के पदों को भरे जाने पर क्यों बल दिया है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) लोकसभा प्रश्न संख्या 2636 के उत्तर में दिए गए विवरण में कोई असंगति नहीं है ।

(ख) सामाजिक वैज्ञानिक संघ ने इस आधार पर अन्वेषणों के पद भरने के लिए मांग की कि मुख्य लिपिक के रूप में ऐसे पदों का उपयोग सामाजिक आर्थिक पक्ष के आधार पर निम्न वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कम करके करना होगा।

**पश्चिम दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता**

9542. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में पश्चिम पुरी, पंजाबी बाग एक्सटेंशन और उसके आसपास के बाढ़-ग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जनता फ्लेटों के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या इन बस्तियों में सम्पत्ति की हुई हानि को ध्यान में रखते हुए सरकार भाग (क) में उल्लिखित बाढ़ग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को गृह-कर, लीज़ और अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में कुछ राहत देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे वे क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत करा सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) से (ग) जानकरी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**नजफगढ़ नाले के तटबन्ध**

9543. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत् वर्ष बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पश्चिम दिल्ली में पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग एक्सटेंशन के जनता फ्लेटों की ओर नजफगढ़ नाले की गाद निकालने और उसके तटों को मजबूत बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो आगामी मानसून में बाढ़ से बचने के लिये उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) और (ख) पश्चिम दिल्ली में पश्चिम-पुरी, पंजाबी बाग एक्स्टेंशन आदि के जनता फ्लैटों के निकट नजफगढ़ नाले के किनारों का पुनर्निर्माण/उसे ऊंचा उठाने का काम चालू है और आशा है कि आगामी मौनसून से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। किनारों को 1977 के उच्चतम बाढ़ स्तर से 2 फुट ऊंचा उठाया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि चूंकि इस क्षेत्र में अधिक गाद नहीं है इसलिये गाद हटाना जरूरी नहीं समझा जाता।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

**जम्मू तथा काश्मीर में चावल, गेहूं और मक्का**

9544. **श्री अब्दुल अहमद वकील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से आज तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कुल कितनी मात्रा में चावल, गेहूं और मक्का भेजा गया, उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आई; और

(ख) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को खाद्यान्नों पर कोई राजसहायता दी है; और यदि हां, तो कुल कितनी राशि की ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)** : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

| वर्ष | मात्रा मीटरी टन में | मूल्य लाख रुपयों में |
|---|---|---|
| **1975-76** | | |
| गेहूं | 160,963 | 2016.27 |
| चावल | 50,681 | 619.04 |
| मक्का | 3,654 | 31 06 |
| **1976-77** | | |
| गेहूं | 83,501 | 1032.07 |
| चावल | 110.885 | 1442.06 |
| मक्का | 19,390 | 161.88 |
| **1977-78** | | |
| गेहूं | 146,143 | 1835.55 |
| चावल | 96,724 | 1238.89 |

(ख) जम्मू तथा कश्मीर राज्य समेत सभी राज्य सरकारों को समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न दिए जाते हैं। इसमें राजसहायता का अंश होता है । जम्मू तथा कश्मीर राज्य को सप्लाई किए जाने वाले खाद्ययान्न पर इस समय अन्य कोई राजसहायता नहीं दी जाती है । लेकिन परिवहन प्रभार, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है, के बारे में राजसहायता शामिल नही है :—

| वर्ष | परिवहन प्रभार के बारे में राजसहायता के रूप में दी गई राशि |
|---|---|
| 1975-76 | 18.23 लाख रुपये |
| 1976-77 | 26.9 लाख रुपये |

**दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से स्थानान्तरित अध्यापकों को चयन ग्रेड**

9545. **श्री पयास टिर्की : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पहले दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में कार्य करने वाले व्यायाम शिक्षकों, गृह विज्ञान अध्यापकों, संगीत अध्यापकों, ड्राईग अध्यापकों आदि को, जिन्होंने 1971 में शिक्षा निदेशालय के अधीन स्कूलों में कार्य करना आरम्भ किया, अब तक कोई चयन ग्रेड नहीं दिया गया ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उन श्रेणियों के अध्यापकों को, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है, चयन ग्रेड दिये जाने के बारे में शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन अध्यापकों को अब तक चयन ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन श्रेणियों के अध्यापकों को कब तक चयन ग्रेड दिये जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा, समाज कल्याणर संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :**

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संदर्भित अध्यापकों में से 21 व्यायाम अध्यापकों, 3 गृह विज्ञान अध्यापकों और 29 ड्राईंग अध्यापकों को सैलेक्शन ग्रेड दिए जा चुके हैं।

(ख) क्योंकि सैलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या निर्धारित करने का मानदण्ड पहले ही निश्चित किया जा चुका है, अतः संदर्भित अध्यापकों के सम्बन्ध में कोई विशेष अनुदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त (क) में बताया गया है कुछ पात्र अध्यापकों को पहले ही सैलेक्शन ग्रेड दिये जा चुके हैं। तथापि, सैलेक्शन ग्रेड के कुछ अतिरिक्त पद नहीं भरे गए हैं क्योंकि वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप न दिये जाने, वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये मानदण्ड के बारे में न्यायालय के विनिर्णय जैसी कुछ प्रशासकीय कठिनाइयां हैं।

(घ) जैसे ही वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा अनिर्णित मामलों पर विचार शुरु कर दिया जाएगा।

## भारतीय नकदी फसलों की किस्म

9546. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नकदी फसलों, खाद्यान्नों और चीनी की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बहुत घटिया है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भारत के विनिमय सौदों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) हमारे खाद्यान्नों तथा अन्य नकदी फसलों की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

(क) **कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** (क) खाद्य फसलों और नकदी फसलों के सम्बन्ध में गुणवत्ता शब्द विभिन्न विशेषताओं की ओर इंगित करता है और सामान्यतया उनका सम्बंध निम्नलिखित से है : (i) भौतिक विशेषताएं जैसे कि आकार, लम्बाई, रंग और दाने आदि, (ii) पोषण विशेषताएं जैसे कि प्रोटीन, वसा, खनिजों और विटामिन जैसे पोषणों के स्तर, तथा (iii) उपभोक्ता स्तर पर अंतिम उपयोग से सम्बन्धित विशिष्ट विशेषताएं जैसे कि गेहूं में पकाने की गुणवत्ता, चपाती बनाने के गुण अथवा डबलरोटी या बिस्कुट बनाने के गुण। सभी फसलों में, उपरोक्त सभी गुण किस्म (आनुवंशिक) स्थान और साथ ही साथ उर्वरकों के उपयोग सहित समस्त पद्धतियों से प्रभावित होती हैं। गुणवत्ता के लिये, सिर्फ विशिष्ट उपयोगों के लिए विशिष्टता के सिवा, सामान्यतया कोई स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानक निश्चित नहीं है।

भारतीय गेहूं में चपाती बनाने का उत्तम गुण है। स्वचालित डबलरोटी निर्माण हेतु, गेहूं की किस्म में ग्लुटन की मात्रा बहुत अधिक होनी और इस प्रयोजन के लिये उत्तरी अमरीका, रूस और पश्चिमी यूरोप की किस्में सामान्यतया उत्तम हैं। पोषण सम्बंधी विशेषताओं में हमारे अनेक गेहूं किसी भी स्थान पर उगाये जाने वाले गेंहू के समान ही अच्छे हैं। (देखिए दिनांक 27-3-78 के प्रश्न सं० 4374 का उत्तर)

चावल के सम्बंध में पकाने के उत्तम गुणों तथा कम ग्लूटन वाली किस्मों सहित पतली और उत्तम किस्में तैयार की जाती हैं। जापानी किस्में अधिक ग्लूटन युक्त होने के लिये प्रसिद्ध हैं। हमारे पास कुछ ऐसी भारतीय किस्में हैं जिनमें, जहां तक पकाने और पोषण सम्बन्धी गुणों का सम्बंध हैं, सभी अपेक्षित गुण उपलब्ध हैं।

चीनी के सम्बध में निर्वात कड़ाही वाली चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित सफेद चीनी अथवा कच्ची चीनी जिसका निर्यात अन्य देशों में भी किया जा रहा है, के गुणों के विनिर्देशों की तुलना उनके लिये बने अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशों से की जा सकती है।

(ख) सरकार अपनी एजेंसियों, विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से खाद्य फसलों तथा नकदी फसलों में गुणवत्ता वाले सभी पक्षों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही हैं। समुचित कार्यवाही समस्त प्रमुख फसलों पर विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के परिचालन के माध्यम से की जा रही है। प्रापण और सार्वजनिक वितरण पद्धति के अन्तर्गत आने वाले गुणों के समस्त पहलुओं पर भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियां प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

(ग) इस विषय पर जानकारी वाणिज्य मंत्रालय से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी। उपलब्ध सूचनाएं यह इंगित करती हैं कि भारतीय गेहूं की अन्य देशों में मांग है और हम कुछ गेहूं अफगानिस्तान को और गेहूं से बनी अन्य चीजों को वियतनाम को निर्यात कर रहे हैं। हम रूस को एक ऋण की अदायगी भारतीय गेहूं के रूप में कर रहे हैं। चावल के सम्बंध में हमारे पास सर्वोत्तम पतली और लम्बी किस्म "वासमती है जिसका निर्यात किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने आई आर-48 चावल का निर्यात इंडोनेशिया को किया है। चावल की भारतीय किस्में और उनके गुण विदेशी खरीददारों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं।

(घ) वही जो (ख) के अन्तर्गत है।

**खनन तथा पुनचर्या पठ्यक्रम में प्रशिक्षण**

9547. **श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान तथा औद्योगिकी के छात्रों के लिये खनन की गहन शोध तथा खनन में पुनश्चर्या पाठयक्रमों के व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1978-79 के लिये संभावित प्रावधान सहित क्या योजना बनाने का विचार है?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) सरकार के पास खनन अनुसंधान में रत विज्ञान तथा औद्योगिकी के छात्रों के लिये व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण का कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। तथापि खनन इंजीनियरी के छात्रों को संस्थानात्मक पाठयक्रम के दौरान और संस्थानात्मक पाठयक्रम के बाद भी एक वर्ष तक कठोर व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होता है। खनन अनसंधान कार्यकलाप, केन्द्रीय खनन अनसंधान स्टेशन, धनबाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्य कर रही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक, भारतीय औद्योगिकी संस्थान संस्थान, खड़गपुर, भारतीय खान स्कूल, धनबाद और विश्वविद्यालयों के खनन विभागों में, आयोजित किए जाते हैं। भारतीय खान स्कूल, धनबाद, भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और खनन विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, खनन अनसंधानकर्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिये, परिसर में और परिसर के बाहर दोनों प्रकार के कई अल्प-कालिक पाठ्यक्रम तथा ग्रीष्म स्कूल आयोजित करते हैं।

(ख) केन्द्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन के पास अपने 1978-79 के बजट प्राक्कलनों में योजनागत व्यवस्था 18 लाख रुपए और योजनेतर व्यवस्था 68.360 लाख रुपए की है। यद्यपि उनके बजट में खनन अनुसंधान के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है फिर भी भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्रमशः संस्थाओं और विश्वविद्यालय के खनन विभागों में खनन अनुसंधान के अनुमोदित कार्यक्रमों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करते हैं। वे उद्योग की प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं पर भी कार्य करते हैं।

**Price of the houses constructed under slum clearance scheme**

9548. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply anb Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have increased the price of the houses constructed under slum clearance scheme in Delhi; and

(b) if so, whether the prices of all types of houses have been increased and if not, the reasons therefor and why the prices for poor people only have been increased ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Resignation by Director, National Centre for Blind**

9549. **Shri Nawab Singh Chauhan :**
**Shri Surendra Bikram :**

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Director of National Centre for the Blinds went away to United States of America without intimating the Ministry while C.B.I. was conducting an enquiry against him; and

(b) whether the resignation sent by him from United States of America had been accepted and the justification for accepting it ?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan)** : (a) and (b) The former Director, National Centre for the Blind, intimated to the Government of India on 30 March 1971 that he was going abroad on a personal visit. The Central Bureau of Investigation had registered a preliminary enquiry against him. However, his resignation dated 9 May 1971 was accepted, with the concurrence of the Central Bureau of Investigation, and the case finally dropped on the advice of the Central Vigilance Commission.

**जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण**

9550. **श्री एस०एस० सोमानी :**
**श्री रामदेव सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग, जीवन दीप की पहली मंजिल में खुले गलियारों को कवर करने के अनधिकृत निर्माण के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अनधिकृत परिसरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो नगरपालिका के उप-नियमों के ऐसे उल्लंघनं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने कोई कनैक्शन नहीं दिया है।

(ग) परिसर के स्थल निरीक्षण से पता चलता है कि इमारत के बीच की पहली मंजिल तथा चौथी मंजिल के गलियारों में शीशे लगाये गए हैं तथा उन्हें कार्यालय के प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका के मौजूदा उपनियमों के अधीन बरामदे में शीशे लगाने की अन्यथा अनुमति है।

**World Bank Aid for Rajasthan and Chambal Canal projects**

†9552. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has agreed to give loans for Rajasthan and Chambal Canal Projects and if so, the details thereof; and the progress made in this regard; and

(b) the conditions on which loans have been obtained and when the same will be repaid ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) Yes, Sir. Details thereof and the progress made in this regard are given in the attached Statements I and II.

(b) The conditions on which these loans have been obtained and that of repayment are given below :—

1. Loan of 52 million dollars for the Chambal Command Area Development Project, Rajasthan has been provided under the provision of the conditions applicable to Loan and Guarantee Agreements of the IBRD on the undermentioned conditions :—

"The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one per cent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.

The Borrower shall pay interest at the rate of seven and one quarter per cent (7¼%) per annum on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time.

Interest and other charges shall be payable semi-annually on January 1 and July 1 each year.

The Borrower shall repay the principal of the Loan in accordance with the amortization schedule agreed to between World Bank and Government of India."

2. A loan of dollar 83 million has been provided for Rajasthan Canal Command Area and Development Project under the provisions of the general conditions applicable to Development Credit Agreement of the IDA on the following conditions :—

"The Borrower shall pay to the Association a service charge at the rate of three-fourth of one per cent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Credit withdrawn and outstanding from time to time.

Service charges shall be payable semi-annually on January 1 and July 1 each year.

The Borrower shall repay the principal amount of the Credit in semi-annual instalments payable on each January 1 and July 1, commencing from January 1, 1985 and ending July 1, 2024, each instalment to and including the instalment payable on July 1, 1994 to be one-half of one per cent (½ of 1 %) of such principal amount, and each instalment thereafter to be one and one-half per cent (1½%) of such principal amount."

**Statement I**

**Particulars of the IDA assisted Rajasthan Canal CAD Project, Rajasthan State**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Date of Agreement | 31-7-1974 |
| 2. | Date of Effectiveness | 12-12-1974 |
| 3. | Date of closing | 30-6-1981 |
| 4. | Total cost of the Project | $ 174 million (Rs. 139.2 crores) |
| 5. | IDA Credit available | $ 83 million |
| 6. | Items of Works included in the Project and their progress : | |

| No. | Item of work included in the World Bank Project | Unit | Target as per Appraisal Report | Progress upto December, 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. | LAND DEVELOPMENT : | | | | |
| | (a) Survey & Planning | Ha. | 87,000 | 1,49,590 | |
| | (b) Land shaping by Project authority | Ha. | 32,000 | 6,951 | Being done by farmers |
| | (c) Land shaping by farmers | Ha. | 26,000 | | |
| | (d) Land reclamation by Project Authorities | Ha. | 17,000 | 28,720 | Being done by farmers. |
| | (e) Land reclamation by farmers | Ha. | 17,000 | | |
| | (f) Water course lining | Ha. | 2,00,000 | 34,338 | |
| II. | LINING OF BRANCHES, DISTRIBUTARIES AND MINORS | | | | |
| | (a) Planning | Km. | 950 | 575 | |
| | (b) Execution | Km. | 915 | 480 | |
| III. | FORESTRY & PASTURE DEVELOPMENT | | | | |
| | (a) Plantation | Ha. | 8,000 | 6,013 | |
| | (b) Pasture Development | Ha. | 35,000 | 15,386 | |
| IV. | ROADS | | | | |
| | (a) Major market and district roads | Km. | 180 | 113.19 | |
| | (b) Village roads | Km. | 251 | 82.22 | |
| V. | VILLAGE WATER SUPPLY | | | | |
| | Village supplied | No. | 100 (diggies) | 50. | |

**Statement II**

**Particulars of World Bank Assisted Chambal CAD Project, Rajasthan**

| | |
|---|---|
| 1. Date of Agreement | 19-6-1974 |
| 2. Date of Effectiveness | 12-12-1974 |
| 3. Date of closing | 30-6-1981 |
| 4. Total cost of the project | $ 91.5 million |
| 5. Total World Bank Credit | $ 52 million |
| 6. Items of works included in the Project and their progress | |

| S. No. | Items of works included in the World Bank Project | Unit | Total Qunty. to be done in 6 yrs. | Progress upto Dec. '7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. | IRRIGATION AND DRAINAGE | | | | |
| | (a) Drainage | Ha. | 167,000 | 163,155 | |
| | (b) Lining | | | | |
| | (i) Rock cut reaches | Km. | 10.8 | 10.73 | |
| | (ii) Earthen reaches | Km. | 10.2 | | |
| | (c) Canal capacity works | Km. | 797 | 389.50 | |
| | (d) Control structures | Nos. | 157 | 51 | |
| | (e) Aquatic weed control | % | | 28.8 | |
| | (f) Misc. | % | | 23.01 | |
| II. | ON FARM DEVELOPMENT | | | | |
| | (a) Survey | Ha. | 47,000 | 23,736 | |
| | (b) Planning & Design | Ha. | 48,500 | 11,194 | |
| | (c) Construction. | Ha. | 50,000 | 2,380 | |
| III. | ROADS | | | | upto June, 1977. |
| | (a) Improvements | Km. | 63 | 19.1 | |
| | (b) Construction | | | | |
| | (i) State highways | Km. | 53 | 16.71 | |
| | (ii) Major district roads | Km. | 123 | 27.98 | |
| | (iii) Other district roads | Km. | 40 | 11.43 | |
| | (iv) Village roads | Km. | 31 | .. | |
| V. | AFFORESTATION : (Ravine lands) | Ha. | 1,000 | 450 | |
| V. | FERTILIZER DELIVERY | Nutrient tonnes | 15,000 | 15,000 | |

**पाकिस्तान में सेवा निवृत्त हुए और भारत में आये व्यक्तियों द्वारा पेंशन प्राप्त करना**

9553. **श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में सेवा-निवृत्त हुए बहुत से व्यक्तियों को, जो भारत में आ गये हैं, पाकिस्तान सरकार से कोई पत्र न मिलने के कारण, जिसमें उनकी देय वास्तविक पेंशन की राशि दर्शाई गई हो, उनको मिलने वाली पेंशन के बदले में भारत सरकार तदर्थ पेंशन दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुए कि अब जबकि यह मामला 30 वर्षों से अधिक की अवधि से अनिर्णीत पड़ा हुआ है और इस मामले में पाकिस्तान से कोई ब्यौरा प्राप्त होने की क्षीण सम्भावना है और इनमें से अधिकांश पेंशनभोगी लगभग 80 वर्ष की परिपक्व आयु में पहुंच गये हैं, भारत सरकार अपने द्वारा प्राप्त किये गये प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर इन पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन (उन्हें स्वीकार्य) तथा उसकी बकाया राशि देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ग) गत दस वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या है जिसमें पाकिस्तान ने उन्हें देय वास्तविक पेंशन की सूचना दी है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** : (क) इस समय, पाकिस्तान में सेवा निवृत्त हुए और भारत में आए 230 व्यक्तियों को, उनके पेंशन के दावों के बदले में भारत सरकार द्वारा तदर्थ पेंशन दी जा रही है। उनके मामलों का पाकिस्तान सरकार द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है।

(ख) उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्होंने अपने सेवा के ब्यौरों के बारे में दस्तावेजी अथवा प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उन्हें उनके दावों के पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन किए जाने तक पेंशन दे दी गई है।

(ग) 28।

**Selection of students for study in U.S.S.R.**

*9554. **Shri Yadvendra Dutt** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the students invited from the universities and other educational institutions by the Russian Government are selected by the Government of India or by the Russian Embassy;

(b) who selects the children and youth for the children and youth camps organised by the Russian Government; and

(c) in case selections are made by the Russian Embassy, whether there is any agreement between the Soviet Union and the Government of India in this regard; if so the terms and conditions thereof ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder)** : (a) The students sent by the University Grants Commission for study/training to U.S.S.R. under provision of the Indo-Soviet Cultural Exchange Programme, are selected by the Commission on the recommendations of Expert Committees constituted for the purpose. The acceptance of the nominations made by the Commission, however, vests with the Soviet authorities.

(b) The participants in the Children and Youth Camps in the U.S.S.R. are selected by the Soviet Land Nehru Award Committee which comprises of eminent non-official and an official of the Soviet Embassy in India.

(c) There is no Government to Government agreement for the selection participants in Children and Youth Camps. The participants are selected on the basis of essay or painting competitions held by the Soviet Land Nehru Award Committee.

**Pollution of Rivers of U.P.**

9555. **Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the water of major rivers of U.P.—Ganga, Yamuna, Gomti, Sai and Rapti has been polluted to such an extent that it has become unfit for human consumption and bathing in cities and places of pilgrimage situated on the bank of these rivers;

(b) if so, the action being taken to ensure that water is fit for human consumption as also for bathing; and

(c) the extent of pollution in the river water at Lucknow, Vrindaban, Ayodhya, Mathura, Kanpur, Varanasi and Allahabad and the steps taken to check water pollution in the financial year 1977-78?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : (a) There is some degree of water pollution in the major rivers of Uttar Pradesh.

(b) The Government of Uttar Pradesh have already adopted the "Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974". Under this Act the State Government have set up the State Board for the prevention and control of water pollution for taking necessary steps to ensure that all the industries and local authorities take prior consent of the Board before discharge of their effluents into the rivers.

(c) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

**विभिन्न राज्यों में बागान श्रमिकों के लिए रहने योग्य ग्रावास**

9556. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में चाय, काफी, रवड़ बागानों के प्रबन्धकों द्वारा बनाये गये शौचालय, जल सप्लाई ग्रौर सम्पर्क सड़कों की सुविधा से मुक्त रहने योग्य मकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ग्रौर 31 दिसम्बर, 1977 तक निर्मित ऐसे मकानों की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में बागानों में सभी स्थायी निवासी श्रमिकों को रहने योग्य मकानों की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; ग्रौर

(ग) बागान श्रमिक ग्रधिनियम के ग्रनुसार श्रमिक सुविधाग्रों की व्यवस्था करने ग्रौर मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने में बागान श्रमिकों को ग्रभी कितना समय ग्रौर लगेगा?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :—

| राज्य | निर्मित मकानों की संख्या | जिन्हे आवास दिये गये उन पात्र कर्मचारियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| असम | 1,11,029 | 54 |
| त्रिपुरा . | 5,192 | 100 |
| पश्चिम बंगाल | 75,343 | 63 |
| कर्नाटक | 22,782 | 89 |
| केरल . . | 89,734 | 95 |
| तमिलनाडु . . . . . . . | 33,200 | 93 |

निर्मित मकानों में शौचालय, जलपूर्ति तथा सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग) बागान श्रमिक अधिनियम 1951 की धारा 15 में प्रत्येक बागान मालिक के लिये यह अनिवार्य है कि वह जैसे कि अधिनियम की धारा 2(ट) में परिभाषित है वह प्रत्येक मजदूर तथा बागान में रहने वाले उसके परिवार के लिये आवयश्क वास स्थान की व्यवस्था करे । इसके अन्तर्गत बनाये गये मानक नियमों में यह व्यवस्था है कि नियोक्ता प्रतिवर्ष रेजीडेंट मजदूरों के कम से कम 8% मजदूरों के लिये मकान बनाता रहेगा जब तक कि सभी मजदूरों को उपयुक्त रूप से आवास उपलब्ध न हो जाये और इसके लिये नियोक्ता उनसे कोई किराया नहीं लेगा । चूंकि बहुत से बागान मालिक इस सांविधिक अनिवार्यता को वित्तीय कठिनाई के कारण पूरा करने में असमर्थ थे, अतः इस मंत्रालय ने बागान मालिकों को और विशेष रूप से छोटे मालिकों को इस अनिवार्यता को पूरा करने में सहायता देने के लिये अप्रैल, 1956 में बागान श्रमिक आवास योजना आरम्भ की । यह योजना 1 अप्रैल, 1970 से राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित हो गई थी और निर्माण कार्य की निर्धारित अधिकतम लागत के 50% ऋण और 37-1/2% सहायता अनुदान के रूप में उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी गई । 1974-75 से 1977-78 के दौरान बागान मालिकों को देने के लिये 4.50 करोड़ रुपये की राशि संबंधित राज्य सरकारों को दी गई थी । वर्ष 1978-79 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय बजट में 1.60 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है । उपलब्ध सीमित साधनों से यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि बागान प्रबन्धक अपने पात्र मजदूरों को कब तक पूर्ण रूपेण मकान उपलब्ध करने में समर्थ हो सकेंगे।

जहां तक श्रमिक सुविधाओं को प्रदान करने का संबंध है, यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि अधिनियम में निहित सुविधाओं के संबंध में विभिन्न प्रावधानों को बागान मालिकों द्वारा कब तक कार्यान्वित किया जाना है, किन्तु यह अधिनियम राज्य सरकार को ऐसी तिथियां अधिसूचित करने के लिये शक्ति प्रदान करती है जब तक कि मालिकों द्वारा विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जायेगा । इन उपबन्धों के कार्यान्वयन न करने पर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में दण्ड देने का प्रावधान है ।

**गोबर गैस संयंत्रों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण**

9556. **श्री प्रद्युम्न बाल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोगों द्वारा कितने गोबर गैस संयंत्र लगाये गये हैं तथा सरकार उन लोगों को, विशेषकर उड़ीसा के संबंध में, किस प्रकार की सुविधायें दे रही है ;

(ख) क्या ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास काफी पशु हैं, गोबर गैस संयंत्र लगाकर लाभ पहुंचाया जा सकता है ;

(ग) क्या गोबर गैस संयंत्र लगाने में राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों को कोई सहायता नहीं देते हैं, यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई शिकायत मंत्रालय द्वारा रिकार्ड की जा रही है; और

(घ) विभिन्न बैंकों में विभिन्न व्याज दरों के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) पिछले चार वर्षों के दौरान, राज्य में 221 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की सूचना मिली है ।

गोबर गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रोत्साहन के रूप में 1974-75 और 1975-76 के वर्षों के दौरान पूंजीगत लागत पर 25 प्रतिशत केन्द्रीय साहाय्य प्रदान की गयी थी । 1976-77 में इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था । तथापि, छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा 2 और 3 क्यूबिक मीटर आकार के संयंत्रों की स्थापना के लिये 1977-78 में केन्द्रीय साहाय्य को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया । संयंत्र की स्थापना के लिये पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और सामुदायिक संयंत्रों के लिये 33 प्रतिशत साहाय्य अनुज्ञेय है । उड़ीसा में इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आमतौर पर गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण प्रदान करके जनता की सहायता कर रहे हैं । इस संबंध में उड़ीसा राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) बैंकों द्वारा गोबर गैस संयंत्रों के लिये ऋण पर उसी दर से ब्याज लिया जाता है जो कि वे अपने अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर लेते हैं । दिसम्बर, 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 'विविधीकृत उद्देश्यों' की श्रेणी के अन्तर्गत आवधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज लेने को कहा है, जिसमें गोबर गैस संयंत्रों के लिये दिया जाने वाला ऋण भी शामिल है ।

**Per Capita Pulse production**

9558. **Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the per capita production of pulses on 1st April, 1951 and 1st April, 1978 and also by the end of each annual and five years plan separately during the period from 1st April, 1951 to 1st April, 1978;

(b) the action taken by Government to make up the proteinous deficiency caused due to fall in per capita pulse production during the last 30 years; and

(c) whether Government have taken any action to prepare high yielding pulse seeds and to bring more area under pulse cultivation and if not, the reasons therefor and the measures being taken by Government to increase the pulse production in the financial year 1978-79 ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) The per capita production of pulses from 1951-52 to 1976-77 is given in annexure. The figures of production for 1977-78 are not yet available.

(b) Research work on pulses has been conducted in the past to increase their production. As a result of these efforts short duration varieties of moong (Pusa Baisakhi), urd (T-9), cowpea (C-152) have been evolved which are being grown as casch crop, inter-crop or mixed crop in the multiple cropping patterns. It has also been established that use of Rhizobial culture ad phosphatic fertilizers in pulses cultivation increases yield per hectare. Plant protection schedules have also been evolved to control insect pests. Besides, improved varieties of different pulses viz., moong (T-44, T-2), urd (Selection 1), arhar (T-21, UPAS-120), pea (T-163), lentil (L 9-12, T-36) and gram (C-208) have been evolved which give increased yield with the adoption of improved agronomic practices in their cultivation.

The developmental efforts have also been made to popularise the use of short duration improved varieties and adoption of improved agronomic practices.

A Centrally Sponsored Scheme for development of pulses was also initiated in 1972-73 and is being continued.

In order to provide an incentive to growers for higher production of pulses, the support price of gram was raised from Rs. 95 per quintal to Rs. 125 per quintal.

(c) Yes Sir, the Government have taken up summer moong campaign in the pofential States to increase area under this crop and have also taken steps to multiply the seed of short-duration and improved varieties of pulses. Under the Centrally Sponsored Scheme on development of pulses, financial assistance has been provided to the State Governments for multiplication of breeder's seed, foundation seed and certified seed. Besides, subsidy was also provided in 1977-78 under the Central Sector Scheme on Quality Seed Production of Pulses for varieties of all-India importance, for breeder's and fouudation seed multiplication as per rates given below:

| Item | Subsidy |
|---|---|
| **Breeder's seed production** | |
| Moong, urd, cowpea | Rs. 500/- quintal |
| Lentil . . | Rs. 350/- quintal |
| Gram and arhar | Rs. 300/- quintal |
| Pea . . . . . | Rs. 200/- quintal |
| Foundation Seed Production . . . . . . . . . | Rs. 150/- quintal |

These steps will help in bringing more area under pulses cultivation.

The measures being taken by Government to increase pulses production in 1978-79 area as under:—

(1) Under the Centrally Sponsored Scheme financial assistance will be provided to State Governments to lay out demonstrations on farmer's fields (to motivate them to adopt improved practices), multiplication of seed of short duration and improved varieties, increased use of Rhizobial culture and adoption of plant protection measures in pulses cultivation.

(2) Financial assistance is provided under the Central Sector Scheme on pulses for breeder's seed multiplication of short-duration and improved varieties of pulses of all India importance.



20LSS/78—9

(3) The State Governments would be requested to organise campaigns by mobilising the staff of the Agriculture/Development Departments. The campaign will include training of extension staff (9 training courses in Kharif and equal number of courses in rabi under the Central Sector Scheme) and farmers, promoting use of certified seed of improved varieties, application of phosphatic fertilizers, increased use of Rhizobial culture and adoption of plant protection measures.

STATEMENT

| Year | Per capital production of pulses in kg. per year |
|---|---|
| 1951-52 | 24.7 |
| 1952-53 | 26.2 |
| 1953-54 | 29.1 |
| 1954-55 | 29.9 |
| 1955-56 | 29.5 |
| 1956-57 | 30.0 |
| 1957-58 | 24.4 |
| 1958-59 | 31.2 |
| 1959-60 | 27.4 |
| 1960-61 | 28.8 |
| 1961-62 | 25.9 |
| 1962-63 | 25.0 |
| 1963-64 | 21.4 |
| 1964-65 | 25.7 |
| 1965-66 | 20.2 |
| 1966-67 | 16.6 |
| 1967-68 | 23.5 |
| 1968-69 | 19.8 |
| 1969-70 | 21.7 |
| 1970-71 | 21.4 |
| 1971-72 | 18.7 |
| 1972-73 | 17.2 |
| 1973-74 | 17.0 |
| 1974-75 | 16.7 |
| 1975-76 | 21.3 |
| 1976-77 | 17.9 |

NOTE :—The per capita production of pulses has been arrived at by dividing the production of pulses, by the population. Estimates of production of pulses for the years 1951-52 to 1964-65 has been adjusted on the basis of index number which take into account changes in coverage and methods of estimates. The estimates of population relate to 1st July of every year.

## National Housing Policy

9559. **Shri Anant Ram Jaiswal : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the reasons for not finalising the National Housing Scheme by 31st March, 1978, which is under consideration of Government for the last five years;

(b) whether Government have appointed a Committee to ascertain the Statewise housing requirement of urban as well as rural areas and the expenditure required to be incurred to meet this requirement; if so when and the details thereof; and if not, the reason therefor; and

(c) whether Government are aware of the housing requirement of the States and Union Territories, separately and whether Government are considering any related scheme to meet it ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a), (b) and (c) Basically, housing is in the State Sector; only the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers is in the Central Sector. The Central Government provides funds to the State Governments by way of block loans and block grants and it is upto the State Government to fix up their priorities. However, the main highlights of the future programme in the field of housing are:—

(i) Adoption of a housing programme aimed at clearing the backlog and meeting the additional demand due to population growth and replacement of unusable houses over a period of 20 years;

(ii) Restricting utilisation of public funds for low income households so that larger number of dwelling units are constructed with the resources allocated to this sector;

(iii) Provision of incentives to the private sector for taking up housing on a large scale.

Government have not appointed any Committee to ascertain the housing requirements of urban and rural areas and the expenditure required to be incurred to meet the requirement. However according to an estimate made by the National Buildings organisation, the housing Shortage on the eve of the Fifth Five year Plan, i. e. on Ist April, 1974 was 15.6 million units-11.8 million units in rural areas and 3.8 million units in urban areas. A housing programme of clearing the backlog and meeting the additional demand due to population growth and replacement of unusable houses in 20 years will involve the construction of 4.75 million housing units per year 3.50 million units in rural areas and 1.25 million units in urban areas.

## Checking of slum growth

9560. **Shri Anant Ram Jaiswal : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any guidelines to the State Governments to check the spate of slums cropping up in the cities and metropolitan areas;

(b) if so, the main points thereof;

(c) how far the spate of slums has successfully been checked during the financial year 1977-78; and

(d) the increase registered in the population of slum dwellers in the big cities and metropolitan towns during the last three years?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) while checking of slum grcwth is a long-range objective as a part of socio-economic development, increased attention has been paid to the ioprcvenent of environmental conditions in the existing slum areas.

(d) no statistics in this regard are available.

**टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन विभाग में हैड क्लर्कों के पद**

9562. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन विभाग में इनवैस्टीगेटरों के रूप में कार्य कर रहे हैड कलर्कों के बारे में 13 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 2636 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त संगठन ने समुचित अधिकारियों से संगठन के लिये अपेक्षित हैड क्लर्कों के और पद मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) इस पर मंजूर करने वाले प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि कार्यालय द्वारा इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)** : (क) जी, हां।

(ख) चार इनवैस्टीगेटर्ज के पदों को मुख्य लिपिकों के रूप में प्रयोग द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाएं**

9592. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

**श्री अहसान जाफरी :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनायें किन स्थानों पर चल रही हैं ;

(ख) उन परियोजनाओं के पृथक पृथक नाम क्या हैं जहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य विदेशी सहयोग से किया जा रहा है तथा जहां यह कार्य स्वदेशी प्रौद्योगिकीविदों की सहायता से हो रहा है; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य देश में कब से विदेशी सहायता के बिना स्वावलम्बन से ही हो सकेगा।

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) इस समय कांडला, वेरावल, बम्बई, गोवा, मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम, पारादीप, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के आस-पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ख) कोचीन की समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना, जिसे खाद्य तथा कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता दी जाती है, ही एकमात्र परियोजना है जिसे विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है । अन्य दो परियोजनायें अर्थात् समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना तथा समेकित मात्स्य की परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी से चल रही हैं ।

(ग) जिस परियोजना को विदेशी सहायता मिल रही है वह मार्च, 1979 में समाप्त होगी । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को प्राप्त करने तथा शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

पर्याप्त संख्या में जलयानों तथा प्रशिक्षित कार्मिकों के उपलब्ध होने पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ।

## Flats under D.D.A.'S Self Finance Housing Scheme

9564. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the name of places where flats are proposed to be built under DDA' Self Finance Housing Scheme together with the estimated cost of such flats;

(b) whether Government employees can draw house building loan for the above flats; and

(c) if not, the reasons therefor in view of the fact that they are eligible for such loan for houses under other housing schemes of the D.D.A. ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) The D.D.A. has proposed tentatively to construct houses in the area opposite Green Park near Hauz Khas, Malviya Nagar and Sunlight Colony. The estimated cost of the flats can be calculated only after the plans for this Scheme are prepared and details worked out.

(b) No, S]r.

(c) In other D.D.A. Schemes the advance is sanctioned where the house is ready and allotment has been offered. In the self-fiancing scheme money will have to be paid out in the course of the construction where neither land nor building will be available with the Government employee. However, a scheme for sanction of advance in such cases is under consideration.

## राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारियों की केस फाइल

9565. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित विस्तृत शर्तों वाली फाइल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में गुम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इसको ढूंढ लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में उत्तरदायित्व नियत करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : (क) दिली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्वस्थता, कोर के कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों से संबंधित केस फाइल शिक्षा निदेशालय दिल्ली के रिकार्ड में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**रबी फसल की संभावनाओं पर बेवक्ती वर्षा का प्रभाव**

9566. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी न पड़ने और बेवक्ती वर्षा का उत्तरी क्षेत्रों में रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ; यदि हां, तो कुल उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या सरकार गेहूं, जौ और चने के समर्थन और वसूली मूल्य निर्धारित करते समय खराब मौसम के कारण उत्पादन में कमी और अनाज की घटिया किस्म होने की संभावना का ध्यान रखेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) तथा (ख) उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अप्रैल, 1978 के दौरान बेवक्ती वर्षा और कम तापमान के कारण फसल की कटाई में देरी होने की सूचना प्राप्त हुई है । तथापि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, 1977-78 में रबी फसल के कुछ उत्पादन में 1976-77 की तुलना में वृद्धि होने की संभावना है ।

अधिप्राप्ति और समर्थन मूल्य अच्छी औसत किस्म के लिये निश्चित किये जाते हैं । 1978-79 के रबी विपणन मौसम के लिये गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य पहले ही 112.50 रुपये प्रति क्विटल निश्चित किये जा चुके हैं जबकि पिछले वर्ष यह मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया था । 1978-79 के विपणन मौसम के लिये चने का समर्थन मूल्य काफी समय पहले यानि कि बोये जाने के समय ही 125 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित कर दिया गया था। 1978-79 के विपणन मौसम के लिये जौ का समर्थन मूल्य निश्चित करने का मामला विचाराधीन है।

**साक्षरता के साथ संबंधित कुशलता**

9567. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 94.20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या में कोई हुनर नहीं है और स्त्रियों के मामले में यह प्रतिशत 96.73 प्रतिशत है; यदि हां, तो छात्रों के शिक्षा पाठ्यक्रम में हुनर को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ताकि स्थिति बेहतर हो सके; और

(ख) क्या साक्षरता हुनर के साथ और हुनर साक्षरता के साथ संबंधित है, यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की सही प्रतिशतता क्या है और इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : (क) और (ख) : जी हां । यह सही है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि 94.20% पुरुषों में और 96.73% महिलाओं में कुशलता नहीं है । ऐसी कुशलता प्रदान करने के लिए छात्रों की शैक्षणिक पाठ्यचर्या में सामाजिक

रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । जहां तक शिक्षा की औपचारिक पद्धति से बाहर के बच्चों और 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षर का प्रश्न है साक्षरता इस प्रकार से प्रदान की जाएगी कि वे और अधिक दक्षता से कार्य कर सकें और अपनी कुशलता में सुधार कर सकें । राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अगली योजना के अन्त से पूर्व 15-35 आयु वर्ग के लगभग 6.5 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है । प्रारंभि शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के कार्यक्रम का अगली योजना में 6–14 आयु वर्ग के 90% को शामिल करने का प्रस्तव है ।

## शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

9568. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर औसत प्रति व्यक्ति मासिक निजी खर्च बहुत कम था, यदि हां, तो इसके निकाले गये सही आंकड़ें क्या हैं

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर सरकारी व्यय की स्थिति क्या है; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और छठी योजना में किये गये प्रावधान क्या हे ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) जी, हां, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 28वें चक्र के अनुसार, 30 दिनों की अवधि के लिए शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति औसतन व्यय, ग्रामीण, क्षेत्र में 0.26 रु० तथा शहरी क्षेत्र में 1.36 रु० है ।

(ख) 1977-78 में राज्यों और केन्द्र के शिक्षा विभागों का बजट अनुमान 2175 करोड़ रुपये का था । इसका ब्यौरा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संबंध में अलगअलग उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) छठी योजना में नए स्कूल अधिकांशतः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है तथा इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा और असमानता में कमी आएगी । अनुमान है कि छठी योजना के प्रारूप में शिक्षा के लिए कुल 1955 करोड़ रुपये के परिव्यय में से सम्भवतः 1400 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए जाएंगे ।

## माडर्न बेकरी में भूख हड़ताल

9569. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्डन बेकरी के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने इस बात को लेकर भूख हड़ताल की है कि माडर्न बेकरी के आरम्भ होने से ही उनकी पदोन्नति में गतिरोध है जबकि उच्च अधिकारियों की शीघ्र पदोन्नति होती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :**(क) : साडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए 6 अप्रैल,

1978 से भूख हड़ताल की थी उनकी एक मांग संबंधित कर्मचारियों गकी पदोन्नति के लिए थी । भूख भूख हड़ताल 17 अप्रैल, 1978 की सांय 5 बजे समाप्त कर दी गई थी ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें कम्पनी के प्रधान कार्यालय में पदो की संख्या (श्रेणीवार) और पदोन्नत हुए व्यक्तियों द्वारा लिए गए इन पदों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है । कर्मचारियों की मांगों के बारे में उनके साथ बातचीत भी चल रही है ।

**विवरण**

| क्रम सं० | कर्मचारियों की श्रेणी | प्रधान कार्यालय में पदों की संख्या | प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या | स्तम्भ 4 में से पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या | कैंफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IV | 27 | 27 | 6 | एक कर्मचारी की पदोन्नति का मामला विचाराधीन है । |
| 2. | III | 56 | 52 | 21 | (3 कर्मचारियों की दो बार पदोन्नति हुई थी) |
| | जोड़ | 83 | 79 | 27 | |

प्रधान कार्यालय में श्रेणी 2 के 9 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारी श्रेणी 3 से पदोन्नति के हैं । श्रेणी 1 में प्रधान कार्यालय में 19 कर्मचारियों में से 6 की निचले ग्रेडों से पदोन्नति हुई है । तथापि, श्रेची 1 और 2 में अखिल भारतीय आधार पर नियुक्ति की जाती है ।

### Training Institutes under the Ministry

9570. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total number of training institutes in the Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses, out of them, run in Hindi medium and in English medium, separately; and

(d) the steps taken by Government to run in Hindi medium the courses which are being run in English medium at present ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

**Building of National Sanskrit Institute**

9571. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the office of the National Sanskrit Institute is housed in a private building;

(b) if so, the monthly rent being paid thereon and whether this building has been taken on rent through some property dealer on commission basis or in accordance with the Government rules in this regard; and

(c) if the building has not been taken on rent as per Government rules, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The accommodation for the office of the Rashtriya Sanskrit Sansthan has been hired on a monthly rent of Rs. 7,587.50 through a property dealer on payment of brokerage. This was done with the approval of the competent authorities and in accordance with the prescribed procedure.

**Closure of BH.U.**

9572. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Banaras Hindu University has been closed for an indefinite period

(b) whether a new Vice Chancellor has been appointed there but he has not taken over the charge;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether steps are being taken by Government to ensure that this University functions in accordance with its glorious traditions?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):** (a) The Banaras Hindu University had been closed on March 11, 1978 following agitation by a section of students on the question of weightage for University students for admission to MBBS Courts. The University re-opened in phases from 31st March, 1978 to 10th April, 1978.

(b) and (c) The new Vice-Chancellor has been appointed and is expected to take over charge shortly.

(d) Yes, Sir.

**Damage to Crop in Bhojpur and Buxer (Bihar)**

9573. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have assessed the damage caused to the rabi crop by hailstorms several days back in Bihar, particularly in Bhojpur district, Buxer division; and

(b) if so, the value of the damage caused, and the action taken by Government to give financial aid to State Government for providing assistance to farmers ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala)** : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

**Agriculture Policy Statement**

9574. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether, while announcing the economic policy it was proposed that a policy statement of Government on agriculture on the pattern of industrial policy will also be announced;

(b) whether Government have under active consideration such a policy; and

(c) if so, when it is expected to be announced?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala )** : (a) In its statement on Economic Policy, the Janata Party recommended that Government should consider formulation of an Agricultural Policy Statement on the lines of the Statement on Industrial Policy.

(b) and (c) The Agricultural Policy of the Government is spelt out in the Draft Five Year Plan, 1978—83. Further modifications, amplifications etc. of the Agricultural Policy will be considered as and when necessary.

**Government accommodation to personal staff of union Ministers**

9575. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of employees who were allotted quarters on the basis of their working in Ministers' staff during the last three years;

(b) whether the period of their service is not taken into consideration at the time of allotment of quarters to them; and

(c) if so, the reasons therefor?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : (a) 201.

(b) and (c) *Ad hoc* allotments are given on account of the nature of the duties required to be performed by the personal staff of Ministers. The periods of their service are not taken into consideration at the time of allotment.

**Minister's staff in occupation of Government Accommodation**

9576. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the employees allotted Government accommodation by reason of being in Ministers' staff continued to enjoy this facility even after their posting elsewhere ;

(b) if so, the reasons therefor and whether efforts will be made to have accommodation vacated from such employees and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) Personal staff of Ministers who are given *ad hoc* allotments of General Pool residences, can continue in the same even after their posting elsewhere, provided they continue to be eligible for such Govt. residences.

(b) and (c) They are allowed to continue as otherwise they will have to face considerable difficulties in finding alternative private accommodation. There is no proposal to get the accommodation vacated from such employees.

**Allotment of Government accommodation**

9577. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of class I, II, III and IV Central Government employees indicating the period of their service who have not been allotted houses so far;

(b) whether Government allot houses to Class I and Class II employees comparatively earlier than Class I and IV employees;

(c) whether Government propose to allot houses to class IV employees prior to other classes; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) and (b) As applications for allotment of accommodation from the General Pool are invited on a restricted basis keeping in view the number of units likely to become available in each type, data is not available regarding the number of officers along with their periods of service, who have not been allotted General Pool Accommodation so far. However, in General Pool Accommodation in Delhi/New Delhi, priority dates covered for allotment in Types I to IV quarters are as follows :

| Type-I | Type-II | Type-III | Type-IV |
|---|---|---|---|
| 19-11-62 | 27-12-56 | 15-2-55 | 16-7-53 |

(c) and (d) No, Sir. Allotments are made on the basis of availability of quarters. At present, stress is on constructing more quarters of the lower types.

**'डिप्लोरेबल लाइट ग्राफ ईस्ट उत्तर प्रदेश केन ग्रोग्रर्स' से प्रकाशित समाचार**

9578. **श्री राजकेशर सिहं :** क्या कृषि मंत्री ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1978 के 'नेशनल हैरल्ड' में 'डिप्लोरबल प्लाइट ग्राफ ईस्ट उत्तर प्रदेश केन ग्रोग्रर्स्' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर इस दिशा में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :** (क) :दिल्ली और लखनऊ दोनों से प्रकाशित नेशनल हैरल्ड के 13 मार्च, 1978 के अंक में 'डिप्लोरेवल प्लाइट आफ ईस्ट उत्तर प्रदेश केन ग्रोअर्स' शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। तथापि, लखनऊ से प्रकाशित नेशनल हैरल्ड के 13 मार्च, 1978 के अंक में 'रीच लखनऊ काल टू किसान' के शीर्षक से एक खबर छपी है। इस खबर में जनता का ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ गन्ना उत्पादकों की कथित दुर्दशा की ओर दिलाया गया है जिन्हें अपनी खड़ी फ़सल को जलाने के लिये मजबूर किया जा रहा है क्योंकि चीनी मिल मालिक उनका गन्ना खरीदने से इन्कार कर रहे हैं।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 30-4-78 को 80 चीनी फैक्ट्रियां अभी भी पिराई कार्य कर रही थीं जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में केवल 22 चीनी फैक्ट्रियां चल रही थीं। उत्तर प्रदेश में किसी गन्ना उत्पादक द्वारा गन्ना जलाने की खबर हमें नहीं मिली है। चीनी फैक्ट्रियों को 30 अप्रैल, 1978 के बाद अपना पिराई कार्य जारी रखने के लिये केंद्रीय सरकार ने 28-4-78 को उत्पादन शुल्क में रिबेट देने की एक योजना घोषित की है। चीनी फैक्ट्रियों के लिये अधिक से अधिक गन्ना पेरने के लिये यह एक प्रोत्साहन होगा।

**केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन केन्द्र को निर्माण भवन, नई दिल्ली से हटाना**

9579. **श्री के० रामसूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण भवन स्थित केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन केन्द्र को हटाने के क्या कारण है; और

(ख) प्रदर्श केन्द्र में प्रदर्शित वस्तुओं का हटाने के बाद कैसे प्रयोग किया गया ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का कोई प्रदर्शन केन्द्र नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Jamrani Dam**

†9580. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the construction of Jamrani Dam Project so far;

(b) the progress made so far in completing this work; and

(c) the amount allotted for it in 1978-79 ?

**The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) The expenditure incurred on Jamrani Dam Project upto the end of March, 1978 is Rs. 202.34 lakhs.

(b) The State Government have indicated that the work of topographical surveys of dam site and reservoir area, and construction of 9.2 Km. of approach road to dam site have been completed. Detailed geological and other investigations and designs of dam are in progress. Construction of feeder channels and pucca minors has started. The work on Gola Barrage has also been undertaken.

(c) An outlay of Rs. 250 lakhs has been proposed by the Government of Uttar Pradesh for this project for the year 1978-79.

**पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों की संख्या**

9581. **श्री भगत राम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में प्रत्येक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कितने पब्लिक स्कूल हैं,

(ख) इनमें विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) उनके ग्रेड और अन्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) क्या इनकी कुल उपलब्धियां सामान्य स्कूलों के समान हैं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) :** (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पब्लिक स्कूलों में प्रति छात्र व्यय**

9582. **श्री भगत राम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत के पब्लिक स्कूलों में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) प्रति छात्र, कक्षावार, ट्यूशन फीस और अन्य व्यय क्या है ;

(ग) प्रत्येक छात्र पर यदि कोई सरकारी व्यय होता है तो वह क्या है; और

(घ) क्या पब्लिक स्कूलों में प्रत्येक छात्र पर होने वाला कुल व्यय सामान्य स्कूल के समान नहीं है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :** (क),(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम**

9583. **श्री भगत राम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में अथवा प्रत्येक राज्य के अनुसार पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम समान है;

(ख) इन स्कूलों का शिक्षा का माध्यम क्या है और क्या यह विद्यार्थियों की मातृभाषा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी)** : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**दिल्ली प्रशासन के स्कूल शिक्षकों की मृत्यु होने पर उपदान आदि का भुगतान**

9584. **श्री मनोहर लाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान दिल्ली प्रशासन के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई थी लेकिन जिनका उपदान, सामान्य भविष्य निधि और वेतन की बकाया राशि का अंतिम भुगतान नजदीकी रिश्तेदारों को नहीं दिया गया है; और

(ख) देय राशि का निपटान न करने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)** : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1977-78 के दौरान कुल 26 शिक्षकों की मृत्यु हुई थी तथा उपदान, सामान्य भविष्य निधि और बकाया वेतन, जिनका अंतिम भुगतान बाकी है, से संबंधित मामलों की संख्या क्रमशः 14, 10 और 5 है ।

(ख) देय राशि का भुगतान न होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) **पेंशन और उपदान** :

14 मामलों में से 7 मामलों में अस्थायी भुगतान कर दिया गया है तथा ये सभी मामले, अंतिम भुगतान की व्यवस्था हेतु संबंधित वेतन एवं लेखाकार्यालय को प्रस्तुत कर दिये गये हैं । जहां तक शेष 7 मामलों का संबंध है, दो पर कार्रवाई की जा रही है, एक मामले में उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद है, एक मामले में संबंधित शिक्षक केवल 2 वर्ष पहले दिल्ली नगर निगम से स्थानान्तरित हुआ था और उसकी सेवा शर्तों के निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है । तीन मामलों में अपेक्षित दावों/दस्तावेजों की प्रशासन द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) **सामान्य भविष्य निधि** :

पहले सामान्य भविष्य निधि के लेखे महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा रखे जाते थे, लेकिन अब 1-4-1977 से यह कार्य वेतन एवं लेखा कार्यालयों के नाम से विख्यात कार्यालयों में विकेन्द्रित हो गया है । प्रशासन को लेखा एजेंसियों से पिछले वर्षों के लेखे सत्यापित कराने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण कुछ विलंब हो रहा है । प्रशासन ने सभी रुके हुए मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(3) **वेतन का बकाया** :

एक मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान रुका हुआ है । 3 मामलों में आवश्यक बिल वेतन एवं लेखा कार्यालयों को प्रस्तुत कर दिये गये हैं और शेष एक मामले में संबंधित शिक्षक की 6-1-1978 को कनाडा में मृत्यु हो गई । उनके पति भी कनाडा में रह रहे हैं जिनसे इस मामले पर पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

**बाल भारती उच्चतर माध्यमिक स्कूल नई दिल्ली का बन्द होना**

9585. **श्री यादवेंद्र दत्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली स्थित बाल भारतीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्कूल के बन्द होने से पूर्व इस स्कूल के सब कर्मचारियों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में खपा लिया जायेगा ;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारी को जिसकी नियुक्ति समय पर नहीं की जाती उसे अपना वेतन तब तक मिलता रहेगा । जब तक उसकी नियुक्ति अन्य किसी स्कूल में नहीं हो जाती और उसकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं आयेगा; और

(ङ) क्या स्कूल बन्द होने से पूर्व कर्मचारियों का मार्च, 1974 से बकाया 5 प्रतिशत वेतन का, जब स्कूल को नियंत्रण में लिया गया था; भुगतान भी किया जायेगा ।

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :** (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Paddy damaged in Government godowns, Faridkot**

9586. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether hunge stock of paddy worth several lakhs of ruppees has been damaged in Gevernment godowns in District Faridkot in Punjab;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) the total loss sustained; and

(d) the action Government propose to take in the matter?

**The Minister of State in the Ministry of Agricult ure & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) :** (a) No, Sir.

(b), (c) and (d) Do not arise.

**राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इन्स्ट्रक्टरों का खपाया जाना**

9587. **श्री श्याम सुन्दर दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय श्री त्रिगुण सेन द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक में जिसमें तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री वीरेन्द्र प्रकाश ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया था, विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इन्सट्रक्टरों को खपाने का निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या इस निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है, और

(ग) क्या ऐसी कोई अन्य बैठक हुई हैं जिसमें इस नियम में और ढील दी गई है जिससे इन इंस्ट्रक्टरों को विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान न रखते हुए खपाया जा सके ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :**

(क), (ख), और (ग) : कुजंरु समिति के नाम से विख्यात सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति के परिणाम स्वरूप सन् 1965 में यह निर्णय किया गया था कि स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना, सहायक केडेट कोर तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम अलग कार्यक्रमों के रूप में चलाने की जरूरत नहीं है और मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्वस्थता कोर नाम के शारीरिक शिक्षा के एक मिश्रित कार्यक्रम को देश भर में राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यह निर्णय किया गया कि भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसंधान योजना अनुदेशकों को उन्हीं राज्यों द्वारा खपाया जाना चाहिए, जिनमें वे नए कार्यक्रमों के सन्चालन के लिए कार्य कर रहे हैं। यह स्टाफ राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों के पास पहले से विद्यमान सामान्य स्टाफ से अतिरिक्त होना था और केन्द्रीय सरकार को इन कर्मचारियों का वेतन और भत्ता पूरा करने के लिये अनुदान देना था। कर्मचारियों को खपाने का निर्णय उन लोगों को रोजगार में बनाए रखने के लिये लिया गया था जिन्होंने पिछले कार्यक्रम में कई वर्षों तक सेवा की थी, क्योंकि दूसरा विकल्प था उनको उनकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस देना। तत्कालीन उप शिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन की अध्यक्षता में फरवरी, 1965 में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री बी०डी० भट्ट द्वारा किया गया था। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को यह कार्यक्रम कार्यान्वित करने में समय लगा।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 400 छात्रों की संख्या वाले दिल्ली में प्रत्येक स्कूल के लिये औसतन एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक उपलब्ध किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में आदर्श नियम सुझाए हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाया गया है कि 250 छात्रों अथवा इसके किसी एक भाग के लिये कम से कम एक अध्यापक होना चाहिए। तथापि, 400 छात्रों तक की संख्या वाले स्कूल में एक अध्यापक होना चाहिए। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियम अपनाए/अनुरूप बनाए तथा लागू किए जाने थे। दिल्ली प्रशासन को यह सुझाव दिया गया है कि एक मूल्यांकन समिति, जिसमें विशेषज्ञ हों, दिल्ली के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के कार्यकरण की जांच करने तथा शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों और खेल प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त की जाए। दिल्ली प्रशासन ने अभी यह समिति नियुक्त करनी है।

## राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इन्स्ट्रक्टरों को जूनियर व्यायाम शिक्षकों के पदों पर लेना

9588. **श्री श्याम सुन्दर दास : शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 2 नवम्बर, 1972 के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने कितने जूनियर/सीनियर व्यायाम शिक्षक भर्ती किये।

(ख) क्या उनको भर्ती रिक्त पदों पर की गई ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिनांक 1 नवम्बर, 1972 को शिक्षा निदेशालय द्वारा अपने अधीन लिये गये राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के सभी इंस्ट्रक्टरों को उन जूनियर व्यायाम शिक्षकों की भर्ती से पूव जूनियर व्यायाम शिक्षकों के पदों पर ले लिया गया था ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 8 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और 7 जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था तथा 1973 में 8 जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पद पर पदोन्नति की गई थी ।

(ग) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा 1972 में खपाये गए 12 एन० डी० एस० अनुदेशकों को शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियमित संख्या के विरुद्ध समायोजित किया गया था ।

**कम लागत वाली आवास योजनायें**

9589. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम लागत वाले मकानों के लिए बनाई गई अन्तिम पद्धति क्या है और निर्धारित अवधि के अन्दर कम लागत वाले मकानों की योजना को सही रूप से कार्यान्वित करने संबंधी कार्यक्रम क्या है, और

(ख) विकसित किए गए उपयोगी माडलों के कम लागत वाले कितने मकानों का निर्माण किया गया है, और

(ग) क्या सरकार का विचार कम लागत वाले मकान बहुत अधिक संख्या में बनाने का है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) देश के विभिन्न भागों की स्थितियों के अनुकुल कम लागत के मकानों के नमूने प्रस्तुत करने के लिये केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसन्धान केन्द्रों और राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड आदि जैसे संगठनों के माध्यम से सरकार अनुसंधान तथा विकास कार्यों को प्रोत्साहन दे रही है। हुडको कम लागत के मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहा है और हुडको 55% पोषण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों के लिये ऐसे मकान बनाने के लिये ही सुरक्षित है जो क्रमशः 8,000 रुपये और 18,000 रुपये से कम लागत के है ।

(ख) बेरसराय दिल्ली में कम लागत के मकानों के प्रदर्शन में जिनकी अभिकथन संकल्पना में स्थानीय निर्माण सामग्री के व्यापक प्रयोग और प्रयुक्त नई निर्माण तकनीकों को देश की बहुत सी एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय वन संगठन द्वारा ग्रामीण भूमिहीनों के लिए विशेष प्रकार के अभिकल्पन प्रस्तुत किए गए हैं और उनका काफी प्रचार हुआ है तथा बहुत सी राज्य सरकारों ने स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार जिसकी आवश्यकता हो ऐसी फेरबदल करते हुए भारी संख्या में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया है आवास और नगर विकास निगम ने कम लागत के मकानों के कुछ अभिकल्पनों का विकास किया है। हैदराबाद, आगरा, गाजियाबाद और बम्बई में चार प्रदर्शनों परियोजनाएं चलाई गई जिनमें 1050 मकान निर्माणाधीन हैं और 250 मकान पहले ही पूरे हो चुके हैं इसके अतिरिक्त हुडको अपने खरीदारों को इसके लिए कारवाई करने के लिए प्रयत्न कर रहा है कि वे हुडको के द्वारा विकासित कांडलों अथवा उनके (खरीदारों) द्वारा विकास की गयी डिजाइनों के आधार पर अपने राज्यो में विभिन्न स्थानों पर किसी प्रकार की प्रदर्शनी परियोजनायें प्रारंभ करें ।

(ग) जी, हां,



20 LSS/78—10

**प्रायोगिक आवास के लिये कम लागत के मकानों का आवंटन**

9590. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**

**श्री आर० मोहनरंगम :**

क्या **निर्माण आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम लागत के मकानों का प्रदर्शन करने के बाद ऐसे मकान प्रायोगिक आवास के लिए कुछ व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं, और

(ख) ऐसे मकानों की संख्या क्या है, वे कहां-कहां पर स्थित हैं, प्रायोगिक आवास कितनी अवधि से किया जा रहा है, निवासियों का चयन किस आधार पर किया गया है और उनसे किस दर पर और कितनी राशि का किराया वसूल किया गया है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) जी, हां।

(ख) कम लागत के प्रर्दशन मकानों का आवंटन सामान्यतया संबंधित आवास एजेन्सियों द्वारा अपनी सामान्य प्रक्रिया तथा सामान्य आवंटन की शर्तों के अनुसार किया जाता है। नई दिल्ली स्थित बेरसराय प्रदर्शन परियोजना में निम्न आयें वर्ग के परिवारों के लिए 36 रिहायशी एकक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए 33 रिहायशी तथा ग्रामीण आवास ऋण के पांच रिहायशी एकक बनाये गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए कम लागत के प्रदर्शन मकानों को स्टाफ क्वाटरों में बदल दिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवंटित किए गए तथा उनके लिए किराया स्टाफ क्वाटरों के आवंटन नियमों के अनुसार वसूल किया जाता है।

हुडको के आगरा के प्रदर्शन प्रोजेक्ट में 237 मकान किराया खरीद आधार पर आवंटित किए गए हैं। आवंटी वहां पिछले $1\frac{1}{2}$ साल से रह रहे हैं।

**इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैकनोलोजी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण**

9591. **श्री आर० एल० कुरोल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आयुक्त द्वारा वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन में इंडियन इंस्टीटूयट आफ टेकनोलोजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्तमान 5 प्रतिशत आरक्षण कोटे को बढाकर 20 प्रतिशत किये जाने की सिफारिशों की सरकार ने अभी तक क्रियान्विति नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :** (क) और (ख) : क्योंकि दाखिले की अर्हताओं में ढील देकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए आरक्षित वर्तमान 5 प्रतिशत तथा अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 20 प्रतिशत कोटे का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, अतः उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति**

9592. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने कनिष्ठ इंजीनियरों को आम वर्ग में एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में 1972 के बाद से पदोन्नति किया गया है,

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, यदि नहीं, तो उसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कनिष्ठ इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सेवा में हैं और उनमें से कितने लोगों ने विभागीय पदोन्नति के लिए 10 वर्षों की अपेक्षित सेवा पूरी कर ली है, और

(घ) क्या कनिष्ठ इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति नीति को केवल इस आधार पर बदला जा रहा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों को मिलने वाली पदोन्नति से उन्हें वंचित किया जा सके चूंकि विभाग द्वारा रखी जा रही वरिष्ठता सूची में उन सब का नाम ऊपर है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) तथा (ख) 1972 से 562 जूनियर इंजीनियर (सिविल) जिनमें अनुसूचित जाति के 34 तथा अनुसूचित जनजाति के 3 तथा 151 जूनियर इंजीनियर (विद्युत) जिनमें अनुसूचित जाति के 19 हैं, सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों का विधिवत् पालन किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 183 जूनियर इंजीनियर (सिविल) हैं । इनमें से 104 ने 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है । जूनियर इंजीनियर (विद्युत) के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के 99 अधिकारी हैं जिनमें से 25 ने इस ग्रेड में 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है ।

(घ) जी, नहीं ।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा हानि को बट्टे खाते में डाला जाना**

9593. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा हानि का 'बट्टे खाते' में डाले जाने के मामले बढ़ रहे हैं और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के लिये किसी पर दायित्व निश्चित करने हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी नहीं, भारतीय खाद्य निगम हानि के मामलों की उनको नियमानुकूल करने से पूर्व पूरी जांच पड़ताल करता है। 1973-74 से 1977-78 तक हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मूल्य-रु० करोड़ में)

| वर्ष | हानि का मूल्य | खरीदारी और बिक्री का मूल्य | खरीदारी और बिक्री के मूल्य पर हानि की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1973-74 | 23.46 | 2899.67 | 0.8 |
| 1974-75 | 35.97 | 3283.11 | 1.1 |
| 1975-76 | 33.31 | 4048.88 | 0.8 |
| 1976-77 | 34.46 | 3724.55 | 0.9 |
| 1977-78† | 35.66* | 3175.04 | 1.0 |

†संशोधित अनुमानों पर आधारित, लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

* नवम्बर, 1977 में तूफान के कारण आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्टाक की हुई क्षति के 1.25 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यह विदित क्षेत्र के पिछले पांच वर्षों के दौरान हानि सें उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृति का संकेत नहीं मिलता।

### Housing Problem

9594. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government can assure complete solution of housing problem on their own within a given period; and

(b) if not, the reasons for not considering a scheme for solution of this problem within a fixed time by obtaining private sector cooperation ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :** (a) and (b) The ratio between the public sector investment and private sector investment in housing in the Fifth Five Year Plan has been about 1 : 4. For us to aim at a target of providing a house to each household within a definite time frame, the rate of investment in housing in the public and private sectors will have to be stepped up.

The main highlights of the proposed future programme in the field of housing are:—

(i) Adoption of a housing programme aimed at clearing the backlog and meeting the additional demand due to population growth and replacement of unusable houses over a period of 20 years;

(ii) Restricting utilisation of public funds for low income households so that larger number of dwelling units are constructed with the resources allocated to this sector;

(iii) Provision of incentives to the private sector for taking up housing on a large scale.

The Annual Plan outlay for 1977-78 was Rs. 135.30 crores as against Rs. 69.75 crores in 1974-75. Allocation for housing schemes in the 6th Plan has been proposed at the enhanced figure of Rs. 1538 crores, as against Rs. 600.92 crores in the Fifth Plan.

**Assistance to Cultural Organisations**

9595. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of new Cultural Organisations which were given assistance in the form of grants for cultural development in 1977-78;

(b) the number of organisations among them which asked for grants; and

(c) the grounds on which the remaining organisations were not given assistance?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):** (a) and (b) Of 147 new cultural organisations which applied for grants under the scheme operated by this Department, the Sangeet Natak Akademi and the Lalit Kala Akademy 61 organisations were given assistance in the form of grants for their cultural development during 1977-78 ;

(c) Apart from the limited funds available for giving financial assistance, most of the organisation did not satisfy the requisite conditions prescribed under the respective schemes.

**Price of 251-Horse-power Tractor**

9596. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will tke Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the prices of tractors of 25-horse-power which are mostly used by small or middle farmers;

(b) whether there is considerable demand for such lower horse-power tractors and power tillers but their prices are too high; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :** (a) Government are not considering any such proposal.

(b) The demand for such low horse-power tractors is estimated at around 28% of the total production of tractors of all horse-powers. The total demand for power tillers has, however, been small ranging from 1500 to about 2500. The high prices of tractors and power tillers reflect the high cost of their production.

(c) Government have recently abolished the excise duty on tractors of 12 draw-bar horse-power and below. Government had earlier exempted from excise duty tyres, tubes and batteries used in the production of tractors generally. Further, in order that the small farmers are not prevented from using the tractors and power tillers because of their high pices, arrangements have been made in several areas to provide this facility on custom hiring basis.

**Unauthorised Construction in Delhi**

9597. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilition** be pleased to state the action taken for regularising the unauthorised construction in various parts of Delhi and Government's policy in regrd thereto ?

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht)** : Government had decided to regularise various unauthorised colonies in Delhi subject to certain terms and conditions. An Implementation Body had been set up under the Chairmanship of Lt. Governor of Delhi to watch the progress of regularisation and development of unauthorised colonies. The Municipal Corporaion Delhi and Delhi Development Authority are conducting physical survey for preparation of regularisation plans. Unauthorised constructions in approved colonies and areas are, however, not considered for regularisation but are dealt with in accordance with the provisions of law.

## गुजरात में छोटे रेशे वाली रुई का उत्पादन और उसका मूल्य

9598. **श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और अन्य भागों में वी-797 किस्म की छोटी रेशे वाली रुई का इस वर्ष क्षेत्रवार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) चालू मौसम के आरम्भ की रुई का प्रति 'खंडी' (क्विन्टल) मूल्य क्या था और अब उसका मूल्य क्या है ;

(ग) किसानों के पास पहले वर्ष की शेष चली आ रही ऐसी रुई अनुमानतः कितनी थी और चालू मौसम के शुरु में उसका मूल्य क्या था और उसका इस समय मूल्य क्या है ;

(घ) क्या इस रूई के उत्पादकों ने राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए उन्हे राहत दी जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हे राहत देने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) वर्ष 1976-77 के लिए कपास की वी-797 किस्म के उत्पादन के अनुमान जिसके अद्यतन आंकड़े गुजरात सरकार से प्राप्त हो गए हैं, नीचे दिए गए हैं :—

| क्षेत्र | उत्पादन |
|---|---|
| | ('000 गाठें) |
| सौराष्ट्र | 145.6 |
| कच्छ (जिला) | 75.0 |
| गुजरात के अन्य भाग | 274.2 |

(ख) चालू कपास मौसम (फरवरी, 1978) के आरम्भ में इस किस्म का प्रति केन्डी मूल्य 3650 रुपए तथा 3850 रुपये के बीच रहा। इसका वर्तमान मूल्य 2400 रुपये तथा 2500 रुपये प्रति केन्डी के बीच है। इस मूल्य में कमी का कारण कपास की घटिया किस्म तथा मांग का कम होना बताया गया है।

(ग) उत्पादकों के पास पहले वर्ष से लाया गया ऐसी कपास का कुल अनुमानित स्टाक लगभग 67,000 गाठें था। चालू मौसम के शुरू में इसका मूल्य 3300 रुपए तथा 3400 रुपए प्रति केन्डी के बीच था और इस समय मूल्य 2200 रुपए तथा 2300 रुपए प्रति केन्डी के बीच है।

(घ) उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अनुरोध किया है कि भारतीय कपास निगम को उत्पादकों के पास पड़ी हुई कपास के अनबिके समस्त स्टाक को खरीद लेना चाहिए

(ड) भारतीय कपास निगम पहले से ही राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं से कपास की वी-797 किस्म तथा वी-797 किस्मों की पूर्णतया दबाई गई गांठों की खरीद कर रही है। भारतीय कपास निगम ने 29-4-78 तक 66,194 क्विंटल कपास, 9,105 क्विंटल लिन्ट और 3300 पूर्ण रूप से दबाई गई गांठें खरीदी। खरीदारी अभी भी चल रही है।

### Increasing production of ajmeri blossoms of mangoes

9599. **Shri Dharamsingbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government or Gujarat Government have formulated a scheme for increasing the production of Ajmeri blossoms and for growing four kinds of mangoes on one mango tree in Gujarat and if so, the nature thereof;

(b) the number of scions of Ajmeri blossoms and that of the said mango trees proposed to be planted in Gujarat under the said scheme;

(c) the quantum and nature of assistance proposed to be given by the Central Government to the Gujarat Government for the said scheme; and

(d) the number of each scion of Ajmeri blossoms and each kind of mangoes likely to be produced under the said scheme ?

**The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh fBarnala)** : (a) There is no Central Government scheme for increasing the production of Ajmeri blossoms and for growing 4 kinds of mangoes on one mango tree in Gujarat. However, the State Government of Gujarat have formulated a scheme for Ajmeri ber budding in the State sector. Under this scheme, inferior ber trees are budded with the improved variesties under the technical guidance of Agriculture Department. The State Government also do not have any scheme for growing 4 kinds of mangoes on one mango tree.

(b) It is proposed to convert 10,000 inferior ber trees into improved ones. Since there is no scheme for growing 4 kinds of mango fruits on one tree the information with regard to the number of the trees proposed to be planted may be treated as nil.

(c) The Central Government has no proposal to give assistance to Gujarat Government for the said schemes. The State Government have, however, sanctioned Rs. 14,000/- for the scheme for top-working for Ber trees. Entire cost of Ber budding will be met by the State Agriculture Department.

(d) Under the Ber Budding Scheme 10,000 inferior grade trees are proposed to be improved by top-working at the rate of 2,000 in each of the 5 selected districts namely, Banaskantha, Mehsana, Rajkot, Amreli and Kutch. Information regarding mango may be taken as nil.

### Punjab Wakf Board

9600. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
**Shri Bhagat Ram :**

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to Bulletion Part II No. 2093 dated 7th December, 1974 and state:

(a) whether the Chairman of Punjab Wakf Board was arrested;

(b) the reasons for his arrest; and

(c) whether prosecution is still being launched against him.

**The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):** (a) to (c) According to the information furnished by the Punjab wakf Board, the Chairman of the Board was never arrested in his capacity as the Chairman of the Board. However, in accordance with the information given in the Lok Sabha Bulletin No. 2082 dated 3rd December, 1974 (copy furnished by the Chairman, Punjab Wakf Board), Shri Tayyab Hussain, who was then a Member of Parliament from Gurgaon, was arrested on 30th November, 1974 on the bais of warrant issued by the Special Judicial Magistrate, Ambala Cantt. under Sections 148/149/307/324 IPC, P.S. Nuh, Distt. Gurgaon, in connection with an incident, which occurred on 2nd August, 1973 on the occasion of cooption of Harijan and Lady member of the Pnachyat Samiti of Nuh. However, he was released on bail. According to the Board all the accused were subsequently discharged by the Distt. Session Judge, Gurgaon, on 7th February, 1975 and no prosecution is now pending.

## सभापटल पर रखे गए पत्र

**(Papers laid on the table)**

भारत सरकार के मुद्रणालयों की प्रशिक्ष् योजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 266 दिनांक 13-3-78 के उत्तर में शुद्धि ।

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बक्त)** : मैं भारत सरकार के मुद्रणालयों की प्रशिक्ष् योजना के बारे में श्री नवाब सिंह चौहान के तारांकित प्रश्न संख्या 266 पर श्री छविराम अर्गल के अनुपूरक प्रश्न के 13 मार्च, 1978 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल०टी० 2248/78**]

**श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद)** : मंत्रियों को चाहिए कि वे सही उत्तर देने में अधिक कुशलता से काम लें । उत्तर को शुद्ध करने में दो महीने का समय बहुत अधिक है । ऐसे मामलों में आपका आसानी से समाधान नहीं होना चाहिए । यह निदेश 16 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले की गहराई से छानबीन करने इसके लिए पहले सूचना देनी चाहिए थी ।

**पश्चिमी बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड**

**कलकत्ता के वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन और कोट-नाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना**—गुजपात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरए ।

**कृषि धौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति :—

(एक) पश्चिम बंगाल बन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) पश्चिम बंगाल बन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिपणियां ।

(तीन) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल० टी० 2249/78]

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 200 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2250/78]

(3) गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, बड़ोदरा के 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी* संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2251/78]

**भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1976—77 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण**

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे आदि आदि

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2252/78]

(2) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की नियमावली तथा नियमों के नियम 44(घ) के साथ पठित नियम 45 के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसधान परिषद् के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2253/78]

(3) (एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) (क) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा

(ख) लेखे का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2254/78]

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर 17 अप्रैल, 1978 को रखा गया था।

(4) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष, 1976-77 के लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए संख्या एल०टी०** 2255/78]

(5) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) (क) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा

(ख) उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए संख्या एल०टी०** 2256/78]

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर-पूर्व) : कई वर्ष पहले लोक लेखा समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, के प्रबन्धकों के विरूद्ध 114 आरोपों की जांच पड़ताल की थी और सरकार से एक समिति नियुक्त करने के लिए कहा था। तो क्या सरकार ने उसके निष्कर्षों को देखते हुए कोई कदम उठाये हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : समिति नियुक्त की गई थी। उसके प्रतिवेदन पर सचिवों की समिति ने विचार कर जो कहा है उसकी छानबीन की जा रही हैं। हाल में भी लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर जांच करने के लिए कहा है। इसके लिए हमने सतर्कता विभाग का एक अधिकारी नियुक्त किया है।

**अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और दो विवरण**

**डा० प्रताप चन्द्र चन्दर** : मैं *श्रीमती* रेणुका देवी बरकट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये संस्थान के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(3) उपर्युक्त (10) और (11) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए संख्या एल०टी०** 2257/78]

नगरीय भूमि (उच्चतम सीमा तथा विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 1978

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर)** : मैं नगरीय भूमि (उच्चतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत नगरीय भूमि उच्चतम सीमा तथा विनियमन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 502 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2258/78)

केला और फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत केला और फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2259/78]

# नियम के अधीन मामले

## (MATTERS UNDER RULE 377)

### एक मैसर्स इस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स और सी० एम० आई० लिमिटेड, दामचांद बिहार के कुप्रबंध का समाचार

**Shri R.L.P. Verma** (Koderma) : Due to mismanagement and differences among the directors in M/s. Eastern Managanese and Minerals and C.M.I. Ltd., Domchand (Bihar), 4000 workers thereof have not received their wages and arrears amounting to Rs.48 lakhs which are due since 1975. Inspite of the present labour laws and company law, legal action could not be taken and now telegraphic information has been received about workers dying of hunger. There is no other industry in this area. Let the Law Minister take immediate action so that the lives of 4000 workers may be saved.

### (दो) दल बदल विरोधी विधेयक का पुरःस्थापन

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि दल-बदल-विरोधी-विधेयक विपक्षी दलों के साथ बातचीत पूरी हो जाने पर, जो कि उस समय चल रही थी, सभा में लाया जायेगा। परन्तु नौ से अधिक महीने बीत जाने पर भी यह विधेयक सामने नहीं आया। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। और यदि नहीं, तो सरकार को चाहिए कि वह इस सभा को यह विधेयक पेश करने में हो रहे विलम्ब के कारण बतायें।

### तीन चम्बल घाटी में जल निकास की आवश्यकता

**Shri Chhabiram Argal** (Morena) : I want to draw the attention of the House to the need for providing drainage facilities in Chambal area and for stopping land erosion in Chambal ravines

For the last 10-12 years the drainage problem in chambal area has acquired serious proportions because of seepage of water from the chambal canal system. If immediate steps are not taken to remedy the situation, thousands of acres of land will be destroyed. Although the Irrigation Department has taken the drainage work in hand, that Department do not have necessary technical knowledge and experience. In order to solve the problem it is necessary that the Indian Council of Agriculture Research is asked to set up a research centre in that area.

It is also necessary that whatever cultivable land is there in the Chanbal ravines, is distributed amongst Harijans and Tribals and on the land which is not cultivable tree plantation drive is started on war footing so that land erosion can be stopped there.

## पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83 के सन्बन्ध में
## MOTION RE : DRAFT FIVE YEAR PLAN, 1978—83

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैंने पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर माननीय सदस्यों के विचार सुने। यह भी कहा गया कि मैं हमेशा ही सही होता हूं और किसी के पास दलील देने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में मैं किसी के विचार का विरोधन उसे समझने के लिए करता हूं। यह भी कहा गया कि यह योजना पिछड़ी हुई है। कुछ व्यक्तियों ने विशेषकर उन व्यक्तियों ने जो मार्क्सवादी दर्शन को मानते हैं उसे पूंजीवादी योजना बताया है। परन्तु मैं न तो पूंजीवाद और न ही मार्क्सवाद में विश्वास रखता हूं। लेकिन इस योजना के विषय में इस तरह विचार करना सही नहीं है। यह योजना उस नई नीति का परिणाम है जो मेरी सरकार ने सत्तारुढ़ होते समय घोषित की थी।

यह भी कहा गया है कि यह योजना जल्दी में बनाई गई है। इसे बनाते समय सावधानी से काम नहीं लिया गया है और पहले की तरह सभी से सलाह लेकर नहीं बनायी गयी हैं। योजना को शीघ्रता में बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि हमने तेजी से काम किया है क्योंकि नई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हम और एक वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें साथ-साथ परामर्श भी लेना पड़ा। योजना आयोग की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए की उसने इतनी तेज गति और कुशलता से काम किया।

इस देश में आयोजना का काम मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरु के कारण आरम्भ हुआ। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। आयोजना का विचार लोगों से मनवाने के लिए पंडित नेहरू को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे स्वीकार किया।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह योजना अपने में बिल्कुल पूरी है और इसमें सुधार की गंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें जो सुधार किये जायें वे व्यावहारिक तरीके से होने चाहिए।

हमारा यह अनुभव रहा है कि आयोजना की एक कमी थी। हमने पहले पांच वर्ष की योजना बनाई और फिर उसे वहीं छोड़ दिया। तीन वर्ष बाद जागे और नई योजना बनाना आरम्भ कर दिया और यह नहीं देखा कि क्या किया जा रहा है। इस प्रकार उसकी क्रियान्विति की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आयोजना को एक नया दृष्टिकोण दिया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण है कि पंचवर्षीय योजना तैयार करें और पहले वर्ष के अन्त में किये गये काम का मूल्यांकन करें और यह देखें कि क्या कमियां रह गई और क्या संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाये। इस प्रकार अगले वर्ष के लिए योजना को विनियमित करें ताकि वह वास्तविकता पर अधिक आधारित हो और उस पर अमल किया जा सके। इसीलिए हमारी आयोजना को रोलिंग प्लान कहा गया है।

हम इस योजना के बारे में पांचों वर्ष राज्यों से सलाह न ले सके। यह संभव न था। परन्तु पहले वर्ष तो राज्यों से ठीक प्रकार परामर्श लिया पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष की योजना के विषय में उनकी सहमति प्राप्त कर ली। उनकी सहमति से पहले वर्ष की योजना तो ठीक प्रकार चल गई है और अगले चार वर्षों की योजना भी योजना आयोग द्वारा सामने रखी गई है जो उसके प्रारूप की शकल में हमारे सामने हैं।

एक सुझाव यह दिया गया है कि जिस प्रकार पहले योजना में एक सैल बना हुआ था जहां संसद सदस्य जाकर चर्चा करते थे, फिर से ऐसा सैल स्थापित किया जाना चाहिए। मैंने ऐसी व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष से कहा है।

यह भी कहा गया है कि आयोजना निचले स्तर से तैयार होनी चाहिए। क्या योजना को ग्राम स्तर या जिला स्तर पर तैयार करना संभव है? लेंकिन इतना आवश्यक है कि योजना को राज्यों की सहायता से बनाया जाना चाहिए। इस समय भी ऐसा किया जा रहा है।

मुझें आशा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् समूची योजना के बारे में किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच जायेगी।

यह कहा गया है कि यह योजना पूंजीवादियों के हित में है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उद्योगों और व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। यह इस सरकार की नीति नहीं है और न ही तो सरकार की यह नीति होगी। इस दृष्टि से दोनों बातें अर्थात् पूरी तरह से नियंत्रण हों अथवा नियंत्रण न हो गलत है। हम गांधीजी के समाजवाद में विश्वास करते हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। मैं समाजवाद का अर्थ समझता हूं ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति का शोषण न हों। ऐसे समाज में हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा सबको विकास के बराबर अवसर प्राप्त होने चाहिए। यही समाजवाद है........ (व्यवधान)। सम्भवतः माननीय सदस्य को बुनियादी बातें समझने में कई वर्ष लगेंगे। यदि यह परिभाषा सही नहीं है तो मैं सही परिभाषा जानने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि मैं प्रधान मंत्री हूं अतः सबसे वरिष्ठ हूं। मेरी जिम्मेदारियां अधिक हैं अतः आपकी मेरे प्रति सहृदयता होनी चाहिए। समता के अर्थ नें अन्य दल की समता भी सन्निहित है।

अतः इस योजना में भी इसी नीति को लिया गया है और यदि इसमें "समाजवाद" का उल्लेख नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बार-बार हम इसे दुहराएं। विश्व इसे प्रमाणिकता दे रहा है तथा विश्व के अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी गांधीवाद को मान्यता दे रहे हैं। यदि आप विश्व का साहित्य पढ़ें तो आपको मालूम होगा वे सब इसकी ओर आ रहे हैं और यह महसूस करते हैं कि विश्व की सुरक्षा के लिए गांधीवाद ही एक मात्र रास्ता है। उसमें उन्हें कठिनाई यह है कि वहां इसके लिए पृष्ठ भूमि नहीं है। गांधीजी केवल आदर्शवादी नहीं थे किन्तु वह बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति थे। यही कारण था कि वह इस देश को आजाद कराने में सफल हुए।

मैं भी इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता हूं और मेरी सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। चर्चा के दौरान विकास दर की भी बात आई। 4.7 प्रतिशत की विकास दर कम है और हमारे दल की यह नीति है कि इसे 7 प्रतिशत किया जाये। हमने इस बारे में प्रयत्न किया है। यह संभव है कि एक वर्ष में यह प्राप्त किया जा सके किन्तु औसत रूप से पांच वर्षों तक यह सम्भव नहीं है। अतः हमें बारीकी से इसका मूल्यांकन करना है। अच्छा है यदि 7 प्रतिशत तक यह प्राप्त किया जा सकता है। हमारी नीति यह है कि हम 4.7 प्रतिशत से संतुष्ट न रहें। देखने की बात यह है कि यदि हम 7 प्रतिशत कहें और फिर 3.5 प्रतिशत पर आयें तो इससे बड़ी निराशा होगी। योजना तथा प्रगति के लिए यह अच्छा वातावरण नहीं होगा। अतः हमने 4.7 प्रतिशत रखा है किन्तु हमारा यह प्रयास होगा कि हम इससे अधिक प्राप्त करें और किसी भी हालत में इससे कम न आयें। यदि हम 7 प्रतिशत की बात कहते हैं तो 13,000 करोड़ रुपये के संससाधनों का योजना प्रारूप में जो प्रसाव किया गया है उसके बारे में कुछ लोग यह सोचते हैं कि यह बहुत अधिक है और इसे जुटाना संभव नहीं होगा। बजट के समय इसी सभा में करों को कम करने और अधिक व्यवस्था करने के बारे में प्रायः कहा जाता है किन्तु क्या कभी यह सोचा गया है कि यह कैसे किया जाये। उद्योगपति राहत की बात करते हैं और हर एक अपनी ही बात करता है। वास्तव में हम सब एक हैं और हमें सामूहिक रूप से इस बारे में विचार करना चाहिए। सबकी खुशहाली होगी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। यह ठीक है कि निम्नस्तर

के लोगों का पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। गांधी जी ने इसे अन्त्योदय कहा है। सर्वोदय को भी अन्त्योदय कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम निम्न स्तर के व्यक्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए और इससे स्वतः ही सबका ध्यान रखा जायेगा। राजस्थान ने अपने ढंग से इसे चलाया है। वहां उन्होंने प्रत्येक गांव में पांच सबसे गरीब परिवारों को लिया है और वे एक या दो वर्ष में यह देखेंगे कि उन परिवारों को रोजगार मिलता है और वे खुशहाल होते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 150,000 परिवारों को लिया जायेगा। यह योजना उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। अतः हम इस प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार की यह पहली योजना है। इसीलिए हमें विकास के बारे में भी देखना है कि हमें किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भदभाव नहीं करना है। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के अंग हैं। गांवों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं। यदि गांव सुखी होंगे तो शहरों की भी प्रगति होगी। गांवों के अधिशेष उत्पादन का उपभोग करने के लिए शहर हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र के बारे में उचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अब तक इसके बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं मानता कि पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। यह कहने का एक चलन हो गया है इसमें सरकार और विपक्ष दोनों का सम्बन्ध है। मैं स्वयं भी विपक्ष में रहा हूं और मुझे इस बात की अच्छी जानकारी है। मेरा विपक्ष के प्रति आदर का भाव है। अतः सरकारी पक्ष का यह दायित्व हो जाता है कि विपक्ष जिम्मेदारी से काम करें। किन्तु विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पक्ष में भी मनुष्य हैं। अतः विकास के बारे में भी हमें यह देखना है कि वास्तव में क्या हो सकता है अथवा क्या व्यावहारिक है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बारे में कहा गया है कि राज्यों को अधिक सहायता दी जानी चाहिए। अब योजना से स्पष्ट हो जायेगा कि राज्यों को अधिक सहायता दी जा रही है। पहली बार राज्यों की योजनाएं कुल मिलाकर केन्द्रीय योजना से अधिक हैं। पहले केन्द्र की योजना अधिक होती थी। यह इस कारण से है कि हम अब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह मांग की जा रही है कि राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये जायें किन्तु प्रश्न यह उठता है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी आवश्यकताओं को केन्द्रीय सरकार कैसे पूरी करें।

संविधान यह सब ध्यान में रख कर बनाया गया है ताकि इतने बड़े देश की पूरी तरह से देख-भाल हो सके। हमारा देश राज्यों का एक संघ है। इसमें केन्द्र की वही भूमिका एवं स्थान है जो एक मोती की माला में सबको साथ रखने की तागे की भूमिका होती है। अतः राज्यों के साथ-साथ केन्द्र को भी मजबूत होना है। इस बात को केन्द्र को देखना है कि यह स्थिति सुचारू रूप से बनी रहे। यही कारण है कि एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। यह आयोग समय-समय पर राज्य और केन्द्र के बीच संसाधनों के वितरण पर विचार करता है जिससे राज्यों की उचित रूप से सहायता हो सके तथा और केन्द्र अपना कर्त्तव्य निभा सके। संविधान में वित्तीय व्यवस्था का यही स्वरूप है। राज्यों की योजनाओं पर विचार किया जाना है और यह देखा जाता है कि राज्य ऋणग्रस्तता की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि राज्य रिजर्व बैंक से लगातार रुपया लेते रहे हैं। यह सब विधिवत किया जाना है जिससे मुद्रास्फीति न हो।

मूल्यों के बारे में आपने देखा है कि इस वर्ष मार्च में मूल्य गत वर्ष मार्च से अधिक नहीं रहे हैं। यद्यपि मूल्यों में बहुत कमी नहीं आई है किन्तु यदि आती है तो हमारे ऊपर यह जोर दिया जाता है कि मूल्य बढ़ाये जाने चाहिएं। जब तक सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य कम नहीं होते जब तक उप-भोक्ताओं और देश को लाभ नहीं होगा। हम अब तक विकास का पाश्चात्य तरीका अपनाते रहे हैं यह बहुत महंगा है। पश्चिमी देशों में उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था ठीक रखने के लिए बहुत कुछ बरबाद करना पड़ता है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वहां बेरोजगारी हो जायेगी। जितना वहां उत्पादन होता है वह बिक जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो कारखाने बन्द हो जायेंगे और बेरोजगारी हो जायेगी।

हम अर्थ-व्यवस्था के विकास का पश्चिमी ढंग अपना रहे हैं जो बहुत ही महंगी अर्थव्यवस्था है। वह बढ़ती ही जाती है। जब तक यह सस्ती अर्थव्यवस्था नहीं बनती तब तक हम गरीब लोगों का उत्थान नहीं कर सकते। अतः हमें इस देश में सस्ती अर्थ-व्यवस्था लानी होगी। और यह केवल तभी हो सकता है जब उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादिता बढ़े और जब पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो, जब अधिकांश लोगों के लिये सभी उपभोक्ता सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है हम ग्रामीण क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि गांवों में अधिक बेकारी है। इस देश में पूर्ण बेकारी की तुलना में आंशिक बेकारी अधिक है। अतः हमें प्रत्येक को पूर्ण रोजगार देना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में यह सब करना है अतः हमने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गांवों में पूर्ण रोजगार हो।

यह सच है कि जब तक इस देश में पंचायतें सुचारू ढंग से कार्य नहीं करती तब तक हम जो कुछ करना चाहते हैं ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे। इसी कारण हमने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उचित सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन किया है ताकि हम पंचायतों का कार्यकरण सुधार सकें।

हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कुटीर उद्योग, जिसके लिये यह देश शताब्दियों से प्रसिद्ध है, पुनः चालू हो और प्रत्येक घर में एक कुटीर उद्योग हो। इस मामले में जनता की राय, गैर-सरकारी प्रयासों की आवश्यकता होगी और इसके लिये सरकार भी सहायता देगी।

इसके बाद श्रमिकों का प्रश्न आता है। श्रमिक एक भागीदार होता है वह न केवल लाभ में बल्कि हानि में भी भागीदार होता है। अतः हमें यह देखना है कि कहीं हानि न हो। अतः इसके लिए हम औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक विधेयक शीघ्र ही ला रहे हैं।

उद्योग के बारे में दो बातें कही गई हैं। यह कहा गया है कि विदेश व्यापार का पूर्णतया राष्ट्रीय-करण कर दिया जाये। यदि ऐसा कर दिया गया तो यह खतरनाक होगा और इसे उन्मुक्त भी नहीं छोड़ा जा सकता। एक उचित माध्यम मार्ग ढूंढना होगा। ऐसा ही हम कर रहे हैं।

यह कहा गया है कि आयात को उदार बनाने से हानि होगी। हम आयात को बिना सोचे समझे उदार नहीं बनाएंगे। हम केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करेंगे जिनकी यहां कमी है। जिन वस्तुओं का निर्माण यहां नहीं होता, उन्हीं का निर्यात किया जायेगा। पहले सरकारी संस्थान घाटे में चल रहे थे अब धीरे-धीरे लाभ में चलने लगे हैं। उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से भी अधिक कुशल होना है। हम इस प्रयास में लगे हैं कि वह अधिक कुशल ढंग से कार्य करें।

आत्म-निर्भरता के प्रश्न पर भी हम उचित रूप से विचार कर रहे हैं। हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी से कोई सम्बन्ध ही न रखें। हमने 270 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करायी हैं जब कि 1951 से पहले ये सुविधाएं 230 लाख हेक्टेयर भूमि में उपलब्ध थी। अगली पंचवर्षीय योजना में हम और 170 लाख हेक्टेयर भूमि में ये सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार अगले पांच वर्ष में 18,500 किलोवाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न की जायेगी जो वर्तमान उत्पादन से 76 प्रतिशत अधिक होगी।

अतः ध्यान से देखा जाये तो हमने अपनी घोषित नीति के अनुरूप इस योजना को बनाया है। यदि योजना की तैयारी में थोड़ा विलम्ब हुआ है तो उसका कारण यह है कि हम ऐसी त्रुटियों को नहीं लाना चाहते जिनसे बचा जा सकता हो। हम योजना को शत प्रतिशत लागू करना चाहते हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की)** : मैं दो मुद्दों पर बोलना चाहूंगा। पहला मुद्दा अनवरत योजना का है। आज तक यह होता था कि योजना के प्रत्येक वर्ष उसके निष्पादन का मूल्यांकन होता था, कमियों का जायजा लिया जाता था और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रक्रियाओं को इस अनवरत योजना में भी अमल में लाया जायेगा या इसके लिए आप कोई अलग ही प्रक्रिया अपनाएंगे। इस बारे में आपके क्या सिद्धांत है ?

दूसरी बात है आत्मनिर्भरता के बारे में। यह कहा गया है कि जो योजना चल रही हैं उन्हें ही पूरा किया जायगा, क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा और आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। यह भी काह गया है कि कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाएगा और जो उद्योग इस मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेंगे, उन्हें बन्द कर दिया जायेगा। पर अभी प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा योजना में उससे भिन्न बातें कहीं गई हैं। आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैंने यही प्रश्न उठाया था कि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का गला घोटा जा रहा है।

**श्री मोरारजी देसाई** : हम यह नहीं चाहते कि उद्योगों का विकास न हो। पर इनका विकास आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। पिछले दिनों में अतिरिक्त क्षमता तैयार की गई जिससे हमें नुकसान ही हुआ। हमें जितने की जरूरत है हम उतना ही पैदा करना चाहते हैं। अत्यावश्यक उद्योग लगाने से कोई फायदा नहीं है।

**श्री सी०एम० स्टीफन** : आपसे आयात करने की बात कही है।

**श्री मोरारजी देसाई** : हमारे अपने उत्पादों की कीमत पर आयात नहीं किया जाएगा। हमअपने उद्योगों को बन्द करके आयात नहीं करना चाहते। (व्यवधान)...

**श्री वसन्त साठे** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कृषि के लिए अधिक धन देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। साथ ही कृषि के महत्व की भी बात कही गई है। (व्यवधान) पिछली योजना में इसके लिए 11.8 प्रतिशत और वर्तमान योजना में 12.4 प्रतिशत की व्यवस्था है अर्थात् केवल 0.6 प्रतिशत की वृद्धि।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागरा)** : हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमें यह बताएं कि मूल्यों में वृद्धि किस प्रकार रोकी जाएगी।

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस तरह सब का उत्तर नहीं दे सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेगा।

**श्री विनायक प्रसाद यादव** : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

**स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

THE SUBSTITUTE MOTION WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

**अध्यक्ष महोदय** : श्री डी० डी० देसाई।

**श्री डी० डी० देसाई** : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

**स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

THE SUBSTITUTE MOTION WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

**प्रस्ताव सं० 1, 2, 4 से 9, 17, 18 तथा 19 से 25 तक सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।**

**The Substitute Motion Nos. 1, 2, 4 to 9, 17, 18, 19 to 25 were put and negatived.**

**श्री युवराज:** मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 26 वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

**स्थानापन्न प्रस्ताव सं० 26 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The substitute motion was, by leave withdrawn**

**तत्पश्चात लोक सभा** मध्यान्ह **भोजन के लिये दो बज कर दस मिनट (म०प्र०) तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till ten minutes past fourteen of the clock**

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बज कर दस मिनट (म० अ० ) पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha reassembled after lunch at ten minutes past fourteen of the clock**

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**Calling Attention to a matter of urgent public importance**

**जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा हाल ही में कुछ व्यापार गृहों के शेयरों की बड़े पैमाने पर खरीद का समाचार**

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागरा)** : श्रीमान्, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नविषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय युनिट ट्रस्ट द्वारा हाल ही में बिरला बन्धुओं सहित कुछ प्रमुख व्यापार गृहों के शेयरों की बड़े पैमाने पर खरीद और उसके परिणामस्वरूप पालिसीधारियों और युनिटधारियों को हानि होने का समाचार।"

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : मार्च, 1978 में जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम (जिसमें उसकी सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं), और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जितनी रकमों के शेयर खरीदे हैं उनमें पिछले महीनों में उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की तुलना में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। मार्च के महीने में जीवन बीमा निगम ने 17 कम्पनियों के 46.90 लाख रुपए के, साधारण बीमा निगम ने 110 कम्पनियों के 396.17 लाख रुपए के और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 81 कम्पनियों के 157.22 लाख रुपए के सामान्य शेयर खरीदे थे। फरवरी के महीने में जीवन बीमा निगम ने 25 कम्पनियों के 87.97 लाख रुपए के, साधारण बीमा निगम ने 100 कंपनियों के 279 लाख रुपए के और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 81 कंपनियों के 175.33 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। इसी प्रकार जनवरी में जीवन

बीमा निगम ने 23 कम्पनियों के 39.17 लाख रुपए के, साधारण बीमा निगम ने 99 कम्पनियों के 249.87 लाख रुपए के और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 107 कम्पनियों के 200.18 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। इन वित्तीय संस्थानों ने बिड़ला समूह की ग्वालियर रेयन, हिन्दाल्को, ओरिएंट पेपर और केशोराम उद्योग नामक कम्पनियों के अलावा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, दिल्ली क्लाथ मिल्स, स्टैंण्डर्ड मिल्स, ए०सी०सी०, जे० के० सिन्थेटिक्स, एन०ग्रो०सी०आई०एस०, अतुल प्राडक्ट्स, अम्बिका मिल्स, माईको, हिन्दुस्तान लीवर, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, टाटा कैमिकल्स, ग्रेट ईस्टर्न, बड़ौदा रेयन, आई०टी०सी०, एस०एल० मानेकलाल, सौराष्ट्र सीमेंट, इंण्डियन आर्गेनिक, मफतलाल आदि जैसी कई अन्य कम्पनियों के शेयर भी खरीदे हैं। इन संस्थाओं ने ये शेयर पूंजी निवेश के अपने सामान्य कार्यकलापों के अन्तर्गत खरीदे हैं। एक या दो मामलों को छोड़कर इन शेयरों के बाजार मूल्य उन मूल्यों से ऊंचे हैं जिन पर इन वित्तीय संस्थाओं ने शेयर खरीदे थे। इन शेयरों में जितने लाभ की क्षमता है उससे भी यह पता चलता है कि इनके दाम बढ़ने और इनसे लम्बी अवधि तक लाभ होते रहने की काफी गुंजाइश है। अतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन शेयरों की खरीद से पालिसी होल्डरों आदि यूनिट होल्डरों को कोई हानि हुई है।

2. वित्तीय संस्थाएं शेयरों में लगाई गई अपनी पूंजी को लम्बी अवधि के लिए लगी पूंजी मानती हैं। अतः वे इन शेयरों से लगातार और युक्तिसंगत आमदनी और खासतौर से पूंजी के बढ़ते रहने और लम्बे अर्से तक लाभ की संभावनाओं की अपेक्षा करती हैं। निःसंदेह लाभांश की आमदनी एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ ही पूंजी की वृद्धि और शेयर के मूल्य के बढ़ने की क्षमता की गुंजाइश का भी उतना ही महत्व है। विकासोन्मुख सामान्य शेयरों में लगाई गई रकम से जो पूंजी बढ़ती है, वह इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई अन्य पूंजी विशेषकर नियत ब्याज वाली प्रतिभूतियों में लगाई गई पूंजी से होने वाली संभावित हानि से बचाव का काम करती है। साधारण बीमा निगम के मामले में कर का दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि अंतर्निगम लाभांश आय पर कर की जो रकम देय होती है वह ब्याज की आमदनी पर देय कर की तुलना में काफी कम होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में पूंजी वृद्धि की गुंजाइश एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पूंजीगत लाभों पर कर नहीं लगता।

3. मैं यहां यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वित्तीय संस्थाएं स्वायत्तशासी निकाय हैं और पूंजी लगाने के बारे में ये अपने निर्णय अपने बोर्डों और निवेश समितियों के माध्यम से करती हैं।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** इस वक्तव्य में तर्कपूर्ण बात कही गयी है। परन्तु इसमें कई बातों को छिपाया गया है। 1 अप्रैल, 1978 के बाद इस तरह के निवेश कार्यों में कुछ गड़बड़ी हुई है। आरोप यही है। यह तो एक दूसरा मूंदड़ा कांड है।

इन संस्थाओं द्वारा किए गए सौदे की परिस्थितियों, दीर्घकालीन निवेश पद्धति और इनकी नीतियों के बारे में वाद-विवाद किए जाने की आवश्यकता है।

इन सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने करोड़ों रुपये की धनराशि का निवेश किया है। क्या इस विषय में कोई जांच की जाएगी ? ये संस्थायें पालिसी धारियों के हितों की परवाह नहीं करती है। पेंशनर और विधवाबें अपनी गाढ़ी कमाई को यूनिट ट्रस्ट में इस उम्मीद से लगाती हैं कि उन्हें 9 या 8 प्रतिशत लाभ मिलेगा। वे भारी धनराशि इन शेयरों में लगाती हैं।

नये बजट में पूंजीगत लाभ कर की छूट को वापस ले लिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें शेयर बाजार से कोई रिपोर्ट मिली है कि पिछले पांच या छः सप्ताहों में क्या हो रहा था। क्या वह शेयर बाजार में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए इन सौदों की न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार हैं? क्या वह इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन शेयरों के खरीदने के बारे में कोई निदेश दिया था? क्या वित्त मंत्रालय ने कोई निदेश दिया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह गत सप्ताह दिए गए अपने वायदे को पूरा करेंगे?

**श्री एच० एम० पटेल:** उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने अनेक बातें कहीं हैं। उन्होंने 'षड़यंत्र' व तथ्य छिपाने आदि के बारे में कहा है। कोई भी बात नहीं छिपाई गई है। मार्च के दौरान किये गए खरीद के बारे में मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया था। जनवरी और फरवरी में खरीदे गए शेयरों के बारे में भी मैंने बता दिया है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** यही सब है। मैं नहीं समझता कि आप पूरी तैयारी करके आये हैं।

**श्री एम० एम० पटेल:** मैं पूरी तरह तैयारी करके आया हूं। परन्तु आपने क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। उन्होंने यह कहा है कि क्या मैं जांच कराऊंगा। निस्सन्देह यदि जांच करने की बात है तो मैं जांच कराऊंगा। और भी जो बातें कही गई हैं उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है यदि उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं अवश्य ही जांच कराता और 8 मार्च के बीच की गई खरीद के बारे में मैं जांच कराऊंगा कि वास्तव में खरीद कब की गयी। वित्तीय संस्थाओं से हमें जो आंकड़े मिले हैं वे कुल खरीद के बारे में हैं।

सट्टेबाजी का प्रश्न है। ये संस्थायें शेयर बाजारों के माध्यम से खरीद करते हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन:** (इदक्की): इन संस्थाओं द्वारा बाजार में खरीदने के लिए आने के बाद क्या इन कम्पनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि हो गयी? इससे पहले इसकी कीमत क्या थी और बाद में क्या थी?

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे।

**श्री एच० एम० पटेल:** मैं इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करके आपको दे दूंगा। यदि सौदे में किसी तरह की गलती हुई है तो कार्यवाही की जाएगी।

**श्री एच० एम० पटेल:** खरीदे गये कुल शेयरों में बिड़ला समूह की कम्पनियों के खरीदे गये शेयर इस प्रकार हैं--ग्वालियर रेयन 73.76 लाख रुपये, हिन्दुस्तान अल्यूनियम 23.19 लाख रुपये, केशोराम इन्डस्ट्रीज 6.62 लाख रुपये और ओरियेन्ट पेपर मिल 21.02 लाख रुपये। अब तक इन शेयरों की खरीद से पालिसी होल्डरों या यूनिट होल्डरों को कोई हानि नहीं हुई है। आज इन शेयरों का बाजार भाव ज्यादा ऊंचे हैं। शेयरों की खरीद के बारे में नई संस्थाओं की नीति यह है कि शीघ्र भविष्य में मिलने वाले लाभांश की बजाय भावी बोनस और पूंजी मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाये।

माननीय सदस्य ने किस आधार पर यह कहा है कि इन शेयरों की खरीद के पीछे षडयन्त्र है। शेयरों की यह खरीद सामान्य नीति के अन्तर्गत की गई है। शेयरों की खरीद का निर्णय उनकी वित्तीय समितियों तथा निदेशक बोर्डों की स्वीकृति लेकर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किया जाता। मार्च महीने में की गई शेयरों की यह खरीद असाधारण बात नहीं है।



20 LSS|78—12.

# भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक

Rererve Bank of India (Amendment) Bill

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1937 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1937 में ऐसा संशोधन करना है कि जिससे यह बैंक हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वोत्तम उपयोग कर सके ।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है जिसका कारण है आयात सम्बन्धी निर्भरता को घटाने के लिए अनेक उपाय किये जाना, बाहर से आने वाली अदायगियों को बढ़ावा दिया जाना और निर्यात में वृद्धि किया जाना । विदेशी सहायता भी कुछ सीमा तक प्राप्त हुई है लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के लिए विदेशी प्राप्तियों का भी काफी योगदान रहा है । बाहर रहने वाले भारतवासियों द्वारा स्वदेश में भेजी जाने वाली राशि भी बढ़ी है जिससे भंडार में काफी वृद्धि हुई है ।

इस समय विदेशी मुद्रा भंडार का पूंजी के रूप में निवेश विदेशों में नियमित बैंकों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों का क्रय करने आदि द्वारा ही होता है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक सरकारी गारंटी वाली प्रतिभूतियों अथवा वित्तीय संस्थाओं के बांडों में धन निवेश नहीं कर सकता और विदेश स्थित भारतीय बैंकों में राशि जमा नहीं रख सकता । अतः विदेशी मुद्रा में वृद्धि के साथ इनमें से कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाना आवश्यक है ताकि बाहरी शेष राशि का उपयोग कुछ लाभदायक कार्यों के लिए किया जा सके ।

रिजर्व बैंक को विदेश में स्वयं लेखे खोलने हेतु अधिकृत करने, विदेशी सरकारों द्वारा गारंटी की गई प्रतिभूतियों में राशि जमा करने, विदेश स्थित भारतीय बैंकों में लेखे खोलने, अन्तर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय बैंकों के शेयरों तथा प्रतिभूतियों अथवा विदेशी सरकारों द्वारा गठित वित्तीय संस्थाओं में निवेश करने का प्रस्ताव है ।

रिजर्व बैंक को अनुसूचित वकों तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है ताकि वे वस्तुओं के आयात के लिए धन लगा सकें । रिजर्व बैंक को पुनर्वित्त द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में अनुसूचित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वस्तुओं के आयात आदि के लिए धन लगा सकें ।

इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के वे संशोधन भी शामिल हैं जो अधिनियम को लागू करने के लिए अनुभव के आधार पर जरुरी समझे गये हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1937 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**Shri Hukamdeo Narain Yadav** (Madhuvani) : I beg to move an amendment :

"That the Bill be circulated for electing opinion thereon by 15th July, 1978".

**श्री बी० के० नायर :** (मावेलिकरा) : वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग देश के औद्योगिक विकास के लिए किया जायेगा, विदेशों में पूंजी निवेश के लिए नहीं । विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के बताने वाले विवरण में भी मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय बैंकों को धनराशि वस्तुओं के आयात करने के लिए ही स्वीकार की जायेगी । लेकिन यदि इसका कुछ भाग बाहर लगाया जाता है तो वह आपत्तिजनक समझा जायेगा । हम इस भंडार को कई वर्षों के प्रयासों से बना पाये हैं ।

जनता सरकार ने अब स्वर्ण बेचना आरम्भ कर दिया है । उसका कहना है कि इसका उद्देश्य सोने के तस्करों को असफल बनाना है और सोने के मूल्य को कम करना है । लेकिन तस्कर फिर से सक्रिय हो गये हैं और मूल्य फिर से बढ़ सकते हैं । अतः सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में विफल रही है ।

सरकार को अपना आरक्षित धन बरबाद नहीं करना चाहिए । उसे पश्चिमी देशों में प्रतिभूतियों और शेयरों के रूप में अपना आरक्षित धन रखकर बरबाद नहीं करना चाहिए बल्कि अपने प्रयोजनार्थ रखना चाहिए । अपने संसाधनों को अपनी उन्नति तथा विकास के लिए उपयोग करना सरकार का पहला कर्त्तव्य होना चाहिए ।

राष्ट्रीयकृत बैंक बहुतसी गैर-जरूरी मदों और वस्तुओं पर अपना धन बर्बाद कर रहे हैं । सरकार को सदा धन अपने पास रखना चाहिए । इसके अलावा कभी भी विश्व के किसी भाग में युद्ध छिड़ सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए । हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सदैव शान्ति बनी रहेगी । अतः एक पाई भी बाहर नहीं रखी जानी चाहिए या विवरण के पहले भाग में निर्देशित उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जानी चाहिए । मंत्रीजी को चाहिए कि वह स्वर्ण बिक्री कार्यक्रम के बारे में सरकारी नीति का स्पष्टीकरण करें ।

**Shri Durga Chand** (Kangra) : This Bill has been put forth to solve the question as to how the foreign exchange reserves which the country has accumulated sizeably during the last few years, should be utilized. Therefore this Bill proposes to empower the Reserve Bank to open gold account abroad to invest in foreign securities to open accounts with foreign branches of Indian banks and to invest in the securities of international or regional banks. Further it also empower the Reserve Bank to give loans in foreign currencies to scheduled banks and certainspecified financial institutions, to enable them to purchase foreign exchange from the Reserve Bank for financing import of capital goods and other approved purposes. Now the question arises whether we will utilize the foreign exchange reserves for capital goods or for specified items. It is quite evident that our country is in acute shortage of capital goods like cement, power etc. So, nobody should have an objective if they are utilized to increase the production of cement or for hydle power generation.

**श्री वायलार रवि** (चिरियंकील) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक के कुछ अन्दरूनी ध्येय हैं जिनसे न केवल इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बरबाद करना है अपितु देश में एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा भारत से बाहर दूसरे देशों में इस धन को ले जाना भी है । विदेशों में शेयरों या अन्य किसी वस्तु की खरीद के लिए ही केवल उपबन्ध नहीं किया गया है बल्कि बैंकों को पूंजीगत माल के आयात की अनुमति भी दी गई है ।

आज देश के किसी एक व्यक्ति के लिए धन बाहर ले जाना तथा खाता खोलना सम्भव नहीं है । यदि सरकार यह विधेयक पास करती है तो वे धन को बरबाद करेंगे, वे देश से बाहर हिन्दूजा जैसे एक विशेष वर्ग द्वारा धन को बरबाद करने की अनुमति दे रहे हैं । मुझे शक है कि इस विधेयक का

सम्पूर्ण उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया को असफल बनाना है ताकि देश से बाहर वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की जा सके । इस विधेयक के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक और वित्तीय निगमों, अनुसूचित बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों को आयात या निर्यात के नाम पर विदेशी मुद्रा में गड़बड़ी करने की खुली छूट देना चाहती है । इस विधेयक द्वारा सरकार उन्हें न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी अपना कार्य करने की अनुमति दे रही है, विदेशी मुद्रा को बरबाद करने के लिए एकाधिकारी गृहों को प्रोत्साहन दे रही है और देश से बाहर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रही है ।

अनुसूचित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देने की रिजर्व बैंक को शक्ति देने सम्बन्धी जो उपबन्ध किया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा । इन बातों के लिए वर्तमान नियम तथा विनियम ही ठीक हैं । सरकार ने यह नहीं बताया है कि इस विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध करने की क्या आवश्यकता है ।

इस विधेयक के माध्यम से सरकार प्राइवेट बैंकों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दे रही है । इससे रिजर्व बैंक विदेशी सरकारों से गारंटी शुदा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देगा । यह सब किस लिए किया जा रहा है ।

विदेशी मुद्रा भंडार में इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि हमने उर्वरकों तथा खाद्यान्न का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया था । इसके अलावा विदेशों में काम कर रहे भारतीय तथा स्वदेश में भेजा गया धन भी बढ़कर 1500 या 1600 करोड़ रुपये का हो गया था । इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार सारा धन बरबाद कर दे । एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें आवश्यक माल की खरीद की जरूरत पड़े ।

सरकार रिजर्व बैंक को शेयर खरीदने तथा विदेशों में धन रखने की अनुमति दे रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभा को क्या वह यह गारंटी दे सकते हैं कि रिजर्व बैंक सरकार की विदेश नीति के विरुद्ध काम नहीं करेगा ।

मैं मंत्री जी से यह विधेयक वापस लेने की ओर उस पर जोर न देने की अपील करता हूं क्योंकि यह विधेयक राष्ट्र हित के विरुद्ध है ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : 170 लाख टन खाद्यान्नों का भंडार और 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भंडार हमारी दो बड़ी आस्तियाँ हैं । यदि विदेशी मुद्रा का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी ।

मैं यह महसूस करता हूं कि गत एक वर्ष में सरकार ने विदेशी मुद्रा के समुचित उपयोग या देश के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की है । वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान भाषण कहा है कि इस विदेशी मुद्रा भंडार को उत्पादन बढ़ाने तथा देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जायेगा । मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं श्री वयालार रवि की इस बात से सहमत हूं कि रिजर्व बैंक या अन्य किसी बैंक द्वारा हमारी विदेशी मुद्रा को विदेशों में भजना खतरनाक सिद्ध होगा । हमारे जैसा गरीब देश अपने अर्जित विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशों में नहीं भेज सकता । इसका उपयोग स्वदेश में ही होना चाहिए जिससे कि हम सीमेंट, इस्पात, उर्वरकों, रसायनों, विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा विभिन्न परियोजनाओं के आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था कर सकें । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस आयात का लाभ उच्च वर्गों की बजाय निर्धन वर्ग को पहुंचना चाहिए ।

दूसरे रिजर्व बैंक के कार्यकरण के बारे में मेरी अपनी एक धारणा है । मेरे पास रिजर्व बैंक के उन कर्मचारियों की एक सूची है जिन्हें अथवा जिनके रिश्तेदारों को सेवा से निवृत होने के बाद इन बैंकों में नौकरी मिली है । यही कारण है कि ये कर्मचारी इन बैंकों के साथ पक्षपात करते रहे हैं इसकी जाँच की जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । रिजर्व बैंक के एक कर्मचारी जो 62 वर्ष की अवस्था में 2500 रुपये के वेतन में नियुक्त किया गया था प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि उस अधिकारी जैसा कोई भी अनुभवी व्यक्ति नहीं था । यह बैंक के इतिहास में एक अजीब बात है । अतः रिजर्व बैंक को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं उनके बारे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अधिकारों का दुर्पयोग न हो ।

अब हमने सोने की जो बिक्री की है उससे सोने की कीमतें कम नहीं हुई हैं । अतः मेरा यह निवेदन है कि जो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम है उसका अनुभव आपको हो चुका है । अब हर वर्ष कुछ न कुछ रियायतें दी जा रही हैं । मैं समझता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण में अब क्या रहा है । अतः मैं चाहता हूं इसे समाप्त किया जाये । इससे कम से कम 10 लाख आदमियों को रोजगार मिल सकता है । मैं वित्त मंत्री की इस बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । अंतः में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर फिर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा का देश के विकास के लिए उपयोग किया जाये ।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (कन्नानूर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान न केवल विपक्ष के किन्तु सत्ताधारी दल के सदस्यों में एक मतैक्य दिखाई दिया है । $1\frac{1}{2}$ महीने पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि वह विदेशी मुद्रा को देश के विकास के लिए उपयोग करना चाहते हैं किन्तु अब उसके स्थान पर वह विदेशी मुद्रा को स्वर्ण बाँडों, विदेशी प्रतिभूतियों और शेयरों में लगाने का प्रस्ताव करते हैं । आप इस विधेयक से वर्तमान अधिनियम में ऐसी त्रुटियाँ पैदा करना चाहते हैं जिनसे विदेशी मुद्रा का बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा गुप्तरीति से उपयोग किया जायेगा । क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह विदेशी मुद्रा धनवान देशों द्वारा खरीदी जायेगी और फिर इसका उपयोग बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकासशील देशों के लोगों का शोषण करने के लिए किया जायेगा । अतः यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दिया जायेगा ।

**श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए**

[SHRI M.S. SATYANARAYAN RAO IN THE CHAIR]

**वित्त मंत्री** ने कहा कि वे विदेशी मुद्रा को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में निवेश करना चाहते हैं । जिन बैंकों की विदेशों में शाखाएं हैं वे पहले ही वहुत सी अनियमितताएं कर रही हैं ।

मेरी इस बारे में आपत्ति है कि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को ही अनुमति दी जायेगी । उन्होंने कहा है विदेशी मुद्रा उन लोगों को दी जायेगी जो इससे पूंजीगत माल की खरीद करने में उपयोग करेंगे । हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि इसका उपयोग बड़े-बड़े उद्योग करेंगे । लघु उद्योगों को इससे कोई लाभ नहीं होगा । इस विधेयक में यह कमी है और इस बात को अच्छी तरह से नहीं सोचा गया है कि कैसे विदेशी मुद्रा का देश के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है ।



20 LSS/78—13.

**Shri Hukmdeo Narain Yadav** (Madhubani) : Government have declared that the country has become self-sufficient in the matter of good grains but we see that on the one hand there is self-sufficiency and on the other hand people are starving. Similarly on the one hand there is foreign exchange reserve and on the other hand the country is under foreign debt. Why this foreign exchange is not being utilized for repaying the foreign loan. There are many multinational companies in the country. They are earning lot of profit. Why these companies cannot be nationalized. That foreign exchange can be utilized by the country. If this foreign exchange will be given to big industries for import of capital goods, this will not be properly utilized. This will lead to bungling to the time of crores of rupees.

If this foreign exchange reserve is to be spent on things of consumption, it is misuse of it but if it is to be spent on capital goods to be used for further production then it is in the interest of the development of the country. Because this hard earned reserve should be utilised for the good of the country.

We have had a bitter experience of our nationalized banks and they cannot be trusted. They have failed to help the farmers in getting loans.

I would in the end request that in the Hindi version of Acts and laws simple words should be used so that their meaning is easily understood.

**श्री ओ० बी० अलगेशन** (अर्कोनियम) : इस विधेयक के बारे में पूरी सूचना नहीं दी गई है। इसके उद्देश्यों के विवरण से भी यह स्पष्ट नहीं होता है। वित्त मंत्री महोदय ने भी इस पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला है। अतः हमारे लिए यह निर्णय करना कठिन है कि यह विधेयक अच्छा है या नहीं है।

हमारे विदेशी मुद्रा कोष में इस समय 4,649 करोड़ रुपये हैं जो वर्ष के अन्त में 6,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक भी हो सकता है। यह राशि एक वर्ष के आयात के मूल्य के बराबर है।

कुछ समय पहले हम यह सोचते थे कि यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा हो तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जायेंगी किन्तु हुआ यह कि इसके बाद और समस्याएं पैदा हो गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे पास पोंड का काफी कोष था किन्तु यह कितने दिन चला। अतः इसी प्रकार यह सोचना कि हमारे पास विदेशी मुद्रा काफी है ठिक नहीं है।

हमारे पास 4000 अथवा 5000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है और साथ ही 11,000 करोड़ रुपये का ऋण है। यह विदेशी मुद्रा भी हमारे पास नहीं है बल्कि विदेशों में है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा रुपया बाहर के देशों के पास है जिसका कि मुश्किल से 2 प्रतिशत ब्याज मिलता है यदि मंत्री महोदय चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा को विदेशों में रखा जाये तो वह यह बतायें कि ब्याज की क्या दर होगी और कितना अधिक लाभ होगा।

जहां तक विदेशी मुद्रा को सोना खरीदने में लगाने का विचार है वह बतायें कि किस भाव पर खरीदा जायेगा और इस सोने का वह क्या करेंगे। क्या यह हमारे हित में होगा। हमने यहां रिजर्व बैंक के द्वारा सोने की बिक्री की है इससे कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो क्या वित्त मंत्री का अभिप्राय विदेशों से सोना खरीद कर यहां जो दाम हैं उससे कम दाम पर बेच कर कीमतों को गिराना है। मेरा सुझाव है कि विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशी ऋण की अदायगी करने में उपयोग किया जा सकता है। अतः वित्त मंत्री इन बातों पर विस्तार से प्रकाश डालें।

**श्री सी० एम० स्टीफन (ईदुक्की)** : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बहुत सी बातें उठाई गई हैं और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इनका स्पष्टीकरण करें। इसमें मूल बात यह है कि विदेशी मुद्रा का किस प्रकार उपयोग करें। श्री मोहन धारिया ने योजना पर बहस के दौरान कहा था कि विदेशी मुद्रा

का उपयोग न करना एक अपराध है। किन्तु प्रश्न यह है कि वास्तव में हमारे पास विदेशी मुद्रा इतनी अधिक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह विचार करना है कि किस प्रकार इस विधेयक पर विचार किया जाये।

अब इस विधेयक के द्वारा और अधिक शक्तियों की मांग की गई है। इनका उपयोग विदेशी मुद्रा से पूंजीगत माल आयात करने के प्रयोजन के लिए होगा तथा और भी अन्य प्रयोजनों के लिए होगा। यह मालूम नहीं है कि वे अन्य प्रयोजन क्या हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि विदेशी मुद्रा का विदेशों में प्रतिभूतियों के खरीदने में लगाया जायेगा। इसका यह अर्थ हुआ कि विदेशी मुद्रा का विकास कार्यों में उपयोग नहीं किया जायेगा। जहां तक मैं समझता हूं इसका प्रयोजन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और ऐंसे अन्य संस्थाओं में भाग लेने से है। विदेशों में प्रतिभूतियों की खरीद का अर्थ यह होगा कि हम अन्य देशों के विकास में सहायता दे रहे हैं ओंर अपने देश का हमें ध्यान नहीं है। साथ ही विदेशी मुद्रा 10 वर्ष तक बन्द रहेगी और हम उसका उपयोग नहीं कर पायेंगे। यही व्यवस्था नये खण्ड 12(क) में है। धारा 33 में जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत 5 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रभाव है इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी मुद्रा अब 10 वर्ष तक बन्द रहेगी।

वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत साप्ताहिक सूचना गजट में देनी होती है। अब धारा 53 के अन्तर्गत संशोधन किया जा रहा है अब इस संशोधन से यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है। अब सूचना साप्ताहिक नहीं आयेगी और इसे सीमित किया गया है। यह राष्ट्र के हित में नहीं है। यदि इन शक्तियों को प्रदान किया गया तो विदेशी मुद्रा पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा अतः वित्त मंत्री सभा को बतायें कि इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हुई है। यह मूल नीति का प्रश्न है। हमें विदेशी मुद्रा को एक बोझ नहीं समझना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब हम विदेशी मुद्रा के लिए दरवाजे खटखटाते थे। इसका उपयोग देश के औद्योगिक विकास के लिए होना चाहिए ताकि विकसित देशों के विकास के लिए इसका उपयोग होना चाहिए।

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : ऐसा जान पड़ता है कि विधेयक को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। विधेयक के उद्देश्यों के विवरण में सब कुछ स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि रिजर्व बैंक को कुछ शक्तियां दी जायें जिससे वह विदेशी मुद्रा उपयोग कर सके। यह जो प्रतिभूतियां आदि खरीदने की बात है इसका प्रयोजन केवल यही है इनके द्वारा हमें विदेशी मुद्रा पर आज जो मिल रहा है उससे अधिक मिलने लगेगा। विदेशी मुद्रा को बर्बाद करने की कोई बात नहीं है। कहा गया है कि हमें विदेशी मुद्रा का उपयोग अत्यावश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए करना चाहिए। हमें ऐसा करते रहे हैं। हमने अपने आयातों को और उदार बनाया है। इससे हमारे उद्योग विदेशी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। पूंजीगत माल के आधार के बारे में हमारी नीति यह रही है कि हम उसी माल को आयात करने की अनुमति देते हैं जो अपने देश में नहीं बन रहा हो।

आज प्रश्न यह है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा कोष का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। विदेशी मुद्रा का कुछ अंश बाहर रहता है अतः उसका कैंसे उपयोग किया जाए यह महत्वपूर्ण है। इसमें खास बात यह है कि आज हमें अपनी विदेशी मुद्रा से मिल रहा उसमें इस व्यवस्था से वृद्धि होगी। इस वृद्धि के बारे में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितनी होगी जैंसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ सोना बेचता है। हम भी उसे खरीद सकते हैं लेकिन यह तभी खरीदेंगे जब हम देखेंगे कि इससे हमें लाभ होता है।

जहां तक प्रतिभूतियों के बारे में पांच वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का है। यह स्पष्ट है कि इससे हमें उन प्रतिभूतियों से ज्यादा लाभ मिलेगा। यह भी नहीं है कि हम 10 वर्ष तक

बंध गये। हम जब चाहें उन्हें बेच सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं विधेयक के बारे में कुछ भ्रम हुआ है और इसका स्पष्ट उद्देश्य की भली भांति जानकारी नहीं हुई है। और इस विधेयक पर की गई बहस इसी गलतफहमी पर आधारित हैं।

स्पष्ट बात यह है कि विधेयक के माध्यम से रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में संशोधन किया जाना है। मेरे विचार से इस विधेयक का विरोधी पक्ष भी आदर करेगा।

**श्री वायलार रवि :** पिछले दो तीन वर्षों में भारत सरकार विदेशी भारतीय के माध्यम से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा संचित कर लेना चाहती थी। अब सरकार यह कह रही है कि हमारे पास काफी विदेशी मुद्रा जमा हो गई है अतः हम इसे दूसरे देशों में लगा देंगे। इससे विदेशों में भारतीय लोग अब देश में विदेशी मुद्रा नहीं भेजेंगे।

**श्री एच० एम० पटेल :** इससे भारत में आ रही विदेशी मुद्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** हम विदेशी मुद्रा का ऋण दूसरे देशों के विकास के लिए नहीं दे सकते।

**श्री एच० एम० पटेल :** यह सही है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस विदेशी मुद्रा को देश में विकास के लिए यथाशीघ्र प्रयुक्त करेंगे। अतः यदि विधेयक की भावना को सही ढंग से समझा जाये तो यह लगेगा कि यह बहुत ही आवश्यक है और इसके माध्यम से हम अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

**सभापति महोदय :** क्या श्री हुकम देव नारायण इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

**श्री हुकम देव नारायण :** जी हां, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**The Amendment was by leave withdrawn**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है "कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ।

| | |
|---|---|
| पक्ष में | 57 |
| विपक्ष में | 25 |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED

**सभापति महोदय :** अब हम खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है : "कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**Clauses 2 and 3 were added to the Bill**

**श्री एच० एम० पटेल :** मैं खण्ड पर अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।**

**The Amendment Not 5 was put and adop(ed.**

**श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखता हूं।**

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The Amendment No. 6 was put and negatived.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खंड 4 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 4, as amended, was added to the Bill**

**सभापति महोदय :** खंड 5 के लिए संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है:—

**"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"**

**सभापति महोदय** **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 5 was added to the Bill**

सभापति महोदय : खंड 6 के लिए दो संशोधन प्राप्त हुए हैं किन्तु श्री अशोकराज उपस्थित नहीं है। प्रश्न यह है :—

"**खण्ड** 6 से 9 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खंड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गये।**

**Clauses 6 to 9 were added to the Bill.**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**सभापति महोदय :** अब मन्त्री महोदय विधेयक पास करने का प्रस्ताव करें।

**श्री एच० एम० पटेल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये।"

**श्री के० लकप्पा** (तुमकुर) : मैं इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछले एक वर्ष से हम यह बराबर प्रयत्न करते चले आ रहे हैं कि विभिन्न बैंकों में प्रचलित अनियमितताओं को रोका जाये। अभी हाल के वर्षों में व्यापार सन्तुलन बनाने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी प्रयत्न किये गये हैं। अपः इन संसाधनों को देश की अर्थ-व्यवस्था में ठीक ढंग से प्रयुक्त करने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है।

विदेशी या स्वदेशी बैंकों में, जिनके लेन-देन पर सन्देह व्यक्त किया गया है, राशि निवेश नहीं करना चाहिए। कुछ बहुराष्ट्रीय बैंकों की भारत में पहले ही शाखाएं हैं और ये अपने देशों में भारी धन भेजती हैं। ऐसे विदेशी बैंकों में, विदेशों में और अधिक राशि निवेश करने से इन्हें अधिक धन अपने देशों में भेजने का अवसर मिलेगा और इससे देश की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को हानि होगी।

इस बात की ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी कि इन बहुराष्ट्रीय बैंकों में अधिक धनराशि जमा करने के बजाये, एशियाई विकास बैंक जैसे बैंकों में और राशि निवेश करना बेहतर होगा क्योंकि ये इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्थापित किए गए हैं। भारत से एशिया के इस क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा की जाती है।

रिजर्व बैंक को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो छदम कार्य करते हैं।

**श्री एच०एम० पटेल** : यदि भारत में कार्यशील भारतीय या विदेशी बैंकों ने कोई कदाचार किया है या अवांछनीय कार्य करते हैं तो हम अवश्य ही उनके कार्यों की सावधानी पूर्वक जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED

## सीमा-शुल्क, केंन्दीय उत्पाद शुल्क और नमक तथा केंन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) विधेयक

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल)** : महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधन करने संबन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य को संक्षिप्त रूप में बताऊंगा।

गत 15 वर्षों में केन्द्रीय सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक हो गया है। अतः अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 की जा रही है।

सीमा शुल्क, अधिनियम की धारा 135 का संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है। तस्करों के कुछ मामलों में अधिकतम दण्ड 6 महीने की सजा की व्यवस्था है। इसे बढ़ा कर एक वर्ष किया जा रहा है।

विभिन्न निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस दिए गए हैं और इन निर्यातकों को इन अग्रिम लाइसेसों से अपनी वस्तुएं निर्यात करनी होती हैं। जब कभी निर्यातक किसी सामान का आयात करते हैं तो उन्हें सीमा-शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और जब वे किसी का वस्तु का पुनःनिर्यात करते हैं तो हानि होती है अतः यह एक प्रकार से समायोजन हीं है। इस तरह से उन्हें बहुत तंग होना पड़ता है और काम भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए यह उपबन्ध किया गया है कि किताबी समायोजन किया जाना चाहिए। जब कभी कोई निर्यातक अग्रिम लाइसेंस से किसी वस्तु का आयात करे तो वह उसके नाम खाते लिख दिया जायेगा और जब वह निर्यात करेगा तो उसे भी उसके नाम में जमा कर दिया जायेगा। और शेष जमा खाता 12 प्रतिशत ब्याज के साथ समायोजित कर दिया जायेगा। इस संशोधन से हमारा उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम का 1974 में संशोधन किया गया था और इसे 1975 में लागू किया गया था। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनेक रिट याचिकायें दर्ज की गई थीं। 'निर्माण', संबंधित व्यक्ति 'वितरण' आदि की परिभाषा के बारे में विवाद उठाये गए हैं। इस विशिष्ट विधेयक में हम 'निर्माता' 'सम्बन्धित व्यक्ति' वितरक आदि की परिभाषा से सम्बन्धित कुछ उपबन्धों का संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कर या शुल्क अपवंच जैसी खामियों को दूर किया जा सके।

उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सरकार से अनरोध किया है कि प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों को सरल किया जाए। यह निर्णय किया गया है कि जिन वस्तुओं में 10, 15 या 20 प्रतिशत देशी माल लगता है तथा उसका निर्यात करना है, तो ऐसी समूची वस्तु को कमी के रूप में पूरी तरह आयातित माल माना जाएगा। प्रक्रिया को इस प्रकार सरल दिक्कतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। कम और अधिक लेवी के वापिस करने का मामला भी है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार को न्यायालयों के फैसलों के द्वारा सालों बाद रूपया वापिस करने का आदेश देना पड़ा। यह भुगतान करोड़ों रूपए का है। अब कम लेवी लिए जाने की अवस्था में उसे बढ़ाने के लिए कार्रवाई सम्बन्धित विभाग को छः महीने के अन्दर करने की व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई अधिक लेवी को वापिस लेना चाहता है तो वह भी उसे छः महीने के अन्दर ले सकता है। विधेयक में सहायक-कलक्टर के न्यायिक अधिकार 10,000 रूपए से बढ़ा कर 25,000 रूपए किए जा रहे है।

**श्री वयालार रवि (चिरंचीकील) :** इससे अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा।

**श्री सतीश अग्रवाल :** यह बुराई हमें विरासत के रूप में मिली है: हम इस स्थिति में सुधार करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं इसे 101 मामले गिना सकता हूं कि जहां आप और आपकी सरकार ने इस देश के प्रशासन के साथ वित्तीय धोटाले किए हैं। क्या आप जनता दल के बारे में ऐसा कोई मामला बता सकते हो ?

**श्री वयालार रवि :** एक मामले में ऐसा हुआ है जहां राजनीति के हित में काम किया गया। मेरे पास दस्तावेज हैं मैं उन्हें दिखा सकता हूं।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) :** मन्त्री महोदय ने बताया है कि सदस्य संख्या बढ़ाई जायेगी, किन्तु क्या इससे समस्या का समाधान होगा।

**सभापति महोदय** : यदि आप कुछ कहना चाहते है तो लिख कर दीजिए। मन्त्री महोदय, आपको इनकी बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री सतीश अग्रवाल** : मैं ठोस सुझावों का स्वागत करता हूं। हम न्यायिक मार्ग के लिए एक और सदस्य की व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में शक्तियों को सहायक कलेक्टर और कलेक्टर को सौंप रहे है और सहायक कलेक्टर के आदेशों की समीक्षा का काम कलेक्टर को सौंप दिया है। यदि सहायक कलेक्टर के आदेश नियम विरूद्ध हो अथवा मिली भगत से ज़ारी किये गए हों तो कलेक्टर रिकार्ड मंगवा सकता है और उस आदेश विशेष को रद्द कर सकता है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। हम समूचे प्रशासन का पुनर्गठन कर रहे है जिससे इस सम्बन्ध में सुधार होगा।

यह कहा जा रहा है कि इस विषय पर टुकड़ों में कानून बनाया जा रहा है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हू कि संसद से अगले सत्र में हम एक व्यापक विधान ला रहे हैं और जो भी अब सुझाव आयेंगे उन्हें उस विधान में अवश्य ही स्थान दिया जायेगा। मैंने प्राक्कलना समिति के सभापति से अनुरोध किया है कि वह तीन चार मास के दौरान मेरे विभागों का अध्ययन करके अपने ठोस सुझाव दे तांकि इनका सुचारू ढंग से परिचालन किया जा सके।

**सभामति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ " कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, 1963 में किये जाने वाले कतिपय संशोधनों सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री मनोरंजन भक्त (अंडेमान और निकोबार श्रीप समूह)** : सभापति महोदय सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि वह एक सक्षम मन्त्री सिद्ध हुए है किन्तु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वह यह विधेयक उस समय लाये है जबकि ग्राम समिति का प्रतिवेदन आने वाला है।

इस समिति के प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि की समूची प्रक्रिया को लिया जाएगा। इससे हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध करने में सहायता मिलेगी। जब समिति के प्रतिवेदन के आने की शीघ्र ही आशा है तब पता नहीं यह विधेयक क्यों लाया गया है।

इस विधेयक में मंत्री महोदय ने निश्चय ही कुछ अच्छे उपबन्ध किए हैं। उसके लिए वे निश्चय ही बधाई के पात्र है। फिर भी कुछ मामलों पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए।

"निर्माता" की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित परिभाषा में पैकिंग करने वाले और बिक्री के लिए भण्डारण करने वाले भी इसके अन्तर्गत आ जायगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

सरकार छोटे और बड़े निर्माताओं को एक जगह रखने का प्रयत्न कर रही है। बड़े निर्माता कम लागत व्यय होने के कारण अपने उत्पाद में कम मूल्य पर वेच सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखा जाए।

एक अधिकारी द्वारा गलती से वसूली से किए जाने पर, सरकार उस व्यक्ति को अदालत में न्याय प्राप्त करने में वंचित क्यों करना चाहती है? एक निश्चित अवधि में उसके वापिस किए जाने पर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

यदि कोई अधिकारी गलती से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करता है तो ऐसे मामले को न्यायालय में ले जाने पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा तभी होना चाहिए जबकि वह राशि एक निश्चित अवधि में वापस न कर दी जाए।

केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मुझे आशा नहीं है कि इस वृद्धि से काम में कुशलता आएगी। वास्तव में आवश्यकता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पूर्ण रूप से ओवरहाल करने की है। क्षेत्रों में काम करने वाले सभी वर्गों के कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनकी सेवा-शर्तों में सुधार किया जाए। अधिक स्टाफ की नियुक्ति की जाए और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। तभी यह अपने कार्य को ठीक ढंग से कर सकेंगे और कानून को भी लागू कर पायेंगे।

**[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुईं]**
**[Shrimari Parbati Krishna in the Chair]**

**श्री अमृत नहाटा** (पाली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में मुख्य रूप से तस्करी रोकने, निर्यात बढ़ाने और करों की चोरी रोकने के बारे में कुछ उपबन्ध सुझाए गए है।

इस विधेयक में उत्पाद की जो परिभाषा की गई है उसका सभी बड़े औद्योगिक धरानों ने विरोध किया है उनका उद्देश्य करों की चोरी को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का विरोध करना है। लगभग सभी बड़े व्यापार गृहों ने अधीनिर्मित बनाना शुरू कर दिया था और पूर्णतया निर्मित माल नहीं बनाते थे। अतः इस विधेयक में अब उचित और वैज्ञानिक परिभाषा करके सही कदम उठाया गया है।

अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम अपनी वस्तुओं को अपने ब्रान्ड नाम से बेचते हैं। अतः उत्पाद शुल्क लगाते समय ब्रान्ड नाम को भी ध्यान में रखा जाए। पैकिंग के बारे में कुछ अन्तर रखा गया है। भण्डार के लिए पैकिंग पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता लेकिन उन्हें बेचते समय लगाया जाता है। इससे अधिकारी जनता को तंग करते हैं। इसलिए पैकिंग पर छूट मिलनी चाहिए।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क का हिसाब लगाने के दो आधार हैं और उसमें असंगति अभी बनी है। उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है। उत्पादन को मूल्य सूची और वर्गीकरण सूची भेजनी होती है। इन सूचियों को अनुमति प्रदान करने में काफी समय लगता है।

हाल ही में एक नया सिद्धान्त लागू किया गया है। अब बीजक के आधार पर 5 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। यह एक स्वस्थ प्रक्रिया है। इससे प्रशासन और शुल्क-दाता के बीच विश्वास की भावना पैदा हुई है। इस व्यवस्था को सभी मदों पर लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिनियम की धारा 4 में आवश्यक संशोधन किया जाए।

इस विधेयक में बहुत ही चतुराई से एक उपबन्ध जोड़ा गया है। पहले कम प्रचार के लिए सरकार ने जो समय सीमा रखी थी वह एक वर्ष थी। पर अब यह राशि छः मास में ही वापस करने का प्रावधान है। इसका स्वागत है।

खण्ड 24 के परन्तुक में 2 वर्ष की अवधि को बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह एक कदम पीछे बढ़ने वाली बात है। यह ठीक नहीं है।

इस विभाग में कार्य कुशलता बढ़ाई जाए। यदि कोई अधिकारी कम शुल्क लेता है तो वह मांग पेश कर देता है और छः मास में यह करना होता है। पर जब वह करदाता से अधिक वसूल कर लेते

है और वह उसे वापस मांगता है तो जवाब मिलता है कि आप न्यायालय में जाइए। कम या ज्यादा शुल्क लेने के आरोप में क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। वापसी या कम प्रभार मांग के सम्बन्ध में खण्ड 4 में व्यवस्था है। प्रशासन के विरूद्ध और अधिक कार्यवाही करने का प्रवधान होना चाहिए।

मंत्री जी ने वचन दिया था कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा आशा है कि इस समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के आने पर और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही लाया जाएगा।

उत्पाद शुल्क प्रशासन और सीमाशुल्क शुल्क प्रशासन को पृथक-पृथक किया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों विभागों का काम अलग अलग हैं।

**श्री वायबर रवि** (चिरचिकील) : सर्वप्रथम सीमाशुल्क विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए और उसके पश्चात ही एक व्यापक विधेयक पेश किया जाए। विभाग में जो दावे पेश किये जाते हैं उन्हें स्वीकार करने में आनाकानी की जाती है। दावों पर निष्पक्षता और न्यायपूर्वक तरीके से विचार किया जाना चाहिए। विभाग के अधिकारियों के रवये में भी परिवर्तन जरूरी है। पिछली सरकार ने मोदी इन्टरनेशनल बहुराष्ट्रीय कम्पनी को उत्पाद शुल्क के मामले में 50 प्रतिशत की रियायत दी थी। इस रियायत को वापस लिया जाना चाहिए। यही बात टायर बनाने वाली कम्पनियों पर भी लागू होनी चाहिए।

कुछ व्यक्ति खाड़ी देशों में गए हैं। जब वे वापस आते हैं तो हवाई अड्डों पर उन्हें तंग किया जाता है। सामान सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करके स्थिति को सुधारा जाना चाहिए।

खण्ड व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। ये लोग हर मास देश को पैसा भेजते हैं। जब से लोग बाहर से भारत आते हैं तो उन्हें कुछ सामान लाने की इजाजत होनी चाहिए।

**Shri Bhagat Ram (Bhillour)** : The custanes and excise duty are of the major sources of our national income. We have seen that Government have been giving concessions after concessions to in big industry which is having adverse effect in consumers. The taxes are being evaded. The burden fell in the common people who suffered Government should take steps to check evasion of excise duty.

Officers of the customs Department are in value with smugglers and make money. The Government should inquire with the assets of the officers of the department.

There was many citizens of our country who have gone abroad for jobs. When they came back they are harassed at air ports by customs official, Steps should be taken to stop this harassment. The value of article which they can bring should be increased from Rs. 500 to Rs. 3000.

Certain political parties import literature from other countries. At times there books were confiscated by customs Authorites. This was really bad and should be stopped.

**श्री विनोद भाई वी सेठ** (जामनगर) : इस विधेयक में तस्करों को सजा देने तथा 6 मास की सजा को बढ़ाकर बारह महीने करने की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आगामी सत्र में एक व्यापक विधेयक पेश किया जाएगा मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें आर्थिक अपराध करने वालों के लिए एक विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिए। देश में अनेक आर्थिक अपराध किये जाते हैं पर उनके शीघ्र निपटान की व्यवस्था नहीं है।

**सभापति महोदय :** आप माइक के नजदीक आएं आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही।

**श्री विनोद भाई बी० शेठ :** विदेशों को निर्यात सम्बन्धी वचनों की पूर्ति की है। अग्रिम लाइसेंस प्रणाली लागू की गई है। लेकिन शुल्क देने और शुल्क वापसी सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। प्लास्टिक पर लगाए गए अवैध शुल्क को हटाने के बारे में मैंने कई अभ्यावेदन दिए हैं पर मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया काफी जटिल है।

मुकदमें चलाने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालयों से न्याय काफी देर में मिलता है इसी बीच रोक आदेश भी ले लिया जाता है।

विभाग में चोरी रोकी जानी चाहिए अन्यथा यह अपनी साख खो देगा।

एक खण्ड द्वारा उत्पाद शब्द की परिभाषा में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। पर इससे अनेक कठिनाईयां पैदा हो जाएंगी। तथा छोटे निर्माताओं व्यापारियों तथा साधारण संसाधनों को हानि होगी। इन वर्गों के लोगों को इस परिभाषा की परिधि में नहीं लाया जाना चाहिए। मैं इस खण्ड का पुरजोर विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे वापस ले लिया जाए।

हवाई अड्डों पर यात्रियों की तलाशी लेने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। यदि परख-जांच प्रणाली लागू की जाएगी तो इससे हर व्यक्ति को भय रहेगा अब उसकी बारी भी आयेगी और तलाशी ली जाएगी। इससे लोग अवैध माल लाने से भी डरेंगे।

यदि सरकार उन निर्माताओं पर जिन्होंने उत्पाद-शुल्क का भुगतान नहीं किया और जो इसके दोषी पाये गए हैं, कर लगाने की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर रही है तो उससे मामला वर्षों लटका रहेगा। इस अवधि को 3 वर्ष किया जाना चाहिए।

***श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर) :** सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व विभागीय पूल में रहता है तथा इसे केन्द्र और राज्यों में बांटा जाता है पर इसे राज्यों के साथ उसी अंश में विभाजित नहीं किया जाता। जिसमें वे अंशदान करते हैं। दक्षिणी राज्यों से काफी चाय, इलाइची, मिर्चें आदि के निर्यात से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसका अधिकांश भाग वहां बागान लगाने में खर्च किया जाना चाहिए जिससे वहां अधिक फसल हो और हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सके

इस आय का कम से कम 75 प्रतिशत भाग वहां खर्च किया जाना चाहिए। यह कह कर बात को टाला नहीं जाना चाहिए कि वित्त आयोग इस बात पर विचार कर रहा है।

अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन शुल्क का 60 प्रतिशत भाग उन लोगों से प्राप्त होता है जिनका खर्च 100 रु० प्रति मास से कम है। आज रात नमक पर भी कर लगाया जा रहा है जिसको लेकर महात्मागांधी ने सत्याग्रह आरम्भ किया था तथा जनता में 'देश की स्वाधीनता के प्रति उनकी भावना को जगाया था। इस कर को समाप्त किया जाए।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

जहां तक बन्दरगाहों का सम्बन्ध है अनुमान है कि मद्रास पत्तन 500 करोड़ रुपये की आय होती है। इसका कुछ भाग इस पत्तन के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाना चाहिए। मद्रास की आउटर आंय परियोजना के लिए शीघ्र पर्याप्त धन दिया जाए। ताकि यह परियोजना अवलम्ब पूरी हो सके। तस्करी के लिए सजा दिये जाने सम्बन्धी उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं।

**Dr. Laxminarayan Pandeya** (Mandsaur) : It would have been better if a comprehensive Bill is brought instead of this amending Bill.

The definition of manufacturer has been changed by this Bill. Is is not correct to do so as it may lead to various sorts of complications. Those engaged in repacking business will also be covered under the new definition of "manufacturer" and they will be subject to excise duty also. It will thus cause loss to small scale industries. I shall, therefore, request the Minister to reconsider this change in the definition of "manufacturer" in order to protect the interest of small scale industries, In my opinion it would have been better if the previous definition of 'manufacturer' and clauses thereto are retained.

The Minister has also stated that the punishment for smuggling will be increased from six meonths to one year's imprsonment. But merely this is not going to bring any good results, unless the various loophols and lacuande in the legislation are removed and only their subordinates working under them to earn their livelihood are caught and punished.

Government have not been able to check effectively the smugling activities at our borders with Nepal and Pakistan. In view of all this, a comprehensive Bill is fieeded in this regard.

श्री **पी० जी० मावलंकर** : यह विधेयक बहुत सीमित है। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह इस दिशा में एक व्यापक विधेयक लायेंगे फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी।

इस विधेयक में खण्ड 19,21 और 22 क्यों रखे गए हैं मंत्री महोदय त्रुटियों को दूर करने की बात करते हैं, हो सकता है वह ऐसा न कर सकें। इस प्रकार की परिभाषाओं से तो वह मामलों को और जटिल बना देंगे। कर तो उपभोक्ता को ही देना पड़ता है और उसे ही वस्तु के अधिक दाम देने पड़ते हैं। अतः सरकार को निर्माता की परिभाषा सम्बन्धी मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करनी चाहिए। सरकार को विभिन्न स्तरों पर कर लगाने से अवश्य ही कुछ अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है लेकिन इससे लोगों के साथ अन्याय होगा। अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए यह उचित नही है। सरकार को सभी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस प्रकार समूची व्यवस्था को युक्तिसंगत और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। सरकार को ढांचा सरल बनाना चाहिए तथा व्यापक विधेयक प्रक्रियाओं के मामलों में संक्षिप्त और सरल होना चाहिए।

**Shri Parmanand Govindjiwala (Khandwa)** : The Minister has told that indirect taxation has increased from hundreds of crores of rupees to thousands of crores of rupees. But the Janta Government should at least see to what extent the black money has increased along with increase in the indirect taxation.

The Central Excise and Salt Act defines the word "manufacture". Several speakers have said that something is added into it by way of clarification. But the proposed amendment has not made any change in it and its wording is the same as it was earlier.

It is not known what is the necessity of bringing forth this Bill when a comprehensive Bill is proposed to be brought forth.

सभापती महोदय : मंत्री वाद विवाद का उत्तर कल देंगे ।

## कार्य मंत्रणा समिति
## BUSINESS ADVIRSORY COMMITTEE

**अठरहवां प्रतिवेदन**

संसदीय-कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्यमंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

## आधें घंटें की चर्चा
## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम में हानि**

सभापती महोदय : सभा अब आधे घंटे की चर्चा शुरू करेगी ।

**Dr. Laxminarayan Pandeya** (Mandsaur) **:** The Minister has admitted in reply to starred Question No. 606 on the 5th April, 1978 that seven textile mills of Madhya Pradesh are suffering loss of Rs. 48 lakhs every month. This shows that there is something wrong with the working of the National Textile Corporation which needs to be set right. The officers incharge of these mills are not doing their duty properly.

The objective of setting up National Textile Corporation is that the sick units will start functioning properly after they are modernised and their management is improved. But the cloth manufactured by these mills is costly and there are a number of irregularities in the working of these mills. The general manager gave 14 lakh metres of cloth to M/s. R.G. Wood, Bombay for export at Rs. 2.20 per metre and it is sold at Rs. 2.75 per metre after adding export incentive. The price of the same cloth in the local market is Rs. 3.20 per metre. This cloth is required in the local market but no attention is paid to the needs of the local market. Our textile policy should be decided keeping in view our internal consumption of cloth. It is learnt that per capita consumption of cloth in our country has gone down recently. It is really a matter of great concern.

There is widespread corruption in National Textile Corporation mills of Beawar. The N.T.C. is suffering loss of lakhs of rupees due to corruption in these mills.

So far as the appointment of a new chairman in N.T.C. is concerned the Minister should look into this matter.

We have invested crores of rupees in N.T.C. which has become a hotbed of corrupt practices. The minister should go into various lapses in the working of the National Textile Corporation which is responsible for losse s and take steps to see that it should work properly. Efficient officers should be encouraged and inefficient officers should be removed. The working of Burhanpur Mill, Burhanpur; Kalyan Mill, Indore and Hira Mill, Ujjain in Madhya Pradesh and Mahalaxmi and Edward Mills in Rajasthan should be improved so that these mills do not suffer loss.

**श्री सौगत राय (बैरकपुर)** : राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम में काफी गड़बड़ी चल रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस निगम के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में चार प्रदर्शन केन्द्र खोले हैं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की भी जानकारी है कि केन्द्र द्वारा श्री सी०आर० गुहा मजूमदार के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को इस निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। परन्तु उन्हें इस पद पर कार्य नहीं करने दिया गया तो मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**श्री पी० जी० मावलंकर** : सभापति महोदय, इस निगम का कार्यकरण बहुत ही असंतोषजनक है। इस समय 105 संकट ग्रस्त एकक हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कमजोर इसके लिए कौन से कदम उठा रही है कि ये एकक संकटग्रस्त न हों ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अध्यक्ष भारतीय प्रशासन सेवा का ही व्यक्ति हो—यह क्यों जरूरी है ? इसमें तो इस विषय में इस पद पर विशेषज्ञ व्यक्ति ही नियुक्त किये जायें। तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? इस निगम की मिलों के प्रबन्ध के बारे में क्या सरकार विशेष प्रकार के प्रशिक्षण संवर्ग को रखने पर विचार करेगी ? और इनसे नियंत्रित कपड़ा तैयार ने के लिए ही क्यों कहा जाता है। वे बढ़िया कपड़ा क्यों नहीं तैयार करती हैं ?

**The Minister of Industry (Shri George Farnandes)** : The loss of National Textile Corporation is not increasing, but it is continuously going down. In 1975-76 the loss was Rs. 8 crores and 25 lakhs, in 1976-77 it was Rs. 7 crores 68 lakhs and in 1977-78 the loss has come down to Rs. 5 crores 11 lakhs.

The government have taken over old mills which were running in loss. Condition of some mills has improved while that of others has not improved to the desired extent. The situation is improving gradually.

There is uncleared stock of cloth in the mills. Steps are being taken to improve the situation. Till recently the N.T.C. mills in Madhya Pradesh were selling their cloth themselves but now the cloth manufactured by all the mills will be sold by the subsidiary unit for Madhya Pradesh mills. This will eliminate the competition between mills and stock of cloth will be cleared.

There is excess labour force in these mills which is not required. Every month 25 lakhs are spent on giving wages to these workers. The concerned trade unions and the State Government should help us in this matter so that we can wipe out the losses. The work of modernisation of mills is going fast.

Questions have been asked about the steps taken to improve the condition of N.T.C. mills. A scheme has been formulated to improve and modernise 103 N.T.C. mills involving an expenditure of Rs. 203 crores. I firmly believe that after modernisation most of the N.T.C. mills will start making profit.

In December, 1976 only 17 mills were yielding profit but in December, 1977 46 mills were running on profit. The present position is that most of the N.T.C. mills are showing improvement.

Dr. Pandey has pointed out cases or burgling in export by certain firms of Bombay, Madhya Pradesh. We would conduct an enquiry in the matter and prosecution would be lauched in cases where something wrong has been done either by firm or by an officer.

Nobody would be spared. An inquiry is being conducted in one of the two cases pointed out by the hon. Member, and as soon as the report is availabable, necessary action will be taken thereon.

The other case is complicated I have just now received imformation that when an officer was deputed there, Guha Majumdar refused to hand over the charge. This matter would be inquired into immediately and necessary steps would be taken. But the main question is whether the charge was handed over or not. It is not correct to say that we did not consult the West Bengal Government or acted contrary to their advice. Some actress is there—there may be a complaint to this effect—but nobody can be a P.R.O. were on the grounds of bring an actress.

There are several corplaints about the functioning of our subsidiaries there. We are taking steps to appoint a new officer there.

There is also the question of overhauling N.T.C. We have almost formulated a new policy in regard to textiles and it would be our effort to make it public before the present session is over. Utilimately it would be our policy to provide cloth to the public at cheap rates and other considerations are only secondary. This is a fundamental thing and would impress on N.T.C. to supply cloth at cheaper rates.

**तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 9 मई, 1878/19 वैशाख 1800 (शक) ग्यारह बजे म०पू० तक के लिएं स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjoured till Eleven of the clock on Tuesday, the 9th May, 1978/ Vaisakha 19, 1900 (Saka)**



MGIPRRND—20 LSS/78—Sec. III (N/S)—24-10-78—210